# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

गुरूवार;

9 जुलाई, 2009

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

## जयपुर जिले में विद्युत लाइनों से दुर्घटनाएं

1. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में हाइटेन्शन/लो टेन्शन (एचटी/एलटी) विद्युत लाइनों की चपेट में आ जाने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में जिला जयपुर में कितने लोग घायल हुए और कितनी मौतें हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन लाइनों को भूमिगत करने या अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के कस्बा तिगरिया दायरा, नयाबास व त्रिवेणीधाम की धर्मशालाओं के ऊपर से एचटी/एलटी विद्युत लाइनें गुजर रही हैं? यदि हां, तो सरकार इनको कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है?

**ऊर्जा मंत्री** (डा. जितेन्द्र सिंह) (1) जी हां। यह सही है कि हाइटेन्शन लो टेन्शन (एचटी/एलटी) विद्युत लाइनों से छेड़छाड़ करने, आंधी-तूफान से तार टूटने, असावधानीपूर्वक कार्य करने इत्यादि के कारण घातक/अघातक विद्युत दुर्घटनायें घटित हो जाती हैं। जयपुर जिले के अन्तर्गत तीन वर्षों में जयपुर जिला वृत्त में 68 लोग अघातक दुर्घटनाग्रस्त हुये एवं 65 घातक दुर्घटनाग्रस्त हुये तथा जयपुर नगर वृत्त में 9 लोग अघातक दुर्घटनाग्रस्त हुये एवं 4 घातक दुर्घटनाग्रस्त हुये। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर जिला के अन्तर्गत जयपुर जिला वृत्त में ऐसी लाइनों को भूमिगत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि उपभोक्ता लाइन को

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अन्यत्र स्थानान्तरित करवाना चाहता है तो अन्यत्र स्थानान्तरित करने की जगह उपलब्ध होने एवं कुल खर्चे का आधा हिस्सा जमा करवाने पर शीघ्र हटवाने की कार्यवाही की जाती है एवं जरूरत महसूस होने पर भूमिगत भी की जाती है। जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण के 'डिपोजिट वर्क्स' के अन्तर्गत चारदीवारी क्षेत्र में स्थित प्रमुख बाजारों तथा मुख्य मार्गों पर अधिकांशत: एलटी/एचटी लाइनों को भूमिगत कर दिया गया है तथा अन्य स्थानों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य चल रहा है।

सामान्यतया 132 के.वी. एवं इससे ऊपर के वाल्टेज की लाइनों को निर्माण के बाद अन्यत्र शिफ्ट करना तकनीकी रूप से सम्भव नहीं होता। फिर भी विशेष परिस्थितियों में सरकारी विभाग व निकाय आदि से आवेदन प्राप्त होने पर शिफ्टिंग के तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने यथा लाइन हेतु पथ अधिकार उपलब्ध होना एवं अन्य संवैधानिक पूर्तियां आदि व आवेदक द्वारा शिफ्टिंग का पूर्ण खर्च जमा कराने की स्थिति में शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) तिगरिया दायरा, नयाबास में धर्मशालाओं के ऊपर से एचटी/एलटी लाइन नहीं गुजर रही है एवं यह सही है कि त्रिवेणीधाम में धर्मशालाओं के ऊपर से एचटी लाइन गुजर रही है। इनमें से जाट घर्मशाला के ऊपर से 33 के.वी. लाइन गुजर रही है उसको हटाने शिफ्टिंग हेतु आवेदन प्राप्त होने पर एस्टीमेट की 50 प्रतिशत राशि 73131 रुपये का मांग पत्र दिनांक 25.7.2008 को जारी किया गया था परन्तु राशि जमा नहीं होने के कारण शिफ्टिंग नहीं की गयी तथा सैनी धर्मशाला के ऊपर से 11 के.वी लाइन गुजर रही है, का शिफ्टिंग हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसके लिये रुपये 6233.00 का मांग पत्र दिनांक 3.7.2009 को जारी कर दिया गया है। मांग पत्र की राशि जमा होने पर शिफ्टिंग का कार्य किया जा सकेगा। ये लाइनें धर्मशालाओं के निर्माण के पूर्व से स्थित थीं इन धर्मशालाओं के ऊपर से गुजर रही लाइनों के शिफ्टिंग हेतु आवेदन पर कुल एस्टीमेट की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने एवं जगह उपलब्ध होने पर शीघ्र शिफ्ट कर दी जायेगी।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था। असावधानीपूर्वक आंधी और तूफान के अलावा भी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दुर्घटनाएं होती हैं और वह दुर्घटनाएं इसलिये होती हैं कि जो आपका नीचे का तंत्र है, जिन मापदंडों के आधार पर यह लाइनें खिंचनी चाहिये, जिन मापदंडों को ध्यान में रखकर यह पोल, यह डी पी और यह ट्रांसफार्मर रखने चाहिये वह ध्यान में रखकर उन मापदंडों की पूर्ति नहीं करते इस कारण यह दुर्घटनाएं घटती हैं। यह आपका कहना अब मुझे यह मालूम नहीं घातक और अघातक में आपका विशेष विश्लेषण क्या है। घातक आप क्या केजुअल्टी को कहते हैं ? जहां मृत्यु हो गयी है या कोई बहुत ज्यादा सीरियस...

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): घातक, केजुअल्टी।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): केजुअल्टी। अब मैं आपको यह निवेदन करूं अगर जयपुर वृत्त में आपने इन चार के लिये कहा है तो मैं आपको चार एफ आई आर की तो यह दे देता हूं जो सिर्फ ए ईएन सर्किल, शाहपुरा में हुई और जिसमें चालान भी पेश हुए। जहां से भी यह सूचना आपको उपलब्ध हुई है मेरे ख्याल से उस अधिकारी ने यह बात जांचने की कोशिश नहीं करी कि बिजली विभाग या बिजली विभाग का कांट्रेक्टर, क्योंकि जब वह आपका काम कर रहा है तो वह आपकी अनुमति से कर रहा है। उसके किसी असावधानीपूर्वक कार्य से आम जन की मृत्यु हुई है।

दूसरा, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह था दायरा, दायरा गांव का नाम है। मैंने दायरा धर्मशाला की बात नहीं करी है। मैंने नयाबास एस सी गांव है। मैंने नयाबास कस्बे की बात करी है और अगर धर्मशाला की बात करी है तो वह सिर्फ त्रिवेणी के सम्बन्ध में करी है तो मैं यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि इन दोनों गांवों में जहां एस सी की बहुतायत है, आबादी का कस्बा है ऊपर से लाइन गुजर रही है, क्या आप इन लाइनों को शिफ्ट करेंगे या उनके लिये भी वह मापदंड करेंगे कि वह आधा पैसा एस सी जमा कराये तो यह लाइन शिफ्ट हो या आप अपने स्तर पर इन लाइनों को शिफ्ट करायेंगे?

जहां तक धर्मशालाओं का है, मैं बिलकुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि धर्मशालाएं बाद में बनी हैं लाइंस आपकी पहले से है लेकिन अब धर्मशालाएं बन चुकी हैं और धर्मशालाएं किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं हैं वह तीर्थस्थली है। इस चीज को ध्यान में रखकर कि क्या आप उन धर्मशालाओं से अगर राशि आयेगी तो शिफ्ट करायेंगे या मानवीय आधार पर और वहां की व्यवस्था को ध्यान में रखकर कि कोई दुर्घटना नहीं घटे, आप स्वयं अपने स्तर पर करायेंगे ?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आखिरी में एक बात और पूछना चाहता हूं। आपका एक पत्र आपके चेयरमैन के यहां से निकाला हुआ है। क्या आपके यहां से यह भी सुनिश्चित करने के लिये कि मापदंडों के आधार पर रेनोवेशन का काम हो रहा है कि नहीं, फीडर रेनोवेशन की बात कर रहे हैं, पोल लगाने की बात कर रहे हैं, लाइन खेंचने की बात कर रहे हैं, डी पी लगाने की बात कर रहे हैं और डी पी के साथ अर्थ तो अर्थिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, क्या आपके यहां से गाइड लाइन इश्यु हुए वे हैं कि आपका जे ईएन  कितनी साइड्स को इंस्पैक्ट करेगा? क्या यह सही है कि हंडरेड परसेंट उसको करना है उसके बाद में 20 प्रतिशत ए ईएन का काम है, एक्स ईएन का काम है, क्या यह काम पूरा कर रहे हैं ? और अगर यह काम पूरा कर रहे हैं तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करवाना चाहते हैं, क्या आप सदन को इस बात से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके द्वारा गाइड लाइंस और आपके द्वारा जो प्लांस दिये हैं उसी आधार पर एक साधारण पोल, एक डी पी पोल और अर्थिंग की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की जा रही है जिस प्रकार के मानचित्र आप उनको साथ लेकर गाइड लाइन दे रहे हैं ? कृपा करके इस बात की पुष्टि करें।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जो फरमाया, आपका जो नम्बर तीन प्रश्न था उसमें आपने यह लिखा है क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के कस्बा तिगरिया दायरा, नयाबास व त्रिवेणीधाम की धर्मशालाओं, आई एम सारी, स्पेसिफिकली यह आपने जो प्रश्न था उसमें एटपार यह धर्मशाला जो इसमें मेंशंड है, इसमें मैं आपसे क्षमा चाहूंगा यह कहते हुए कि इसमें धर्मशाला एटपार है लेकिन फिर भी जो आपने फरमाया उसके लिये मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि दायरा में आठ मकानों के ऊपर से 33 के.वी जी एस एस की लाइन जा रही है और नयाबास में सात मकानों पर से 11 के.वी की लाइन जा रही है और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपने यह कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, हमारी बिजली की विद्युत लाइन पूर्व में निर्मित थीं, जो इरेक्टेड थी, पहले से खड़ी हुई थीं और जो निर्माण हुए धर्मशाला आप ले लें अथवा अन्य मकानों के निर्माण हुए यह अध्यक्ष महोदय, बाद की प्रक्रिया है तो इसलिये यह एक इस तरह का इश्यु है कि इसमें क्योंकि पूर्व में हमारी इरेक्टेड लाइंस थी और निर्माण कार्य बाद में हुए इसलिये उसकी एक विशेष व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने आपसे अर्ज किया था कि 59 प्रतिशत हम जो डिपोजिट करते हैं शिफ्टिंग पर लगाने के लिये जो हमारा निगम है उसमें जो अपनी कम्पनी है उसके एक्ट के अनुसार 50 प्रतिशत शिफ्टिंग के लिये वह मनी उसको जमा कराना पड़ता है कंजूमर को, 50 प्रतिशत हमारा खूद कम्पनी वहन करती है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा माननीय राजेन्द्र सिंह साहब से कि जो आपने फरमाया सह स्टे वायर्स के सम्बन्ध में इसमें कई बार यह रीजन हो जाता है रेनफाल में कई बार यह फाल्ट आ जाते हैं उसमें जो हमारे कंडेंसेंर्स है उनमें भी प्राब्लम आ जाती है और कई बार जो ग्रामीण देखरेख में गांव में खेत में पोल खड़ा है और वहां पशु वगैरह बांध देते हैं, स्टे लाइन के और उसमें कई बार स्वेप हो जाता है और वहां मुख्य रूप से यह दुर्घटनाएं होती हैं जो स्टे वायर्स में आती हैं। इसमें दो-तीन रीजन होते हैं कि खेत में स्टे वायर खड़ा है हम वहां ओपन में पशु बांध देते हैं तो कई रीजन हो जाते हैं उसमें तो दैट इज दी रीजन कि इसमें ट्रांसफार्मर लीक होकर करंट आ जाता है तो यह मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): मैं इसमें अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट बात निवेदन कर रहा हूं। कस्बा बस गया, आबादी घोषित हो गयी चाहे ग्राम पंचायत का कस्बा हो, चाहे नगरपालिका का कस्बा हो, आपने जब उसको आबादी घोषित कर दिया, उसने कनवर्जन जमा करवा दिया, अगर नगरपालिका है तो डवलपमेंट चार्ज ले लिया तो आपको पोल हटाने के लिए, लाइन को हटाने के लिए वह 50 प्रतिशत क्यों दे। अगर आपका बिल आफ डिमांड है तो आप रेज करिये नगरपालिका से या उस इकाई से अगर वह ग्राम पंचायत है तो ग्रामीण मंत्रालय से करिये। आप उस आदमी को, उस उपभोक्ता को बाध्य क्यों कर रहे हैं कि वह 50 प्रतिशत जमा कराये।

दूसरी बात, मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपके कितने जे.इन., ए.इन. और एक्स.इन. है, जिन मापदंडों के आधार पर यह फीडर रिनोवेशन का काम हुआ है, उन्होंने बिना साइट पर जाकर मापदंडों के आधार पर, मानचित्र के आधार पर देखकर के उसको स्पष्ट किया और उसकी वह पुष्टि करते हैं क्या? एक भी इंस्टालेशन चाहे वह सिंगल पोल का हो, चाहे लाइन का हो, चाहे डी.पी. का हो, डी.पी. के अर्थ का हो या न्यूटल का हो, क्या वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि हरेक चीज मानचित्र और गाइड लाइन के अनुसार हुई है और क्या आप इस बात को स्वीकार करके इस सदन को पुष्टि करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस जवाब के बाद में इसका रिजोइंडर है।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कालोनीज के बारे में कि यह कालोनीज पहले इरेक्ट हुई या बाद में इरेक्ट हुई ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य:** मंत्रीजी कहा है।

**डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री):** मैं तो माननीय सदस्य के बारे में ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठिये, आप बैठिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री):** माननीय शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अर्ज किया है I am upgrading to you.

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): आपके मंत्रीजी को पूछा ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** हां, मंत्री महोदय।

**डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री):** मैं तो आपको अपग्रेड कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष:** चलिये, चलिये, आप तो जवाब दीजिये, जल्दी खतम करें।

**डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री):** अध्यक्ष महोदय, माननीय शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फरमाया वह एक जनरल प्रोब्लम है पूरे राजस्थान की और जो यह सर्किल्स हैं उनमें यह एक बड़ी प्रोब्लम है। जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन लाइनें हैं और उसके अन्दर कालोनीज पहले बनी हैं या ऑलरेडी लाइनें पहले से इरेक्टेड हैं कालोनीज बाद में कटी हैं This is related with different department. यह हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रश्न नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी शायद भूल गये हैं ...(व्यवधान) कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है मंत्रिमण्डल की ...(व्यवधान) आप सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं, मंत्री महोदय यह कहकर के नहीं टाल सकते हैं यह मामला दूसरे विभाग से संबंधित है।

**डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री):** आगे सुनिये माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह कहकर के नहीं टाल सकते हैं।

**डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री):** आगे सुनिये ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** पूरी बात सुन लीजिये।

**डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री):** My reply is not finished as yet. मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, प्रश्न खाली जयपुर जिले का है, पूरे राजस्थान का आप मत शुरू कर दीजिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का है, साल भर पहले क्या स्थिति थी ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): पूरे राजस्थान का मामला है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: जयपुर जिले की बात कह रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, एक साल पहले क्या थी ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): पूरे राजस्थान के मंत्री हैं...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): एक साल पहले क्या नियम और कायदे थे, क्या नियम थे ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): जयपुर का जवाब दिला दो...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): एक साल पहले क्या था और हमारी सरकार आने के बाद में क्या नियमों में परिवर्तन हुए हैं ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): असल में फीडर रिनोवेशन के प्रोग्राम में अधिकारियों को जो चैक करना था वह इन अधिकारियों ने जयपुर जिले में केवल ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न केवल जयपुर जिले में संबधित है, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा है और आप कृपया उस तक सीमित रहें ...(व्यवधान)...

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की समस्या है वह ...(व्यवधान).. सब इनसे पूछेंगे...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष** : जवाब आने दीजिये, जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)...

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : मंत्री महोदय, एक मिनट बिराज जायें...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान) आप बैठिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): हम लोग भी प्रभावित हैं, पूरा राजस्थान प्रभावित है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान प्रभावित है, एसआरपी और रिनोवेशन है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मुझे अगला प्रश्न पुकारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ...(व्यवधान) आप बैठिये, इनका जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): हम तो बैठ जायेंगे, पूरे राजस्थान का है।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): मंत्री महोदय, अगर आप इस बात से भी आश्वस्त कर दें, जयपुर डिस्काम की बात कर लें, जयपुर जिले की बात

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कर लें, जयपुर जिले में जितने फीडर रिनोवेशन हुए हैं, क्या आप इस बात के लिए इस सदन को आश्वस्त करते हैं कि एक-एक चीज मापदंडों के आधार पर, जो आपका मानचित्र हैं 13, 14, 15, 15ए इसके मानदंडों के आधार पर हुए हैं, चाहे अर्थिंग हो, चाहे डी.पी. का मामला हो, चाहे लाइन का, चाहे कनेक्शन देने का हो, पहले तो आप इसका हां या ना में उत्तर दें।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री महोदय, इस अंतिम प्रश्न का जवाब दीजिये, 15 मिनट होने जो रहे हैं। इस अंतिम प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, अरे आप एक और बता दें।

**श्री अध्यक्ष**: यह आपसे संबंधित नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): यह पूरे राज्य का मामला है।

**श्री अध्यक्ष**: यह आपसे संबंधित नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, एक साल पहले क्या नियम और कायदे-कानून थे यह तो बतायें।

**श्री अध्यक्ष**: अब आप मंत्री नहीं हैं, माननीय सदस्य, अब आप मंत्री नहीं हैं, आपको जवाब नहीं देना है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): यह केवल शाहपुरा का नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: यह जवाब देना है वर्तमान मंत्री को।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): यह पूरे राज्य का है, खण्ड एक में देखिये राज्य लिखा हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: यह जवाब देना है वर्तमान मंत्री को। आप मंत्री नहीं हैं, अभी वर्तमान मंत्री को जवाब देना है। माननीय सदस्य का जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): मुझे मालूम है ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): यह कूण्डा इन्हीं का किया हुआ है इसलिए कह रहे हैं बीच में ...(व्यवधान)

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक बात I am not trying to put you in the dock. Just be very clear because this is something which is very technically in nature. और यहां जान-माल का खतरा है। आप अपना जवाब उस आधार पर दे रहे हैं which is guided by the circular. मैं इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वास्तविकता की बात कर रहा हूं, जहां आप एक-एक पैसे की बात कर रहे हैं और आप उपभोक्ता से कहते हैं कि आप दें, मैं आपको एक आर्डर 6/11, 2.06.2006 को चेयरमैन ने लिखा है टू डिफरेंट डिस्काम, यह स्वीकार करते हैं कि इंस्पेक्शन नहीं हो रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं, 2006 की हिदायत है जब कि 2007-08 में 90 प्रतिशत रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। मैं आपको फोटो दिखा दूं कि इंसुलेटर की जगह रबड़ की चप्पल लगाकर के ट्रांसफार्मर को अर्थिंग और इंसुलेशन किया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: यह मंत्रीजी वर्तमान स्थिति है या साल भर पहले की है।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): यह कल की स्थिति है।

**श्री अध्यक्ष**: चलिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, मंत्रीजी जवाब देंगे ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आसन से इस तरह की ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी जवाब दीजिये ...(व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणी नहीं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने फीडर रिनोवेशन के प्रोग्राम में ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): राजस्थान में बिजली के लिये त्राहि-त्राहि हो रही है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आसन से इस तरह की टिप्पणी नहीं ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): बिजली तो कहीं जा नहीं रही है... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): आप विराज जायें, मैं कर देता हूं ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: अध्यक्ष महोदय, पुराना है ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की टिप्पणी की है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, आज की तारीख में उन सब का ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: जवाब दीजिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): जवाब देने का काम वर्तमान मंत्री का है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: उनसे ही तो दिला रहा हूं, इसलिए तो मैंने कहा कि आप जवाब दीजिये, उनसे मैंने मना किया है ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): यह नहीं हो सकता है, आपने यह कमेंट कैसे किया ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: जवाब दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): आपके पापों को धोना है हमें तो अभी ...(व्यवधान)...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): जवाब आप नहीं दिलवायेंगे ...(व्यवधान)...

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): आपकी सरकार के पापों को धोना है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिये, आप बैठिये ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): यह विधान सभा है उस विभाग के बारे में जानकारी करनी है, अब किसने काम किया, स्पीकर महोदय, आपसे सम्मान पूर्वक कह रहा हूं कि जिस प्रकार की कमेंट्री आपने की है वह कमेंट्री विधान सभा के लिए उपयुक्त नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): फीडर रिनोवेशन का प्रोग्राम आपके वक्त से चला आ रहा है और वर्तमान में ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): चाहे कोई भी मंत्री रहा हो, चाहे किसकी भी सरकार रही हो ...(व्यवधान)

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर फीडर रिनोवेशन के ...(व्यवधान) इसकी उचित जांच करायी जायेगी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कितने समय में जांच करा देंगे ...(व्यवधान) चलिये ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): आप अपनी गलती बतायें लेकिन यह कहकर के चलने का कि सरकार कौनसी थी, सरकार से कोई लेना-देना नहीं है आज की तारीख में विभाग के मंत्री आप हो, गलती हुई है, उसे बतायें, उसमें क्या दिक्कत है।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्रीजी, जवाब दीजिये। आप जवाब देने दीजिये, जवाब आने दीजिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): यह सरकार किसकी थी, क्या मतलब है इस सरकार से ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मैंने नहीं कहा सरकार कौनसी थी, मैंने नहीं कहा ...(व्यवधान) मैंने नहीं कहा सरकार कौनसी थी ...(व्यवधान) सरकार कौनसी थी किसी ने नहीं कहा ...(व्यवधान) मैंने यह कहा है कि यह मामला कब से है ...(व्यवधान) खींवसर खड़े हुए थे उसका मैंने जवाब दिया था ...(व्यवधान) अगला प्रश्न।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): ऐसे नहीं हो सकता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ऐसा नहीं हो सकता है।

**श्री अध्यक्ष:** श्री मुरारीलाल मीणा, श्री मुरारीलाल मीणा, अगला प्रश्न।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आसन इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** श्री मुरारीलाल मीणा, अगला प्रश्न ...(व्यवधान)

## राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मजदूरी-सामग्री का अनुपात

02. **श्री मुरारीलाल मीणा** (दौसा): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम (नरेगा) में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये जाते हैं? स्वीकृत कार्यों में मजदूरी व सामग्री पर कितने-कितने प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान है?

(श्री मुरारीलाल मीणा)

(2) सरकार द्वारा मजदूरी व सामग्री भुगतान के प्रतिशत को अलग अलग कार्य के हिसाब से संधारित किया जाता है अथवा पूरे ब्लाक के हिसाब से?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): यह कमेंट करने का प्रश्न नहीं है ...(व्यवधान) आप अपनी मर्जी से चाहे जैसे कह दें।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी जवाब दीजिये, अन्य कोई चीज अंकित नहीं होगी ...(व्यवधान) अन्य कोई चीज अंकित नहीं होगी, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): xxx

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर) : अध्यक्ष महोदय, (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में निम्न कार्य प्रावधित हैं एवं स्वीकृत किये जा सकते हैं :-

1. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
2. सूखे को रोकने के कार्य, जिसमें वन विकास एवं वृक्षारोपण कार्य सम्मिलित हैं।
3. सिंचाई नहरें (जिसमें माइनर एवं माइक्रो सिंचाई के कार्य सम्मिलित हैं)।
4. अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के परिवारों के भू-स्वामियों को भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं के कार्य।
5. परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण, जिसमें तालाबों से गाद (मिट्‌टी) निकालने का कार्य सम्मिलित है।
6. भूमि विकास के कार्य।
7. बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्य मय जल अवरूद्ध क्षेत्र में जल निकासी कार्य सम्मिलित है।
8. बारहमासी सड़कों का निर्माण। सड़क निर्माण के कार्य में कलवर्ट का निर्माण भी सम्मिलित होगा। ग्राम के मध्य सड़क कार्य (नाला निर्माण सहित) भी इसमें सम्मिलित होगा।

स्वीकृत कार्यों में मजदूरी व सामग्री का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

(श्री भरतसिंह कुन्दनपुर)

(2) मजदूरी व सामग्री भुगतान के प्रतिशत कार्यवार निर्धारित नहीं किया जाकर जिलेवार किया जाता है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: कोई अंकित नहीं होगा, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: इनका जवाब आने दीजिए। इनका जवाब आने दीजिए। मंत्रीजी का जवाब आ जाए, इसके बाद मैं आपको समय दूंगा। (व्यवधान) समय दे दूंगा, इनका जवाब पूरा हो जाए, फिर आपको अवसर दूंगा। ...(व्यवधान) सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा, पहले यहां पर जवाब आ जाए। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): xxx

**श्री मुरारीलाल मीणा** (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के अन्दर नरेगा योजना संचालित की जा रही है, यह गांव की गरीब जनता के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इससे गांव की जनता का पलायन रुक गया है...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: कोई कुछ अंकित नहीं होगा, केवल प्रश्न का जवाब होगा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री मुरारीलाल मीणा** (दौसा): माननीय मंत्रीजी ने यहां पर यह भी अवगत कराया है कि जिला लेवल पर लेबर कम्पोनेंट व मैटेरियल कम्पोनेंट का रेशो मेनटेन किया जाता है। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 250 से लेकर 500 तक की आबादी के गांवों को भी नरेगा योजना के तहत जोड़ने की घोषणा की है, हम उनका स्वागत करते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): xxx

**श्री मुरारीलाल मीणा** (दौसा): मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिला दौसा के अन्दर पिछले वर्ष 31 मार्च तक मैटेरियल कम्पोनेंट और लेबर कम्पोनेंट का रेशो क्या रहा और कितना पैसा उसमें खर्च हुआ? देखने में यह आया है कि लेबर कम्पोनेंट वर्कवाइज मेनटेन किया जा रहा है जिससे जिला लेवल पर यदि हम मेनटेन करते हैं तो पक्के कार्य हो सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि उन सड़कों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ा जाएगा। यदि जिला स्तर पर उस रेशो को हम तरीके से मेनटेन करें तो वह सड़क मेटल सड़क या डामर सड़क बन सकती है, इसकी मोनिटरिंग सही तरीके से की जाए। दौसा जिले में 31 मार्च तक कितना पैसा मैटेरियल कम्पोनेंट और कितना लेबर कम्पोनेंट पर खर्च हुआ, यह बताने की कृपा करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: इनका जवाब हो जाने दीजिए, मैं आपको अवसर दूंगा। इनका जवाब हो जाए, मैं आपको अवसर दूंगा। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपको अवसर दूंगा। (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न इस बात को लेकर था...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न का जवाब आ जाने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। (व्यवधान) इनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इतना पूछा था, माननीय पिछले मंत्रीजी खड़े हुए तो मैंने कहा था कि आप बैठिए, फिर बात की तो मैंने यह कहा कि साल भर पहले का नहीं है क्या? (व्यवधान) मैंने केवल इतना कहा है। मैंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की थी। माननीय सदस्य का जवाब दीजिए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया। मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया। यह पूछना गुनाह नहीं है कि एक साल पहले का है क्या? (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं, चलिए जब प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

यह पैदा हुआ कि बिजली की लाइन पहले खींची हुई थी, धर्मशाला बाद में बन गई तो इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया तब मैंने यह पूछा कि साल भर पुराना मामला है क्या? मैंने किसी सरकार की बात नहीं की। (व्यवधान) इसमें किसी सरकार की बात नहीं है। (व्यवधान) मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यह इन्होंने कहा है ...(व्यवधान) लाइन पहले की डली हुई थी, धर्मशाला बाद में बनी है, कालोनी बाद में बनी है, मकान बाद में बने हैं इसलिए मैंने पूछा है यह कि साल भर पहले का मामला है क्या? इसमें कोई गलत सवाल था। (व्यवधान) केवल सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं वह मैं सुनने को तैयार हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया कि हम सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चलाना चाहते हैं। कल भी जब माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे, उनके व्यंगात्मक लहजे के बाद भी हमने शांतिपूर्वक उनको सुना। सदन में व्यंग भी चलता है, उसका सदन में जवाब भी दिया जाता है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज मैं विनम्रतापूर्वक आपसे क्षमा चाहूंगा जब यह चर्चा चल रही थी तब आपके श्रीमुख से यह निकल गया कि कौनसी सरकार का काम है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: एक साल पहले के मामले की बात थी। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): प्रोसीडिंग मंगवा लीजिए अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: मैं देख लूंगा। (व्यवधान) अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी, उसको मैं एक्सपंज कर दूंगा। भले ही मैं देख लूंगा लेकिन मैंने यह कहा है कि जब साल भर पहले से ज्यादा लाइन खींची हुई थी, कॉलोनी बाद में बनी, मकान बाद में बने, धर्मशाला बाद में बनी है तो यह लाइन चेंज होने की बात पैदा हुई। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं पूरा कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह आप प्रोसीडिंग मंगा कर देख लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार एक सतत प्रक्रिया है, हमारी सरकार के टाइम पर भी यदि कोई गलत बात हुई है, किसी अफसर की हुई है, अधिकारी की हुई है, पूछ सकते हैं और हमारी भी कोई गलती है तो आज जो मंत्रीजी हैं, उन मंत्रीजी को सुधारना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: उनको सुधारना चाहिए। उनको सुधारना चाहिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का आसन की ओर से कम से कम व्यंगात्मक बयान नहीं होना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: कोई चिंता मत करिये आप, जवाब आने दीजिए आप। (व्यवधान) बैठिए। (व्यवधान) प्रश्न नहीं निकल पाएंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: बात समाप्त हो गई है। (व्यवधान) बात समाप्त हो गई है, प्रश्न का जवाब आने दीजिए, केवल दूसरा प्रश्न आया है। (व्यवधान)...
जवाब हो गया, समाप्त हो गया आपका प्रश्न।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, उनका प्रश्न यह था ...(व्यवधान)

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): वह जवाब तो आ जाएगा, वह दे रहे हैं, मेरा वास्तविक जवाब तो आ जाने दीजिए।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नियमानुसार 60 प्रतिशत राशि लेबर पर और 40 प्रतिशत राशि मेटेरियल पर खर्च की जाती है। लेबर कम्पोनेंट की राशि 60 प्रतिशत से अधिक हो सकती है और मेटेरियल कम्पोनेंट की राशि...(व्यवधान)

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): .....(interruptions) listen properly. I am quite distinct in it what I am trying to put across please.

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि दौसा में कितनी राशि खर्च हुई। दौसा में मैटेरियल कम्पोनेंट पर खर्च हुई 19.43 प्रतिशत, लेबर कम्पोनेंट पर खर्च हुई 80.57 प्रतिशत। नियमानुसार 60 प्रतिशत राशि लेबर पर और 40

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
प्रतिशत राशि मेटेरियल पर खर्च की जाती है, लेबर कम्पोनेंट की राशि अधिक हो सकती है।

माननीय अध्यक्षजी, इसके अन्दर कितनी राशि खर्च हुई यह निर्भर करता है कि वहां जो काम मांगते हैं, ग्राम सभा में जो काम प्रस्तावित किए जाते हैं उसमें काम की नेचर पर यह आधारित करता है और उसके आधार पर ही लेबर कम्पोनेंट का और मैटेरियल कम्पोनेंट का प्रतिशत होता है। पूरे प्रदेश के अन्दर, मैं आपके सामने फिगर्स रख सकता हूं, पिछले 3 साल में जो लेबर कम्पोनेंट और मैटेरियल कम्पोनेंट का जो पैसा है उसके 40 प्रतिशत के अनुपात में हम यहां खर्च नहीं कर पाए हैं। जब से यह योजना चालू हुई है, इसके प्रथम वर्ष में लेबर कम्पोनेंट पर 74.18, मैटेरियल कम्पोनेंट पर 25.82 प्रतिशत राशि खर्च हुई। यह 2006-2007 जो प्रथम वर्ष था इस योजना का उसका है। द्वितीय वर्ष 2007-2008 में यह पर्सेण्टेज रहा लेबर कम्पोनेंट पर 68.29 और मैटेरियल कम्पोनेंट पर 31.71 और तृतीय वर्ष 2008-2009 में लेबर कम्पोनेंट पर 70.61 और मैटेरियल कम्पोनेंट पर 29.32 प्रतिशत रहा।

इन्होंने दौसा की जानकारी ली है, वह मैं बता चुका हूं। मैटेरियल पर रहा 19.43 और लेबर पर रहा 80.57 प्रतिशत।

**श्री मुरारीलाल मीणा** (दौसा): माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह था कि जो हमारी मैटेरियल कम्पोनेंट की राशि बची यानि 100 करोड़ रुपये एक जिले के लिए अलोटमेंट हुआ उसमें 40 प्रतिशत के हिसाब से 40 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए, खर्च हुए हमारे 19 करोड़ रुपये। मेरा निवेदन यह है कि जो 21 करोड़ रुपए मैटेरियल कम्पोनेंट के खाते में बच गए उससे क्यों नहीं पक्के कार्य करवाए जाएं? क्यों नहीं हमारी 250 तक की आबादी के जो गांव हैं उनको डामर की सड़कों से जोड़ा जाए? क्यों नहीं स्कूलों के रूम बनाये जाएं। इसलिए सारे जिला कलक्टर ऐसे आदेश जारी करें ताकि 40 परसेंट मैटेरियल कंपोनेंट है वह पूरा खर्च हो ताकि हमारी सरकार की जो बहुत अच्छी योजना है इसमें गांवों में रोजगार मिल रहा है, पलायन रुक रहा है उसके साथ साथ में स्थायी महत्व के काम हो सके। यदि इसको हम तरीके से लागू करेंगे तो मैं कहता हूं सरकार को और फण्ड से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कार्य नरेगा के अन्दर चाहे डामर सड़क के हों, चाहे कमरे के हों, चाहे बाउण्ड्रीवाल के हों चाहे सीसी सड़क के हों सारे कार्य हो जाएंगे। सवाल

(श्री मुरारीलाल मीणा)

इस बात का है कि जिला कलक्टर को यह निर्देश दिये जाएं कि इसको तरीके से खर्च किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछें, भाषण नहीं। प्रश्न पूछें।

**श्री मुरारीलाल मीणा** (दौसा): मेरा निवेदन यह है कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिला कलक्टर को ऐसे आदेश दिए जाएं, धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि नरेगा में जो भी काम होते हैं इनकी वार्षिक योजना बनती है। क्या यह सही है कि इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत मैटेरियल कम्पोनेंट और लेबर कम्पोनेंट की बात भी होती है। क्या यह बात सही है कि 10 अक्टूबर से लेकर 31 दिसम्बर तक ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक वह वार्षिक योजना मंजूर होनी चाहिए। अधिकांश जिलों के अन्दर वार्षिक योजना समय पर मंजूर नहीं होती इसलिए आनन-फानन के अन्दर इस तरह के काम स्वीकृत होते हैं जो स्थायी नेचर के नहीं होते। क्या यह सही है कि इन सब के पीछे बड़े भ्रष्टाचार की बात हो रही है और आप स्वयं ने पूरे राजस्थान के सामने स्वीकार किया कि नरेगा के अन्दर भ्रष्टाचार है। अगर है तो उसको मिटाने के लिए आपकी क्या कार्यकारी योजना है?

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सही है कि योजना ग्राम स्तर पर ही तैयार होती है और उसका अनुमोदन जिला स्तर पर होता है। किस ग्राम पंचायत में किस ब्लाक में किस प्रकार के काम होंगे यह स्वयं गांव के लोग-बाग़ तय करते हैं और ग्राम सभा का महत्व इसीलिए है। यह भी सही है कि जो काम हो रहे हैं उसी के अनुसार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह योजना तीन साल पहले शुरू हुई, यह चौथा साल है। हमने तो इस सरकार में आने के बाद इस योजना में जिस स्तर पर कमी दिखी उसको सुधारने का प्रयास किया है और लगातार करते रहेंगे और मैं माननीय सदस्य से भी इस बात का अनुरोध करूंगा इसमें जहां भी कमी दिखे आप उजागर करें, निश्चित रूप से आप और हम सब का प्रयास यही होना चाहिए कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको हम दूर करेंगे और इतनी बड़ी योजना में मैं यह कहता हूं कि भ्रष्टाचार है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बहुत भ्रष्टाचार हुआ है।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जितना बड़ा कार्यक्रम होगा, जितना विशाल होगा उसमें बिखेरा जरूर होगा, चाहे आप घर में भोज करें उसमें भी बिखेरा होगा। तो इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश यह है कि बिखेरा न हो। हमने जिस हालत में संभाला है, इस पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की गई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप जो भी मामला उठायेंगे और हमारे सामने लायेंगे उसमें अगर करप्शन दिखेगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और दण्डित किया जाएगा और आपको महसूस होगा, लोग-बाग़ आपके पास आयेंगे कि मुझे दण्डित किया है, मुझे बचाओ, ऐसा भी कहेंगे। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा का ग्राम पंचायत स्तर पर प्लान बनाकर जिला स्तर पर अनुमोदन होता है, लेकिन उसके बावजूद जो बजट दिया है वह गलत इसलिए है कि सीकर जिला एक ऐसा जिला है जहां ग्राम पंचायत स्तर पर प्लान बना है, लेकिन जिला स्तर पर आज तक, अभी तक कोई अनुमोदन जिला परिषद में नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं वे धड़ाधड़ भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए।

**श्री पेमाराम** (धोद) : वे मंजूरियां निकाल रहे हैं। क्या यह सही है या गलत है? मेरा आरोप है कि वे भ्रष्टाचार के इरादे से बिना अनुमति के मंजूरियां निकाल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा ...(व्यवधान)

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे समक्ष नहीं आयी है। अगर ये कुछ लाएंगे तो निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी।

**श्री पेमाराम** (धोद): जिला परिषद में कोई अनुमोदन नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष**: आपका जवाब आ गया है। आपकी बात का जवाब आ गया है।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के द्वारा इसकी वार्षिक योजना तैयार की

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जाती है। ग्राम सभा में वार्षिक योजना तैयार की जाती है वह वार्षिक योजना पंचायतों के बाद, अनुमोदन पंचायत समिति करती है, उसके बाद अनुमोदन जिला परिषद में करते हैं। मैंने मेरी बाली पंचायत समिति में पाया और देसूरी पंचायत समिति में यह पाया कि जो ग्राम सभा ने अनुमोदन किया वो पंचायत समिति और जिला परिषद के लेवल पर राजनैतिक द्वेषता को रखते हुए उन्होंने वे काम कटवा दिये और ऐसे काम जुड़वा दिये जो वहां सदन को भी मालूम नहीं है और जिला परिषद को मालूम नहीं है और काम जुड़वाकर अनुमोदन की एक लिस्ट बनाकर भेज दी। मैं पूछना चाहता हूं ग्राम सभा किसी चीज का अनुमोदन करे तो जिला परिषद या पंचायत समिति ने किस तरह की योजना है उसको काट दी और कैसे जुड़वा दी और वही काम चालू हो रहे हैं जो पीछे से उन्होंने जुड़वाये हैं, जो ग्राम सभा ने अनुमोदित किये हैं वे काम अभी चालू नहीं हो रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यदि ग्राम पंचायत या पंचायत समिति स्तर पर अनुमोदन नहीं कराती तो जिला परिषद को यह अधिकार होता है कि उसको अनुमोदन कराये ...(व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): बिना अनुमोदन के हो रहा है ...(व्यवधान)

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): कुछ काम ऐसे हैं जो ग्राम सभा ने अनुमोदन किये हैं उनको वहां पंचायत समितियों और जिला परिषद के लेवल पर कटवा दिये और जिला परिषद में डाइरेक्ट प्रस्ताव भेजकर उनको वहां जुड़वाया गया और वही काम चालू हो रहे हैं। ग्राम सभा ने जो अनुमोदन किया उसको दरकिनार करते हुए जिला परिषद में राजनैतिक द्वेषता के आधार पर जिस आदमी ने जो काम लिखवाया उन कार्यों को चालू कर दिया और ग्राम सभा ने जो काम दिये उनको आपने दरकिनार कर दिया, इसकी जांच कराएं।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि कहीं भी किसी सदस्य को इस संबंध में शिकायत होती है, वह मेरे समक्ष रखे, मैं निश्चित रूप से उसमें दिखवाऊंगा और जो भी कमियां हैं उनको दूर करूंगा। मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि हमारी पूरी पंचायत व्यवस्था में यह कमी रही थी कि नियमित रूप से पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकें भी नहीं हो रही थीं इसी बात को लेकर जिला परिषद की बैठकों में यह

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

बात आती है, पिछले 5-6 महीनों में या 8-9 जिला परिषदों की बैठकों में तो मैंने इसीलिए भाग लिया है कि जो प्रस्ताव और बातें निकलकर आती हैं ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों से उनको गम्भीरता से लें और निश्चित रूप से और बैठकों में भाग लेकर इस प्रकार की कमियों को हम दूर करें। (व्यवधान)

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्षजी, एक छोटा सा सवाल है मंत्रीजी से।

**श्री अध्यक्ष**: बैठें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो मस्टररोल नरेगा में इश्यू होते हैं उन मस्टररोल को इश्यू करते टाइम, अधिकारी के सिग्नेचर और जो लेबर काम करती है उनके नाम उसमें लिखते हैं। मेरे भरतपुर जिले में, मेरी कांस्टीट्युएंसी की अस्तावन ग्राम पंचायत में 16 मस्टररोल ऐसे पकड़े हैं जो बिलकुल खाली हैं। आज ग्राम पंचायतों के सरपंच मस्टररोल में इतना घपला किये हुए हैं और आने वाले जो पंचायतों के चुनाव हैं यह नरेगा का चुनाव होगा, मस्टररोल का चुनाव होगा और इतना भ्रष्टाचार आज तक नरेगा के अन्दर है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या ऐसे भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने का मानस रखते हैं? मैं कहता हूं कि कलक्टर के पास हमने मस्टररोल खाली दिये, एसीडी में उसको दिया, परन्तु आज तक उस पर कोई एक्शन वहां पर नहीं हुआ।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक प्रश्न माननीय मंत्रीजी के सामने रखना चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आने दीजिए।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): अध्यक्षजी, इसी से संबंधित है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य का जवाब आने दीजिए। बैठिए आप। प्लीज। (व्यवधान) आप बैठिए प्लीज। इनका जवाब आ रहा है माननीय सदस्य का।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज बाद में। पहले इनका जवाब आ जाए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): भ्रष्टाचार के विषय पर ही कहना चाहती हूं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य का जवाब आ जाए, आप बैठिए।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जो भी प्रकरण मेरे सामने आता है, मेरे समक्ष लाया जाता है निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होती है और किसी को भी दोषी पाये जाने में माफ नहीं किया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, पहले कह चुका हूं आप सामने तो लाएं।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अभी मंत्रीजी ने यह बात कही कि नरेगा में अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके नोटिस में आता है तो वे तुरन्त उस पर कार्यवाही करेंगे, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगी राजसमंद जिले में अभी कुछ ही दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी जिसमें आया कि राजसमंद के पूर्व प्रधान के यहां पर खेतों के अन्दर नरेगा की लेबर काम करती हुई पकड़ी गयी। लेबर के जो मैट थे, मैट ने उनकी हाजिरी जिस जगह पर लगायी थी वहां वे नहीं मिलकर उनके खेत पर वह लेबर काम कर रही है। यह पूरा उजागर हुआ है अख़बार के अन्दर, उसकी कटिंग चाहें तो आपको दे सकती हूं, आपने उसमें क्या कार्यवाही की या क्या कार्यवाही करने की आपकी मंशा है, पहला प्रश्न। इसके साथ ही एक बात और है।

**श्री अध्यक्ष:** बस, एक ही पूछ लीजिए आप, हो गया सारा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): एक बात और, जो मूल प्रश्न चल रहा था उस मूल प्रश्न के ऊपर ही यह जो कम्पोनेंट की बात हो रही थी कि 40 परसेंट जो है वह हमारा मैटेरियल कम्पोनेंट है और 60 परसेंट लेबर कम्पोनेंट है। इसी की वजह से हम लोग पक्के काम नहीं करवा पा रहे हैं नरेगा के अन्दर। कल ही बजट की स्पीच में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब कहा कि हम लोग नरेगा के माध्यम से सड़कें बनाने का काम शुरू करना चाह रहे हैं और नरेगा में ढाई सौ की आबादी के जो गांव हैं उनको हम लोग सड़कों से जोड़ेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** भाषण नहीं, प्रश्न कर लीजिए सीधा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): तो मैं उसी के ऊपर कहना चाहती हूं कि अगर यह आपका मैटेरियल कम्पोनेंट ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: पार्लियामेंट नहीं है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अगर मैटेरियल कम्पोनेंट बढ़ाएंगे तो ही यह सारे पक्के काम करना सम्भव होगा। तो क्या मंत्रीजी, यह बढ़ाने का, आप लोगों ने कुछ सोचा है कि हम लोग मैटेरियल कम्पोनेंट इसमें 40 परसेंट से कुछ और बढ़ाएंगे और भ्रष्टाचार का जो मैंने एक मामला आपके सामने दिया है, क्या उसके ऊपर ऐसी कोई कार्यवाही करेंगे। यही मेरा प्रश्न है।

**एक माननीय सदस्य**: अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप विराजिए, जवाब आने दीजिए मंत्री जी का, जवाब आने दीजिए।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैंने पहले ही पूरे तीन साल के फीगर सामने रखे हैं। जो परसैंटेज खर्च होना चाहिए मैटेरियल पर, वह हो नहीं रहा है। यह जिले से जो आपकी योजना आएगी और मैं तो आप लोगों से, विधायकों से और सब से अनुरोध करूंगा कि आप कोई कांक्रीट प्रोग्राम बनाकर, योजना बनाकर, अब यह बूंदी जिले का मैं आपको उदाहरण देता हूं। वहां के जिला प्रमुख और जिला कलक्टर ने एक सिंचाई के संबंध में जहां जो मैटेरियल कम्पोनेंट ज्यादा है पानी रोकने का क्योंकि यह जो प्राइम बिन्दु है। दूसरा वह जल संरक्षण से संबंधित है उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, हमने उसकी स्वीकृति दी है यहां से, आप भी आइए, इस प्रोग्राम के अन्दर पूरे प्रदेश के अन्दर स्थाई निर्माण हों इस योजना का और इस पर जो लगा हुआ है कि मिट्टी खोदने का इधर से उधर डालने की जो बातें लगती हैं, यह आरोप आते हैं उसको हम दूर करें और एक स्थाई निर्माण करें पूरे प्रदेश में, आप सुझाव लाइए, हम करेंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री मंगलाराम गोदारा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो ... (व्यवधान) प्रश्न संख्या 3

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, अब समय चला गया है। अन्य किसी का अंकित नहीं होगा। मंत्री जी।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): xxx

## बीकानेर जिले के दोषी राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही

03. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में विभिन्न राशन डीलरों के विरूद्ध जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो किन-किन के विरूद्ध? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ राशन डीलरों द्वारा गत पांच वर्षों में गरीबी रेखा में चयनित (बीपीएल) परिवारों को मिलने वाले गेहूं, तेल को इन परिवारों को न देकर बाजार में बेचान कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे डीलरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त डीलरों एवं जांच के उपरान्त कार्यवाही नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक क्या व नहीं, तो क्यों?

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री** (श्री बाबूलाल नागर): (1) हां, यह सही है कि जिला रसद कार्यालय, बीकानेर में 63 राशन डीलरों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है, सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिले में गत पांच वर्षों में गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को मिलने वाले गेहूं, तेल का दुरुपयोग एवं अनियमितता करने के आरोप में दो उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये एवं एक डीलर का लाइसेंस निलम्बित किया गया है। शेष प्रकरणों में रिकार्ड तलब कर जांच विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त डीलर्स के खिलाफ जांच कार्यवाही की जा रही है। जांच प्रकरण में प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी अभी तक दोषी नहीं पाया गया है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्षजी, मेरा प्रश्न था, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, 63 डीलरों के खिलाफ जांच विचाराधीन है, अब यह कब तक विचाराधीन रहेगा। लिस्ट तो दे दी और जांच भी कर ली बाकी यह विचाराधीन जो पीछे से ही चल रहे हैं, डीलर जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, जिन्होंने बीपीएल का गेहूं बेचा है, केरोसिन बेचा है और जो तीन पीछे डीलर हैं, तीन डीलरों में से दो के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई है, यह वैसे ही जैसे जांच चल रही है, विचाराधीन है, तो यह जांच विचाराधीन है, इसको स्थाई जांच कब तक कर देंगे मंत्रीजी?

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। ये 63 जो प्रकरण हैं, वह लम्बे समय से, 6 प्रकरण तो इसमें 2006 से 2008 तक के विचाराधीन हैं और बाकी के, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, कुछ प्रकरण तो ऐसे हैं जो मेरे सामने 18.5.2009 को मुझे शिकायत मिली थी। मैंने उन शिकायतों की जांच के लिए, मैंने विभाग की टीम बनवाई, वह टीम बीकानेर से गई और उनकी जांच उन्होंने शुरू की लेकिन उसमें रिकार्ड भी लेना पड़ता है तो उस तरह उन्होंने डीएसओ को, मैंने जांच करने के निदेश दे दिये। मुश्किल से महीने भर पहले का मामला है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर जिले का मामला है लेकिन पूरे राज्य में, इस तरह के हर जिले में ही प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं। मैंने 12 जून को जिला रसद अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। अध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने निर्णय दे दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश जारी कर दिये हैं और 8 तारीख को कल यह निर्णय तो वैसे 12 जून को हमने जारी किये। 8 तारीख को विभाग से आदेश जारी करवा दिया है कि कोई भी अगर प्रकरण दर्ज होगा तो 3 महीनों में उस संबंधित डीएसओ को उसकी जांच करनी होगी, उसका पूरा निस्तारण करना होगा। अगर इसमें 3 महीने में जांच में कहीं देरी की तो उस डीएसओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे, पूरे राजस्थान में करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई बीकानेर जिले का ही नहीं पूरे राज्य में करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन और करूं। अध्यक्ष महोदय, कि जो एक प्रश्न माननीय डूंगरपुर से आने वाले विधायक ने किया है कि प्रकरण जो बीपीएल से संबंधी जो कालाबाजारी हुई है...(व्यवधान) हां, डूंगरगढ़, जो बीपीएल संबंधी कालाबाजारी हुई है, उसमें 3 प्रकरण दर्ज हुए पाँच साल में दो प्रकरणों का निस्तारण हो गया, एक की एफआईआर लग गई, एक का कोर्ट में चालान पेश हो गया। तीसरे प्रकरण में, अध्यक्ष महोदय, उसमें डीलर को निलम्बित कर दिया, उसने रिकार्ड नहीं दिया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, प्रारम्भिक जांच में उसमें कई बीपीएल संबंधी सामग्री की उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। 15 दिन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और 15 दिन में इसका निस्तारण कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, 15 दिन में निस्तारण कर देंगे और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय और मैंने जो विभाग की कार्य योजना पूरे राजस्थान के लिए बनाई है तो मैं आप सब सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, कहीं भी अगर प्रकरण दर्ज होगा, विभाग के द्वारा तीन महीनों में उस प्रकरण का पूरी तरह निस्तारण होगा। यह मैं आपको विश्वास देता हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: पहले मूल प्रश्नकर्ता को दुबारा मौका दूंगा, बाद में आपको अवसर दूंगा। पहले मूल प्रश्नकर्ता को मौका दूंगा।

**श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है, वह सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी ही इसका निस्तारण कर दूंगा। मैं इससे संतुष्ट हूं और यह होना चाहिए कि क्योंकि पीछे जो, अपनी पीछे सरकार थी।

**श्री अध्यक्ष**: और कोई प्रश्न पूछने हैं क्या, पूरक प्रश्न आपको? (व्यवधान) हो गया। पहले डा. साहब।

**एक माननीय सदस्य**: अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न के संबंध में बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय दिगम्बर सिंह को मैंने इजाजत दी है, आप बैठिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि विभाग के अधिकारियों को मैंने निर्देश दे दिये हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार नीचे के स्तर पर है, मेरे ख्याल से, ...(व्यवधान) सुनिए, मेरी बात ...(व्यवधान) आज की बात कर रहा हूं, मैं आज की। आप बात सुनिए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): मैं मंत्रीजी की जो मानसिकता है उसकी तारीफ करता हूं, आपने कहा जांच करवाएंगे, उसमें टाइम भी आपने दे दिया।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न पूछिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि विभाग के अधिकारियों की मंथली सारे डीलर्स से फिक्स है।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इन डीलर्स के खिलाफ जो एक्शन रहे हैं, वह राजनीति से प्रेरित न होकर उनके रिकार्ड के आधार पर होने चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): जो भ्रष्ट अधिकारी नीचे के स्तर पर हैं।

**श्री अध्यक्ष**: भाषण नहीं, पूरक प्रश्न।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): जो अधिकारी नीचे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की मानसिकता रखते हैं।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपकी सरकार में कितना-कितना बंधा हुआ था उसकी भी जांच करवा लें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आपको अवसर दूंगा ...(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): कि नाई-नाई कितने बाल, सामने आ जाएं, चिन्ता ना करो। (व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, जवाब दें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप एक्शन लेने की मानसिकता रखते हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्यों को यह आग्रह करना चाहूंगा जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल अपने बजट भाषण में कहा है कि ...(व्यवधान) राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी ने, हम सब के मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट भाषण में यह कहा है कि हम पीडीएस सिस्टम में किसी भी तरह की कालाबाजारी, कोई अनियमितताएं, किसी भी तरह की हम बरदाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से 12 तारीख को जब मैंने डीएसओज की मीटिंग ली और यह सही बात कह रहे हैं दिगम्बर सिंहजी माननीय सदस्य, जब मुझे फीडबैक मिला तो यह बात सही है कि पिछले कुछ सालों से जो हमारे पीडीएस सिस्टम की जो हालत खराब हुई है, जो कालाबाजारी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज यह विभाग इस स्थिति में आ गया, अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: जवाब देने दीजिए। बोलिए, बोलिए आप।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं पूरे हाउस को जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न खाली बीकानेर का है। पूरा हाउस भी अगर कोई जवाब लेना चाहेगा, जो-जो मेरे को जानकारी है, मैं पूरे हाउस को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि 12 तारीख को जब मैंने मीटिंग ली, मेरी जानकारी में आया तो मैंने कुछ दिशा-निर्देश दिये कि यह कालाबाजारी और भ्रष्टाचार विभाग में पूरी तरह से स्थायी रूप से खतम हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग के द्वारा इस

(श्री बाबूलाल नागर)

तरह के निर्देश जारी करा दिये हैं कि जब भी कोई पीडीएस की सामग्री आबंटित होगी तो राज्य स्तर पर पहले हम उसको समाचार पत्रों में देंगे, विज्ञप्ति देंगे। इसी तरह से जिला स्तर पर जब यह सामग्री जायेगी तो हमारे जिले का डीएसओ पूरे जिले में इसकी प्रेस विज्ञप्ति देगा और जब यह तहसील में पहुंचेगी तो हमारा जो तहसील का निरीक्षक है वह पूरी तहसील के एक-एक गांव का कि किस तारीख को कितना केरोसिन किस गांव में आया है, कितना अनाज आया है, कितनी चीनी आई इस बात के लिए वह विज्ञप्ति देगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां तक ही नहीं किया, मैंने यह दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि वो जो पूरे राज्य की विज्ञप्ति है उसकी मैं खुद समीक्षा करूंगा, खुद अवलोकन करूंगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जान-बूझकर छोटे अख़बार में दे दी और लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पहली बात तो मैंने यह निवेदन की है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं एक और निवेदन कर रहा हूं कि इसमें मुझे यह जानकारी में आया कि गरीबों से सम्बन्धित सामग्री है जो एपीएल को मिलती है, बीपीएल को मिलती है, कई बार कई सरकारों का ऐसा मन होता है कि उनको गरीबों की परवाह नहीं होती और जो सस्ती रेट पर सामग्री मिलती है वह सस्ती रेट पर मिलने के बावजूद भी उन गरीबों को जिनको लाभ मिलता है वो उस सामग्री की खरीद नहीं कर पाते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): यह भाषण नहीं दें।

**श्री अध्यक्ष**: बात सुनिये। माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दीजिये, डिस्टर्ब मत करिये। पूरक प्रश्न होगा तो आपको इजाजत मिलेगी। प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो आपको भी इजाजत दूंगा लेकिन जवाब सुनना पड़ेगा।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): ये तो मीटिंग की बात कर रहे हैं। जवाब तो दें लेकिन ये तो मीटिंग की बात कर रहे हैं। यह मीटिंग का सवाल किसी ने नहीं पूछा है। जो सवाल पूछा है उसका उत्तर तो दे नहीं रहे और 12 तारीख की मीटिंग की बात कर रहे हैं।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया, मैं यह कहना चाह रहा हूं, एक मिनट, मैं सहयोग चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री बाबूलाल नागर)
सभी सदस्यों से सहयोग चाहता हूं। मैंने निवेदन किया, मेरी जानकारी में पिछला फीड बैक ऐसा आया है कि जो गरीब को एपीएल की सामग्री मिलती है, मैंने यह दिशा-निर्देश जारी किये हैं....

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): मैं एक सवाल पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करें, जवाब आ जाने दीजिये। बाद में अवसर और दूंगा मैं। ठहरिये, माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके गांव में 22 लाख का गबन हुआ है। मैं बता रहा हूं, 22 लाख का गबन हुआ है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, एक मिनट। विशेष तौर से जितने एलपीजी के डीलर हैं......

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कालीचरणजी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे?

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, मेरी बात सुनो। अध्यक्षजी, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कालीचरण सराफ। प्लीज बैठिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यह बता दें कि सीकर जिले में.....

**श्री अध्यक्ष**: मैंने कालीचरण सराफ को अवसर दिया है, कृपया आप बैठिये।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): अध्यक्षजी, मैं पहले से खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्रीजी के गांव की बात कर रहा हूं। आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये कृपया।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की भावना बहुत बढ़िया है, इन्होंने कहा कि सब डीएसओ को मैंने यह कह दिया है कि तीन महीने में जांच करके बतायें। मैं तो इतना सा ही पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के ऐसे राशन डीलर कितने हैं जिनके खिलाफ जांच विचाराधीन है और वो जो आपने तीन महीने के लिए कहा है कि डीएसओ इन सब का निस्तारण कर देगा तो किसी डीएसओ ने यह जांच तीन महीने में पूरी नहीं की तो उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? ये दो बात बता दें।

**श्री अध्यक्ष**: यह तो कह चुके हैं वो।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): संख्या बताइये।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय हबीब साहब। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य कभी-कभी पूछते हैं। (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं पूछ रहा हूं। माननीय मंत्रीजी के गांव का प्रकरण है, 22 लाख का गबन, मैं निवेदन कर रहा हूं उसे सुना जाए पहले।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने माननीय सदस्य को इजाजत दी है। अंकित नहीं होगा। मैंने माननीय सदस्य को इजाजत दी है, उनको पूछने दीजिये।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): ×××

**श्री हबीबुर्रहमान** (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो बीपीएल की बात कर रहे थे, 2002 में जो बीपीएल कार्ड बने हैं उनको आज तक कितना राशन मिला है? मंत्रीजी बीपीएल की बात कर रहे थे तो 2002 में जो बीपीएल चयनित हुए हैं उनको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मंत्री जी, यह बतायें।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती सूर्यकांता व्यास। जवाब दिलवा रहा हूं।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप बैठिये।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये। दिलवा रहा हूं, आपके प्रश्न का जवाब दिलवा रहा हूं माननीय सूर्यकांता व्यासजी के साथ।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर के जिस सूरसागर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनी गई हूं उस सूरसागर क्षेत्र के अन्दर इतनी कच्ची बस्तियां हैं मगर कोई भी राशन की दुकान की व्यवस्था वहां नहीं की जा रही है।

**श्री अध्यक्ष**: यह अलग से प्रश्न है बहनजी।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास**(सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। मंत्रीजी ने जो कहा है वह मैं बता रही हूं। उनके लिए कोई घासलेट की व्यवस्था नहीं है, ये कह रहे हैं कि मैंने डीएसओ को निर्देश दिये हैं तो कैसे निर्देश दिये हैं? यह निर्देश दिया है क्या कि दुकानें टाइम पर नहीं खोलना, बीपीएल, एपीएल का गेहूं नहीं देना, घासलेट समय पर नहीं देना,

(श्री मती सूर्यकान्ता व्यास)
चीनी नहीं देना? यह आदेश दिये हैं क्या इन्होंने? मैंने जो शहर में काम किया, मैं प्रेक्टिकल काम करने वाली हूं, मैं पैदल घूमती हूं, मैं सारी उनकी समस्या जानती हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये आप।

**श्री अध्यक्ष**: कल जब जोधपुर की चर्चा बार-बार होती थी तो आपको एतराज था और अब आप बार-बार जोधपुर की चर्चा कर रही हैं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): मैं जोधपुर की ही चर्चा करूंगी, मैं जोधपुर की हूं तो जोधपुर की ही चर्चा करूंगी। हमारे तो मुख्य मंत्रीजी भी जोधपुर के ही हैं, मैं जोधपुर की ही बात करूंगी। राजस्थान की बात तो आप सब कर ही रहे हैं, सब अपने-अपने क्षेत्र की बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगी कि ऐसे मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं और कैसे दुकानें खोली जाएं? दुकानें नहीं खुलती हैं, डीलर कहां जाते हैं कोई पता नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी। माननीय कालीचरणजी सराफ ने जो प्रश्न पूछा है उसका भी जवाब दे दीजिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): .....कुर्सियां तोड़ते हैं, कोई काम नहीं करता है। मैं सही बता रही हूं। मेरे सवाल का उत्तर आने दो अमरारामजी।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब दे रहे हैं, जवाब आ रहा है।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): अमरारामजी, मैंने बात बिलकुल सही कही है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): यह भी साथ में आ जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आने दीजिये। साथ में इतने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पायेंगे।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मैं लम्बा चौड़ा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो मंत्रीजी से.....

**श्री अध्यक्ष**: कृपया बाद में पूछ लें, पहले इनके जवाब आ जाने दीजिये।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और इस पूरे सदन को अवगत भी कराना चाहूंगा कि मैंने इस विभाग से कल ही ऐसे आदेश जारी किये हैं कि राजस्थान में कहीं भी अगर पीडीएस सामग्री में अनियमिततायें पाई गईं तो

(श्री बाबूलाल नागर)
अभी तक हम डीलर के खिलाफ ही कार्यवाही करते थे लेकिन अब अगर अनियमितताएं पाई गईं, कहीं सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी रही, किसी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत रही तो मैंने यह निर्णय लिया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि उस डीलर के अलावा उस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। पूरे राजस्थान में यह तय किया है अध्यक्ष महोदय।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): दुकानें नहीं खुलतीं उनका क्या करोगे? यह बताइये।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय **श्री अमरारामजी**।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): xxx

**बहिर्गमन**

**(माननीय सदस्य श्री फूलचन्द भिण्डा द्वारा सदन से वाक-आउट किया गया)**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एलपीजी के जो वितरक हैं, विशेष तौर से सीकर जिले में जितने एलपीजी के वितरक हैं उनके खिलाफ जितनी भी शिकायतें आई हैं.....

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बीकानेर का मामला था और कहां आप एलपीजी सीकर लेकर के पहुंच गये और फिर कहते हैं कि मंत्रीजी जवाब नहीं देते।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मंत्रीजी पूरे राजस्थान के हैं, पूरे राजस्थान की समस्या का समाधान.....

**श्री अध्यक्ष**: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, अगर इससे सम्बन्धित कोई सवाल कर रहे हों तो आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): आप तो बीकानेर का बता दें कि एलपीजी की जितनी शिकायते हैं उनका कब तक निस्तारण कर देंगे? क्योंकि एलपीजी वितरक चाहे वो बीकानेर के हों, चाहे सीकर के हों, सब ने जिस प्रकार से जनता... (व्यवधान) उनको कब तक उपलब्ध करा देंगे?

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं......

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): अध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान एक बहुत बड़े....

**श्री अध्यक्ष**: मैंने माननीय सदस्य को इजाजत दी है, उनको प्रश्न पूछने दीजिये, कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): हमें कब इजाजत दोगे? सुबह से मांग रहा हूं, एक मिनट की बात है अध्यक्षजी।

**श्री अध्यक्ष**: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। अन्य कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई भी सरकार रही हो....

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न पर आइये।

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। इन डीलरों से सभी परेशान रहे हैं चाहे कोई भी सरकार रहेगी। इन भ्रष्ट डीलरों का जब तक एम्पायर खतम नहीं होगा, कभी इस एम्पायर को खतम करने की बात है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। जहां आप 4 रुपये और 8 रुपये देकर लोगों से ईमानदारी से इन दुकानों को चलवाना चाहते हैं, और राज्यों में डीलर का जो कमीशन है वह 15 रुपये और 40-45 रुपये है। हम यह व्यावहारिक पक्ष तो कभी देख नहीं रहे केवल हम डीलरों के खिलाफ बोल रहे हैं और ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, एक मिनट में जवाब दे दें, प्रश्नकाल समाप्त होने का समय हो गया है।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी जवाब दे दें, एक मिनट का समय है। जवाब दे दें।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): xxx

**(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए**

**कृपया आगे देखें)**

**श्री अध्यक्ष:** स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा किसी का, मैंने बोल दिया है पहले भी।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री अध्यक्ष:** (1) श्री राधेश्याम गंगानगर एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में अघोषित विद्युत कटौती से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

कृपया माननीय सदस्य, विराज जायें। माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था चलने दें।

(2) श्री प्रभुलाल सैनी एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से कृषि उपज मण्डी समितियों के मनोनीत सदस्यों को हटा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर शहर की देवास योजना के लिए बजट प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं नौ अन्य सदस्यों की ओर से पैट्रोल व डीजल पर वेट के प्रतिशत में कमी कर जनता को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कालीचरण सराफ एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से गत दिनों जयपुर शहर में दूषित पेयजल से कई लोगों की मौत होने तथा सैकड़ों लोगों के बीमार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में बिजली की सप्लाई नियमित नहीं होने से किसानों एवं आम उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री नरपत सिंह राजवी एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के किसानों को पोंग डैम से

(श्री अध्यक्ष)
सिंचाई व पेयजल का पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री कालीचरण सराफ, श्री अमराराम एवं श्री नरपत सिंह राजवी को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

### पैट्रोल-डीजल पर वैट में कमी

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक जुलाई, 2009 की मध्य रात्रि से महंगाई से त्रस्त जनता को केन्द्र सरकार ने एक नया तोहफा दिया है। पैट्रोल की कीमत चार रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी, डीजल की कीमत दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी और अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन से ठीक 50 दिन बाद यह कार्यवाही हुई और उससे पहले अध्यक्ष महोदय, जब लोक सभा के चुनाव की आहट थी, 5 दिसम्बर, 2008 और 28 जनवरी, 2009, दो बार इसी केन्द्र सरकार ने पैट्रोल की कीमत को 10 रुपये कम किया और डीजल की कीमत को चार रुपये कम किया और अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना है कि राजस्थान के अन्दर पैट्रोल और डीजल के ऊपर जो वेट लगा हुआ है, राजस्थान के अन्दर पैट्रोल पर वेट 28 प्रतिशत है और डीजल पर 18 प्रतिशत है और हमारे पड़ोसी सूबे हरियाणा के अन्दर पैट्रोल पर 20 प्रतिशत है और डीजल पर 12 प्रतिशत है। यह बात मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी तक इसलिए ले जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार जब भी कोई बात करती है, इस सरकार की बात का प्रारम्भ इनके घोषणा-पत्र से होता है। इसी घोषणा-पत्र को उद्धृत किया है कल इन्होंने अपने बजट भाषण में और इसी घोषणा-पत्र को इन्होंने अपने पूरे प्रशासन का आधार माना और इसी घोषणा-पत्र को पहली मंत्रिमण्डल की बैठक में इन्होंने सरकारी दस्तावेज का रूप दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी घोषणा-पत्र को मुख्य मंत्रीजी आपने बनाया जिसके आधार पर राजस्थान की आम-अवाम से आपने वोट ठगे। उसके पेज 30 के कालम (5) पर लिखा है, आपने संकल्प लिया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के स्थानीय करों में आप रियायत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देंगे। एक वह समय भी था, अध्यक्ष महोदय, जब घरेलू गैस के दाम बढ़े थे और पूर्ववर्ती सरकार ने घरेलू गैस को वेट के दायरे से बाहर किया था, इसलिए मुख्य मंत्रीजी, मेरा निवेदन है, आपका यह घोषणा-पत्र...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य इस तरह से अगर बोलने लग जायेंगे, मतलब कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी मुख्य मंत्रीजी, आपसे मांग है, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप किसानों के बड़े हिमायती हैं, आप इस राजस्थान में महंगाई को रोकना चाहते हैं और बढ़े हुए पैट्रोल और डीजल की रेट से क्या परिणाम हुआ अध्यक्ष महोदय, 20 प्रतिशत ट्रकों ने भाड़ा बढ़ा दिया और उससे सीमेंट की कीमत बढ़ी, सरिये की कीमत बढ़ी, पत्थर की कीमत बढ़ी, खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ी, आटा-तेल-दाल, सब की कीमत पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई। इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, इस सरकार के संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी से कि आपने जो घोषणा की, केन्द्र सरकार में तो आपकी हालत क्या बनी, वह सब सामने आ ही गई, वहां आपको कोई पूछे न पूछे, यहां आपकी पूरी हुकूमत है, अब आपने बहुमत भी कर लिया, इसलिए आप यह पैट्रोल और डीजल के अन्दर अपनी घोषणा के अनुसार स्थानीय करों में रियायत दो, अध्यक्ष महोदय, यह मेरी मांग है मुख्य मंत्रीजी और मैं चाहूंगा, सरकार अगर इस पर उत्तर नहीं दे तो इसका अर्थ यह माना जायेगा कि यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। अगर उत्तर नहीं देंगे, इसका मतलब यह होगा कि सारा घोषणा-पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी, आप यहां विराजे हुए हैं सदन के अन्दर, सदन के नेता हैं, मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, हमारे सब के मुख्य मंत्री हैं, संवेदनशील हैं इसलिए आप आज इस सदन में घोषणा करो कि आप घोषणा के अनुसार इन स्थानीय करों में रियायत देंगे, यह मेरी मांग है।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें। श्री अमरारामजी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, सरकार की तरफ से उत्तर आये। यह एक ऐसा विषय है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, उस पर सरकार बोले नहीं, सरकार से उत्तर दिलवा दो अध्यक्ष महोदय।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मुख्य मंत्रीजी, कुछ तो बोलो, मुख्य मंत्रीजी मौन बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी, कुछ तो बोलिये।

## राज्य में बिजली की नियमित सप्लाई

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में एक तरफ तो बरसात नहीं हो रही है, जुलाई की नौ तारीख आज है, अधिकतर इलाकों में बरसात नहीं हुई है, भयंकर गर्मी की स्थिति है, मैं समझता हूं कि लोक सभा के चुनाव में पांच बजे ज्योंही वोटिंग खतम हुई और उसी वक्त में बिजली का कटना शुरू हो गया और आज हालत यह है कि किसानों की सप्लाई के लिए इस भयंकर गर्मी में जहां भी कुछ फसल बोई हुई है, उसको बचाने के लिए किसान प्रयासरत हैं। पांच घंटे का ब्लाक आपने घोषित कर रखा है, विद्युत विभाग ने कर रखा है, मंत्रीजी भी यहां विराजे हुए हैं। पांच घंटे के ब्लाक में मात्र दो-ढाई घंटे बिजली दे रहे हैं और वह भी 12 घंटे इंतजार करने के बाद में। जहां दिन में ब्लाक है, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते हैं, शाम 10 बजे का है जहां ब्लाक, वे सुबह तक इंतजार करते हैं और उसके बाद में भी टुकड़ों में ढाई घंटे बिजली की सप्लाई है तो मैं समझता हूं, एक तरफ तो प्रकृति रूठी हुई है, इन्द्र देवता नहीं बरस रहे हैं लेकिन सरकार तो कम से कम इस तरह से झटके नहीं दे। जो भी सरकार को देना है, बिजली नहीं देनी है तो साफ घोषणा कर दे कि हम दो घंटे ही बिजली देंगे लेकिन इस समय देंगे। मैं समझता हूं कि दो घंटे आये तो कम से कम निश्चित समय पर आये। यह नहीं कि ढाई घंटे के लिए किसान शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंतजार करता रहे और उसके लिए यह झटका खाता रहे तो मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में, बरसात आप बरसा नहीं सकते, कोई भी सरकार नहीं बरसा सकती लेकिन बिजली समय पर दे सकते हैं। इसलिए यह जो हालत कर रखी है उसे ठीक करें और जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनके लिए हजारों करोड़ रुपया इस बात के लिए खर्च किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी बिजली है, वह शहर के बराबर बिजली मिलेगी, उस पर हजारों करोड़ रुपये भी खर्च किये गये लेकिन आज हालत यह है कि उनको पांच घंटे भी लगातार बिजली नहीं मिल रही है। इस गर्मी में जहां गांव के आदमी भी जिसने कनेक्शन ले रखा है, वह चाहता है रात में इस गर्मी के अन्दर वह भी कूलर की, पंखे की हवा खाये और लगातार एक घंटे भी बिजली नहीं आये और उसका नतीजा है कि आज राजस्थान में कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां बिजली के अधिकारियों का, बिजली के ग्रिड स्टेशनों का घेराव नहीं हो रहा है। आज तक तो किसान करते थे, अब आम उपभोक्ताओं

(श्री अमराराम)
को मजबूर होकर बिजली अधिकारियों का और ग्रिडों का घेराव करना पड़ रहा है और उसकी व्यवस्था करने की बजाय मैं समझता हूं, सरकार के जितने भी वितरण कम्पनियों के अधिकारी हैं, उनको इनिशिएटिव दे रखा है वी.सी.आर. के नाम से...

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मैं समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, उसमें लगे हुए हैं, उनको बिजली की व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। जो टार्गेट दे रखे हैं, वितरण कम्पनियों के हर जे.ईएन. से लेकर एक्स.ईएन. तक जो टारगेट दे रखा है वीसीआर का, जिसमें दस या पन्द्रह प्रतिशत उनको इनीशियेटिव दे रहे हैं उसमें इतने नाजायज तरीके से वीसीआर, जिसके कनेक्शन नहीं है, नजदीक में कोई है नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं, नो अपील, नो दलील। वह अपना कमीशन बनाने में, झूठी वीसीआर भरने में हर अधिकारी उस बात में लिप्त है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सरकार से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सप्लाई आपको गांव में आम उपभोक्ता को देनी है, किसान को देनी है, वह आप घोषणा करके दें, यह नहीं है कि दो घंटे बिजली दें और उसके लिए बारह घंटे इंतजार करे। यह कतई, किसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्री नरपत सिंह राजवी। श्री नरपत सिंह राजवी।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): इसलिए आज घोषणा करें कि कितनी बिजली देंगे, केवल यह घोषणा करें कि...

**श्री अध्यक्ष**: कृपया विराजें। कृपया विराज जायें। मैंने अगला नाम पुकार लिया है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): शहर की काट करके हम गांव को दे रहे हैं। किसान की तो चौबीस घंटे से काट कर के दो घंटे पर आ गये तो मैं समझता हूं कितनी काट दी, केवल अख़बार में यह बयान दें कि किसान को बिजली देने के लिए हम शहर की काट रहे हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा दु:खदायी बात नहीं हो सकती। किसान की बिजली तो 1970 में जो चौबीस घंटे थी, बंद करके अभी दो घंटे पर आ गये...

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): और दो घंटे के लिए भी बारह घंटे इंतजार करना पड़ता है, मैं समझता हूं यह सबसे दु:खदायी है।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया विराजें। श्री नरपत सिंह राजवी। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब नहीं दे, स्थगन प्रस्ताव..

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मैं आपकी अनुमति से।

**श्री अध्यक्ष**: आप उनको नहीं बोलने देना चाहते?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, स्थगन प्रस्ताव...

**श्री अध्यक्ष**: आप उनको बोलने नहीं देना चाहते क्या?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, स्थगन प्रस्ताव पर बोलें ही नहीं, बिजली जैसा मामला है।

**श्री अध्यक्ष**: बोलने दीजिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, गांव को बिजली मिलेगी ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये, बैठिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): गांव को बिजली और किसान को बिजली मिलेगी नहीं..

**श्री अध्यक्ष**: आप, प्लीज बैठिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): नहीं अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार यह तो कहे बिजली नहीं देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: शुरू करें आप।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): यह कह दें जो पूरे राजस्थान में मैं समझता हूं ऐसा कोई जिला नहीं है...

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, बैठिये। अगला नाम पुकार लिया है, कृपया बोलने दें।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): कोई जिला नहीं है जहां विद्युत ग्रिडों का, इंजीनियरों का घेराव नहीं हुआ है, जहां कर्मचारी, साधारण कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं वह पिट रहे हैं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कृपया विराज जायें। कृपया विराजें। कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): ×××

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: मैंने माननीय नरपत सिंहजी राजवी का नाम पुकार लिया है। अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: आप नहीं बोलने देना चाहते इनको। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): xxx (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्लीज। मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): xxx

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह बोलेंगे। यह बोलेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं आपसे यह व्यवस्था चाह रहा हूं कि बिजली के बारे में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन पर हस्ताक्षर किये हैं उनमें आप केवल एक माननीय सदस्य को ही बोलने का मौका देंगे, जब यह मामला सारे राज्य का है और सब जगह स्थिति हो रही है, नरपत सिंहजी का अगला स्थगन प्रस्ताव है, वह बोलेंगे, लेकिन बिजली के मामले में जो इतना सीरियस है, राजस्थान में जगह-जगह बंद हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं ...(व्यवधान) घेराव हो रहे हैं, मैं खुद आपको यह कह रहा हूं, मैं खुद अपने खेत में गया परसों, आपको भी मैंने फोन किया था और पूरा मैं चौबीस घंटे रहा और पांच-पांच मिनट करके टुकड़ों में, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मुश्किल से बीस-पच्चीस मिनट बिजली आई। मैंने आपके गुप्ताजी को भी फोन किया, मैंने आपके पी.एस. जाट साहब को भी फोन किया, मेरे पास बहुत लोग उस समय इकट्ठे हो गये थे, यह जो स्थिति है वह स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय उप नेता महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह अकेले ही दिया है, एक के ही हस्ताक्षर हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): और भी आये हैं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): पेमाराम। सही पढ़ाओ अध्यक्षजी। (व्यवधान) और राधेश्यामजी ने अलग दिया है अपना।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अलग भी दिया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: अमरारामजी का अकेले का है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): मेरे अलग से है। मेरा अलग से दिया हुआ है।

सबसे पहले आपने मेरा नाम पुकारा है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): कापी निकलवा लें।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने माननीय सदस्य नरपत सिंहजी राजवी का नाम पुकारा है। कृपया, नरपत सिंहजी । अन्य का अंकित नहीं होगा।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: आप, माननीय नरपत सिंहजी को नहीं बोलने देना चाहते हैं। कृपया बोलने दीजिये। मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: आप कृपया विराज जाइये, बड़ी मेहरबानी होगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: आप अपने माननीय सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते क्या?

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): xxx

**श्री पेमाराम** (धोद): xxx

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: माननीय नरपत सिंहजी राजवी। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य, मैं अगला नाम पुकार चुका हूं। (व्यवधान)

प्लीज, व्यवस्था चलने दें। प्लीज, व्यवस्था चलने दें, अंकित नहीं हो रहा है। प्लीज, व्यवस्था चलने दें। बोलिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा। आपका शुरू करिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: शुरू करिये आप। कृपया व्यवस्था चलने दें, माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा।

## धरना

**(श्री अमराराम, माननीय सदस्य सदन कूप में धरने पर बैठे)**

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर जहां सिंचाई के लिए बनी थी...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** अंकित नहीं हो रहा।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): xxx

**श्री अध्यक्षः** अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा। चलिये, नरपत सिंहजी।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): xxx

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्य, व्यवस्था चलने दीजिये। व्यवस्था चलने दीजिये। माननीय सदस्य, व्यवस्था चलने दीजिये, व्यवस्था चलने दीजिये।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): xxx

**श्री अध्यक्षः** मार्शल, बाहर करिये।  तरीका नहीं होता है। (व्यवधान) तो कोई, मैंने नाम पुकार लिया..

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx

**श्री अध्यक्षः** ठहरिये, ठहरिये। एक मिनट। एक मिनट। मार्शल, एक मिनट। एक मिनट ठहरिये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx

**श्री अध्यक्षः** मार्शल। मार्शल। मार्शल। (भारी व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। तो व्यवस्था भी सदन की, व्यवस्था भी सदन की नहीं चलने देंगे इस तरीके से।

## सदन में नारेबाजी

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर जोर-जोर बोलना प्रारम्भ)**

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx

**श्री अध्यक्षः** जब मानने को तैयार नहीं है तो मेरे पास क्या व्यवस्था हो सकती है फिर। मैं फिर मौका नहीं दूंगा इस तरह का। चलिये, बैठिये।

(श्री अध्यक्ष)

बैठिये आप लोग। बैठिये आप लोग। छोड़ दीजिये, छोड़ दीजिये। कह दीजिये, छोड़ दीजिये। छोड़ दीजिये। छोड़ दो, कह दिया।

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)**

व्यवस्था को चलने दीजिये, व्यवस्था बिगड़ने भी नहीं दूंगा। व्यवस्था को चलने दीजिये, व्यवस्था बिगड़ने भी नहीं दूंगा। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, बार-बार आसन के अनुरोध के बावजूद व्यवस्था नहीं चलने देंगे तो व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जायेगी। चलिये, नरपत सिंहजी, बोलिये, बोलिये आप। चालू करिये, आप चालू करें। (व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): मैं ऐसे कैसे चालू करूं? जब सुनाई ही नहीं दे रहा...

**श्री अध्यक्ष**: मैं अगला नाम पुकारूं? (व्यवधान) आप चालू करिये। शांति करना चाहेंगे तो कर लेंगे।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): आप पहले हाउस को आर्डर में करिये, उसके बाद में बोलूंगा। यह कोई बात है क्या।

**श्री अध्यक्ष**: आप बोलिये। बोलने दीजिये। आप बोलिये, आप चालू करिये। आप चालू करिये।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): हाउस को आर्डर में करिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 12.17 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई)**

**(पुन: समवेत होने पर**

**(समय : 12.47 बजे)**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

**धरना**

**(कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में धरने पर बैठे)**

**श्री अध्यक्ष**: श्री नरपत सिंहजी राजवी।

## राज्य में बिजली की खराब स्थिति

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत आवश्यक आपसे निवेदन करना है। सदन में हम सब आपका सहयोग करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले। आज आपने जब स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था की, उसके बाद में पहले माननीय सदस्य राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ बोल गए फिर अमरारामजी ने अपनी बात कहीं और उसके बाद में मैंने भी कहा कि राज्य में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और आपने माननीय श्री नरपत सिंहजी राजवी का नाम भी पुकार लिया था। उसके बीच में हमने कहा और आपने उसको ध्यान से सुना भी लेकिन अध्यक्ष महोदय फिर माननीय सदस्य दुग्गलजी ने जब बोलना शुरू किया और जब आसन में भी आ गए तो अचानक आसन के मुंह से यह निकल गया कि मार्शल से इनको बाहर निकाल दीजिए और जब वह स्थिति आई उस समय माननीय सदस्यों ने आकर इसको रोका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदस्यों के बोलने के अधिकार की रक्षा करने का काम आपका है। हम विपक्ष में हैं अध्यक्ष महोदय और हमरा तो जनता की समस्याओं के बारे में बोलने का काम है, सरकार का जवाब देने का काम है और पहले तो मैं आपसे आग्रह करुंगा कि इसकी भी एक प्रक्रिया है। किसी माननीय सदस्य को अगर निकालना है तो पहले उसको नाम से पुकारते हैं और उसके बाद भी वह नहीं माने और उसको बार-बार अपन कहे तो फिर अपन मार्शल से भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आती है और अधिकांश तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय आसन हमेशा विपक्ष के सदस्यों को बचाने का ही काम करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि एक तो वह जो आपने मार्शल से उनको बाहर निकालने के लिए कहा है उस बात को आप वापस कराइए। दूसरा मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करुंगा कि वास्तव में स्थिति यह है कि वे अपने स्थान पर जाकर बैठे और मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आज बिजली की स्थिति राज्य में वास्तव में तकलीफदायक है। हमको यह पता है कि मानसून लेट आया है, हमको पता है कि बांधों में पानी की कमी हो गई है, बांधों में पानी की कमी है, बिजली का उत्पादन कम हो रहा है लेकिन जगह-जगह आंदोलन हो रहा है, जगह-जगह स्थिति खराब है। ऐसी परिस्थिति में माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया बाकी 11 माननीय सदस्यों ने लिख कर भी दे रखा है। सभी माननीय सदस्यों और कांग्रेस के माननीय सदस्यों का भी, यह उनके भी सामने समस्या है। इसलिए हम सरकार को कोई डॉक में नहीं खड़ा करना चाहते। हम इतना ही चाहते हैं कि जितनी भी बिजली आपके पास उपलब्ध है, उस बिजली को किस प्रकार से किसानों की इस फसल को बचा सके, कितना समय आप देंगे किस प्रकार ब्लाक में बांट कर देंगे, इसके साथ-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साथ पेयजल की समस्या पैदा हो गयी। बिना बिजली के कारण से गांव और शहरों में पेयजल का पानी भी नहीं है इसलिए पेयजल का पानी किस समय उपलब्ध होगा और किसान अपनी जो थोड़ी बहुत फसल उसने बोयी है उसका किस प्रकार से बचाव करेगा। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है अध्यक्ष महोदय, आप मार्शल का एक तो वापस लें दूसरा आप राज्य सरकार को निर्देशित करें बिजली के बारे में जो भी स्थिति है वो स्थिति बतायें और किसानों को जितनी राहत दे सकते हैं उतनी राहत देने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक बार पहली विधान सभा में माननीय सुखाड़ियाजी तो मुख्य मंत्री थे और रामनिवासजी मिर्धा अध्यक्ष थे और एक माननीय सदस्य का सरकार ने प्रस्ताव रखा श्री मुरलीधरजी व्यास का कि उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाए। अध्यक्ष महोदय नहीं चाहते थे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना स्पष्टीकरण देना है तो मुरलीधरजी व्यास स्पष्टीकरण देने लगे और वो तीन घंटे तक बोलते रहे, आसन ने रोका नहीं और पांच बजे का समय हो गया और पांच बजे के समय के बाद सदन की कार्यवाही दूसरे दिन के लिए स्थगित हो गई। उसके बाद फिर जब शुरू हुई तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि जिस माननीय सदस्य ने हाउस जिनके कब्जे में था बोलने में वो दुबारा बोलेंगे और मुरलीधरजी दुबारा बोलने लगे तो मोहनलालजी सुखाड़िया खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब ये कितनी देर तक बोलेंगे तो उन्होंने कहा कि बहुमत आपके पास है बाहर निकालने का प्रस्ताव तो आप पारित करा सकते हैं लेकिन बोलने का समय देना तो अध्यक्ष का काम है। बाद में सुखाड़ियाजी खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। उनको नहीं निकाला। इतनी उदार परम्पराएं इस सदन की रही हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारा प्रोटेक्शन करें और इसमें आप मदद करें।

**श्री अध्यक्ष:** विराजें। माननीय भाजपा के उप नेता ने जो बात कही शायद आप ध्यान दे नहीं पाये होंगे हल्ले-गुल्ले में। सदन में बैठें, अपना विरोध प्रदर्शित करें मर्यादा पूर्वक करें मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं है न पहले थी। अमरारामजी को निकालने का भी मैंने नहीं कहा। माननीय कालीचरण जी सर्राफ मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले इन्होंने भी यह कहा कि हमको इम्प्रेशन यह गया कि शायद बाहर सबको निकाल रहे हैं। नरपतसिंहजी राजवी का नाम

(श्री अध्यक्ष)

बोलने के बाद बार-बार मैंने प्रार्थना की है कि माननीय सदस्य बैठें आकर के लेकिन माननीय सदस्य के वहां से बार-बार डिस्टर्बेंस, बार-बार डिस्टर्बेंस करने से मैं प्रार्थना करके दुःखी हो गया। माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मा जब मेरे ऊपर है तो माननीय सदस्यों को चाहिए कि हाउस को ऑर्डर में रखें। धरने पर बैठें उनका अधिकार है लेकिन दूसरे सदस्यों को बोलने न दें यह अधिकार उनका नहीं है, एक चीज। दूसरा जब ये वहां से बोल करके धरने पर आकर बैठना चाहते थे तो मुझे एतराज नहीं था मैंने मार्शल को रोक भी दिया शायद आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन वहां बोलकर के अगर पूरे हाउस को डिसऑर्डर करेंगे तो फिर हाउस मेरे से चल नहीं सकेगा। अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया वो स्थिति पैदा नहीं करें कि दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात हो। हर माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहता है, अपना प्रतिनिधित्व करना चाहता है जनता का उसका अधिकार भी है और उसके अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मा बार-बार आप मुझ पर देते हैं तो मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है कि सदन ऑर्डर में चले लेकिन कोई अगर माननीय सदस्य यह तय कर ले कि हर प्रश्न पर ही मैं ऑब्जेक्शन करूं, हर मामले पर मैं उठूं, हर बार में ओब्स्टेक्ल क्रियेट करूं और दूसरे सदस्यों को बोलने ही नहीं दूं। अगर यही तरीका अख्तियार करना है तो दूसरा तरीका अख्तियार करने के लिए मजबूर सदन को भी होना पड़ता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने केवल जो निकालने की बात की वो बार-बार कहने के बाद बार-बार निवेदन करने के बाद दूसरे सदस्यों के अधिकार का बार-बार उनको न बोलने देने के बाद मजबूरी में करना पड़ता है। अपने अधिकार का प्रयोग कर बैठें।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, ...

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज। प्लीज। वापस वाली बात मैंने उसी वक्त कह दी थी जब ये अन्दर आकर के बैठना चाहते थे वहां बोल करके डिस्टर्ब सबको करना चाहते थे वो तो फिर सदन नहीं चल सकता। जहां तक बिजली की समस्या का आपने जिक्र किया है निश्चित रूप से बिजली की समस्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव भी आये हैं और स्थगन प्रस्ताव के सारे माननीय सदस्यों को बुलवा करके जीरो ऑवर शाम को पांच बजे तक चले और सदन में डिबेट नहीं हो, मेरे ख्याल से किसी माननीय सदस्य की मंशा ऐसी नहीं हो सकती। सदन में जीरो ऑवर का समय भी हो और दूसरी कार्यवाही भी हो । मुझे

(श्री अध्यक्ष)

तकलीफ है यह कहते हुए कि पिछली बार जब सदन चला उसके बाद में कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले सभी पक्षों के मिले कि हम लोग नये हैं नियम-प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी नहीं होती पर हम हमारी बात कहना चाहते थे लेकिन दुर्भाग्य से हम हमारी बात नहीं कह पाये। उनको कष्ट हुआ, मुझे भी कष्ट हुआ। मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि खास तौर से जो नये सदस्य आये हैं वो इस मामले में बहुत चिंतित हैं कि किस प्रकार से उनको अवसर मिले जो पुराने माननीय सदस्य अनुभवी हैं वो तो नियम-प्रक्रिया के तहत कोई न कोई रास्ता निकाल कर अपनी बात रख लेंगे लेकिन सबसे बड़ा कुठाराघात उनके अधिकारों पर होता है जो पहली बार जीतकर आते हैं। जहां तक बिजली का प्रश्न है माननीय उप नेता की बात को मैं यह कह कर के समाप्त करना चाहूंगा कि माननीय बिजली मंत्रीजी बैठे हैं यदि वो वक्तव्य देना चाहें, स्थिति स्पष्ट करना चाहें तो यह उनके अधिकार क्षेत्र में मैं छोड़ता हूं और समस्या है बिजली पर सदस्य बोलना चाहते हैं इसमें दो राय नहीं है लेकिन बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए तरीका यह नहीं है कि किसी सदस्य को बोलने ही नहीं दें दूसरे को और केवल उन्हीं की बात सुनें तो ठीक है वरना नहीं है। मैं इतना निवेदन करते हुए अंत में बिजली मंत्री पर तो मैंने छोड़ दिया है।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): अध्यक्ष महोदय,...

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): सरकार जवाब नहीं देना चाहती। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: वो खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं।

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): राजस्थान का किसान...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बिजली मंत्रीजी खड़े हुए हैं बिजली मंत्रीजी।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में पहला प्रश्न था बिजली के ऊपर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: वर्तमान बिजली मंत्रीजी खड़े हुए हैं दो मिनट आप रुकें।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): आपने मुझे बोलने नहीं दिया। शाहपुरा से आने वाले हमारे जो माननीय सदस्य हैं इनके अलावा कोई बोल नहीं पाया।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय उप नेता महोदय। माननीय उप नेता महोदय।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): और आपने मुझे अपमानित करके बैठा दिया कि आप बिजली मंत्री नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय भाजपा के उप नेता महोदय।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): ...(व्यवधान) मैं जानता हूं कि मैं बिजली मंत्री नहीं हूं। आपने अपमानित कराके मुझे बैठा दिया और आपने शाहपुरा से पधारने वाले माननीय सदस्य के अलावा किसी को बोलने नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। कृपया व्यवस्था बनाये रखने दीजिये। अगर आप नहीं चाहते कि बिजली मंत्रीजी कुछ कहें तो फिर ...

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): मैं कोसना नहीं चाह रहा था, I wanted to give suggestions.

**श्री अध्यक्ष**: अगर आप चाहते हैं कि बिजली मंत्रीजी कुछ नहीं कहें तो मैं उनको बैठने के लिए कह करके नरपत सिंहजी से कहूं।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया पहले प्रश्न के अन्दर।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं तो प्रश्न आपका नहीं था। हर प्रश्न पर जवाब देने के लिए बोलने के लिए मैं हर एक को खड़ा करूं, यह आवश्यक नहीं।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): दूसरा आदमी भी तो पूछ सकता है।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया सदन चलने दें।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदन के पक्ष और विपक्ष के जितने भी हमारे साथी हैं उन्होंने बिजली की समस्या बड़ी गम्भीरतापूर्वक उठायी है मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान वो स्टेट है जिसके पास आज हमारे ...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये वक्तव्य दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: वक्तव्य नहीं दे रहे हैं एक बार सुनिये तो सही आप बात को।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, मैं छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा था कि आप भी इनको निर्देशित कर दें। माननीय सदस्य, आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि चूंकि मंत्री महोदय ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वक्तव्य देना प्रारम्भ कर दिया है आप भी अपनी सीटों पर जाएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर मंत्रीजी आज तैयार नहीं हों तो समय तय करवा दें।

**श्री अध्यक्ष**: स्टेटमेंट के लिए नहीं कहा है मैंने उनको वो अपनी बात कह रहे हैं कहने दीजिये।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सभी सदन के हमारे साथीगण हैं उन्होंने विद्युत के बारे में जो अपनी चिंताएं उठायी हैं वो निश्चित रूप से सही हैं और राजस्थान वो स्टेट है जो विद्युत के मामले में, अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा कि हमारे 7015 स्वयं का जनरेशन है और हमारा स्वयं का खर्च पूरे स्टेट का वो करीबन साढ़े ग्यारह हजार से बारह हजार मेगावाट तक है और जो बीच का डिफरेंस है अध्यक्ष महोदय, वो हम हमारे जनरेशन प्लांट ला रहे हैं ढाई सौ मेगावाट का अभी छबड़ा में आ चुका है ढाई सौ मेगावाट का हमारे सूरतगढ़ में आ चुका है और 195 कोटा में आ गया ...(व्यवधान) श्रीमान् ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सवाल करेंगे अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ...(व्यवधान) कर दिया क्या इन्होंने ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बोलने भी नहीं देंगे?

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): श्रीमान्, एक मिनट। देखिये आप बहुत वरिष्ठ ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्थिति स्पष्ट करें दूसरी तरफ बोलने नहीं दें तो दोनों बात कैसे चलेंगी।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। सब को चिन्ता है और उसमें आपको भी शेयर करना चाहिए वो जो गेप है जो हमारे पास माननीय मैं लाखों में बताऊंगा हमारी अवेलेबिलिटी इस वक्त 820 लाख यूनिट है और हमारा कंजम्पशन इस वक्त है 1130 लाख यूनिट । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हमको दो सौ लाख यूनिट हमारे पॉवर एक्सचेंज से खरीदनी पड़ती है उसमें 230 लाख यूनिट ऑलरेडी जो ली हुई है वो लौटानी पड़ती है। हमारे पास अध्यक्ष महोदय, 132 लाख यूनिट की डेफीशियेंसी है और

(डा. जितेन्द्र सिंह)

वो हमें खरीद कर और फिर स्टेट में देनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त स्थिति यह है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की ग्रिड लाइंस आ रही है उसमें हरियाणा अपना काम कर रहा है इस वजह से शट डाउन उस लाइन पर वो ले रहे हैं जो परचेज पॉवर है वो राजस्थान को प्रोपर्ली नहीं मिल पा रही है पूरे अदर स्टेट में अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मानसून डिले हो गया है आप भी जानते हैं और मानसून डिले होने से डिले में जो यूजुअली जुलाई, अगस्त, सितम्बर में जो पॉवर परचेज है वो कम होता है क्योंकि रबी के लिए रखी जाती है सारी पॉवर परचेज तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह डेफीशियेंसी 132 लाख यूनिट की इस वक्त पॉवर परचेज करने के बावजूद कॉरीडोर उपलब्ध नहीं है तो इस वजह से कल यह निर्णय लेना पड़ा क्योंकि विद्युत की भारी समस्या थी और यह निर्णय लेना पड़ा कि हम शट डाउन करेंगे उसमें टोटल उद्योगों की बिजली कट ऑफ कर दी गई, उसमें हमने संभागीय जो हमारे हैडक्वार्टर्स थे वहां टू ऑवर्स का पॉवर कट किया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स थे वहां फोर ऑवर का किया, टाउन्स में पांच घंटे का, अदर्स में सिक्स का। किसानों को पूरे पांच-छह घंटे माननीय हमारे गंगानगर से, बीकानेर से सभी और सब जगह से आने वाले ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** लंबा नहीं करें, लंबा नहीं करें। वाद-विवाद का विषय नहीं है। नहीं।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): कृपया आपसे मेरा निवेदन है पूरी बात सुनें क्योंकि इम्प्लीमेंट आज से हुआ है अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, हमने दस रुपये में बिजली खरीद करके नब्बे पैसे में दी थी ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** वाद-विवाद का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): हमने कंटीन्यू उसी प्लांट पर दी थी।

**श्री अध्यक्ष:** वाद-विवाद का विषय नहीं है मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, वाद-विवाद का विषय नहीं है।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): हमने दस रुपये में बिजली खरीद करके नब्बे पैसे में किसानों को दी थी ...(व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) सरकार बिजली दे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य वाद विवाद का विषय नहीं है । मैं अलाऊ नहीं करुंगा। (व्यवधान) बैठिए ।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह डेफिसिएट है इसको पूरा करने के लिये पावर कट कर दिया गया है और किसानों को 5 से 6 घंटे रेगुलर बिजली मिलेगी चाहे शहर की बिजली काटनी पड़े, चाहे उद्योगों की काटनी पड़े।

**श्री अध्यक्ष**: श्री नरपत सिंह राजवी । (व्यवधान) श्री नरपत सिंह राजवी । (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री नरपत सिंह राजवी को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए । माननीय सदस्य, प्लीज । माननीय नरपत सिंह राजवी ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार है ।

**श्री अध्यक्ष**: उनका भी अधिकार है मुझे रक्षा करनी है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा । माननीय नरपत सिंह राजवी ।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: स्टेटमेंट नहीं है, स्पष्टीकरण की बात थी, नो स्टेटमेंट । स्पष्टीकरण की बात थी आपके निवेदन पर मैंने स्वीकार किया था, चर्चा समाप्त । माननीय नरपत सिंह राजवी ।

## इंदिरा गांधी नहर में पर्याप्त पानी नहीं मिलने विषयक

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर सिर्फ सिंचाई के लिये नहीं थी पीने के पानी की प्रमुखता से प्रबंध करने के लिये रायपेरियन थ्यौरी के आधार पर बनी थी और सत्ता पक्ष में अभी जो बैठे हैं उस पर ध्यान करें 1981 में पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पारित होने के बाद पानी का विभाजन तो होना था पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान को उसमें खींच लिया गया और पोलिटिकल वीकनेस के कारण राजस्थान के हित का कुठाराघात होता रहा और आज तक होता आ रहा है ।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मैं याद दिलाना चाहूंगा इराडी ट्रिब्यूनल से जो भी यहां पर सहमति जाहिर की और यहां पर एयरपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये थे । उसके बाद उस समय विधान सभा में खूब चर्चा हुई और यहां तक चार्ज लगाया गया था कि मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र के दबाव के आगे घुटने टेक दिये हैं और .6 एमएएफ पानी पंजाब को यूज करने के लिये दे दिया और वह वापस कभी नहीं देगा । लेकिन उस चीज को कभी नहीं माना । उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें बताई थी कि रिवाइज्ड मीन फ्लो उन तीन नदियों का करने के बाद 17.17 एमएएफ पानी पाया गया है और उस मीन फ्लो के आधार पर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** प्लीज डोंट डिस्टर्ब ।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): 52.9 परसेंट हमारा जो हिस्सा है उसके 8.6 एमएएफ होगा । उस हिस्से का होने के कारण यह भी प्ली दी गई थी कि राजस्थान में अभी तक जो टोटल शेयर है वह हम यूज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सरप्लस फ्लो जो है वह पंजाब उस दिन तक यूज करेगा जब तक राजस्थान में सिस्टम डवलपमेंट नहीं हो जाये । यह हाउस का रिकार्ड बोल रहा है, इस सदन में बोला है । लेकिन उस समय के बाद कभी ऐसा समय नहीं आया जब केन्द्र में और राज्य में एक ही दल की सरकार हो। अब तो आ गया है । कभी भी एक दो वर्ष को छोड़कर 17.17 एमएएफ मैं चैलेंज करता हूं सिंचाई मंत्रीजी प्रूव कर दें रिकार्ड उनके पास में होगा, 2 वर्ष के अलावा कभी भी 17.17 एमएएफ पानी नहीं हुआ तो .6 एमएएफ पानी लेने का अधिकार पंजाब को फिर नहीं रहता इराडी ट्रिब्यूनल के आधार पर । लेकिन कभी बीबीएमबी ने उस बात को नहीं माना । उसके बाद कंज्मटिव यूज हम कर सकते थे, सारा टेल एण्ड तक हमारा निर्माण हो चुका उसके बाद भी .6 एमएएफ पानी छोड़ने को पंजाब तैयार नहीं हुआ । जनता पार्टी की सरकार थी 1977 से 1980 के बीच में उस समय तय हो गया था आज भी रिकार्ड में टाइप किया हुआ वह नोटिफिकेशन पड़ा है कि फाइनल होने में 5 दिन का समय और चाहिये उसके बाद वह पब्लिश नहीं हो पाया । आज आप करवा दें। राजस्थान के हितों की रक्षा करने की बात कह रहे हैं । विपक्ष भी आपके साथ है कम से कम राजस्थान के हित की बात यह तो कर लें । टेलीफोन के आधार पर पानी समय समय पर बढवाया, आप लोगों ने भी बढ़वाया हमने भी बढ़वाया है । लेकिन डैड स्टोरेज लेवल से नीचे कहां जायेंगे, कहां से लायेंगे आप पानी । सतलज का पानी हमको मिलता है । 8000

(श्री नरपत सिंह राजवी)

क्यूसेक अपर रीचेज में से सीधा कैनाल के माध्यम से भाखड़ा में ले जाते हैं जहां पर पंजाब का शेयर ज्यादा है । उसका भी हाउस में रिकार्ड है, एतराज किया लेकिन केन्द्र सरकार उसमें बोली नहीं । जब तक भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारी सशक्त दावेदारी नहीं होगी और प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होगा, अब जो मैंने जानकारी हासिल की मुझे बताया कि एक सीनियर चीफ इंजीनियर का पद सृजित किया है जो वहां पर प्रतिनिधित्व करेगा । इतना ही प्रतिनिधित्व करा दें वहां पर जो जेईएन बैठता है उसके बैठने के लिये कुर्सी भी नहीं है । हैड-रीच पर गेज वही मिलेगा जो वहां से बाबू बनाकर दे रहा है । बीकानेर ईस्ट केनाल सरप्लस फ्लो जहां हमने पाया था पिछली सरकार के समय उस समय हमने पाइंट आउट भी किया था कि 34 गेट की मरम्मत की आवश्यकता है और सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपये की वाटर सील को सील करने के लिये आवश्यक थे। 1941 के बाद फिरोजपुर हैड वर्क्स में कभी लीकेज रोकने के लिये सील नहीं बदली गई । लेकिन उस समय की सरकार ने वह काम नहीं किया ।

**श्री अध्यक्ष:** समाप्त करें ।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): शोर्ट कर रहा हूं साहब लेकिन पानी एकदम तो नहीं आ जायेगा एक साथ आने के लिये थोड़ा समय चाहिये।

**श्री अध्यक्ष:** लेकिन दो मिनट की जगह 5 मिनट से ऊपर निकल जाये उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): नहीं फ्लो करके पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा चिंता मत करें । अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसके बाद दोनों फिरोजपुर हैड वर्क्स और हुसैनी वाला हैड वर्क्स में, फिरोजपुर हैड वर्क्स में हमारी 29 परसेंट मैंटीनेंस कोस्ट थी और हुसैनी वाला में 29 परसेंट पंजाब का था । दोनों स्टेट ने मिल कर अपना रिसोर्सेज किया और पाकिस्तान में जो फ्लो जा रहा है वह बंद किया । पानी मिलने लगा । लेकिन इसमें एक और गड़बड़ हो रही थी 1984 में पानी का एक्सेस फ्लो हुआ उसके बाद डैम सेफ्टी के नाम पर वहां पर काफी टेरेरिस्ट बह गये थे, मौतें भी खूब लोगों की हुई, डैम सेफ्टी के नाम पर बाँध का 10 फीट का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर मैक्सिमम पानी इकट्ठा होता है वह खाली रखते हैं वह कम से कम केन्द्र सरकार के माध्यम से यह तो प्रेशर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

डलवाया जा सकता है कि वह पूरा भरे । सैंकडो, करोड़, अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जौधपुर इन जिलों में पीने का पानी भी हम उपलब्ध नहीं करा सकें तो फिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिये खड़ा किया है । अध्यक्ष महोदय, विचार तो होना चाहिये कि और अधिक पानी मिले । लेकिन अपस्ट्रीम में से एक्स्ट्रा ड्राअल करे इसके लिये कम से कम एक सदन की समिति बना दे, मंत्रीजी साथ चले जाये और भी सीनियर मंत्रीगण साथ जायें वहां पर आंखों से देखे तब पिक्चर क्लियर होगी अभी बहुत कम लोगों को जानकारी है । पीने के पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये, वहां पर मंडियां पहले ही बरबाद हो चुकी हैं अब यह एक दो साल अगर ऐसे चले तो भगवान ही रखवाला है । वहां पर लाखों बेल्स कॉटन उठती है वह उठ नहीं पायेगी ।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें ।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): और अपूर्णीय क्षति होगी । मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी का और सिंचाई मंत्रीजी का इसे गम्भीरता से लें और इसके आगे निश्चित कार्यवाही करें ।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कालीचरण सराफ ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाओ। स्थगन पर सरकार चुप बैठी रहे कितना गम्भीर विषय है ।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कालीचरण सराफ ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): हम देते थे जवाब । पूरी सरकार मौनी बाबा हो गई । संवेदनशीलता की यह पराकाष्ठ है ।

**श्री अध्यक्ष**: यह भी जरूरी नहीं है कि हर इश्यु पर ही आप बोलें, हर इश्यु के बीच में आप बोलें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह के इश्यु पर नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे ।

## जयपुर शहर में दूषित पेयजल से बच्चों की मौत

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यान पिछले दिनों जयपुर शहर में दूषित पेयजल से 6 मासूमों की जो मौत हुई उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश

(श्री कालीचरण सराफ)

की जनता से वादा किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम प्रदेश में शुद्ध जल उपलब्ध करायेंगे । शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और किसी की भी मौत दूषित पानी से नहीं होने दी जायेगी । परन्तु मुझे कहते हुए अफसोस है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन में जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में दूषित पानी आ रहा है, मटमैला पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। 100 दिन के शासनकाल में 300 से ज्यादा शिकायतें जयपुर शहर के विभिन्न जलदाय विभाग में दर्ज कराई गई। होना तो यह चाहिये था कि जब दूषित पानी की, दूषित पेयजल की शिकायतें दर्ज हुई सरकार गम्भीरता से उस मामले को लेती और जहां-जहां इस प्रकार की शिकायतें दर्ज की गई थीं उसके बारे में कोई न कोई एक्शन लेती। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसका यह परिणाम हुआ कि मई के महीने में सांगानेर कस्बे की सुभाष कालोनी है वहां दूषित पेयजल के कारण, बदबूदार पानी के कारण 6 मासूम बच्चों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। मुझे अफसोस इस बात का है कि 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई परन्तु हमारे राज्य के संवेदनशील मुख्य मंत्री और....

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): और पिछले समय क्या हुआ था आपको जानकारी नहीं है क्या ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, आप बीच में इन्टरवीन नहीं करें।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मुझे इन्ट्रप्ट मत करो। (व्यवधान) और हमारे संवेदनशील जलदाय मंत्री....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): इन्होंने चुनाव के समय तो प्रदेश की जनता से यह वायदा किया था कि यदि कांग्रेस का राज बन गया तो शुद्ध पानी पिलाएंगे, किसी की मौत दूषित पानी से नहीं होने देंगे। इन्होंने जहां मौतें हुई हैं उस इलाके में जाना भी मुनासिब नहीं समझा। न मुख्य मंत्रीजी वहां गये, न जलदाय मंत्रीजी वहां गये। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जहां जलदाय विभाग इस मामले को सीरियसली लेता, इस पर कार्यवाही करता, जो दोषी अधिकारी थे उनको बर्खास्त किया जाता वहां जो लोग दूषित पानी के कारण बीमार हुए, उल्टियां हुई, डायरिया हुआ ऐसे लोगों का इलाज किया जाता परन्तु इन्होंने ऐसा नहीं किया। जलदाय विभाग के सेक्रेटरी

(श्री कालीचरण सराफ)

रामलुभायाजी, उन्होंने तो इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दूषित पानी से काई मौत ही नहीं हुई। इससे दुर्भाग्य और शर्मनाक बात नहीं हो सकती और उसका यह परिणाम हुआ ...(व्यवधान) बैठो भगवन बैठो।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): जो आया है वह जाएगा ऐसा कुछ हमारे मंत्रीजी ने नहीं बोला। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): ऐसा कुछ हमारे मंत्रीजी ने नही बोला। (व्यवधान) दूसरा हमारे मंत्रीजी ने उस वक्त यह तो नहीं बोला। इनके मंत्री .....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिये, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको नियमों की जानकारी है। मेरा ऐसा अनुमान है ...(व्यवधान) आप बैठिये, प्लीज बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री ...(व्यवधान) हमारे मंत्रीजी ने यह नहीं कहा कि जो आया है वह जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये, प्लीज आप बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): मौतें उस वक्त भी हुई हैं। कौन इंकार करता है। मौत बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कोई मरे....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा है, आप बैठिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): उसका यह परिणाम हुआ। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये बैठिये, बोलने दीजिए।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सुभाष कालोनी में जो मौतें हुई उस पर सरकार गम्भीर हो जाती और यदि कोई कार्यवाही कर लेती, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की उसका यह परिणाम हुआ कि कुछ दिन बाद ही अम्बाबाड़ी के किशनबाग कालोनी में दूषित पानी फिर लोगों को पिलाया गया ओर सैकड़ों लोग फिर अस्पताल में भर्ती हुये। इतना ही नहीं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की ओर उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जयपुर के नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय महेश जोशी जहां विराजते हैं सैन कालोनी वहां पर भी दूषित पानी के कारण 90-95 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लोग उनके पास गये कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर एक पत्रकार ने सांसद महोदय को पूछा कि इसके बारे में क्या विचार है, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी कालोनी में बदबूदार पानी भी आता है क्या। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता और लगातार जब से कांग्रेस की सरकार आई है राजस्थान में मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में कभी ब्रह्मपुरी में, कभी बापूनगर में, कभी जवाहर नगर में, कभी मालवीय नगर में, कभी शास्त्री नगर में हर जगह पर इस प्रकार का बदबूदार पानी आ रहा है, मटमैला पानी आ रहा है, मिलावटी पानी आ रहा है जिसके कारण लोग बाग़ दूषित पानी पीने के कारण बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैंने बोल दिया, भाषण दे दिया और मैं बैठ जाऊं और आगे की कार्यवाही चालू हो जाए। यह मासूम लोगों की मौत का सवाल है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जलदाय मंत्रीजी यहां बैठे हैं इस मामले में वक्तव्य दें और यह घोषणा करें कि किस प्रकार से दूषित पानी से होने वाली मौतों पर यह रोक लगाएंगे, जहां सीवरेज लाइन और पानी की पाइप लाइन साथ-साथ जा रही है उनको यह कब तक हटाकर नई पाइप लाइन डालेंगे। जो लोग मरे हैं उनको कितना मुआवजा देंगे। बीसलपुर की योजना का पानी जो जयपुर में आ गया, उद्‌घाटन भी हो गया, नारियल भी फोड़ लिया, कभी सितम्बर में आयेगा, कभी अक्टूबर में आयेगा, अभी तक पूरे जयपुर में बीसलपुर का पानी नहीं आ रहा।

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त कीजिए।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): वह पानी कब तक पहुचाएंगे। जो दोषी अधिकारी हैं इस मामले के, दूषित पेयजल के....

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी खड़े होकर इस बात का वक्तव्य दें और सारी बात का खुलासा करें, इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिन्द, जय भारत । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर का मामला है उसमें 6 मासूम बच्चे मारे गये। दुरू मियांजी भी गये थे उस समय मिलने के लिए अस्पताल में। मैं महिपालजी आपसे चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन.....

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अभी कालीचरणजी ने यह कहा कि कोई भी नहीं गया।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मैंने यह कहा कि मुख्य मंत्री जी नहीं गये, जलदाय मंत्रीजी नहीं गये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अस्पताल में।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आप कह रहे हैं दूरू मियां गये और वह कह रहे हैं कोई नहीं गया। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मैंने कहा मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्री जी नहीं गये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वह बिल्कुल ठीक, दोनों बात बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं दूरू मियां जी अस्पताल में गये। मुख्य मंत्री जी और महिपालजी नहीं गये यह बात उन्होंने कही (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मैंने यह कहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां ठीक है। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं किसी भी समुदाय के बच्चे मरे, बहुत छोटे-छोटे, मैं उन सब घरों में जाकर आया हूं, मुझे कहते हुए दुःख है कि वह इतने गरीब परिवारों के बच्चे हैं सब अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उन बच्चों की डायरिया से, दूषित पानी पीने से मौत हुई है यह बात हम सब जानते हैं, मैं खुद गया हूं। कोई राजनीतिक इश्यू नहीं है, हम इसको राजनीतिक इश्यू नहीं बनाना चाहते। पानी

(श्री घनश्याम तिवाडी)

में हमारी भी कमी हो सकती है, आपकी भी कमी हो सकती है। पाइप लाइन मिल भी जाती है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: रहिमन पानी राखिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है, उस क्षेत्र के बिलकुल गरीब परिवार के लोग हैं। जलदाय मंत्रीजी बैठे हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि तीन मुद्दे माननीय सदस्य ने कहे हैं बीसलपुर पाइप लाइन से जयपुर को कब तक जोड़ देंगे, सांगानेर में जो 6 बच्चे मरे हैं इसमें अगर भेदभाव करेंगे, इसलिए उनको पैसा नहीं देंगे कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के थे और उनका कोई वजूद नहीं है, इसलिए सरकार अगर उनको.....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सरकार उनको पैसा नहीं देना चाहे, मैं मांग करता हूं कि सबको पाँच-पाँच लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और दूषित पानी से, जो अधिकारी दोषी है उनको निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये, बैठिये। विराजिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): बीसलपुर की पाइप लाइन से तुरन्त सारे जयपुर को पानी सप्लाई किया जाए।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपकी सरकार के समय जब लोगों की मौतें हुई ...(व्यवधान) आपकी सरकार के समय जब मौतें हुई....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): हमने मुआवजा भी दिया। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: यह जयपुर का मामला ...(व्यवधान) झुन्झुनूं का नहीं है, आप कृपया बैठिये। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): बडे शर्म की बात है आपकी सरकार के मंत्री ...(व्यवधान) यह कहा था कि जो आयेगा वह जाएगा।

**श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ** (पुष्कर): यह उस वक्त कहा था जो आयेगा वह जायेगा, उसका क्या जवाब है आपके पास ...(व्यवधान) मंत्री थे जब सरकार में।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप अभी असत्य बोल रहे थे कोई मंत्री नहीं गया। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के लिए कहिये। आप जलदाय मंत्रीजी को वक्तव्य के लिए कहिये। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): बहुत गम्भीर समस्या है, मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिये। (व्यवधान) वक्तव्य के लिए कहिये मंत्रीजी को।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) प्रकिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला टोंक की तहसील देवली में खरोई से घाड़ रास्ते में आवागमन की समस्या निराकरण हेतु सड़क एवं पुलिया का निर्माण करवाने के संबंध में।

2. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की नगरीय विकास विभाग द्वारा 90-बी के अन्तर्गत स्वीकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

3. श्री ओम जोशी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति फलौदी के ग्राम लेर्डिया के बीच स्थित चौक में बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

4. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से तहसील शेरगढ़ की वृहत जल प्रदाय योजना आर.डी. 134 व आर.डी. 159.50 के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण करवाने तथा तृतीय चरण की स्वीकृति जारी करवाने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करने के सम्बन्ध में।

6. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से गंगनहर में उचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

7. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में माह फरवरी, 2009 में चिकित्सक के साथ मारपीट करने से सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों पर त्वरित पुलिस कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर एवं रोहट तहसील के गांवों की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

9. श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से जिला अलवर की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु 1200 नये हैण्ड पम्पों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

10. डा. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के पर्यटन स्थलों का विकास करने के सम्बन्ध में।

11. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला अलवर के मौलिया थाना लक्ष्मणगढ़ में दो वाहनों की टक्कर के उपरान्त पहुंचे पुलिस वाहन पर पथराव की घटना में निर्दोष लोगों को पुलिस द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामनारायण मीणा।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर प्रश्नों पर भी आप सरकार का वक्तव्य दिलाने में असमर्थ हैं तो ऐसा लगता है कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, और हम बहिष्कार करते हैं।

## बहिर्गमन

**(माननीय सदस्य श्री रोहिताश कुमार द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री अध्यक्ष**: कृपया विराजें।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): अकेले गये हैं।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामनारायण मीणा।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की पानी की समस्या गम्भीर तरह से... (व्यवधान)

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा, नये सदस्यों को मौका देंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** इनका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** कृपया व्यवधान नहीं। व्यवस्था बनाये रखें।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## देवली (टोंक) में खरोई से घाड़ के आम रास्ते में सड़क एवं पुलिया निर्माण

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खरोई से घाड़ जाने वाले मुख्य रास्ते के मध्य आने वाले बरसाती नाले पर जलग्रहण योजना के तहत वर्ष 2006-07 में एनीकट निर्माण के पश्चात से वर्षा के पूरे मौसम में पानी भरा रहने से आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। बरसात के मौसम के बाद भी पानी का भराव रहने से रास्ता अवरुद्ध रहने के कारण उच्च माध्यमिक विद्यालय घाड़ में प्रतिदिन विद्याध्ययन करने जाने वाले इस क्षेत्र के ग्रामों के बालक-बालिकाओं तथा कृषि कार्यवश आने-जाने वालों के सामने विकट स्थिति रहती है। इस आम रास्ते से माधोराजपुरा, लक्ष्मीपुरा, खरोई, घाड़ आकोडिया, सांखली, कनवाड़ा आदि 15 गांवों का अवागमन है। 2000 की आबादी वाले ग्राम खरोई से क्षेत्र के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र ग्राम घाड़ की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, जिसमें भी रास्ते में दो नाले पड़ते हैं। कभी भी जनहानि होना पूर्णत: सम्भव है।

घाड़ कस्बे में गौण मण्डी यार्ड, पुलिस थाना, जयपुर विद्युत वितरण निगम का जी.एस.एस. आदि होने से खरोई से घाड़ तक पक्की सड़क निर्माण करवाया जाना भी जनहित में तथा क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। सड़क निर्माण के समय ही बड़े कुए के पास वाले नाले पर पुलिया निर्माण करवाया जा सकता है।

अत: निवेदन है कि क्षेत्र के आमजन से जुड़ी हुई इस ज्वलंत समस्या के निराकरण हेतु उक्त बरसाती नाले पर जनहित में पुलिया निर्माण करवाये जाने को प्राथमिकता दी जाकर उक्त नाले पर पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण कार्य करवाए जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

## सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की 90-बी के अन्तर्गत स्वीकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्री का ध्यान सूरसागर विधान सभा की उन कालोनियों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं जिनका ले-आउट प्लान 90-बी के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

सूरसागर विधान सभा में जोधपुर नगर विस्तार की सर्वाधिक सम्भावना है, यही कारण है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा और पूर्ववर्ती नगर विकास न्यास द्वारा अनेक कॉलोनियों को करोड़ रुपयों का विकास शुल्क जमा करा कर 90-बी के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत किये गये हैं।

परन्तु खेद का विषय है, ऐसी कालोनियों में अधिकांश जगह आज भी मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल वितरिकाओं की स्थापना, सीवरेज लाइन की स्थापना, घरेलू विद्युत कनेक्शन एवं उचित क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना, सड़क निर्माण, सार्वजनिक विद्युतीकरण, स्कूलों-चिकित्सालयों को भूमि आबंटन एवं भवन निर्माण, सार्वजनिक पार्कों का विकास आदि का समुचित विकास नहीं हो पाया है। साथ ही ले-आउट प्लान के अनुसार सड़कों की चौड़ाई अतिक्रमणों के कारण जगह-जगह सिकुड़ गई है, जो कि दुर्घटना पाइण्ट बन गये हैं। ऐसे में उक्त कॉलोनियों में रहने वाले आम नागरिकों को आने वाली परेशानियों की कल्पना सहज ही की जा सकती है।

मेरा आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की 90-बी के अनतर्गत स्वीकृत कालोनियों, जिनका कि विकास शुल्क विभाग द्वारा वसूला जा चुका है, में मूलभूत सुविधाओं के विकास का कार्य शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत कर त्वरित गति से सम्पादित कराया जावे, ताकि आम नागरिकों को परेशानियों से निजात दिलाई जा सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री ओम जोशी।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विराजमान हैं, जवाब तो दिलवायें।

**श्री अध्यक्ष**: श्री ओम जोशी।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विराजमान हैं, कोई जवाब तो दिलवायें। जो सूरसागर क्षेत्र है, वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** करिये, शुरू करिये, आप।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक यहां पर रहा है कि जवाब दिया है 295 का।

## फलौदी पंचायत समिति के ग्राम लोर्डिया के बीच स्थित चौक में बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था

**श्री ओम जोशी** (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर जिले की पंचायत समिति फलौदी में ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्राम लोर्डिया की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि गांव के चारों तरफ मकानों (आवासीय) के बीच बड़ा चोक एवं मंदिर स्थित है। इस चौक में सामान्य रूप से गांव के घरों का गंदा पानी बीच में आकर एकत्रित हो जाता है एवं वर्षा होते ही पूरे गांव का जल इस चोक में बड़ी मात्रा में भर जाता है तथा निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। एकत्रित पानी महीनों तक पड़ा रहने से मच्छरों आदि से एक तरफ तो मौसमी बीमारियां ग्रामीणों को घेर लेती हैं तो दूसरी तरफ आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है तथा इसी प्रकार आमजन को तथा बच्चों को भी बाहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में घूमकर जाना पड़ता है।

इस मामले को समय-समय पर सभी सरकारी स्तर पर ध्यान में लाया जाकर समाधान हेतु निवेदन किया गया। परन्तु हर बार सिवाय आश्वासन के ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। पानी के भराव की निकासी, तकनीकी जानकारी धन के अभाव में सम्भव नहीं है।

लोक कल्याणकारी राज्य में अब विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उल्लेख कर निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या का समाधान किया जावे एवं वर्षो से भुगत रहे ग्रामवासियों को राहत प्रदान की जावे। इस आशा के साथ, धन्यवाद।

## शेरगढ़ तहसील की वृहत जल प्रदाय योजना आर.डी. 134 व आर.डी. 159.50 के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण करवाने तथा तृतीय चरण की स्वीकृति

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सादर अनुरोध है कि जोधपुर जिले की तहसील शेरगढ़ के ग्रामों में पेयजल की भीषण समस्या है। क्षेत्र के भूमि जल स्तर में कम वर्षा के कारण लगातार अत्यधिक कमी होती जा रही है। साथ ही भू-जल

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

की गुणवत्ता भी दिनों-दिन खराब होती जा रही है। जिसमें क्लोराइड, फ्लोराइट, टी.डी.एस. व नाइट्रेट आदि में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तहसील शेरगढ़ का अधिकांश, क्षेत्र का आगोलाई क्षेत्र पूरा डार्क जोन घोषित है। पूरे क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान मात्र राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से पेयजल आपूर्ति होने से ही सम्भव हो सकेगा।

पूर्व में 153 वी, पी.सी.सी. की बैठक 30.08.2003 में वृहत जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नाथडाऊ-कनोडिया-54 मील-शेरगढ़-चाबा योजना में कुल मूल 57 ग्राम सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण की कुल लागत 8.78 करोड़ एवं वृहत जल प्रदाय योजना आर.डी. 159.50 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-सिंयादा-बालेसर में कुल 37 ग्राम सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण की कुल लागत 3.84 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें 1991 तक घोषित राजस्व गांवों को ही सम्मिलित किया गया था।

वर्ष 2004-05 में उक्त योजना के संशोधित प्रस्ताव तैयार करते हुए एन.रूट के 12 गांव वर्ष 2001 तक के घोषित 101 नव राजस्व गांव (कुल 113 गांव) को सम्मिलित करते हुए कुल 207 गांवों की योजना बनाकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई थी।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 26.12.2005 को VI ई.बी.सी. बैठक में संशोधित वृहत् जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नाथडाऊ-कनोडिया-54 मील-शेरगढ़-चाबा के प्रथम चरण में 57 मूल राजस्व ग्राम, 08 एन रूट ग्राम तथा 64 नव राजस्व ग्राम को सम्मिलित कर कुल 129 ग्रामों के लिए प्रथम चरण की संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 12.24 करोड़ जारी की गई, जिसमें रा. वाटर डिगी 588 एम.एल. व फिल्टर प्लांट 31 एम.एल.डी. कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वृहत् जल प्रदाय योजना आर.डी. 159.50 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-सिंयादा-बालेसर के प्रथम चरण में 37 मूल राजस्व ग्राम, 04 एन रूट ग्राम तथा 36 नव राजस्व ग्राम को सम्मिलित कर कुल 77 ग्रामों के लिए प्रथम चरण की संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 6.45 करोड़ की जारी की गई, जिससे रा. वाटर डिगी 308 एम.एल. व फिल्टर प्लांट 16 एम.एल.डी. कार्य पूर्ण हो चुका है।

पी.पी.सी. की 178वीं बैठक, दिनांक 11.10.2007 में वृहत् जल प्रदाय आर.डी. 134.00 के द्वितीय चरण में जनगणना 2001 के अनुसार कुल गांव

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

129 तथा वर्ष 2007 में नये घोषित 135 राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हुए कुल 264 गांवों को जोड़ने हेतु द्वितीय चरण की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 234.46 करोड़ की गई, जिसमें 49 उच्च जलाशय का निर्माण करना है। वर्तमान में मात्र 06 उच्च जलाशय की ही तकनीकी स्वीकृति जारी की गई व इनका ही कार्य शुरू करवाया गया, शेष 43 उच्च जलाशय का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। शुरू करवाये कार्यों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। पी.पी.सी. की 174वीं बैठक, दिनांक 01.02.2007 में वृहत् जल प्रदाय आर.डी. 159.50 के द्वितीय चरण में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 74.38 करोड़ की गई, जिसमें कुल 22 उच्च जलाशय का निर्माण कार्य में से वर्तमान में 07 उच्च जलाशय का कार्य शुरू हो पाया है, शेष कार्यों हेतु अभी तक निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। योजना की स्वीकृति के समय योजना को वर्ष 2010-11 तक पूर्ण करना तय किया गया है, लेकिन जिस गति से कार्य चल रहा है, उससे तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

उक्त योजनाओं के तृतीय चरण में चिह्नित ढाणियों में पेयजल से जोड़ने का प्रावधान है, परन्तु अभी तक एस्टीमेट व योजनाएं बनाने आदि का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है।

कृपया उपरोक्त दोनों योजना के द्वितीय चरण में बकाया कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करवाकर कार्य शुरू करवाने तथा योजनाओं के तृतीय चरण की स्वीकृति जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराएं, जिससे क्षेत्र की जनता को पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान मिल सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती अनिता भदेल

## बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन बाबत

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय का ध्यान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन को लेकर बरती गई उदासीनता की ओर दिलाना चाहती हूं। आज पूरी दुनिया बाल श्रम की समस्या से ग्रस्त है लेकिन विकासशील देशों में यह समस्या बेहद गम्भीर व व्यापक है। जहां ऐतिहासिक एवं पारिवारिक कारणों की वजह से लाखों बच्चे बहुत कम उम्र में ही श्रम करना शुरू कर देते हैं।

राजस्थान राज्य में कई प्रतिबंधित व्यवसायों जैसे- जैम पालिशिंग, आरी-तारी, कारपेट बनाने, घरेलू नौकर के रूप में काम लेने, कचरा बीनने, शहरों की थड़ियों व ढाबों सहित अनेक कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों

(श्रीमती अनिता भदेल)

को लगाने तथा बाहरी राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार व यू.पी. के बच्चों को भी प्रलोभन देकर जयपुर, कोटा, उदयपुर व अजमेर आदि शहरों में लाकर 16 घंटे काम लिया जाता है।

बाल श्रम की दृष्टि से राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। यहां 3.9 लाख बच्चे पूर्णकालीन बाल-श्रमिक के तौर पर पहचाने गये हैं। वही 14.12 लाख बच्चे पूर्णकालीन व अंशकालीन मजदूर हैं। अंशकालीन बाल श्रमिकों की संख्या भी कम नहीं है। राजस्थान में बाल श्रमिक विविध व असंख्य रोजगारों में पाये जाते हैं। यह हर गांव, ढाणी, शहर व बड़े शहरों में पाये जाते हैं। दक्षिण राजस्थान में जहां बाल-श्रमिक मजदूरी करने गुजरात जाता है वही राज्यों के अन्य हिस्सों में ...(व्यवधान)

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री लोग भी आपस में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आपस में चर्चा नहीं। इधर भी और इधर भी, आपस में चर्चा नहीं। (व्यवधान)

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): छोटे-बड़े कारखानों में जैसे-कालीन बुनना, अन्न जमा करना, बहुमूल्य पत्थरों पर पालिश करना, बीड़ी बनाना, चाय की दुकानों व ढाबों आदि पर मजदूरी करता है। राज्य का 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बाल-श्रमिकों की संख्या का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि हर दसवां बच्चा बाल-श्रमिक है। हर दस लड़कियों में से एक लड़की व हर 12 लड़कों में से एक लड़का बाल-श्रमिक है जो या तो 12 महीने काम करता है या कभी-कभी काम करता है। 50.25 प्रतिशत लड़के राजस्थान में बाल-श्रमिक हैं और शेष सारी लड़कियां हैं। यह आयु 5 से 14 वर्ष के बीच है पर अंश-कालीन श्रमिकों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है और यह बेहद गौरतलब बात है कि बाल-श्रमिकों के परिप्रेक्ष्य में बड़े स्तर पर लिंग भेद नजर आता है। जहां लड़कों को स्कूल भेजा जाता है वहीं लड़कियों को काम पर भेजा जाता है।

यह समस्या इसलिए भी गम्भीर है क्योंकि राज्य का रवैया बाल-श्रमिकों के प्रति बहुत ही ढीला है। यह बात पिछले दिनों अजमेर में इस्लाम की शिक्षा देने के नाम पर बंगाल व बिहार से लाये गये बच्चों को तीन कारखाना प्रबंधकों के आरी-तारी के काम में झोंक दिये जाने की घटना के प्रकाश में आने से भी सिद्ध होती है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्रशासन की संवेदनहीनता देखिये कि छुड़ाये गये 32 बच्चे 5 घंटे इंतजार के बावजूद बाल सम्प्रेषण गृह में प्रवेश नहीं ले सके। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के उपरान्त पुलिस 5 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चों को बाल सम्प्रेषण गृह में प्रवेश दिला सकी।

इसी प्रकार दरगाह क्षेत्र में भीख मांगने का काम करने हेतु घर से बेघर हो चुके बच्चों को मानवीय संवेदनहीनता से दो-चार होना पड़ा। दरगाह से 'खिलती कलियां' संस्था पहुंचे 7 बच्चों को जयपुर भेजा गया। वहां बाल गृह के संचालकों ने इन्हें रखने से इंकार कर दिया। इसके बाद इन्हें जयपुर में चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया लेकिन वहां भी उन्हें पनाह नहीं मिली। उन्हें वापस अजमेर स्थित 'खिलती कलियां' भेज दिया गया। 'खिलती कलियां' का कार्यकाल समाप्त होने व नवीनीकरण नहीं होने के कारण उन्होंने बच्चों को रखने में असमर्थता जाहिर कर दी।

प्रतिवर्ष ऐसे हजारों बच्चों को मिलने का सिलसिला बढ़ रहा है। सालभर में करीब 500 बच्चे रेलवे स्टेशन व दरगाह क्षेत्र में भीख मांगते, नशा करते, ठेले व थड़ियों पर काम करते मिलते हैं किन्तु इन्हें रखने के लिए अजमेर में न तो बाल गृह है और न ही इनके अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य स्तर पर कोई बाल अधिकार संरक्षण आयोग ही है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे शीघ्रातिशीघ्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स का गठन कर सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली के आधार पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु कठोर कदम उठाकर राज्य को बाल श्रम से मुक्त कराने का श्रम करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री राधेश्याम गंगानगर।

## गंगनहर में उचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी

***श्री राधेश्याम गंगानगर*** (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निर्धारित शेयर अनुसार गंगनहर में 1500 क्यूसेक पानी पंजाब में रिकार्ड अनुसार दिखाया जा रहा है जब कि गंगनहर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

शिवपुर हैड पर 900 से 1100 क्यूसेक पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे किसानों की तीन-तीन बारियां सूखी जा रही हैं। पंजाब में धान की रोपाई शुरू होने और बांधों में पानी की निकासी कम होने का सीधा असर राजस्थान को मिलने वाले पानी पर पड़ रहा है। इससे बीकानेर केनाल (गंगनहर) सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। धान की रोपाई के लिए पंजाब अपने हिस्से के अलावा राजस्थान के हिस्से का पानी भी इस्तेमाल कर लेता है। वर्तमान में गंगनहर क्षेत्र की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं।

सरकार द्वारा अभी जून, 2009 में जल संसाधन विभाग से दो अधिकारियों को फिरोजपुर भेजा गया था। उन अधिकारियों को पंजाब के अधिकारियों ने 200 क्यूसेक पानी बढ़ाने का आश्वासन दिया था। आश्वासन के बाद 16 जून को बुर्जी नम्बर-86 पर 250 क्यूसेक पानी कम हो गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। सिंचाई पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं। इसके लिए किसान आन्दोलन के लिए लामबंद हो रहे हैं। किसानों को फसलों के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो। अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए पानी उचित मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** श्री शिवजीराम मीणा।

## सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर में मारपीट के दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने बाबत

**श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने एवं सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के साथ मारपीट करने पर दर्ज प्रकरणों में त्वरित पुलिस कार्यवाही हेतु राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर में माह फरवरी, 2009 में चिकित्सक के साथ मारपीट करने एवं कार्यालय में तोड़फोड़ करने व राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने पर चिकित्सक द्वारा पुलिस थाना जहाजपुर में प्रकरण सं. 35/09 दर्ज करवाया गया था, किन्तु सरकारी सम्पत्ति की तोड़फोड़ के बावजूद पुलिस द्वारा प्राथमिकी में 3 पीडीटी एक्ट की धारा नहीं लगाकर केवल 332, 353 आईपीसी के तहत ही प्रकरण दर्ज कर राजनैतिक दबाव में अपराधियों को प्रश्रय दिया

(श्री शिवजीराम मीणा)

जा रहा है तथा प्रकरण दर्ज होने के लगभग 5 माह की अवधि में भी जांच कर अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यहां पर यह और उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति के चिकित्सक के साथ मारपीट होने के बावजूद पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार सरकारी चिकित्सक के साथ कार्यालय में घुसकर मारपीट करने व सरकारी सम्पत्ति की तोड़फोड़ करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से क्षेत्र में अराजकता पनप रही है तथा कई जगह सरकारी कारिन्दों के साथ सरे आम मारपीट की जा रही है, जिसके लिये पुलिस थाना, जहाजपुर में प्रकरण सं. 95/09 अन्तर्गत धारा 332, 353 आईपीसी के तहत पुलिस थाना शक्करगढ़ में प्रकरण संख्या 52/09 अन्तर्गत धारा 143, 341, 283 आईपीसी व 3 पीडीटी एक्ट तथा प्रकरण सं. 53/09 अन्तर्गत धारा 143, 332, 353 आईपीसी में दर्ज हुए हैं। उक्त प्रकरणों में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर पटवारियों द्वारा दिनांक 6 जुलाई से ही कार्य का बहिष्कार कर तहसील मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। फिर भी उक्त प्रकरणों में भी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं होने से सरकारी कर्मचारी वर्ग भयभीत है तथा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्षजी के माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार भयमुक्त एवं पारदर्शी सरकार की घोषणा की जाती रही है तो क्या सरकार द्वारा इसी प्रकार का भय मुक्त एवं पारदर्शी सुशासन दिया जावेगा।

अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के पुलिस थाना जहाजपुर में दर्ज प्रकरण सं. 35/09 की प्राथमिकी में जांच के तहत 3 पीडीपी एक्ट की धारा तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा जोड़ी जावे। साथ ही उक्त सभी प्रकरणों में शीघ्र जांच करवाई जाकर दोषियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री ज्ञानचन्द पारख।

## पाली शहर में पेयजल संकट का समाधान

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पूरा पाली शहर एवं रोहट तहसील के समस्त गांव पेयजल

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष कम वर्षा के कारण जंवाई सहित अन्य बांधों में पानी की आवक कम होने से यह पहले ही स्पष्ट हो गया था कि जनवरी, 2009 के बाद पानी की अत्यधिक कमी हो जायेगी। सरकार ने इन क्षेत्रो की लगभग 3 लाख की आबादी एवं पशुओं के लिये समुचित पेयजल मिल जाये, इसके पुख्ता इंतजाम नहीं किये। जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जो कंटीजेंसी प्लान बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया, उसे भी पूर्ण स्वीकृत नहीं कर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** आप पढ़ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं?

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): दोनों कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्षः** नहीं दोनों नहीं, खाली पढ़िये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): शायद कंटीजेंसी प्लान पूरा पास कर देते। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** आप कृपया पढ़िये, जो लिखकर दिया है।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मुझे याद है ना।

**श्री अध्यक्षः** याद की जरूरत नहीं है। आप पढ़िये इसको। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): पूर्ण स्वीकृत नहीं कर आधा-अधूरा स्वीकृत किया। यदि कंटीजेंसी प्लान पूरा मंजूर किया जाता तो शायद कुछ सहारा मिलता। रोहट को अधिक पानी मिल जाये उसके लिये तख्त सागर जोधपुर से बाई ग्रेविटी कुडी तक पाइप लाइन बिछाने की योजना को भी इतना संकट होने के बाद भी स्वीकृत नहीं किया गया। मान्यवर, रोहट एवं पाली में हर 3-4 वर्ष में पेयजल संकट आता रहता है। उक्त योजना की मंजूरी से आने वाले समय में पेयजल संकट काफी कम हो जायेगा। मेरा माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि तख्त सागर से लेकर रोहट तक अधिक क्षमता वाली पाइप लाइन बिछवाने की योजना की तत्काल स्वीकृति विभाग द्वारा मांगे गये हैण्डपम्प पर मोटर लगा सिन्टैक्स टैंक भरने, पुराने कुए बावड़ियों की सफाई करा उन्हें पेयजल हेतु उपयोग लेना आदि काम हेतु तत्काल राशि स्वीकृत करें एवं स्वीकृत कार्य तत्काल शुरू कर पूर्ण किये जायें। जंवाई बांध में अब मात्र 3-4 दिन का पानी ही शेष बचा है। वर्तमान में अभी पाली शहर को जंवाई से 60-70 लाख लीटर पानी मिल रहा है। यदि 3-4 दिन में वर्षा नहीं हुई तो जोधपुर से टैंकरों द्वारा पाली को प्रतिदिन 70-80 लाख लीटर पानी उपलब्ध

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कराने की व्यवस्था करनी भी आवश्यक होगी वरना पानी के लिये पाली में त्राहि-त्राहि मच जायेगी।

मेरा माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि वे पाली शहर एवं रोहट क्षेत्र के पानी के भीषण संकट की गम्भीरता को समझते हुए तत्काल समुचित व्यवस्था करें। मेरा यह भी निवेदन है कि जलदाय मंत्रीजी हमारे लोक सभा क्षेत्र के हैं। अभी पाली लोक सभा में आ गये। वैसे भी उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है हमारे क्षेत्र के प्रति और इनके खुद के क्षेत्र की जनता इतनी तकलीफ में है, इतनी कष्ट में है तो यह क्या करने जा रहे हैं? इस बात का जवाब मंत्रीजी अगर आप दे देते तो थोड़ी राहत मिलती। पानी मत दो, जवाब दे दो आप तो।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया बैठें। कृपया बैठें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी जवाब देने के लिये तैयार हैं।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया आप बैठिये। कृपया आप बैठिये, इस पर जवाब नहीं होता।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब देने के लिये तैयार हैं। पानी का बहुत बड़ा संकट है। रोज पशु मर रहे हैं। मंत्रीजी जवाब देने के लिये तैयार हैं अध्यक्ष महोदय।

**श्री महीपाल मदेरणा** (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जन-प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मैंने आपको इजाजत दी क्या? श्री बनवारी लाल सिंघल।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): पानी पर तो इजाजत दे दो।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी इस संकट की गम्भीरता को समझते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कृपया आप बैठिये। 295 में यह परम्परा नहीं, प्लीज।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा निवेदन सुन लें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नहीं प्लीज, अंकित नहीं होगा।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : xxx

**श्री अध्यक्ष:** श्री बनवारी लाल सिंघल।

## अलवर जिले में पेयजल हेतु हैण्डपम्पों की स्वीकृति

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान जिला अलवर में पेयजल की किल्लत एवं हैण्डपम्पों की आवश्यकता के संबंध में आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि अलवर जिले एवं शहर में पेयजल की भारी किल्लत है। गत कई सालों से आम जन को विभागीय पाइप लाइनों से पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के निराकरण हेतु तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहृदयता का परिचय देते हुए गत वर्ष 2500 नये हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी की थी, जिनमें से 1300 हैण्डपम्प चालू कर दिये गये एवं 1200 हैण्डपम्प लगने से रह गये थे। पानी की भंयकर समस्या के बावजूद इस वर्ष सरकार ने मात्र 100 हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी कर अलवर जिले के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है जिससे आम जन पीड़ा महसूस कर रहा है, जब कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के सभी राजस्व गांवों को पेयजल आपूर्ति का वादा भी किया हुआ है।

मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीय जलदाय मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि लोक कल्याणकारी एवं संवेदनशील सरकार होने का परिचय देते हुए जिला अलवर की पानी की समस्या को दूर करने हेतु तत्काल 1200 नये हैण्ड पम्पों की स्वीकृति जारी कर अलवर जिले की जनता को राहत प्रदान करायें एवं जिला अलवर के परम्परागत जल स्त्रोतों- कुओं, बावड़ियों, टांकों, तालाबों आदि का जीर्णोद्धार कर जल क्षमता में वृद्धि का महत्वपूर्ण कार्य भी प्रारम्भ करायें। साथ ही जल को स्वच्छ रखने हेतु कारगर उपाय सुनिश्चित कर अधिकारियों को जबावदेह भी बनाया जाए। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष:** डा. राजकुमार शर्मा।

## नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास विषयक

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के पर्यटन स्थलों के विकास के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

शेखावाटी की हवेलियों को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी की संज्ञा दी जाती है। इन हवेलियों पर बने चित्र शेखावाटी इलाके की लोक रीतियों, त्यौहारों, देवी-देवताओं और मांगलिक संस्कारों का परिचय कराते हैं। यों तो इस इलाके में चित्रकारी की परम्परा छतरियों, दीवारों, मंदिरों, बावड़ियों और किलों-बुर्जों पर जहां-तहां बिखरी हैं, लेकिन धनकुबेरों की हवेलियां इस कला की खास संरक्षक बनकर उभर रही हैं। शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं जिले का नवलगढ़ कस्बा कला की इस परम्परा की मुख्य विरासत को संजोये हुए है। इसीलिए नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहा जाता है।

नवलगढ़ की हवेलियां आज भी अपने मालिकों की यश-गाथाएं दोहराती हैं। ये सभी हवेलियां 19वीं सदी से पूर्व की बनी हुई हैं। कई हवेलियां तो 200-300 वर्ष पूर्व की बनी हुई हैं। ये हवेलियां सरकारी उपेक्षा की शिकार हैं और यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो यह ऐतिहासिक विरासत लुप्त हो जाएंगी। इसके अलावा नवलगढ़ का दुर्ग, रूप निवास पैलेस, पोद्दार, पाटोदिया, भगत, चौखानी व अन्य परिवारों की हवेलियां, गंगा माता का मंदिर आदि स्थलों का पर्यटन की दृषि से विकास किया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त मुकंदगढ़ में गंगाबक्श सर्राफ की हवेली कृष्ण कनोडिया की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिये प्रसिद्ध हैं। डुण्डलोद में किला, गोयनकाजी की हवेली, गोयनकाजी की छतरी इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं जिनका विकास किये जाने की आवश्यकता है। इसी क्षेत्र के परसरामपुरा में भी प्राचीन हवेलियां स्थित हैं जिनका भी जीर्णोद्वार आवश्यक है।

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में लोहार्गल अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि पाण्डवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहां व्यतीत किया था। यहां लगभग 70 मंदिर, सूर्यकुण्ड आदि के साथ-साथ यहां का अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है। भाद्रपद माह में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक हर वर्ष लोहार्गल के पहाड़ों से लाखों नर-नारी पैदल परिक्रमा करते हैं। लोहार्गल सूर्य कुण्ड में स्नान कर श्रद्धालु किरोड़ी, तपकेश्वर, रघुनाथगढ़, शाकम्भरी होते हुये फिर लोहार्गल कुण्ड पहुंचते हैं जहां परिक्रमा समाप्त होती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से लगभग पाँच लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आते हैं लेकिन लोहार्गल में इन्हें कोई सुविधायें नहीं हैं। इस चौबीस कोसीय परिक्रमा मार्ग को विकसित करने की आवश्यकता है। इस मार्ग में लाइटिंग, वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण, सुविधा स्थल,

(डा. राजकुमार शर्मा)

विश्राम गृह बनाने के लिए एक बड़ी योजना बनाया जाना आवश्यक है ताकि इस चौबीस कोसीय मार्ग का विकास किया जा सके एवं तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास हो सके। इसके साथ-साथ गोल्याणा से लोहार्गल तक वर्तमान में सिंगल रोड बनी हुई है जिसे भी पर्यटन की दृष्टि से डबल कराया जाना आवश्यक है। इसके अलावा लोहार्गल ग्राम में यात्रियों व पर्यटकों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराये जाने हेतु पेयजल योजना बनायी जानी चाहिये।

अत: आपके माध्यम से मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़, मुकुन्दगढ़, डूण्डलोद, परसरामपुरा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार तथा अन्य पर्यटन स्थलों का विकास करने हेतु एक योजना स्वीकृत की जाए। साथ ही लोहार्गल धाम के विकास, चौबीस कोसीय परिक्रमा मार्ग को विकसित करने के लिए एक वृहद योजना बनायी जाए ताकि पर्यटकों एवं यात्रियों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री बाबूलाल बैरवा।

## वाहन दुर्घटना मामले में पुलिस द्वारा कथित निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने विषयक

**श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर): नियम 295 पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर जनता को परेशान करने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि दिनांक 26 जून, 2009 को मौलिया थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर से दो गाड़ियों में टक्कर हो जाने से 5 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है तथा 27 व्यक्ति जबरदस्त घायल हो गये। स्थानीय पुलिस 2 घण्टे देरी से पहुंची जब कि घटना स्थल मौलिया से थाना व डिप्टी एस.पी. आफिस मात्र 10 कि.मी. दूरी पर जो 10 मिनट का रास्ता है। इतनी बड़ी घटना से परेशान होकर किसी मनचाहे व्यक्ति ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया। अब पुलिस मौलिया निवासियों के खिलाफ मुकदमा नम्बर 156/09 दर्ज कर निर्दोष व्यक्तियों को परेशान कर रही है। घटना स्थल पर 15 गांवों के व्यक्ति थे। मौलिया निवासी तो लाशों को व घायल व्यक्तियों को उठा कर अस्पताल ले जा रहे थे तथा पानी पिला रहे थे पन्द्रह गांवों के लोग इकट्ठा थे पता नहीं किसने पत्थर मारा। जो लोग सेवा कर रहे थे अब पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कृपया पुलिस पर लगाम लगावें। इसी प्रकार गांव

(श्री बाबूलाल बैरवा)
समूची थाना खरेली जिला अलवर में दिनांक 02.07.2009 को एक ट्रैक्टर चालक से एक 16 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी घटनाओं से जनता का इकट्ठा हो जाना स्वाभाविक है। क्षेत्रीय नागरिकों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी तथा पुलिस के लेट आने पर पथराव हो गया। अब पुलिस किसी के बहकावे में राजनैतिक बदला निकालने के हिसाब से जाट व राजपूत समाज के लोगों को परेशान कर रही है। जिनका मौहल्ला घटना स्थल से 1 किमी दूर है। कृपया यह भी पुलिस को निर्देश दें कि निर्दोष लोगों को परेशान न करें तथा जो दोषी हैं उनकी तलाश करें।

**श्री अध्यक्ष:** आज दिनांक 09 जुलाई, 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु बीस पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें से श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयी हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

श्री केसा राम चौधरी- मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में सी.एच.सी. खारची के प्रभारी को चार्ज नहीं देने से अस्पताल की व्यवस्था खराब होने बाबत्।

श्री गोबिन्द सिंह डोटासरा- सीकर से फतेहपुर एन एच 11 पर आये दिन हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा बाबत्।

श्री मदन प्रजापत- विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम जसोल में दिनांक 07.07.2009 को निर्दोष लोगों पर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

श्री निर्मल कुमावत- विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बिजली की कमी से काश्तकारों एवं उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

श्री केसाराम चौधरी।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची के प्रभारी को चार्ज नहीं देने बाबत

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के सम्बन्ध में पाली सी एम एच ओ द्वारा 09.04 को एक आदेश निकालकर यह कहा गया कि सी एच सी खारची के सफलतम संचालन हेतु प्रभारी, सी एच सी, खारची के प्रभारी डा. परमार, डा. निरंजन सिंह यादव

(श्री केसाराम चौधरी)

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सक को सम्पादन हेतु आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रसारित किये जाते हैं। परिणामस्वरूप डा. निरंजन सिंह, जे एस, प्रभारी, सी एच सी, खारची को वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकने के लिए पत्र दिया था। उसके लिए मारवाड़ जंक्शन के ही नागरिक पेमाराम चौधरी जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को 13.04.09 को जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अवलोकन करने का श्रम करें। मुख्य मंत्रीजी ने सी एच सी का चार्ज निरंजन सिंह यादव को दिलाने के लिए पत्र लिखा था। इसके अलावा कलक्टर साहब ने भी मुख्य मंत्रीजी के पत्र पर इस सी एच सी का चार्ज निरंजन सिंह यादव को देने के लिए लिखा। सी एम एच ओ ने वापस इस पत्र के सन्दर्भ में तुरन्त प्रभाव से चार्ज देने के लिए लिखा है।

इसकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची व्यवस्था सुधार के लिए एक शिकायत भी हुई थी जिसमें एक कमेटी गठित कर इसकी जांच करवायी गयी और उस कमेटी ने जांच में यह पाया कि बी.सी.एम.ओ., खारची के पद पर राज्य स्तर से पदस्थापित डाक्टर मौर्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची एवं स्वास्थ्य संचालन हेतु डाक्टर निरंजन सिंह यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी के कार्यभार हस्तान्तरण हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं जिसकी पालना डाक्टर मौर्य नहीं कर रहा है। वो बी.सी.एम.ओ., खारची के पद पर भी पदासीन है और साथ में सी.एच.सी. का दोनों चार्ज लिये हुए बैठा है और इतने आदेश होने के बावजूद भी उस सी.एच.सी. में घोटाले करने के बाद, जो घोटाले किये हैं उनको छिपाने के लिए उस पद पर से वो हट नहीं रहा है। इसमें न मालूम कितने लोगों का उसके बैक में, उसकी पीठ पर हाथ है इसलिए जांच में कमेटी जो गठित की उस जांच कमेटी ने बिलकुल स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जांच प्रतिवेदन बिन्दु संख्या 8 के जांच के दौरान स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवा पंजिकाओं में कम्प्यूटर हेतु प्रति उप केन्द्र हजार रुपये की राशि का आहरण एवं उक्त राशि संकलन बी.सी.एम.ओ., खारची कार्यालय में होना पाया गया।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, यहां मोबाइल अलाऊ नहीं है।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): यह भी पाया गया, उप केन्द्रों की रोकड़ पंजिका संधारण एवं आहरण समायोजन त्रुटिपूर्ण तरीके से होना पाया गया। अत: वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कार्यालय सहायक लेखाधिकारी को निर्देशित किया गया है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कृपया बाहर जाकर मोबाइल को रख कर के पधारें।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस तरह से हर तरह से जांच में भी डाक्टर मौर्य दोषी पाया गया और उसके पास डबल-डबल चार्ज होते हुए भी उसका एक दूसरे डाक्टर को चार्ज नहीं देना यह संवेदनशील सरकार का नमूना है जो कहती है कि जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील है, मैंने इस सन्दर्भ में यह सारे पत्र स्वास्थ्य मंत्रीजी को 27.06 को दे दिये मगर इसके बावजूद भी आज दिन तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट डाक्टर को ए.पी.ओ. करके आज के आज चार्ज निरंजन सिंह यादव को दिलाने की मेहरबानी करवें।

**श्री हबीबुर्रहमान** (नागौर): माननीय सदस्य, बैन लगा हुआ है इसलिए। (व्यवस्था-सूचक घंटी)

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या?

**श्री अध्यक्ष**: विराजें, हो गया आपका। थैंक यू।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): मैं तो बोल रहा हूं न, सर।

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही उनको चार्ज दिला करके यह जो सी.एच.सी. में घोटाले हो रहे हैं उनकी जांच-पड़ताल करा कर डाक्टर मोर्य को ए.पी.ओ. करके जांच करवायें ताकि राज खुल सकें और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पर्दाफाश हो सके। यही निवेदन करते हुए, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

## जयपुर-बीकानेर राजमार्ग पर लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर के बीच दुर्घटनाओं की अधिकता

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नेशनल हाई-वे नम्बर 11 पर जयपुर से लेकर ...

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब तो दिलवा दें।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया विराजें। कृपया विराजें।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री महोदय विराजें हैं, संवेदनशील मंत्री, सरकार संवेदनशील है, कुछ तो जवाब दे दें, यह निवेदन है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से लेकर बीकानेर तक के लिए जो सड़क है नेशनल हाई-वे नम्बर 11, उस पर सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के 50 किलोमीटर के एरिया में जितने जयपुर बीकानेर के मध्य एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 70 परसेंट एक्सीडेंट केवल सीकर से फतेहपुर 50 किलोमीटर के एरिया में होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ाडर, सबलपुरा, खुडी, रशीदपुरा और लक्ष्मणगढ़, मानासी यह ऐसे स्पाट हैं जहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति परिचित हैं, आपके रिश्तेदार इसी स्पाट पर काल ग्रास के शिकार हुए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य सचेतक महोदय के पिताश्री, जो हमारे उस समय विधायक थे, भीमसेनजी चौधरी साहब भी इसी स्पॉट पर काल ग्रास के शिकार हुए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक सरपंच हैं, पेड़ से टकरा कर दो लोगों की मौत हो गयी, उसमें एक सरपंच साहब थे, एक किसान था, एक जुलाई को पांच एस.सी. के लोग पेड़ से टकरा कर काल ग्रास के शिकार हो गये, उनके घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से कि एन.एच. 11 पर कैट आई भी नहीं लगी हुई हैं, पेड़ खड़े हुए हैं सड़कों पर और एम्बुलेंस, लक्ष्मणगढ़ में 108 की जो सेवा है वह भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से लेकर बीकानेर तक कोई भी ट्रोमा यूनिट नहीं है जिससे आपातकालीन व्यवस्था हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ शहर में जो हास्पिटल है वह शहर के अन्दर है, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाई-वे 11 पर ट्रोमा यूनिट की स्थापना की जाए, एम्बुलेंस की, 108 तुरन्त यहां पर दिलवायी जाए। एक ऐसी एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए जो स्थाई रूप से लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर के बीच में जहां पर 50 किलोमीटर में कम से कम 30 मोड़ हैं उन पर एक तरह से लक्ष्मणगढ़ में स्थाई रूप से रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करना चाहता हूं कि कल जो पेड़ से टकरा करके एक्सीडेंट हुआ और वह पेड़ नहीं उखाड़ा गया पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से इसीलिए हमारे एक सरपंच, जो काफी गरीब थे और जन सेवा करते हुए ईश्वर को प्यारे हो गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में बहुत संवेदनशील हैं, कल बजट में भी इस बात का उल्लेख किया है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हाई-वे पर कैट आई लगायी जाय, साइन बोर्ड लगाये जाएं जिस पर जो भी नियमानुसार है वह लिखा हो। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क के किनारे के जो पेड़ हैं वह हटवाये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व सरकार की माननीया मुख्य मंत्री ने सीकर जिले में एक ट्रौमा यूनिट के लोकार्पण की एक तरह से नौटंकी की थी, सीकर ट्रौमा यूनिट में भी सारे के सारे पद खाली पड़े हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जे.एस. फोरेंसिक, मेडीसीन, जे.एस. ऑर्थो, जे.एस. सर्जरी का और एक रेडियोलोजिस्ट है उसका, लाइब्रेरी टैक्निशियन का और एक एनेस्थीसिया डाक्टर का पद, सारे के सारे पद खाली पड़े हैं, केवल मात्र वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पदों को शीघ्र भरा जाय और लक्ष्मणगढ़ में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, 108 की व्यवस्था की जाय और एक ट्रौमा यूनिट की व्यवस्था की जाय।

जो सीकर से लेकर बीकानेर तक बड़े-बड़े हादसे हो रहे हैं, सालभर में इस 50 किलोमीटर के एरिया में 100 से 125 के लगभग एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें माननीय भाटी साहब के परिजन का भी इस स्पॉट पर एक्सीडेंट हुआ था, मैं निवेदन करना चाहता हूं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से और स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि यह सुविधाएं तुरन्त उस लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर एरिया के बीच में उपलब्ध करायी जायें, यह भवन तो बनते रहेंगे, सड़कें बनती रहेंगी लेकिन काल ग्रास में लोग जाते हैं, इस पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से जो कमियां रह गयी हैं एन.एच. के ऊपर उनकी वजह से। स्वास्थ्य मंत्रीजी से व्यवस्था कर सकते हैं रिक्त पदों को शीघ्र भरवाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएं और लक्ष्मणगढ़ में ट्रोमा यूनिट की स्थापना शीघ्र कराएं। धन्यवाद। जय भारत।

**श्री अध्यक्षः** श्री मदन प्रजापत।

## पचपदरा के ग्राम जसोल में पानी की मांग कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के थाना बालोतरा ग्राम जसौल में पानी की मांग को लेकर दो दिन पहले, दिनांक 07.07.09 को घटना हुई, जिसमें पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को लाठीचार्ज कर 50 से अधिक लोगों पर आई.पी.सी. की धारा 302 लगा कर मामला दर्ज किया है, जिसमें 15 बुजुर्ग महिलाएं हैं और काफी राजकीय अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उन बेकसूर लोगों की पिटाई की है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसकी कार्यवाही कर तुरन्त बालोतरा थानाधिकारीजी को हटा कर ...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय बानसूर से पधारने वाले सदस्य, आप अपने स्थान पर विराजें।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): हटा कर जांच करायी जाय। मुझे विश्वास है कि शाम तक कार्यवाही हो जाए नहीं तो मामला नियंत्रण से बाहर हो सकता है और मामला बहुत गम्भीर है। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष:** श्री निर्मल कुमावत।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मंत्रीजी आपके सदस्य कह रहे हैं, आप संवेदनशील हैं, उनकी बात सुनो।

**श्री अध्यक्ष:** श्री निर्मल कुमावत। उन्होंने सुन ली।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से...

**श्री अध्यक्ष:** माननीय गृह मंत्रीजी, माननीय गृह मंत्रीजी आप विराजिये।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): हां, मैंने सुन ली बात।

**श्री अध्यक्ष:** आप विराजिये। श्री निर्मल कुमावत।

## फुलेरा में विद्युत कटौती से पेयजल व्यवस्था पर प्रभाव

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पिछले सात दिन से अघोषित विद्युत कटौती चल रही है। इसकी वजह से करीब एक दर्जन गांवों में और पंचायतों में पिछले पांच दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां से जा चुके हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करता परन्तु सरकार यहां बैठी है, इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो खूब लम्बे चौड़े वायदे कर दिये कि किसानों को आठ घंटे बिजली देंगे, गरीब उपभोक्ताओं को बिजली देंगे, भाजपा सरकार की तरह उद्योगों में बिजली कटौती नहीं करेंगे परन्तु किसी भी क्षेत्र में बिजली सही तरीके से नहीं दे पा रही है यह सरकार।

बड़े दुःख की बात है कि रोजाना धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। कल माननीय दूदू से आने वाले सदस्य के इलाके में बहुत बड़ा धरना हुआ, लाठीचार्ज हुआ, माननीय नावां के सदस्य भी यहां बैठे हैं वह भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्षजी के माध्यम से आपकी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस समस्या का तुरन्त निदान करें अन्यथा जनता आक्रोशित है और आने वाले समय में पूरा राजस्थान जूझ रहा है। इनको बहुत गम्भीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा बिजली को लेकर सरकार अपनी गम्भीरता दिखाए और जनता को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचनाएं

### वित्त विभाग

**श्री अध्यक्ष:** श्री शांति कुमार धारीवाल।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इन अधिसूचनाओं के बाद में एक सत्र निकल गया। अधिसूचनाओं का भी नियम यह है कि अधिसूचना जारी होने के बाद में जो सबसे पहला पत्र आता है उसमें सरकार की ओर से रखा जाना चाहिए और आज तक माननीय अध्यक्ष बार-बार सरकारों को कहते रहे हैं कि अधिसूचनाओं में विलम्ब नहीं करें। यह अधिसूचना माननीय धारीवाल साहब रख रहे हैं उसके बीच में एक सत्र निकल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गया, आप इनको रखने तो दें पर कम से कम इतना तो कह दें कि सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखें और अधिसूचनाएं हमेशा सदन में जो पहला सत्र आए उसमें वह रखें।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): उतना ही ध्यान रखें ना जितना आप ध्यान रखते हो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सदन की कार्यवाही को इस प्रकार मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैंने जो बात उठाई है वह ध्यानपरक उठाई है और हमेशा अध्यक्षों की व्यवस्था रही है, आप ध्यान रखेंगे।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): ध्यान रखेंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैंने ध्यान रखा है और अध्यक्ष महोदय आसन से व्यवस्था यह निश्चित रूप से होनी चाहिए कि विधान सभा में यदि सरकार सत्र निकलने के बाद में अधिसूचनाएं पेश नहीं करती है तो गलत काम करती है। इसके लिए मंत्री को माननीय अध्यक्ष दण्डित भी कर सकते हैं। मैंने दण्डित करने की मांग नहीं की। मैंने इतना ही कहा है कि नियमों की पालना की जानी चाहिए।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 23 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(114)वित्त/कर/07-82 दिनांक 29.12.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया हैं ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-83 दिनांक 16.1.2009 जिसके द्वारा जयपुर की सहकारी गृह निर्माण समितियों की कतिपय आवासीय योजनाओं की भूमियों का आबंटन अथवा नियमन कर पट्टा जारी करने की स्थिति में पट्टा विलेख पर कतिपय शर्तों के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क की राशि निर्धारित की गई है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-84 दिनांक 17.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-83 दिनांक 16.1.2009 में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(23)वित/कर/97-85 दिनांक 19.1.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची 2 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(23)वित/कर/97-86 दिनांक 19.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-86 दिनांक 25.2.2008 को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया गया हैं ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित/कर/2006-पार्ट-087 दिनांक 23.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित/कर/2007/159 दिनांक 9.3.2007 को दिनांक 1.4.2008 में संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(37)वित्त/कर/2008-88 दिनांक 23.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित/कर/2008-98 दिनांक 25.2.2008 को दिनांक 1.4.2008 में संशोधन किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(37)वित/कर/2008-89 दिनांक 30.1.2009 जिसके द्वारा राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस रूल्स, 2008 में संशोधन किया गया हैं;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित/कर/2003-90 दिनांक 12.2.2009 जिसके द्वारा मुद्रांक व पंजीयन की एमनेस्टी स्कीम जारी की गई है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(85)वित/कर/07-91 दिनांक 12.2.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(85)वित्त/कर/07-58 दिनांक 29.8.2008 में संशोधन किया गया हैं ;

11. अधिसूचना संख्या : एफ.12(94)वित/कर/07-92 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा विदेशी मदिरा आईएमएफएल एण्ड बियर पर वैट 20 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है ;

12. अधिसूचना संख्या : एफ.12(94)वित/कर/07-93 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है ;

13. अधिसूचना संख्या : एफ.24(2)वित/कर/09-94 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा स्लमडॉग करोड़पति फिल्म को एक वर्ष के लिये कर मुक्त किया गया है ;

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

14. अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/03-95 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2003-90 दिनांक 12.2.2009 में संशोधन किया गया है ;

15. अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/2006-96 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-142 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

16. अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/09-97 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 7(2) के अन्तर्गत राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों को सशर्त एक वर्ष के लिये कर मुक्त किया गया है ;

17. अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/09-98 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

18. अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/09-99 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

19. अधिसूचना संख्या : एफ.2(21)वित्त/कर/2000-100 दिनांक 02.3.2009 जिसके द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग/एजेन्सी से सम्बद्ध स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से किये गये परस्पर निष्पादित दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है ;

20. अधिसूचना संख्या : ए33)वित्त/कर/87-01 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है ;

21. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की धारा-8 (3) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा बी.एस.एफ. कैन्टीन को की गई बिक्री को कर मुक्त किया गया है ;

22. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त्त/कर/87-03 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की धारा-8

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(3) के अन्तर्गत बी.एस.एफ. कैन्टीन द्वारा अपने बल के सदस्यों को किया गया विक्रय सशर्त कर मुक्त किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)वित/कर/2009-04 दिनांक 23.6.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/कर/2001-129 दिनांक 13.2.2007 में संशोधन किया गया है ।

**श्री अध्यक्ष**: डा. जितेन्द्र सिंह।

**नगरीय विकास विभाग**

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.9(63)यूडीएच/03/81 दिनांक 29.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) (अमेन्डमेन्ट) नियम, 2009 विरचित किये गये हैं ; एवं

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(9)यूडीडी/II/09 दिनांक 25.6.2009 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण (अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सामान्य शर्तें एवं दशा) नियम, 2009 विरचित किये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र पारीक।

**आबकारी विभाग**

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को दिनांक 1.4.2009 से राजस्थान एक्साइज रूल्स, 1956 के नियम 69 (बी) के अन्तर्गत देय फीस में छूट प्रदान की गई है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 1.4.2009 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;

(श्री राजेन्द्र पारीक)

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 1.4.2009 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेन्स) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 1.4.2009 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेन्ट,बार लाईसेन्स) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ।

**श्री अध्यक्ष:** श्री हेमाराम चौधरी।

## राजस्व विभाग

**श्री हेमाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 12 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2005/पार्ट/3 दिनांक 30.1.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक : एफ.5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20 जुलाई, 1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.5(1)रेव-6/2001/6 दिनांक 20.5.2009 जिसके द्वारा नियम-24-डीडीडीडी में फ्रेगमेन्ट की अवधि दिनांक 31.3.2010 तक बढ़ाई गई है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)रेव-6/92-पार्ट/7 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(24)रेव-6/2001/पार्ट/8 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र में भूमि आबंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)रेव-6/2000/9 दिनांक 2.6.2009 जिसके द्वारा श्री रोहित कुमार सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये साहूकार महापंजीयक नियुक्त किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(9)रेव-6/96-पार्ट/10 दिनांक 2.6.2009 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण,

(श्री हेमाराम चौधरी)

नगर विकास प्रन्यास तथा म्युनिसिपल निकाय की शहरी योग्य सीमा में स्थित सरकारी भूमियाँ कीमतन जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास प्रन्यास तथा म्युनिसिपल निकाय को स्थानान्तरित की गई है ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2005/पार्ट/11 दिनांक 2.6.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या : 5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(229)राज-6/2007/12 दिनांक 10.6.2009 जिसके द्वारा तहसीलदारों की शक्तियाँ अतिरिक्त तहसीलदारों को प्रदान की गई हैं ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(217)रेव-6/2008/13 दिनांक 11.6.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2005/14 दिनांक 11.6.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या : 5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.9(32)रेव-6/2009/15 दिनांक 24.6.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2008-पार्ट/16 दिनांक 24.6.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या : 5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

**श्री अध्यक्ष:** श्री भरत सिंह।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(20)एमेन्ड/रूल्स/लीगल/पीआर/2009/1393 दिनांक 21.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(21)एसईसी/लॉ/रूल/एमेन्ड/पीआरडी/08/1796 दिनांक 2.7.2009 जिसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ।

**श्री अध्यक्ष:** श्री बृजकिशोर शर्मा ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, कितने गम्भीर हैं, आप कुछ तो प्रताड़ित करो।

### परिवहन विभाग

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या : 6(96)परि/कर/मु/उर्स दिनांक 19.6.2009 जिसके द्वारा अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने-जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिये 3500/- रुपये से अधिक के करों का परिहार किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

**श्री अध्यक्ष:** श्री शांती कुमार धारीवाल ।

# प्रतिवेदन एवं लेखे

## राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखता हूं ।

**श्री अध्यक्ष:** श्री हरजीराम बुरडक।

## राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07

**श्री हरजीराम बुरड़क** (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 37वां एवं 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 एवं वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री भरत सिंह।

## राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-08

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं ।

**श्री अध्यक्ष**: श्री बृजकिशोर शर्मा।

## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: डा. जितेन्द्र सिंह ।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

## जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-08

I- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008 ;

## राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-08

II- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2007-2008 ;

## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

III- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ;

## राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-08

IV- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2007-2008 ; एवं

## राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट

V- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के लेखों की ऑ़डिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी।

**श्री अध्यक्ष:** श्री राजेन्द्र पारीक।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग विभाग के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

## राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-08

I- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2007-2008 ; एवं

## राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

II- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008.

**श्री अध्यक्ष:** श्री रामलाल जाट।

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप समय का बंटवारा करें उसके पहले मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आप समय का बंटवारा करते हैं उस समय दो बात मैं कहना चाहूंगा एक तो बहुजन समाजवादी के जो सदस्य कांग्रेस पार्टी में विलय करने की जो घोषणा हुई है उनका समय कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वह अभी भी आपके पास पैण्डिंग है मामला और उसको न्यायालय में भी चुनौती दी हुई है और सदन में भी मामला आ सकता है । इसलिए उनका समय अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए और इस पर विस्तृत बात मैं बाद में करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: बाद में और करेंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): बाद में करूंगा, मैं एक प्रस्ताव लेकर आऊंगा आपके पास। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि विभाजन करते समय मंत्रियों की संख्या को माननीय सदस्यों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मंत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त होता है इसलिए उसके बाद जितने माननीय सदस्य कांग्रेस और भाजपा के बचते हैं। उनका समय का विभाजन होना चाहिये ताकि सब माननीय सदस्यों को कहने का मौका मिलेगा क्योंकि मंत्रियों की जो संख्या है उसको जोड़ने पर अनावश्यक रूप ये हमारे समय की कटौती होती है और आप यह भी कह सकते हैं परम्परा रही है लेकिन परम्पराओं को परिवर्तित भी किया जाता है और इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन दो बातों को ध्यान में रखकर आप समय का बंटवारा करें।

## घोषणा

### परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

**श्री अध्यक्ष**: मुझे सदन को सूचित करना है कि परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 20 घण्टे का समय उपलब्ध है। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

(श्री अध्यक्ष)

| | |
|---|---|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 10 घण्टे 12 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | 7 घण्टे 53 मिनट |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी | 18 मिनट |
| जनता दल | 6 मिनट |
| समाजवादी पार्टी | 6 मिनट |
| लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी | 6 मिनट |
| निर्दलीय | 1 घण्टा 19 मिनट |
| **कुल** | **20 घण्टे** |

फिर भी आपकी भावनाओं का मैं ध्यान रखूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तीन घण्टे का अध्यक्ष महोदय, फर्क नहीं हो सकता। तीन घण्टे का फर्क नहीं हो सकता। संख्या के आधार पर विभाजन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तीन घण्टे का फर्क नहीं होगा।

**श्री अध्यक्ष:** राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 पर सामान्य वाद-विवाद। श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

## परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित आय-व्ययक बजट पर बहस प्रारम्भ हो इससे पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा..

**श्री अध्यक्ष:** उससे पहले मैं एक बार समय लिख लूं। चलिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तित बजट पर बहस प्रारम्भ हो, सरकार इस बहस के प्रति कितनी गम्भीर है यह इस बात से स्पष्ट होता है कि न तो वित्त मंत्रीजी सदन में हैं, न ही कोई जिम्मेवार अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव स्तर का अधिकारी अधिकारी दीर्घा में है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, कल जब मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सरकार का पहला परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया और बजट प्रस्तुत करते हुए यह बात कही कि यह बजट उन्होंने समर्पित किया है आम आदमी को, गरीब और गांव को। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस 70 पृष्ठीय पूरे बजट को बड़ी गम्भीरता से पढ़ा है और गम्भीरता से पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह जो बजट कल सदन में प्रस्तुत हुआ इसका राजस्थान के आम व्यक्ति से, राजस्थान के गांव और गरीब से दूर-दूर का कोई रिश्ता नहीं है और वैसे भी अध्यक्ष महोदय, पिछला सप्ताह कुछ राजस्थानवासियों के लिये ठीक नहीं गुजरा। पहले उम्मीद थी कि 20 वर्षों के बाद यह संयोग बना कि दिल्ली और राजस्थान में एक ही दल की सरकार बनी और दिल्ली की सरकार में पैठ रखने वाले आल इंडिया कांग्रेस के महामंत्री रहे अशोक गहलोत जब मुख्य मंत्री बने तो उम्मीद थी कि रेलवे बजट में राजस्थान को कुछ मिलेगा। यह उम्मीद थी कि जो केन्द्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है उस बजट के अन्दर राजस्थान को कुछ मिलेगा। कितने दशकों पुरानी मांग, कितने गाल बजाने का काम सरकार ने किया राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिले, मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल के विशेष पैकेज के लिये प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा कि 24,000 का विशेष पैकेज दें....

**(समय : 14.24 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)**

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा बढ़े। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं राजस्थान में आएं। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इस दिल्ली के केन्द्रीय बजट के बाद एक बात बड़ी साफ हो गयी है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी कमजोर मुख्य मंत्री साबित हुए हैं। अपने राजस्थान के हितों की पैरवी नहीं कर सके और दिल्ली दरबार, न जाने कौनसी टेढ़ी आंख का शिकार कब हो जाए, इस बात से भी स्पष्ट होता है कि हमने कई बजट इस सर्वोच्च सदन में प्रस्तुत करते हुए देखा है। मुख्य मंत्रीजी अपना पूरा बजट एक शहर को समर्पित कर दें मुझे कोई एतराज नहीं। सभापति महोदय, यह इस तरह की बातें जब आती हैं तो इसके पीछे कई बार मानसिकता में डर रहता है, हो न हो दुबारा बजट प्रस्तुत करने का मौका मिले या नहीं मिले।

सभापति महोदय, हम सब जानते हैं बजट सरकार की रीति है, बजट सरकार की नीति है, बजट में सरकार की प्राथमिकताएं हैं, बजट के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार का विकास का आधार है। मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके पृष्ठ 1 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा हम यह चाहते थे कि प्रदेश की जनता की आवश्यकताएं एवं सरकार से उनकी अपेक्षाओं का पुन: आंकलन करते हुए ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाए जो सभी कसौटियों पर खरा उतर जाए। यानि बहुत परखा है इन्होंने, कसौटियों पर इस बजट को और उसके बाद क्या कहते हैं सभापति महोदय, हमने शासन संभालते ही यह निर्णय लिया कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र, हमारी नीतियों का आधार बनायेंगे। यानि यह नीति-पत्र है। बजट सरकार का नीति-पत्र और इस सरकार का नीति-पत्र है। सरकार का घोषणा पत्र जो खुद यह बजट के अन्दर अपने पहले पैरा में कह रहे हैं और इसलिये मैंने पूरे घोषणा पत्र को जब पढ़ा तो मैं ढूंढ रहा था इस बजट के अन्दर निश्चित तौर पर वह बात आयेगी जरूर कि किसान को वह वादा जो घोषणा पत्र के माध्यम से किया कि कृषि बीमा की इकाई अब ग्राम पंचायत हो जायेगी। मैंने पूरे बजट में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैं ढूंढ रहा था 8 घण्टे किसान को बिजली देने का वादा किया है उसको मूर्त रूप देने की बात घोषणा पत्र में की, अब जिस तरह का मंजर हमने इस विधान सभा के प्रांगण में देखा बिजली की क्या व्यवस्था है ? सभापति महोदय, मुझे कहना नहीं पड़े, गांव को शहर की भांति 24 घण्टे बिजली मिलेगी। यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकार का नीति पत्र कह रहा है। पैट्रोल और डीजल पर स्थानीय करों में यह कमी करेंगे। यह इन्होंने अपने नीति-पत्र में लिखा है जिसको मैं बजटीय प्रावधान में ढूंढता रह गया । 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो मेरे मन में यह बात थी निश्चित तौर पर इस बजट के अन्दर 2 लाख लोगों को रोजगार देने की ऐसी योजना जरूर दिखेगी।

सभापति महोदय, इन्होंने यहां तक कह दिया कि छठे वेतन आयोग का जो लाभ भारतीय जनता पार्टी ने सितम्बर, 2006 से दिया था उसे केन्द्र के समान जनवरी, 2006 से देंगे। कैसा लाभ दे रहे हैं इस बजट को पढ़ने के बाद आगे चलकर आपको बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि घोषणा होगी इसके अन्दर क्योंकि कर्मचारियों के बीच में अपनी छवि को चमकाने की राजनीति कर रहे हैं ना मैसेज की राजनीति। पे-बैंड के अन्दर विसंगतियां रह गयीं। हमारे ऊपर आरोप लगाये। मैं सोच रहा था कि वह सारी दूर हो गयीं और मैं इस पूरी चीज को जब खोजता रहा तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं दो शब्दों में कह सकता हूं सभापति महोदय, यह बजट नहीं यह राजस्थान के आवाम के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साथ धोखा है। इस बजट की न तो कोई दशा है न कोई दिशा है। और तो और सात महीने से जो दंश बिजली गायब होने के लिये, पेयजल नहीं होने के लिये, जर्जर कानून व्यवस्था के लिये राजस्थान के लोग झेल रहे हैं उसको दूर करने का संकल्प भी इस बजट में मुझे नहीं दिखाई दिया।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार और इसके अन्दर भी इन्होंने बजट के प्रथम पृष्ठ में यह कहा सुशासन, पारदर्शी शासन, संवेदनशील शासन और अपने इस नीति पत्र में क्या-क्या आरोप नहीं लगाये। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान तंग था। चार-पांच घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। कई स्थानों पर सात दिन से पानी आता था। प्रदूषित पानी से मौतें होती थी। हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां आम बात हो गयी थीं। यह बात कह तो यूं रहे थे कि शासन की तब्दीली के साथ अब न तो हत्याएं होंगी, न बलात्कार होंगे, ना प्रदूषित पानी से मौतें होंगी। सभापति महोदय, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के चार महीने के आंकड़े मुझे मिले हैं, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के, राज्य में इन चार महीनों में 427 हत्याएं हुई 4 हत्याएं रोज, 464 बलात्कार हुए 4 बलात्कार रोज, 325 बलवे हुए 3 बलवे रोज और प्रतिदिन 61 चोरियां हुई, सड़क दुर्घटनाएं और वाहन चोरी की गणना करूं तो लंबा समय लग जायेगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस हुकूमत के आने के बाद 72 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। चार-चार गोली कांड का कलंक इस नई-नवेली सरकार पर है, 36 जगह पुलिस की पिटाई हो जाये, पुलिस का इकबाल खतम हो जाये। सभापति महोदय, हमारे वन मंत्रीजी मेरे मित्र हैं इनके कार्यालय से कम्प्यूटर की चोरी हो जाये और सरकार के चहेते न्यायमूर्ति माथुर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जिनको अध्यक्ष बनाया, पहले सरकार ने कुलपति के पद पर नवाजने का काम किया था, वह प्रेस कांफ्रेंस करके सरकार की नौकरशाही पर फब्तियां कसें।

सभापति महोदय, पंचायत राज मंत्रीजी का मैं सम्मान करता हूं, सात महीने हो गये, नरेगा में भ्रष्टाचार, नरेगा में भ्रष्टाचार, रिकार्ड बज रहा है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार के पास कार्यकारी योजना नहीं है।

सभापति महोदय, अलवर में वहां के आई.जी. और एस.पी. दोनों एक-दूसरे के सामने खड़े हो जायें, जिस तरह से सरकार का काम करने का तरीका है उससे इस सरकार का विकास से वास्ता नहीं है। आपको याद होगा, सरकार जब फरवरी के अन्दर वोट एंड अकाउंट लेकर आयी थी, हमने इस बात के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए विरोध किया था कि वोट एंड अकाउंट पर हम बहस करना चाहते हैं, मौनी बाबा बनकर हम यहां आये थे। हम इसलिए कह रहे थे कि 18 फरवरी को योजना आयोग में सरकार ने अपनी योजना मंजूर की, 26 फरवरी को इस विधान सभा में सरकार अपना बजट लेकर के आयी जिस पर आज बात हो रही है। यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत सरकार वोट एंड अकाउंट ले सकती है, पर यह भी सही है कि इस वोट एंड अकाउंट में रोजमर्रा के खर्चे तो लिये जा सकते हैं, एक भी नयी योजना पर सरकार एक नया पैसा खर्च नहीं कर सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन में बोल रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार गायब है, सात महीने हो गये, 13 दिसम्बर से लेकर के 7 जुलाई तक सरकार ने अगर एक नया पैसा भी विकास की योजना पर किया हो तो मुख्य मंत्रीजी जब उत्तर दें तब बता दें।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र उसमें कोई भी शब्द अंकित हो जाये, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि बजट पर बहस और सरकार की गम्भीरता मैं समझता हूं कि राजस्थान में यह सारी चीजें मीडिया के लोग भी देख रहे हैं। आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति आसन पर बिराजा है और अधिकारी दीर्घा के अन्दर एक अधिकारी है। ऐसा नहीं है जो कि हमारी बात को लिख रहा हो। उप नेता महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं मैं खुद इस बारे में सोच रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि बजट पर जब आम बहस होती है, उस समय कम से कम वित्त मंत्रालय से संबंधित मंत्री और वित्त विभाग से अधिकारी रहें ताकि इस पर सेंक्टिटी जो हाउस में जब चर्चा होती है वह बनी रहे और इस प्रकार की व्यवस्था आसन से बहुत बार दी गयी है। आज जब बहस शुरू हो रही है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो कम से कम सदन में वित्त मंत्री रहें, वित्त मंत्री नहीं रहें तो राज्य मंत्री रहें, राज्य मंत्रीजी को रहना चाहिए और सरकारी अधिकारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के हों, जो बजट बनाकर के रखते हैं, एक किसी बाबू को लाकर के बैठा दिया और वह नोट कर ले यह उचित नहीं है। आसन की ओर से सरकार को प्रताड़ित भी किया जाना चाहिए और निर्देश भी दिया जाना चाहिए कि वह सदन में मौजूद रहें।

**श्री सभापति** : आपने फरमा दिया और मैंने सुन लिया, इसमें व्यवस्था दी जायेगी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, आपने सुना है और आपको आसन पर बैठकर सरकार को निर्देशित भी करना पड़ेगा या मुझे कहना पड़ेगा कि आप गलत हो। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। यह नहीं कि आपने सुन लिया।

**श्री सभापति** : आपने पूर्व में भी मुद्दा उठाया, वापस पुनः मुद्दा उठाया। अभी राठौड़जी बजट पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप जारी रखें ...(व्यवधान).

**एक माननीय सदस्य**: आप तो जवाब दें ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : सरकार के मंत्री सदन में उपस्थित हैं। अभी आप अपना वक्तव्य जारी रखें ...(व्यवधान) आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

**एक माननीय सदस्य**: बजट मंत्री नहीं हैं, बजट मंत्री।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैं कई दशकों से आपको जानता हूं, आप सर्वोच्च आसन पर बिराजे हैं।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): मंत्री बैठे हैं, काहे को परेशान हो रहे हैं, आप तो बोलें ...(व्यवधान) आप बोलिये, दस-दस मंत्री बैठे हैं यहां पर ...(व्यवधान) आप बोलिये ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप विराजें ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, सर्वोच्च आसन जिसको अब आप सुशोभित कर रहे हैं, आप जैसा व्यक्ति और सरकार को प्रताड़ित नहीं कर सके ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपकी आंख जहां लगी हैं ना वह आशा तभी पूरी होगी जब आपमें दबंगता दिखेगी, इसलिए मौका आपको ईश्वर ने दिया है, आसन से ऐसी व्यवस्था करो कि सरकार का मुख्य सचिव यहां दौड़ता चला आये।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): राठौड़ साहब, खजूर पर चढ़ाकर के छोड़ो, खजूर पर मत चढ़ायें ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : मेरी आंख तो सिर्फ आप पर लगी हुई है, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार का घोषणा-पत्र जो इनके लिये बाइबिल, गीता, नीति-पत्र सब कुछ है, उसमें कुछ लिखा जाये, पूरी सरकार लग जाती है कि इसको प्रमाणित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम कैसे करें। अब घोषणा-पत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के वित्तीय प्रबंधन का जिक्र कर दिया, कल मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में घोषणा की कि वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना 17300 करोड़ से बढ़कर 18634 करोड़ हो गयी। मैं आपका बजट के पैरा नम्बर 5 की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, मैं उध्दृ करना चाहता हूं कि गत वर्ष 2008-09 में 14000 करोड़ के आकार की तुलना में योजना आयोग ने, सभापति महोदय, मैं तवज्जोह चाहूंगा वर्ष 2009 10 में 17332 करोड़ की योजना अनुमोदित की थी, अब प्रस्तुत किये जो रहे बजट का आकार और बढ़ाकर 18634 करोड़ प्रस्तावित किया है, जो पिछले वर्ष की अनुमानित योजना से 33 प्रतिशत अधिक है। यह अब तक की राज्य की सबसे बड़ी योजना है। मैं भी मानता हूं कि यह राज्य की सबसे बड़ी योजना है। लेकिन मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा वर्ष बता दें जिसमें योजना पिछले वर्ष की योजना से बड़ी नहीं बनी हो। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या 2007-08 की योजना 13684 करोड़ की योजना अपने समय की सबसे बड़ी योजना नहीं थी? क्या 2008-09 की योजना 15248 करोड़ सबसे बड़ी योजना नहीं थी।

सभापति महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह 14000 करोड़ की पिछले वर्ष की वार्षिक योजना 2008-09 की, 14 हजार का आंकड़ा कहां से आया। मैं पिछला बजट लेकर आया हूं जो पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया था। उसमें बजट एस्टीमेट 15248 था और यह आर्थिक समीक्षा हमें कल दी है। इसमें पृष्ठ नंबर 20 पर इस योजना में इसका जो रिवाइज एस्टीमेट था, वह है 14924.53 करोड़, अब अगर इसकी तुलना भी करें, पहली बात तो बजट एस्टीमेट से बजट एस्टीमेट की तुलना होनी चाहिए और अगर आर.ई. से तुलना भी करें तो यह आता है 23.85 प्रतिशत, यह 33 प्रतिशत का आंकड़ा बजट स्पीच में मुख्य मंत्रीजी कह जायें, इससे क्या प्रमाणिकता इन दस्तावेजों की होगी जो हम वर्षों से सुनते आये हैं। अच्छा होगा अगर इस योजना को किस आधार पर बनाया, सदन को मुख्य मंत्रीजी अवगत कराते।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हर वार्षिक योजना का आधार उसकी पंचवर्षीय योजना है, 1998-2002 राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना बनी 27650 करोड़ दसवीं पंचवर्षीय योजना बनी इन्हीं मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में 2002-07 की 31837, नवीं से दसवीं पंचवर्षीय योजना 13-13 प्रतिशत बढ़ी और 11वीं पंचवर्षीय योजना...

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, यह बात गलत है, अभी मैंने स्टार्ट किया है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपका समय दस मिनट का निर्धारित है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, मेरा समय मेरी पार्टी निर्धारित करेगी।

**श्री सभापति** : आपकी पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, उनके समय में से वह समय, क्योंकि जो समय दिया गया है वह आपको सूचित कर दिया गया है कि आपका समय एक घंटा बीस मिनट है और आठ वक्ता भारतीय जनता पार्टी के अभी बोलेंगे और आठ वक्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस के बोलेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं मेरी पूरी बात रखूंगा।

**श्री सभापति** : या तो आपके जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनके लिए समय फिर आप ही तय कर लें, उनका समय फिर कम होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): कोई बात नहीं।

**श्री सभापति** : ठीक है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 71,732 करोड़ रुपए की है, यह योजना है राजस्थान के विकास के सुहावने सफर को प्रारम्भ करने वाली योजना जो 10वीं पंचवर्षीय योजना से 230 पर्सेण्ट बड़ी थी। किसने बनाई यह योजना? मैं यह बताते हुए संकोच नहीं करना चाहूंगा कि यह वसुन्धरा राजेजी का दूरदर्शन था कि उन्होंने राजस्थान के माथे से पिछड़ेपन के कलंक को हटाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी बना दी कि आज उसी के कारण राजस्थान विकास की तरफ छलांगे मार रहा है।

सभापति महोदय, यह पुरानी आदत है हमारे आज के मुख्य मंत्रीजी की कि योजना बड़ी बनाओ और योजना को बड़ा बनाकर सपने दिखाओ। कल का मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था और यहां देख रहा था कि कई माननीय सदस्य थपथपा रहे थे मेजें। बड़ी-बड़ी घोषणाएं और यह इनका पुराना रिकार्ड बोल रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो पुस्तक आपने दी है आर्थिक समीक्षा 2007-08, इससे पहले वाली, उसके पेज 18 पर लिखा है, वर्ष 1999-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2004, प्लान एक्सपेंडिचर, जिसको कहते हैं राजस्थान का विकास, वह किया है इन्होंने 22,078 करोड़ रुपये का और वर्ष 2004-09, यह हुआ 52,192 करोड़ रुपए का। अब आप तय कर लें सभापति महोदय कि आपका योजनागत व्यय ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास भी ज्यादा होगा। अब किसने कितना किया वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अब हमारी वित्तीय सेहत कैसी है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है राजस्थान का, अब वह समय चला गया जब कुछ चीजें छुप जाया करती थीं, 3 मई, 2005 को भाजपा सरकार ने एफ आर बी एम एक्ट लागू किया और उसी के कारण से यह पुस्तक हमें मिली है। मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की फोटो मुस्कराते हुए और उसके साथ उनके हस्ताक्षर किए हुए, मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण, इस पुस्तक में हमारा किस तरह का आर्थिक प्रबन्धन पहले रहा है, किस तरह का आर्थिक प्रबन्धन हमारा आज है और किस तरह का पूर्व में रहा है, इस सब का उल्लेख है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इसी पुस्तक के पृष्ठ 2 में धारा 6 के अन्दर फिजीकल टार्गेट तय किए हैं। पहला टार्गेट क्या है सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2009 के मध्य होने वाले 4 वित्तीय वर्षों में राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों के 3 प्रतिशत के औसत से शून्य पर लाया जाए। हालांकि यह दूसरी बात है कि अभी संशोधन का प्रस्ताव इसमें मुख्य मंत्रीजी लेकर आए हैं और इसी पुस्तक के अन्दर आज की सरकार के अशोकजी गहलोत के हस्ताक्षरों से मिली है यह पुस्तक, इसके पृष्ठ 3 में एक बात उद्धृत की है, वर्ष 2001-02, 2002-2003 में राज्य का राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों के क्रमश: 31.23 और 30.07 था और अब 2008 में यह घटकर अधिशेष में बदल गया 3.599 पर सभापति महोदय, कल एफ आर बी एम एक्ट की संशोधित किताब हमें और दी है। इसमें जो तालिका दी है उसमें वापस उसी पुराने ट्रेण्ड की तरफ बढ़ने का काम हो गया, हम माइनस 3.68 की दर से वापस उस ओर बढ़ रहे हैं।

इसी तरह सभापति महोदय, इसी पुस्तक के अन्दर फिस्कल डेफीसिट को जी एस डी पी के साथ जोड़कर कहा कि यह 0.4 प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए और इसको 0.4 प्रतिशत न्यूनतम औसत प्रतिवर्ष की दर से कम करते हुए 3 प्रतिशत तक लाएं और इसी पुस्तक के अंदर यह लिखा है, राजकोषीय घाटे की दृष्टि से उन राज्यों को गम्भीर वित्तीय दबाव में यानि फिस्कल स्ट्रेस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में माना जाएगा जहां ऋणों का भार कुल राजस्व प्राप्तियों के 300 प्रतिशत से अधिक हो। वर्ष 2002-03 में अशोकजी गहलोत की हुकूमत में 351 प्रतिशत था, यानि राज्य फिस्कल स्ट्रेस की स्थिति में था। वर्ष 2008-09 में, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पुस्तक कह रही है, जो पुस्तक आपकी सरकार ने हमें दी है, उसमें 158 प्रतिशत है। किस तरह का वित्तीय प्रबन्धन है, इस वित्तीय प्रबन्धन को आपके घोषणा-पत्र में नाकारा कह दें, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसी पुस्तक में लिखा है, राज्य में वर्ष 2007-08, 2008-09 में राजस्व आधिक्य प्राप्त किया तथापि 2008-09 के संशोधित अनुमानों और 2009-10 के बजट अनुमानों में पुन: राजस्व घाटा होने की संभावना है और घाटा भी कितना? यह आपने जो बजट प्रस्तुत किया है मुख्य मंत्रीजी ने इस वर्ष घाटा है 1408.64 करोड़ का, यानि पूत के पग पालने में ही दिख रहे हैं। कहां रेवेन्यू सरप्लस था वर्ष 2007-08 और 2008-09 में और कहां 1408 करोड़ रुपये का घाटा और यही नहीं, मैं इस पुस्तक के आधार पर प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, यह आंकड़े मैं अपने घर से गढ़ कर नहीं लाया हूं, राज्य का स्वयं का जो ऑन टैक्स रेवेन्यू है वह भी लगातार जब से आप आए हैं, गिरना चालू हो गया है। वर्ष 2007-08 में हमारी 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी थी, वर्ष 2008-09 में वार्षिक बढ़ोत्तरी 14 प्रतिशत थी और वर्ष 2009-10 के अन्दर यह 10 प्रतिशत हो गई।

सभापति महोदय, यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि बड़े जोरों से यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समय किसानों की बहुत बुरी हालत थी। किसान की क्या हालत थी यह तय होता है किसान का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है। मैं निवेदन करूंगा कि औसत वार्षिक दर पिछले चार सालों में कृषि की 8.3 प्रतिशत थी जब कि राष्ट्रीय औसत 4.2 प्रतिशत है। अगर किसान के खेत में पानी नहीं जाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, अगर किसान को बिजली नहीं मिलती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पुस्तक के अन्दर यह आंकड़ा नहीं आता। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह के राजस्थान का निर्माण हम करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि 13वां वित्त आयोग आया प्रोफेसर विजय केलकर की अध्यक्षता में। मंत्रीगणों की फोटो भी बहुत छपी। यह आयोग 5 साल में आता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार। इसने क्या कहा, इसको मैं आज जरूर कोट करना चाहता हूं, 'राज्य सरकार के गत वर्षों के वित्तीय प्रबन्धन के कारण, वित्तीय सुधारों, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा कम करने के कदम अत्यन्त सराहनीय है। इसी कारण से आयोग ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।' यह फाइनेंस कमीशन ने कहा है। अब आप देख लें, गत वर्षों का वित्तीय प्रबन्धन किसने अच्छा किया? यही नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 में वार्षिक योजना को लेकर जब पूर्व मुख्य मंत्री गईं तो उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी शानदार वित्तीय प्रबन्धन के कारण प्रतिवर्ष राज्य को 308 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं दूसरे विषयों पर आऊं, मैंने कल पूरे बजट को पढ़ा। इस पूरे बजट के अन्दर 17 घोषणाएं जोधपुर, जोधपुर शहर की हैं, 17 घोषणाएं, इन घोषणाओं के साथ सामने अंकित राशि देखें तो वह है 84 करोड़ रुपये और जिन घोषणाओं पर और पैसा खर्च होना है वह दूसरी बात है। अब इन घोषणाओं के अन्दर पृष्ठ 20, पैरा 90 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, '90. जनजाति विकास हेतु उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त छितरी हुई आबादी में रहने वाले आदिवासियों के लिए भी विशेष योजनायें लागू की जायेंगी। इसके अन्तर्गत जोधपुर में 2 करोड़ रुपये की लागत से कन्या छात्रावास की स्थापना की जायेगी।' अब जनजाति जोधपुर में, जोधपुर में जनजातियों का लाभ होगा। कटारियाजी, यह तो नया ही मामला है कि जोधपुर के अन्दर ...(व्यवधान) अब आदिवासी जोधपुर शहर में रह रहे हैं। सभापति महोदय, जोधपुर के प्रति प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, परन्तु इस तरह का अनुराग मैंने नहीं देखा।

अब मैं आपका ध्यान इसी तरह दूसरी बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पृष्ठ 28, इन्होंने अपने शानदार बजट में जिस प्रकार से अभी कई माननीय सदस्य कहेंगे, वह श्वेत पत्र-ब्लैक पत्र, वह सारी बातें कहेंगे परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा....।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, 30 मिनट आपको हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि आप तय कर लें कि 1 घण्टा 20 मिनट आपके निर्धारित हैं, 30 मिनट आपको हो गए हैं, आपने 2 बजकर 20 मिनट पर अपना शुरू किया था और अब 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। फिर आपके जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनका समय कटेगा। आपके 8 सदस्यों के जगह 4 सदस्य ही बोल पाएंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, इसी बजट का पृष्ठ 28, उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपका भी, पैरा 124 ''फसलों पर अधिक तापमान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाला पड़ने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसानों को इस विपरीत प्रभाव से राहत दिलाने के उद्देश्य से वर्तमान में लागू फसल बीमा योजना के स्थान पर फिलहाल 7 जिलों बारां, बूंदी, दौसा, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में मौसम आधारित बीमा योजना को लागू किया जाएगा''।

अब सभापति महोदय, मैं टेबल करना चाहूंगा इसी सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 3.6.2009, नोटिफिकेशन जारी किया है विमल जैन, उप शासन सचिव और सभापति महोदय, सरकार कितनी गम्भीर है बजट बनाने में यह नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है ''राजस्थान सरकार प्रायोगिक आधार पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ, 2009 में राज्य के 27 जिलों में'', मतलब 27 जिलों में जो योजना, जिस नोटिफिकेशन को 3.6.2009 को इसी सरकार के विमल जैन, डिप्टी सेक्रेट्री जारी कर रहे हैं और उसमें आप अंकित कर रहे हैं 27 जिलों में। लोगों ने पैसा जमा करा दिया और बजट में शायद नासमझी के कारण मालूम नहीं था, मैं उप नेता महोदय आपसे निवेदन करूंगा, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा इसके बारे में भी निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए कि किस तरह का बजट कितनी गम्भीरता से बना रहे हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा बजट बनाते हैं, बजट में नकल भी होती है, लेकिन नकल के अन्दर थोड़ी सी अक्ल तो संसदीय कार्य मंत्रीजी, होनी चाहिए। क्या घोषणा करवायी आपने 2009 के बजट के पैरा 13 में, अभी जो कल बजट प्रस्तुत किया। ''हमारी योजना है कि गैर जनजाति एवं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी 250 से 500 तक आबादी वाले 2 हजार 776 गांवों को भी आगामी तीन वर्षों में 'नरेगा' के अंतर्गत ग्रेवल सड़कों से जोड़ा जाये।''

अब सभापति महोदय, 2008-09 का बजट जो वसुंधराजी ने प्रस्तुत किया उसके पृष्ठ 6, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि पैरा 12, उसमें क्या घोषणा है- 'सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के, एवं रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्रों के समस्त गांवों को, सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। इस हेतु सीलेंट और डामरीकरण के लिए आवश्यक 3 हजार 276 करोड़ रुपये की व्यवस्था बाहरी ऋण के माध्यम से की जायेगी।'

इसी तरह इन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए, बजट के पैरा नम्बर 94 ''महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की मानिटरिंग करने के लिए हमने जेंडर रेस्पोंसिव बजट बनाने का निर्णय लिया है।' मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 2007-08 का बजट पृष्ठ 5 पर पैरा नम्बर 7, 'पिछले वर्ष हमने 6 विभागों में जेंडर बजट की आडिटिंग का काम हाथ में लिया था। 2006-07 में 8 नए विभाग ग्रामीण विकास, जनजाति क्षेत्रीय विकास, इनमें जेंडर बजट बनाने का काम हाथ में लिया।' घोषणा हो गई, पुरानी घोषणा को नई घोषण करके बनाया और एक बड़ी वाहवाही ली। पैरा नम्बर 51 में कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा ''वर्तमान में बीपीएल परिवारों को 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' के माध्यम से नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमने यह निर्णय लिया है कि पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आये हैं, उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।'' सभापति महोदय, 2007-08 ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय राठौड़ साहब, आपके दल में भी काफी काबिल सदस्य हैं जो माननीय सदस्य बोलेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): दिक्कत क्या हो रही है सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : मेरा निवेदन है कि समय का थोड़ा ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अगर एतराज है तो मेरे उप नेता बैठे हैं वो करेंगे। आपको कहां दिक्कत है?

**डा. दिगम्बर सिंह** (कुम्हेर): सभापति महोदय, आपको बात अच्छी नहीं लगी।

**एक माननीय सदस्य**: भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने इनको अथोराइज्ड कर रखा है इसलिए बोलने दो। इनको अथोराइज्ड कर रखा है।

**श्री सभापति** : अभी श्रीमती किरण माहेश्वरीजी को बोलना है, आपकी पार्टी से ज्ञानचंद जी पारख को बोलना है, रविन्द्र सिंह वोहरा को बोलना है, श्रीमती अनिता सिंहजी को बोलना है, रामहेत यादवजी को बोलना है, श्रीमती संजना आगरीजी को बोलना है, श्री अशोकजी डोगरा को बोलना है। अब कितना लम्बा चलेगा?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं यह बजट आनन-फानन में बनाया। इस बजट पर सरकार गम्भीर नहीं थी।

**श्री सभापति** : और भी तो बोलेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): जो बीपीएल की बात ये कह रहे हैं 2007-08 के पृष्ठ 13, पैरा नम्बर 71 में पूर्व में सरकार ने घोषणा कर दी थी। अब सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कहना तो बहुत चाहता था, पर इस सरकार का एक नमूना मैं और देना चाहूंगा। इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि 31 मार्च, 2009 को 84300 करोड़ का ऋणभार है, यह कल मुख्य मंत्रीजी ने यहां घोषणा की। इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में यह कहा पेज नम्बर 8 पर कि ऋणभार 79000 करोड़ रुपया और 12 हजार रुपया प्रति व्यक्ति है। इन्होंने 3 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवाया पृष्ठ 5 पर कि राज्य के सामने भारी कर्जे की समस्या है। पिछली सरकार का वित्तीय प्रबंधन, प्राथमिकता सही नहीं थी, कर्जभार 52361 करोड़ से बढ़कर 82 हजार करोड़ हो गया। अब इसको भी कैबिनेट ने अप्रूव किया। इसी के अन्दर इन्होंने राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवा दिया पृष्ठ 23 में, वित्तीय कुप्रबंधन से 90 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा। अब आप बताओ कि ये सरकार के डाक्यूमेंट है। एक डाक्यूमेंट कह रहा है कि 79 हजार करोड़ का कर्जा, एक कह रहा है कि 80 हजार करोड़ का कर्जा है, एक कह रहा है कि 83 हजार करोड़ का है, एक कह रहा है कि 84 हजार करोड़ है। कर्जा कितना है? मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार बोल तो ऐसे रही है जैसे ये कर्जा कभी लेंगे ही नहीं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा यह जो मोडिफाइड बजट का एट ए ग्लांस है राजस्थान में एक वर्ष के अन्दर अगर किसी सरकार ने सर्वाधिक कर्जा लिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है 8459 करोड़ का तो वह अशोकजी गहलोत की सरकार ने लिया है। (समय समाप्ति-सूचक घंटी) जो बजट इन्होंने पहले पेश किया फरवरी में, उसमें था 7383 करोड़ का, यानी 4 महीने के अन्दर 1100 करोड़ का कर्जा बढ़ाने का काम किया।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, अब आप सम अप करिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, अब आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते।

**श्री सभापति** : आपको 40 मिनट हो चुके हैं राठौड़ साहब।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : काफी सारे काबिल लोग भी तो हैं आपके दल के अन्दर, वे बोलेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप दो मिनट विराजो ना।

**श्री सभापति** : कितना टाइम लेंगे, आप बताएं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैं 4 मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

**श्री सभापति** : सिर्फ 4 मिनट।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सिर्फ 4 मिनट।

**श्री सभापति** : ठीक 3 बजे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, आज उप नेता कह रहे थे कि सरकार एक सतत प्रक्रिया है, सरकार आती और जाती रहती है, सरकार बदल जाती है, पर सरकार का अस्तित्व कायम रहता है। अब इस सरकार ने कल जो कहा पूर्व सरकार की 14200 करोड़ लागत की पेयजल योजनाएं जिनको अब पूरा करेंगे तो 20 साल लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं एक योजना बता दो जो योजना 2-2, 3-3 साल से पूरी नहीं होगी।

कल भाषण के अन्दर ये कह रहे थे सूरतगढ़ की छठी इकाई, कोटा की सातवीं इकाई, छबड़ा की पहली और दूसरी इकाई का यह पावर प्रोजेक्ट है ये 2009-10 में प्रारम्भ हो जाएंगे। इन्होंने आकर लगाये थे क्या? योजनाएं बनती रहती हैं, पर योजनाओं को वित्त पोषित आने वाली सरकार करती रहती है, पर इस तरह की सोच क्योंकि प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार। जब यह सरकार गई थी 163 परियोजनाएं जल संसाधन की अधूरी पड़ी थीं जिनको हमने पूरा किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं अब पूर्ववर्ती सरकार की सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम यह सरकार कर रही है। भामाशाह महिला सशक्तीकरण योजना फाइनेंस इंक्लूजन के नाम पर केन्द्र सरकार ने इस बजट में ली, पर 25 लाख परिवारों को लाभ देने वाली 450 करोड़ से वित्त पोषित थी उसको बंद करने का काम किया। बाल गणेश योजना 10 करोड़ से वित्त पोषित थी, गरीब बच्चों को इंश्योरेंस देने की योजना बंद की। ज्ञानोदय योजना। ग्राम पंचायतों के अन्दर सैकण्डरी स्कूल खुले वो बंद की। एकलव्य योजना आठवीं कक्षा का बजट मिशन आफ लिवलीहुड से ट्रेंड होकर अपनी रोजी-रोटी देख ले वो बंद की और अमृतादेवी विश्नोई योजना, नरेगा के अन्दर लुगड़ी, वो योजना बंद की। किस-किस बात को कहूं। सभापति महोदय, मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अपनी बात समाप्त करने से पहले प्रतिशोध के रूप में आप लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रहे हो।

**श्री सभापति** : श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, अब नहीं। श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो सरकार का बजट है यह बजट न केवल दिशाहीन है, यह बजट राजस्थान के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाला बजट है।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब।

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, हमारा समय निश्चित है तो आप रोक नहीं सकते किसी को।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, आपने 4 मिनट कहा था, 4 मिनट पूरे हो गये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह बजट गम्भीरता से नहीं बनाया हुआ बजट है, इस बजट के बारे में बजट प्रस्तुत करने से पहले मेरा आरोप है कि मुख्य मंत्रीजी ने इसका क, ख, ग भी नहीं पढ़ा।

**श्री सभापति** : श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब बोल रहे थे और कल जब मुख्य मंत्रीजी भाषण पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने देखा इस सदन के बड़े सीनियर नेता जिन्होंने पांच वर्ष तक शासन किया बार-बार एक-दूसरे की तरफ देखकर सर पकड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि सर पकड़ने का एकमात्र कारण यही था कि हमसे गलती हो गई, हमने यह सब क्यों नहीं पढ़ा जो आपने पढ़कर सुनाया। तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपने बार-बार सर पकड़ा लेकिन एक बात तय कर लीजिए जब यह बजट आया और बजट जब हमने सदन में सुना उसके बाद राजस्थान की जनता ने सुना तो बजट में इस बात का प्रावधान किया गया कि गांवों को भी इस बात की सुविधा मिले। जैसे शहरों में बिजली मिलती है तो उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। गांवों में भी अब नई योजना का प्रावधान हो और कृषि कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची खतम हो और इसके साथ बिजली के लिए मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी योजना शुरू की और गांवों के लिए ग्रामीण विद्युत तंत्र में सुधार हेतु 2 हजार करोड़ की ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना शुरू की, इससे निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी के मन में एक कल्पना है, एक सपना है कि राजस्थान की जनता ने जो हमको वोट दिया, वह वोट राजस्थान की जनता तक पहुंचा, राजस्थान के गरीब तक पहुंचा, गांव तक पहुंचा, ढाणी तक पहुंचे। सरकार की मंशा है कि 5 वर्ष, जब हम शुरूआत कर रहे हैं, पहला बजट लेकर आ रहे हैं तो पहले बजट में ही हमारी योजना ऐसी हो जिस योजना का लाभ सब जगह पहुंचे, हर क्षेत्र में पहुंचे, हर वर्ग के पास पहुंचे। पहली बार बजट ऐसा आया है जिस बजट में साफ नजर आता है कि किसान की भी सुनवाई हो रही है, कर्मचारी की भी सुनवाई हो रही है, मजदूर की भी सुनवाई हो रही है, व्यापारी की भी सुनवाई हो रही है। जब सरकार बार बार चुनौती देकर यह कहती थी कि हम राजस्थान के व्यापारी को बचाना चाहते हैं, हम राजस्थान के व्यापारी का भला करना चाहते हैं तब यही सरकार 47 और 49 नम्बर फार्म का झंझट व्यापारियों के ऊपर छोड़ कर गई और बार बार सरकार यह कहती थी कि कांग्रेस आती है तो इंस्पेक्टर राज आता है। कल जब मुख्य मंत्री जी ने बजट पढ़ा तब मुख्य मंत्री जी ने चुनौती देकर और यह बता दिया सब को, हमने पहली बार तैयारी की और उड़न दस्ते खतम कर दिये। अब इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, उड़न दस्ते नहीं होंगे, आपने उड़न दस्ते

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

शुरू किये उससे व्यापारी डरा हुआ था, 47 और 49 नम्बर फार्म लेकर आपकी सरकार के पास बहुत बार आया, आकर आपसे विनती की, आपसे निवेदन किया, हाथ जोड़ कर कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया उसका हमको दुःख नहीं हुआ, हम जब प्रदर्शन करने के लिए आए विधान सभा पर और कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी, तब व्यापारियों पर आपकी सरकार ने लाठी चार्ज किया, उसका दुःख नहीं हुआ लेकिन उससे ज्यादा दुःख इस बात का हुआ कि आपने 47 और 49 नम्बर फार्म उनके ऊपर लगा दिया। आज पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, सिर्फ बजट की बुराई करने से यह नहीं होगा कि बजट गलत हो जाएगा, बजट में कमियां निकालने से यह पता चलेगा कि बजट गलत हो गया, आप एक भी बात ठोक बजा कर नहीं कर पा रहे। आपने कहा जब बात हो रही थी कल, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम पुराने किलों को, बावड़ियों को इन सब का सम्मान करना चाहते हैं, खण्डहरों का सम्मान करना चाहते हैं, तब आपने एक दूसरे की तरफ देख कर हंसी उड़ाई। आप किसकी हंसी उड़ाना चाहते हैं, आप किसकी तरफ देखना चाहते हैं? आप जिनकी हंसी उड़ाना चाहते हैं, एक बात तय कर लो कि भगवान ने आपको दुशाशीज दी, आपको हंसी उड़ाने के लिए विपक्ष में बैठा दिया। आप हंसी उड़ाना छोड़िए और आप तय कीजिए, तय कीजिए इस बात को कि आप जो योजना लेकर आए थे, वह योजना होती थी किसके लिए वह योजना होती थी आपके खुद के लिए। वह योजना होती थी मंत्री के लिए, एमएलए के लिए लेकिन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जो योजना लेकर आए हैं वह योजना झोंपड़े से लेकर पक्के मकान तक के लिए योजना है, वह योजना पूरे राजस्थान की योजना है, वह योजना पूरे गांव की योजना है। आज मुख्य मंत्री जी ने फैसला लिया तो किसका ध्यान रखा? आंगनबाड़ी की उस सहायिका का ध्यान रखा। उसके दो सौ रुपये बढ़ाये और आंगनबाड़ी के लिए दो सौ रुपये अलग से बढ़ाए। आपने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज मुख्य मंत्रीजी ने जब घोषणाएं की तो मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा एससी, एसटी की छात्राओं के लिए आपने छात्रवृति भी बढ़ाई। एक भी सैक्टर ऐसा नहीं है, आप राजस्थान की राजधानी की बात कर लो। आप जब भी बात करते थे, पूरी राजधानी में 90बी को लेकर पूरी सरकार हिल जाती थी, पूरी सरकार की कमरों में बैठ कर मीटिंग होती थी, पूरी सरकार की मुख्य मंत्री सचिवालय में बैठ कर मीटिंग होती थी और कुछ हो या नहीं हो लेकिन 90बी का मामला ऐसा होना चाहिए कि हमारे बिना वह पूरा ही नहीं हो। 90बी के

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ऊपर पुरानी सरकार अच्छा विचार करती थी? हमने क्या गुनाह कर दिया? हमने कोई गुनाह नहीं किया। पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने यह दर्शा दिया, हमारा इशारा, मंत्रियों के सम्मान के लिए नहीं, हमारा इशारा राजस्थान के मुख्य मंत्री के लिए, हमारा इशारा राजस्थान के अफसरों को फायदे के लिए, हमारा इशारा साफ है 90बी के नाम पर दलाल नहीं होंगे और जयपुर की धरती पर कोई भी बेईमानी नहीं होगी। इससे ज्यादा आप क्या सम्मान चाहते हैं। हमने खुले आम कहा कि 90बी के नाम पर जो भी हुआ पिछली बार, जैसे भी हुआ लेकिन पूरे राजस्थान ने देखा, पूरे हिन्दुस्तान ने देखा, आज भी लोग कहते हैं, जब भी 90बी की आप बात करते हैं, अच्छे-अच्छे लोग, जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं सम्माननीय लोग, इन्हीं के सम्माननीय लोग, वह चुप हो जाते हैं कि गलती एक ही जगह हो गई, 90बी में हो गई नहीं तो हम कहीं मात खाने वाले ही नहीं थे। हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, हमने एक भी गलती नहीं की है, हम गलतियां नहीं करना चाहते, हम आपकी गलतियों से सीखकर, आप आपकी गलतियों से ...(व्यवधान)

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : विराजिए, विराजिए।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): मैं माननीय खाचरियावासजी को करेक्ट करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजें (व्यवधान)

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): 90बी का तो सबसे ज्यादा जिक्र आया था ...(व्यवधान) तभी तो परिवर्तन हो गया। ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

डा. **रघु शर्मा** (केकड़ी): सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? (व्यवधान) हम सुन लें क्या चुपचाप? आपको भी सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। (व्यवधान) नहीं, आप बैठ जाइए न? उनकी बात सुन लीजिए ...(व्यवधान) या यह व्यवधान ही चलेगा? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप विराजें, मैं बोल रहा हूं न? (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजें तो सही ...(व्यवधान) नगराज जी, विराजें, प्लीज ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राठौड़ साहब जब बोल रहे थे 40 मिनट तक उन्होंने अपना वक्तव्य सदन में दिया,

(श्री सभापति)

जो भी उनकी भावना थी, जो उनके विचार थे, सब दिया, इस पक्ष की ओर से भी, सत्ता पक्ष की ओर से ही नहीं, किसी ने भी टोकाटाकी नहीं की, सदन अच्छा चले, इनको अपनी भावना बोलने दीजिए, अपनी भावना प्रकट करें, सदन तभी अच्छा चल पाएगा, अगर टोकाटाकी होगी तो सदन चलेगा कैसे? अभी हमको सार्थक बहस करनी है। (व्यवधान) नहीं, आप माननीय सदस्य बोल रहे हैं। प्रतापसिंह जी खाचरियावास ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)...

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): जो 90बी में थे वह परेशान हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, प्रतापसिंह जी खाचरियावास।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): वैसे ऐसा है कि हमारे बड़े भाई रोहिताशजी जब खड़े हुए थे, मैंने कुछ दिन पहले आपका टीवी पर इंटरव्यू सुना भी है इसलिए, सभापतिजी, आपकी अनुमति से इनको बधाई देता हूं, इनके इंटरव्यू में आपने जो 12 बजाई आपकी सरकार की, पुरानी की, वह मैं भी नहीं बजा सकता। आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने खुद ने कहा, आपके शब्दों में कहता हूं, हमारे नेताओं से गलतियां हुई हैं, हमारे लोगों से गलतियां हुई हैं और मैं खुद मानता हूं, अनिल लोढ़ाजी, मैं खुद मानता हूं कि हमारी सरकार ने गलती की उसका परिणाम उसको भुगतना पडा। मैंने नहीं कहा, आपने कहा है इसलिए ...(व्यवधान) इसीलिए आप वास्तव में सही कह रहे हैं रघुजी कि सब का नुकसान किया, आपने खुद ने प्रेस कांफ्रेस की और आपने कहा लोक सभा चुनाव के समय में, साहब, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो घिर गया, मेरे मित्र लोग, मेरे नजदीकी लोग जो राज चला रहे थे, मुख्य मंत्रीजी के साथ घूम रहे थे, उन्होंने भी मुझे नजदीक नहीं आने दिया, अब मैं लोक सभा में गलती करने वाला नहीं हूं। लोक सभा में ...(व्यवधान) लोक सभा में आपने खुद ने कहा कि मेरी सरकार ने गलतियां की। जब प्रेस के लोगों ने पूछा, आपका अख़बार में छपा है कि क्या आप सिर्फ कैंडीडेट से नाराजगी के लिए कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, क्या आप इसलिए नाराज हैं कि उम्मीदवार आपके मन का नहीं है, क्या आप कोई नीतियां या सिद्वांत भी देख रहे हैं, क्या आप यह भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियां अच्छी हैं, तब आपने कहा कि निश्चित रूप से मुझे कांग्रेस की नीतियां पसंद

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आ रही हैं और यह राज जो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का चल रहा है उस राज से भी, उसकी नीतियां पसंद आ रही हैं।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): यह नहीं कहा, बॉस, यह फालतू बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): उस राज से मैं सहमत हूं तो मैं आज इतना जरूर कहूंगा कि माननीय जब रोहिताशजी खड़े होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और बीच-बीच में क्योंकि मैं तो आपको बहुत पसंद करता हूं, आप ही तो मस्तमोला आदमी हो, बाकी तो सब टेंशन में आ जाते हैं यहां पर सारे के सारे। इसलिए जब मैं आपको देखता हूं और आपकी हंसी को देखता हूं तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि आपके समर्थन से निश्चित रूप से अलवर में रिकार्ड मतों से हमारे नेशनल सेक्रेटरी जीते भवर जितेन्द्रजी।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मैं यही नहीं, माननीय प्रतापसिंहजी खाचरियावास को करेक्ट करना चाहता हूं शायद उन्होंने इनका इंटरव्यू पूरा नहीं पढ़ा होगा। रोहिताशजी ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि बम्बई से कुछ लोग बुला लिये गये और राज के काम उनको सौंप दिये गये और इसी तरीके से महलों से बुला लिये गये, महलों से बुला करके उनको राज के काम सौंप दिये गये, जिनके मार्फत राज के काम हुआ करते थे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दें।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): अब तो इस चीज का हल यही है कि रोहिताश जी इधर आकर के बैठ जाओ। अब इस सदन में तो....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य प्रताप सिंहजी खाचरियावास।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): माननीय खाचरियावासजी को बजट पर बोलना है।

**श्री सभापति** : दिगम्बर सिंह साहब प्लीज। प्रताप सिंहजी खाचरियावास, बजट पर आपका बहुत अच्छा वक्तव्य चल रहा है, बजट के ऊपर आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं......

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह भाषण रोहिताशजी पर हो रहा है क्या? बजट पर बोलो।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): रोहिताश जी ने टोका इसलिए उनको बता रहे हैं। रोहिताशजी ने टोका उनको बोलते हुए इसलिए बताना जरूरी थी।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): मैंने टोका नहीं, मैं उनको याद दिला रहा था उनकी पुरानी बातें। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रोहिताश जी को तो आब्जैक्शन नहीं हो रहा है, आपको क्यों हो रहा है?

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय, विराजें। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ...यह दोस्ती का सिला है क्या? (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): देखो, एक तो आप सीधे हो और एक वो सीधे हैं। इस सदन में दो ही सीधे आदमी हैं। हम मानते हैं इस बात को कि दो आदमी सीधे हैं, एक आप और एक रोहिताशजी और दोनों की पुरानी जोड़ी है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनकी पीड़ा यह है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की, अपनी दोस्ती का भी वास्ता दिया कि रोहिताशजी, आप मेरे पुराने मित्र हो, मेरा कहना मानो लेकिन उन्होंने कहा कि दोस्ती अलग तरफ है लेकिन जो नाजायज हरकतें जो भाजपा सरकार में आई इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय मंत्रीजी, पारीक साहब, माननीय मंत्री महोदय, विराजें। प्रताप सिंह जी। आप विराजें, आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) प्रताप सिंह जी।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): देखिये, ऐसा है मैं तो राजेन्द्रजी का भी नाम बहुत ले रहा हूं और रोहिताशजी का लेतां ही राजेन्द्रजी नाराज हो जाओ इयां कियां पार पड़सी। आपका जिगरी है बै इयां मत करया करो आप, कम सूं कम बांको भी नाम आबाद्यो। मैं सब का सम्मान करता हूं।

देखिये, पहली बार पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है कि हम जब पहली बार बजट लाये हैं, हमारा पहला बजट है और मैं इस बात के लिए कहूंगा कि आप योजना लेकर के आये थे, जयपुर में आपने बड़ा प्रचार किया, बड़े-बड़े अखबारों में विज्ञापन छपवाये, बीआरटीएस आ रही है, बीआरटीएस आ रही है। सारे लोग दिल्ली में घूमते हो, दिल्ली में पूरे रास्ते जाम रहते हैं, सड़कें जाम रहती हैं। बीआरटीएस दिल्ली में फेल हो गई, हिन्दुस्तान के हर शहर में फेल हो गई। आपके सारे मंत्री जानते थे कि दिल्ली में रास्ता जाम रहता है पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आप मुख्य मंत्रीजी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

को यह कह दें कि साहब यह योजना गलत है, इस योजना को लाने से जयपुर को कोई फायदा नहीं होगा, मैट्रो लेकर के आते हैं। आपने किसी ने ढंग की राय नहीं दी क्योंकि आप ढंग की राय देना ही नहीं चाहते थे। जैसा उधर चल रहा है उधर भी चलने दो, इधर चल रहा है इधर भी चलने दो, उधर भी फायदा, इधर भी फायदा। यह कैसे पार पड़ेगी? आप बीआरटीएस लेकर के आये और बीआरटीएस में पूरा आंकड़ा तो आदरणीय धारीवाल साहब को पता है कि 250 करोड़, 300 करोड़ कितने खर्च किये आपने लेकिन वो बीआरटीएस योजना जयपुर में फैल हो गई। आपने सड़कों की चौड़ाई नहीं नापी, लोगों को महसूस हुआ, टेक्निकली पूरी बीआरटीएस गलत हो गई लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कल ही बजट में घोषणा कर दी और पूरे राजस्थान की शान बनायेगी मैट्रो, मैट्रो योजना का सर्वे शुरू हो गया और मैट्रो आने की तैयारी हो गई। यह नया संकल्प किसने दोहराया? आज भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दूसरी-तीसरी बार राज बना है, तीसरी बार राज बना है, मैट्रो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। आप यह तय कर लीजिये, आप बीआरटीएस लेकर के आये, लोगों ने कहा म्हांके माथा कै ऊपर ऐ खम्बा क्यों लगा दिया, ऐ जालियां क्यों लगा दी। लोग बहुत परेशान रहे लेकिन आप नहीं माने। वो तीन बार आये। आप यह तैयारी कर ल्यो, ऊपर वाले की दया रही क्योंकि मुझे गलतफहमी नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले की दया से मिलता है उसकी दया रही तो आप भी तय कर लेना, आपकी अब की बार भ्रम के अन्दर 76 सीटें आ गईं। हम मैट्रो की तैयारी कर रहे हैं। जिस राजधानी में आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे, अभी आपने कहा कि हम वादे पूरे नहीं करते, कौन वादे पूरे नहीं करता? इसी जयपुर की धरती पर कुछ दिन पहले लोक सभा चुनाव हुआ, आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी खड़े हुए, हमारी तरफ से महेशजी जोशी खड़े हुए, जयपुर तो हमारा है, हम जीत रहे हैं, लोगों ने बार-बार कहा 2-2 मंत्री महारानी साहिबा ने बनाये कालीचरणजी और घनश्यामजी तिवाड़ी पर दोनों आराम करते रहे लेकिन हाउस टैक्स खतम नहीं किया। यह मुख्य मंत्री अशोक गहलोत हैं जो अकेले जयपुर का 300 करोड़ रुपये हाउस टैक्स खत्म किया और यह बता दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 300 करोड़ रुपये माफ कर दिये। लोगों ने समझा कि जयपुर के नलों में पानी हमारा आता है, हम हाउस टैक्स खतम नहीं करेंगे तो भी पार पड़ जायेगी। बजट से पहले हाउस टैक्स खतम कर दिया लेकिन बजट में हाउस टैक्स की बात नहीं कही इससे ज्यादा ईमानदार मुख्य मंत्री क्या

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

होगा। अपनी बड़ाई नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं कहा कि मैंने हाउस टैक्स खतम कर दिया, बजट बनाने से पहले यह-यह काम कर दिये। कल दो घंटे का बजट भाषण था, यदि पूरी बातें कहते जो बजट से पहले घोषणाएं कर दी गई थीं तो आपके लिए सुनने के लिए प्राब्लम खड़ी हो जाती और यही कारण था बजट से पहले हमने जो घोषणाएं कीं उन घोषणाओं को राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया, ठोक-ठोक कर मारा, 20 सीटों पर हराया। जयपुर में हराया और ऐसी कौनसी जगह है जहां आप नहीं हारे? आपको ढूंढना पड़ रहा है कि हम कहां पर जीते, ऐसी कौनसी जगह है जहां हम जीत गये, आप जीत नहीं पाये। आज मैं यह कह रहा हूं, हमारी यह मैट्रो योजना हो या कल जब बात हो रही थी रोजगार की तो लोगों ने कहा कि आपके घोषणा पत्र में क्या है, आपके घोषणा पत्र में था, आते ही आपने कहा था कि हम जीतेंगे तो हाउस टैक्स खतम करेंगे और जब लोगों ने, हमने आंदोलन किया तो आपने जवाब दिया कि पांच साल के लिए राज मिला है चिल्लाइये मत, हम तो हमारे जंचेगी जब खत्म करेंगे। आपने खतम नहीं किया। हमारा पहला बजट है उसमें हमने जो कहा वो सब किया और इस पहले बजट में 75880 नौकरियों की घोषणा हमने की है और वो घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं है, अमल में लायी जायेगी। वो घोषणा आपको नजर आयेगी और आज आम आदमी यह कह रहा है, वो राजस्थान में कहीं भी बैठा है वो खुद महसूस करता है कि कल मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया।

कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इतना घाटा, इतना बड़ा घाटा, इस घाटे में भी मैं ज्यादा तो नहीं क्योंकि मैं पहली बार विधान सभा में आया हूं, कल मैं किसी से बात कर रहा था उसमें मुझे आश्चर्य हुआ जब मुख्य मंत्रीजी पढ़ रहे थे कि 31 मार्च, 2009 तक हमारे राज्य पर 84300 करोड़ रुपये का ऋण भार है जिसके कारण अब प्रतिवर्ष सिर्फ चुकाने के लिए 6200 करोड़ रुपये ब्याज के पेटे जायेंगे। 6200 करोड़ रुपये ब्याज के लिए देंगे हर वर्ष, 2500 करोड़ रुपये मूल में जायेंगे। इसके बाद भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया और टैक्स लगाया तो तम्बाकू पर, दारू पर। कोई गुनाह नहीं किया। दारू की दुकानें कम कर दीं, दारू की दुकानों का टाइम कम कर दिया। आज जो दारू की दुकानें सजी हुई थीं, आज वो आम आदमी यह महसूस करता है कि सुबह 10 बजे दारू की दुकान खुलती है जो पहले 6 बजे खुलती थी। रात को एक-दो बजे तक कोई प्रतिबन्ध नहीं थी। आज शराब की दुकान सुबह 10 बजे जब खुलती है तब तक राजस्थान के हर स्कूल का बच्चा स्कूल में पहुंच जाता है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उसको शराब की दुकान खुली हुई नजर नहीं आती और जब कोई शाम को 8 बजे बाद निकलता है तब तक शराब की दुकान बंद हो जाती है।

क्राइम रेट कम हो गई और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जब आप आंकड़े दे रहे थे, आंकड़े देना आपने सीखा है और ये आंकड़े झूंठे हम भी दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि अपराध बढ़ रहा है और अपराध बढ़ने के साथ, ये अकेले आपके लिए चुनौती नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए चुनौती है। आप अब की बार विपक्ष में आये, पहला बजट है, आप नई परम्परा शुरू करते, आप आगे बढ़कर के कहते कि मुख्य मंत्रीजी, आपने जो गांधीवादी तरीके की बात की है, आपने गांधी दर्शन की बात की है, आपने तंबाकू पर और शराब पर टैक्स लगाने की बात कही है, इस पहले वर्ष में लोग आपका सम्मान करते यदि आप यह कहते कि पहले वर्ष में, पहले दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी विधान सभा और लोक सभा चुनाव हार गई इसलिए विपक्ष सत्ता पक्ष का साथ देगा, मुख्य मंत्री का साथ देगा और राजस्थान के विकास की बात करेगा और राजस्थान के विकास में सरकार के साथ खड़ा नजर आयेगा। लेकिन यह न कह कर हर चीज में आपने कोशिश की कि किसी भी तरह से हम कमियां निकालें, किसी भी तरह से हम इस सरकार में जो भी कोई कमी रह गई उस कमी को हम कहने की कोशिश करें। आप लोगों ने अपनी तरफ से निश्चित रूप से जितने प्रयास करने थे, किये।

बजट भाषण पर बहस हो रही है और बहस होने के साथ हर आदमी यह चाहता है कि मैं बोलूं, मैं अपनी बात कहूं लेकिन बात सच्चाई के साथ हो। सब ने बजट पढ़ा है, बजट सब पढ़ते हैं, हर आदमी कोशिश करता है कि मैं बजट पढ़कर आऊं, तैयारी करके आऊं। मैं ज्यादा लिखकर के नहीं आया लेकिन मैंने भी पूरा बजट पढ़ा है। इस बजट में सबसे बड़ी खास बात एक है, बजट में एक वर्ग मुझे बता दो जो अच्छा रह गया हो। बजट में कोई बात ऐसी बता दो कि इसमें किसी वर्ग को छोड़ दिया गया हो। रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2800 किलोमीटर लम्बी सड़कों की योजना की बात इसमें कही गई है और यह तय बात है कि पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी एक नयी योजना और लेकर आये उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। हरित राजस्थान की बात इन्होंने कही और आगामी पाँच वर्षों में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 2,50,000 हैक्टेयर क्षेत्र में हम वृक्षारोपण करेंगे। 2,50,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण होगा। आपको सब को

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पता है पूरे राजस्थान में स्थिति खराब है। हमने भी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया है कि एक कोर्स तो आप ऐसा शुरू कर दो कि कम से कम हर क्लास में फर्स्ट से लेकर, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं मैंने उनसे निवेदन किया मुख्य मंत्रीजी से कि आप एक नया कोर्स शुरू करें और उस कोर्स में दो पेड़ एक बच्चा लगाये और फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक उसका एक नम्बर जुड़े तो जो पेड़ जब भी बड़ा होगा तैयार हो जाएगा तो जब उसके नम्बर मिलेंगे और जब तैयार हो जायेंगे तो निश्चित रूप से यह पूरे राजस्थान के लिए आशीर्वाद होगा। मैं यह विश्वास करता हूं कि इस तरह का कोर्स और एक पोजिटिव सोच के साथ यह कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है और एक पोजिटिव सोच के लिए हम आपको विश्वास देते हैं, पूरे सदन को भरोसा देते हैं कि आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सात-आठ महीने होने को आ गये, आपकी मोरल ड्यूटी बनती थी, हमारे में कमी थी तो एक बार तो सिविल लाइन्स फाटक पर जाकर हाथ लगाकर तो आते, आन्दोलन करते, प्रदर्शन करते। इतने बिखर गये, इतना डर गये? एक प्रदर्शन नहीं, एक आन्दोलन नहीं। पूरे जयपुर शहर में चर्चा है कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो गया? सारे लोग, सारे लोग पूछना चाहते हैं कि विपक्ष कहां पर है, विपक्ष आन्दोलन क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप अभी भी आपस में लड़ाई-दंगे कर रहे हैं आपके नेता लोग, आपके सारे लोग...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सम-अप करें कृपया। सिर्फ दो मिनट में।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): आज राजस्थान में जगह-जगह समस्या है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, आज राजस्थान में पानी की समस्या है।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): आज राजस्थान में कानून व्यवस्था की समस्या है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

है और आपको आन्दोलन नजर नहीं आ रहे हैं। (व्यवधान) पूरे राजस्थान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य विराजिये। (व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने कहा है... (व्यवधान) नहीं नहीं, बिलकुल ठीक कहा आपने। ये कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में त्राहि-त्राहि मच रही है। हां, मच रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मच रही है कि पार्लियामेंट के चुनाव में पिटे हैं, इसलिए त्राहि त्राहि इसकी मच रही है। बाकी कोई त्राहि-त्राहि नहीं है। आप बात करते हो। आप आश्चर्य करते हो। दो महीने पहले पिट गये। चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद भी इतना जोर? कम से कम शर्म करो। दो महीने हुए, दो महीने हो गये। आपको यह तय कर लेना चाहिए कि आप अभी हारे हो। (व्यवधान) अगली बार आपकी भी तैयारी कर देंगे, बैठ जाओ आप तो।

**श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू): आप बजट पर बोलो, बजट पर बोलो आप।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप तो बोलो, आप अशोक का पेड़ लगाओ और अशोकारिष्ट पीओ।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आदरणीय राठौड़ साहब ने विपक्ष की तरफ से कहा कि जनजाति मद से जोधपुर में छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं और आप मुझे एक बात बता दो, आप कह रहे हैं कि एस.टी. के छात्रावास मत बनाओ, एस.सी. के लिए कुछ मत करो, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ मत करो। कांग्रेस पार्टी तो धर्म और जाति से ऊपर उठकर बात करती है। कभी कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि फलां जाति का भला हो या उसका भला हो। मैंने पहली बार देखा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया। जब टिकट डिक्लेयर होने लगे तो लोगों ने देखा, कांग्रेस पार्टी ने चार दिये तो इधर से भी चार दे दिये। नकल करने की तैयारी कर ली। ये ऐसा कर रहे हैं तो इधर भी चार दे दो। जो आपने काम शुरू किया, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप तैयारी कर लीजिये, आपको खुद को लगेगा। जब राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत टी.वी. पर आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा मुख्य मंत्री है। आपने एम.पी. के चुनावों में यह कहा, टी.वी. पर विज्ञापन दिखाये, हंसी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उड़ाने की कोशिश की। खूब आपने प्रयास किया। जब आपने तोता बना दिया, लेकिन तोता मुख्य मंत्री नहीं बना, आप सब तोता बनकर आज यहां पर बैठे हो। आपको यह तय कर लेना चाहिए कि आपने जगह-जगह पर पूरे जयपुर में विज्ञापन लगा दिये, मुख्य मंत्रीजी को तोता बना दिया, एड से लेकर बना दिया तो मैंने कहा कि तोता की चोंच इनके माथे पर पड़ना तय है और आज मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया बदनाम करने का, आपने बदनाम करने की पूरी साजिश की, आपने पूरी साजिश की लेकिन वह साजिश कामयाब नहीं हुई। इसलिए अंत में एक बात कहूंगा, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो बजट पेश किया है, वह बजट आम आदमी का बजट है, राजस्थान का बजट है, गरीब का बजट है, स्टूडेंट का बजट है, राजस्थान के मान और सम्मान का बजट है, झोंपड़ी का बजट है और आप तय कर लीजिये, जब आप बजट की पूरे राजस्थान से तुलना कर रहे हैं और कल जब आपके चेहरे देखे तो पूरा राजस्थान कह रहा है कि राज यदि जनता का है तो आज आया है, राजस्थान में जनता का राज अब है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, 25 मिनट पूरे हो चुके हैं आपको। माननीय सदस्य विराजिये। माननीय श्रीमती किरणजी माहेश्वरी।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): आप चिंता मत करो। मैंने बहुतों को दिखाया है, आप उनकी चिंता करो। हम इतना कह सकते हैं कि यह राजस्थान का बजट जनता का बजट है। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति** : श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, राजस्थान सरकार द्वारा परिवर्तित बजट 2009-2010 कल सदन में रखा गया और अभी उस पर चर्चा हमारे दल के आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब ने शुरू की और मेरे छोटे भाई प्रताप सिंहजी अभी इसमें जो भाषण दे रहे थे, वह लग रहा था कि राजनैतिक भाषण है, बजट पर भाषण कम लग रहा था। मैं एक बात और कहना चाहती हूं... (व्यवधान) देखिये, सब सहन होता है, जो चीज जहां बोली जाती है, वहीं सहन होनी चाहिए। ये अगर राजनैतिक भाषण देते हैं तो हम लोग आ जायें रोड के ऊपर, आम सभाएं करें और वहां पर बात करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपसे सलाह लेकर नहीं करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या पहली बार बोल रही हैं।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप क्वालिटी भाषण दें।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप अपनी बात कहो ना, प्रताप सिंहजी ने क्या बोला, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): आप माननीय मंत्रीजी, बैठ जायें आराम से। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप क्वालिटी भाषण दें। आप उदाहरण स्थापित करें कि आपने राजनैतिक भाषण नहीं दिया। हम आपसे क्वालिटी भाषण की उम्मीद रख रहे हैं।

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री महोदया, आसन ग्रहण करें। किरणजी, जारी रखें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): आपकी उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे, हम यह कह सकते हैं, आप जो सोच रहे हैं, वह नहीं है और मेरा यह मानना है, माननीय सभापति महोदय, हम सारे लोग जो चुनकर आये हैं जन प्रतिनिधि, हम सब अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर विकास के कामों के लिए कटिबद्ध हैं। हमने सब ने वोट लिये हैं अपने क्षेत्र से, लोगों ने हमें जिताया है और इसलिए... (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सदस्या ने असंसदीय शब्द बोला है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सदस्य ने डोकरी शब्द कहा है, उनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय नसीम जी, विराजिये। (व्यवधान)

**श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ** (पुष्कर): माफी मांगें माननीय सदस्य। हमारे मंत्रीजी को इन्होंने डोकरी कहा है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह क्या हो रहा है माननीय सभापति महोदय? (व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : माननीय सदस्य ने डोकरी शब्द कहा है। यह डोकरी शब्द हटाओ। (व्यवधान)

**श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ** (पुष्कर): माननीय सदस्या माफी मांगे।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ** (पुष्कर): माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्या माफी मांगे। माननीय सदस्या माफी मांगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिये आप। आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ** (पुष्कर): मंत्रीजी के लिए ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है माननीय सदस्या को। (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, उनसे पूछो बोला क्या है माननीय सदस्य ने? यह तो बताओ।

**श्री सभापति** : आप विराजिये, आप विराजिये माननीय सदस्य।

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): अब माननीय सभापति महोदय, यह तो बताओ, उन्होंने बोला क्या है? (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): माननीय सदस्या से माफी मंगवाइये सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, विराजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह काहे पर बोल रहे हैं? सभापति महोदय, ये काहे पर बोल रहे है?

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सभापति महोदय, माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): माफी मंगवाइये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य विराजिये। (व्यवधान) किरणजी, बोलिये। किरण जी। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, कार्यवाही से डोकरी शब्द को हटाया जाये। इस शब्द को निकलवाइये कार्यवाही से। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): माननीय सदस्या ने डोकरी शब्द कहा है, यह सदन की कार्यवाही से निकलवाइये आप।

**श्री सभापति** : आप विराजिये। आप विराजिये माननीय सदस्य।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर इससे बड़ा और कोई दुखद कारण नहीं है एक औरत के लिए, ये कैसे बोलेंगे? माफी मंगवाइये इनसे। इनसे माफी मंगवाइये। सभापति महोदय, इनसे माफी मंगवाइये।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): हमारी तरफ मां और दादी को डोकरी बोलते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये आप। रोहिताशजी, विराजिये आप।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): हमारे मां और दादी होती है, उनको डोकरी कह देते हैं।

**श्री सभापति** : आप लोग विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। किरणजी, बोलिये। माननीय सदस्य, विराजिये आप।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, डोकरी असंसदीय शब्द है। उसको कार्यवाही से निकाला जाये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। असंसदीय शब्द होगा तो अंकित नहीं होगा। आप बिराजिये। (व्यवधान) आप विराजें। आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराज जायें। माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): माननीय सदस्या ने डोकरी शब्द का उदाहरण दिया है यह शब्द निकलवाया जाये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा डोकरी शब्द कहना क्या संसदीय शब्द है।

**श्री सभापति** : जो असंसदीय होगा अंकित नहीं होगा, आप विराजें। आप विराज जायें। आप विराजें तो सही।

**श्री ओम जोशी** (फलौदी): सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्या अपनी मां को और अपने पिताजी को डोकरी-डोकरा कहती है क्या, डोकरी कहती है क्या अपनी मां को।

**श्री सभापति** : आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) विराजें। विराजें। त्रिवेदी साहब, विराजें। त्रिवेदी साहब, विराजें। विराजें अब। माननीय सदस्या, विराजें आप। आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान) आप यहां कहां आ रही हैं। आप यहां क्या, आप यहां क्यों आ रही है, स्थान पर जाइये आप। अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। अपनी-अपनी सीटों पर जाइये, अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। जो भी असंसदीय होगा अंकित नहीं होगा, मैंने व्यवस्था दे दी है, आप विराजें, आप विराजें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): मैंने नहीं बोला। कभी नहीं बोला। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप विराजें। आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर विराजें। मंत्री महोदय, विराजें। सदन को..(व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, एक मिनट। मेरी बात बोल लूं। एक मेरी बात बोल लूं।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, मुख्य सचेतक महोदय कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है अगर माननीय सदस्या ने कोई ऐसा शब्द बोला है तो उसको कार्यवाही दिखवा करके व्यवस्था दी जावे।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नहीं, पहली बात...

**श्री सभापति** : मैंने बोला न, असंसदीय होगा अंकित नहीं होगा। बस बात खतम।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नहीं, माननीय सभापति महोदय..(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप विराजें। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बोला किसने?

**एक माननीय सदस्य:** दिखा लो शब्द। लेकिन पता तो हो कि बोला क्या है पहले।

**श्री सभापति** : आप विराजें, आप विराजिये।

**एक माननीय सदस्य:** जिससे पहले वह सदस्य आक्रोश में आकर धरने पर...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : किरणजी। (व्यवधान) राठौड़ साहब, फिर वही बात, बोलने दीजिये न आप। आपने चालीस मिनट लिये, इनको तो अभी दो मिनट ही नहीं हुए बोलते हुए। आप बोलने दें, कृपया बोलने दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं, टोकरी शब्द को डोकरी शब्द में कैसे...

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, विराजें आप । आप विराजें।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): टोकरी कहना गुनाह है क्या, टोकरी शब्द को डोकरी शब्द में बदलें।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, विराजें। विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, टोकरी कहना गुनाह है क्या। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय राजेन्द्र सिंहजी, किसी को डोकरी और काले बालों वाली छोकरी, यह बोलना सदन में अनुचित है।

**श्री सभापति** : नागर साहब, विराजिये। नागर साहब, विराजिये। आप विराजें, नागर साहब। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): यह ऐसी भाषा का प्रयोग सदन में अनुचित है।

**श्री सभापति** : आप विराजें, हां, संसदीय कार्य मंत्री महोदय। (व्यवधान) किरणजी, एक मिनट, किरणजी, एक मिनट। संसदीय कार्य मंत्री महोदय।

**एक माननीय सदस्य:** एक दिन सभी को होना है डोकरा-डोकरी तो। (व्यवधान)

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): सभापति महोदय, जिस माननीय सदस्य ने बीनाजी के लिए डोकरी कहा है..

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): किसने कहा? यह किसने कहा? कहा किसने?

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): बात तो सुनें भाई।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): मैंने नहीं कहा। (व्यवधान) दिखवा लें आप।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): कहा है, बात तो सुनें, आप चुप तो रहो।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): मैंने नहीं कहा है।

**श्री सभापति** : आप विराजें।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): माननीय, मेरी बात सुनिये। जिस माननीय सदस्य ने बीनाजी के लिए डोकरी कहा है उनकी उम्र देख लीजिये, वह खुद डोकरे से कम नहीं है। अगर कोई जवान आदमी बीनाजी को डोकरी कहे तो बात समझ में आती है।

**श्री सभापति** : विराजें, विराजें।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): लेकिन ऐसी उम्र का आदमी जो डोकरी कहे...

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय, विराजें। विराजें मंत्री महोदय।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं, इस पर फैसला करो आप। यह डोकरी शब्द हटाओ इसमें से।

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय, मैंने आपको निवेदन किया..

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): इसमें से डोकरी शब्द एक्सपंज करिये।

**श्री सभापति** : कि जो असंसदीय शब्द है वह अंकित नहीं होगा।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): हां, ठीक है।

**श्री सभापति** : बोल दिया, व्यवस्था दे दी है, बहुत पहले दे दी है, फिर भी हम उसके अन्दर बहस पर जा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं एक गम्भीर बात करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : तिवाड़ी साहब।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): पहले मैं आपसे एक गम्भीर बात करना चाहता हूं, आप विराजिये। आसन, आसन की दी हुई व्यवस्था हमेशा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अंकित रहती है और आसन की दी हुई व्यवस्था से इस प्रकार से मजाक में, डोकरी शब्द कहा, नहीं कहा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, डोकरी शब्द असंसदीय नहीं है, हां।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बहुत अच्छा है यह तो, हम तो खुश हुए। आप भी डोकरे हो, आप भी डोकरे हो।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप भी डोकरे हो, डोकरे, बैठ जाओ।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप भी डोकरे हो, असंसदीय नहीं है, क्या बुरा है, आप भी डोकरे हो, आप भी डोकरे हो।

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री महोदय, विराजें। रघुजी, विराजें । बीनाजी, बीनाजी, प्लीज।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): एक मिनट। यह घनश्यामजी भाई साहब तो डोकरे हैं और राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब छोकरे और वह छोकरी, बहुत अच्छी लगेगी भाषा यहां बोलेंगे तो।

**श्री सभापति** : रघुजी, विराजें। रघुजी, विराजें। उप नेता महोदय, तिवाड़ी साहब।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): डोकरे ही डोकरी कह सकते हैं, इनका पुराना सम्बन्ध है, वह जानती है डोकरी-डोकरे का मतलब। उनको नहीं बोलूंगा, आपको ही बोलूंगा।

**श्री सभापति** : आप वरिष्ठतम सदस्य हैं इस सदन के, विराजें आप। किरणजी, अपना वक्तव्य दें।

**एक माननीय सदस्य**: +++ बैठ जा।

**श्री सभापति** : विराजें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, यह शब्द जो भी सभी लोगों ने आपस में, नोंक-झोंक काफी हो गई, काफी हंसी-मजाक भी हो गया, पता नहीं कहां से यह शब्द आया लेकिन..(व्यवधान) यह जहां से भी आया, यह जहां से भी आया लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं..(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप जारी रखें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): आश्वासन के टोकरे के बारे में। यह जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल यहां पर सदन में पेश किया, उस बजट के संदर्भ में ही मैं चर्चा करने के लिए यहां पर खड़ी हुई हूं और इसलिए जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैंने बात शुरू की थी कि हम सब जो जन प्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र में हम अपने यहां पर जो विकास के कामों के वादे करते हैं उन वादों को निभाना है हमें और उसी के लिए यह एक सदन है जिस सदन के अन्दर हम अपनी बात को कह सकते हैं और हम यह अपेक्षा रखते हैं, हमारी सरकार जो है उस सरकार से कि उसकी बात को सुने और उसमें कितनी अगर हम जो बात कह रहे हैं उस बात में फिजीबिलिटी है, उस बात को अगर हम लोग कई तरीके से रख रहे हैं और उस पर आप मानते हैं तो उसको जरूर उसमें पूरी करें ताकि हम लोग अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर सभी जने जस्टिफाइ कर सकें। आपने, कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र बनाया था चुनाव के पहले और चुनाव से पूर्व जो घोषणा पत्र बना उस पर सभी पार्टीज अपनी-अपनी तरफ से घोषणा पत्र बनाती हैं और जीत कर आती हैं वह अपने घोषणा पत्र के अनुसार वह काम करके लोगों को दिखाती है, वैसे ही कहा जाता है कि जवाबदेही हैं हम. कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में विकास, विकास और विकास, विकास के साथ इतनी सारी उन्होंने बातें कहीं जो करीब 44 बार उन्होंने विकास शब्द का उपयोग किया, बहुत अच्छी बात है। सुनिये पूरा आराम से, और इसीलिए, मैं भी विकास के बारे में ही कहना चाहती हूं कि कुछ और विकास भी हैं जो इसके अन्दर नहीं आये, जो इस बजट के अन्दर नहीं आये, उन्हें भी जोड़ा जाय, अगर विकास की जब हम बात करते हैं तो वह विकास केवल जोधपुर ही राजस्थान नहीं है, बल्कि राजस्थान के सारे ही जिलों के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए और इसलिए शुरूआत करते हुए जो बात बजट के अन्दर कही गई कि चालू वर्ष में पांच हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का चिन्हिकरण कर लिया गया, अब यह पाँच हजार किलोमीटर सड़कें इन्होंने चुन ली हैं कि कौन सी सड़कें इन्हें बनानी हैं, उसमें इन्होंने लिखा कि जिन्हें सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जायेगा और यह सारी सड़कें जो इन्होंने चुन ली हैं, जिनको यह बनाने वाले हैं, वह सारी सड़कें किसी एमएलए से उसमें अनुशंसा नहीं ली गई है, कौन सी सड़कें होंगी, हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, हम अपने क्षेत्र में बता सकते हैं कि कहां कितनी गम्भीरता है, कौन सी सड़क सबसे जरूरी है, कहां एक्सीडेंट केस हुए हैं, कहां बननी चाहिए, लेकिन किसी भी विधायक से पूछा नहीं गया, लेकिन इन्होंने चिह्नित कर ली कि हमें कौन सी सड़कें बनानी हैं। क्या आधार रहा इसका, यह पता नहीं, किस आधार पर इन्होंने इन्हें चुना है कि यह सड़कें बनने वाली हैं, नहीं मालूम। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

थीं और उन्होंने यह बात कही थी कि हर एमएलए को दस किलोमीटर की सड़क अपनी इच्छा से बनाने का अधिकार होगा और उन्होंने कहा था कि आप बतायें, आपके क्षेत्र में कौन सी दस किलोमीटर की सड़क आप बनाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जन प्रतिनिधि के अधिकारों का हनन हुआ है, यहां जन प्रतिनिधि का कोई मायना नहीं है। हम यहां पर जीत कर आते हैं लेकिन हमसे नहीं पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में कौन सी सड़क की जरूरत है, कहां सड़क बनाई जाय, किस सड़क की ज्यादा आवश्यकता होगी, वह आप बतायें, यह नहीं। लेकिन सरकार ने चुन ली, सरकार ने कह दिया कि हम तो.. (व्यवधान) बहुत अच्छी बात है अगर आप मंत्री हैं, मुझे पता नहीं कि आप मंत्री के बिहाफ पर बोल रहे हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अगर आप यह बात कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर कि आपसे पूछा जायेगा तो इससे और अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, हम भी यही चाहते हैं कि हमसे पूछा जाय और अगर आप बिहाफ ऑफ मंत्री बोल रहे हैं, पहले मंत्रीजी से पूछ लीजिये, मंत्रीजी जवाब दे दें कि हमसे पूछा जायेगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं इस बजट के माध्यम से कि हर एमएलए को कम से कम पच्चीस किलोमीटर की सड़क वह अपने क्षेत्र में कहां बनाना चाहता है, कहां नवीनीकरण करना चाहता है, वह सारे उससे प्रपोजल लिये जायें तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात इस बजट के अन्दर कही गई कि नरेगा के तहत 250 से 500 तक की आबादी की जो सड़कें हैं उनको हम नरेगा के तहत ग्रेवल सड़कें बनायेंगे। अब यह जानकारी मैं दे दूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को क्योंकि हम सब अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं और हम लोग इस बात को देखते हैं और आज सुबह प्रश्नकाल के अन्दर भी नरेगा के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई। पंचायत, ग्राम पंचायत जो हैं वहां अनुशंसा करती हैं हमें यह काम करवाने हैं लेकिन उन अनुशंसाओं को बदल दिया जाता है। जब वह जिला मुख्यालय पर आती हैं, सी.ओ. के पास आते हैं, सारे प्रपोजल्स बदल जाते हैं। इस पर काफी डिस्कसन हो चुका है। इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं लेकिन 250 से 500 की आबादी की जो सड़कें हैं और जो मरू क्षेत्र के अन्दर आने वाली सड़कें थीं और इन्हीं के साथ में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की थीं, वहां तो ऑलरेडी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जी जब थीं तब वह बना चुके थे। उसमें एक मेरा भी क्षेत्र था। वहां सारी 250 की आबादी की सड़कें बन चुकीं लेकिन आज ...(व्यवधान) सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। जब आपकी बारी आये, आप अपनी पार्टी से पूरा जो जवाब, जो कहना है कह दीजिएगा लेकिन अभी सुन लीजिए। यह जनजाति क्षेत्र और मरू स्थलीय क्षेत्र के अंदर 250 की आबादी के गांवों के अन्दर सड़कें ऑलरेडी बन चुकी हैं। इसलिए इसके अन्दर फिर से उल्लेख किया है, हम बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपने कह दिया बनाएंगे, हम तो मान रहे हैं कि बन चुकी हैं। क्योंकि मैं खुद उस क्षेत्र से आती हूं। इसलिए मुझे पता है लेकिन इसके बाद में जो आज आप कह रहे हैं कि 250 से 500 की आबादी के अन्दर ग्रेवल सड़कें नरेगा के माध्यम से बनाएंगे तो यह आलरेडी बन रही हैं। नरेगा के अन्दर 250 से 500 की आबादी की ग्रेवल सड़कें हम बना ही रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन अगर इस बजट के अन्दर इस बात को यह उल्लेख करते माननीय मुख्य मंत्रीजी कि जो ग्रेवल सड़कें बनाई जा रही हैं 250 से 500 की आबादी की, उन ग्रेवल सड़कों के ऊपर हम डामरीकरण करेंगे। अगर इस बात को कहते तो हम मानते कि बजट के अन्दर उन्होंने कुछ प्रोविजन रखा है। अब यही तो हम कह रहे हैं कि आपका घोषणा पत्र कुछ और कह रहा है और आपका बजट कुछ और कह रहा है। मैंने शुरूआत में ही यही बात कही कि आपका घोषणा पत्र कुछ कह रहा है और आपका बजट कुछ ओर कह रहा है। आपके बजट में अगर इस बात को रखते कि हम 250 से 500 की आबादी की जितनी ग्रेवल सड़कें बनी हैं, उन सब के ऊपर डामरीकरण करेंगे तो पता चलता कि यह बजट के अन्दर प्रोविजन रखा गया है और बजट का मतलब यह सड़कें हमारी बनेगी, यह इन्होंने घोषणा की है।

तीसरी बात नेशनल हाइवेज के संदर्भ में इन्होंने लिखा कि हम राष्ट्रीय मार्ग जो हैं उनका जल्दी से जल्दी काम करवाएंगे। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, उस क्षेत्र में भी नेशनल हाइवे एन.एच.8 है और वो एन.एच.8 का प्रपोजल है वह ब्यावर से लेकर गोमती चौराहे से होता हुआ राजसमंद और नाथद्वारा होता हुआ उदयपुर जाता है। उस मार्ग का फॉर लेन करने का केन्द्र सरकार ने पिछले पाँच साल पहले ही तय कर लिया। जिसके सारे प्रपोजल्स और सब कुछ फाइनालाइजेशन हो गया। लेकिन उसके बाद में भी, आप जाते हैं क्या उस सड़क पर, उसके बाद में भी यह हालत है कि आज तक ब्यावर से काम शुरू होगा-होगा, यह सुनते-सुनते हम लोगों के भी कान पक गए और क्षेत्र

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

में जनता को आश्वासन देते-देते हम लोग भी थक गए। लेकिन आज तक वह सड़क शुरू नहीं हुई है और सड़क सैंक्शन हो गई है। मैं मान्यवर यहां पर बैठे हुए मंत्रीगणों से कहना चाहूंगी सरकार में जो बैठे हैं कृपा करके अगर आप अपने बजट के अन्दर इस बात को अगर उल्लेखित करते हैं तो इस काम को शीघ्र करवाएं कि जो नेशनल हाइवेज की जो सड़कें हैं, जो स्वीकृत हो चुकी हैं, केन्द्र पैसा दे रहा है उन सड़कों का लेकिन सुपरवीजन के अभाव में वह सड़कें नहीं बन रही हैं उसको शुरू करवाइए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है कि आप सारे ही मंत्री बन जाएं अच्छा लगेगा ...(व्यवधान)

दूसरी बात मैं पेयजल के संदर्भ में कहना चाहूंगी। क्योंकि बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल अपने भाषण में भी आठ बार इस शब्द का प्रयोग किया। संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए तो मैं भी यही कहती हूं कि बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि संवेदनशीलता हर इंसान में होनी चाहिए। जो बात हम कहते हैं वह करके दिखाने की हमारे में इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। कैसी संवेदनशीलता, ऐसी संवेदनशीलता कि जैसा आप अपने बजट में इस बात का उल्लेख करते हैं कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में समुचित प्रावधान किए बिना लगभग 14 हजार 200 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल योजना जो स्वीकृत की गई थी उसको पैसे के अभाव में हमने रोक दिया। उसकी अब नयी योजना बनेगी, 20 हजार करोड़ रुपये लगेंगे और फिर आप कहते हैं कि हम संवेदनशील हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहती हूं....

**(समय-समाप्त-सूचक घंटी)**

मुझे 15 मिनट का समय आपने ही दिया है प्लीज आप...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या बीस मिनट आपके हो चुके हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बीस मिनट नहीं हुए हैं।

**श्री सभापति** : बीस मिनट हो चुके हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): यह सब डिस्टर्बेंस हुआ था।

**श्री सभापति** : समय तो आपके खाते में ही जाएगा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): डिस्टर्बेंस को अगर आप मेरे खाते में डालेंगे तो यह ठीक नहीं होगा ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब एक घंटा तेरह मिनट ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): तेरह मिनट तो व्यवधान रहा ... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आपके दल के लिए सिर्फ बीस मिनट बचे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): तेरह मिनट तो व्यवधान रहा ... (व्यवधान) सात मिनट ही बोली है सिर्फ यह।

**श्री सभापति** : नहीं, राठौड़ साहब व्यवधान तेरह मिनट नहीं रहा है। मैंने देखा है मुश्किल से तीन या चार मिनट व्यवधान रहा है। लेकिन दस मिनट का जो समय निर्धारित है उसको भी पार करके बीस मिनट लगभग हो चुके हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितना समय आप, अब आप जल्दी से जल्दी समाप्त करें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): घड़ी मेरे सामने हैं और मैं देख रही हूं ...(व्यवधान)... दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगी।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या इधर से बोलने हैं, इधर से बोलने हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य बोलेंगे, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी वाले और निर्दलीय आये हैं जीत कर वह भी बोलेंगे। जितना जल्दी हो सके समाप्त करें आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सभी बोलेंगे। माननीय सभापति जी जो समय अभी आपने लिया उसको आप मेरे खाते में नहीं डालें। फाइनेंस सेक्रेटरी बैठते हैं पी.पी.सी. की मीटिंग में, वहां तय होता है जो बजट का प्रोविजन रखा जाता है पेयजल की योजनाओं के संदर्भ में 14 हजार करोड़ रुपये का यह प्रोविजन रखा गया था पिछली सरकार में, जैसे ही सरकार चेंज हुई और नई सरकार आई, उन्होंने टेण्डर्स कैंसिल कर दिया, उन्होंने वर्क आडर्स कैंसिल कर दिये। अब आप नए टेण्डर्स करने जा रहे हैं, नए वर्क ऑडर्स अब आप देंगे जब सारी प्रक्रिया नई करेंगे तो फिर उसका एस्टीमेट बदलेगा नेचुरली। अब आप कह रहे हैं कि 14 हजार करोड़ पहले रखे थे जो अपर्याप्त थे, उसको 20 हजार करना पड़ेगा। आपने टेण्डर्स कैंसिल किए, आपने वर्क ऑडर्स दे रखे थे वो वर्क ऑडर्स कैंसिल कर दिए। देवास योजना जैसी योजना में, मैं मेवाड़ से आती हूं, सबसे बड़ा संकट पेयजल का है और माननीय सभापतिजी आप स्वयं भी मेवाड़ से हैं और मेवाड़ के लिए यह लाइफ-लाइन है देवास योजना। इस देवास योजना के लिए पैसा रोक देना, वर्क ऑडर्स कैंसिल कर देना यह कहां का न्याय है आप बताइए? जिस तरीके से सरकार कहती है हम संवेदनशील हैं, यह संवेदनशीलता नहीं दिखती उनकी कि अगर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

संवेदनशीलता जरा भी बची होती तो यह सारी पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर देते। लेकिन पेयजल की योजनाओं को रोकना, त्राहिमाम-त्राहिमाम होना, गांव-गांव के अन्दर पीने के पानी के लिए आज लोग तरस रहे हैं। लेकिन एक हैण्डपम्प सैंक्शन नहीं हुआ और क्या कहते हैं कि कंटीनजेंसी में 40 हैण्डपम्प आए थे और 40 हैण्डपम्प एक विधान सभा क्षेत्र में आये, कहां लगे पता नहीं? किस को पूछा पता नहीं? हम लोग कहते हैं हमारे पीएचईडी के एक्स ई एन, ए सी को कि आपने यह हैण्डपम्प लगाए तो किसको पूछ कर के लगाए, कुछ भी पता नहीं, जन-प्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं रहा इस सरकार के अन्दर, सारा सब कुछ एक हाथ में लेकर बैठे हैं, कहीं विकेन्द्रीकरण नहीं है और इसलिए यह संवेदनशीलता का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। संवेदनशीलता अगर है तो सब पेयजल योजनाएं जो स्वीकृत की गई थीं, उन योजनाओं को स्वीकृत करायें ताकि उन योजनाओं के माध्यम से जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में पारदर्शिता की भी बात कहीं। आठ बार इस शब्द का प्रयोग किया कि पारदर्शिता होनी चाहिए। काम के अन्दर पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का नमूना आपके सामने रखना चाहती हूं। जिस तरीके से आपके घोषणा पत्र में जो आपने कहा था, वह घोषणा पत्र......

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या समय अब काफी होता जा रहा है। मेरा अनुरोध है इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करें। आगे वक्ता और भी बोलने वाले हैं। आपके दल के भी बोलने वाले हैं, सत्ता पक्ष के भी बोलने वाले हैं फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि आप बहुत जल्दी समाप्त करें। एक या दो मिनट में आप समाप्त कर दें प्लीज।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सब बोलेंगे। बिलकुल समाप्त कर रही हूं। पाँच मिनट में, ओनली पाँच मिनट। आपकी पारदर्शिता का नमूना जो आपके 233 के अन्दर पेज नंबर 52 में बजट के अन्दर लिखा है। जैसा आपने लिखा कि 'राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया जा चुका है। वेतनमानों में विसंगतियों के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है वगैरहा-वगैरहा।' मेरा आपसे कहना है कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
पूर्ववर्ती सरकार ने माननीय वसुंधराजी मुख्य मंत्री रहते हुए उन्होंने इस बात को कहा था कि 1 सितम्बर, 2006 से केन्द्र सरकार के समान वेतनमान देना, हम लोगों ने लागू कर दिया। उन्होंने 1 सितम्बर, 2006 को और 1 सितम्बर, 2007 से नकद लाभ भी शुरू होगा। आपके घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा है कि हम तो 1 जनवरी, 2006 से ही लाभ देना शुरू करेंगे अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो, मैं पूछ रही हूं उनसे कि 1 जनवरी, 2006 से वह सारा ऐरियर उन लोगों को, कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता है? यह पारदर्शिता है आपकी। एक तरफ तो कहते हैं जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या किरणजी अब आप समाप्त कर दें। दो मिनट भी पूरे हो चुके हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): डी.एल.सी. के बारे में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या आप स्वयं ही समय बताती जा रही हैं और उसका उल्लंघन आप ही करती जा रही हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): एक मिनट, दो मिनट बोलूंगी।

**श्री सभापति** : मुझे सदन चलाना है आप सोचें। फिर माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य बोलेंगे फिर वह कहेंगे कि आप उनको क्यों नहीं बोले? फिर सदन चलेगा कैसे बताइए आप? मेरा निवेदन है कि आपने और राठौड़ साहब ने दोनों ने अपने दल का एक घंटा बीस मिनट का जो समय निर्धारित है उसमें से एक घंटा पांच मिनट आप ले चुके हैं अब पन्द्रह मिनट आपके माननीय सदस्यों को बोलने के लिए वक्त रहा है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): चलिये ठीक है फिर हम ...

**श्री सभापति** : इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आपके काबिल माननीय सदस्य भी बोलेंगे अभी काफी सारे उनको भी अपनी बात बोलने दीजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अगर आप कहें तो हम नहीं बोलते क्योंकि आप बार-बार डिस्टर्ब करेंगे तो बोलने का कोई अर्थ नहीं है।

**श्री सभापति** : अब आप कितने मिनट में समाप्त कर रही हैं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सदस्या पहली बार बोल रही हैं मेरी प्रार्थना है...

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सारा लिंक टूट जाता है हम कुछ बोलना चाहते हैं तो, जनहित में बोल रहे हैं हम।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब। राठौड़ साहब।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप जैसा उदारमना व्यक्ति। पहली बार बोल रही हैं बोलने दें साहब।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, विराजें आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नये मैंबर्स को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए।

**श्री सभापति** : कितने मिनट में समाप्त कर रही हैं आप अब? कितने मिनट?

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नये मैंबर्स को आप प्रोत्साहित करिये और हम जो बात कह रहे हैं वो जन कल्याण में कह रहे हैं ।

**श्री सभापति** : मैं तो बहुत समय आपके लिए जो था उससे भी काफी आगे बढ़ चुका हूं लेकिन अब आप समाप्त कर दीजिये कृपया ।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): ठीक है, समाप्त कर देते हैं।

**श्री सभापति** : कितना एक मिनट कि दो मिनट?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): पांच मिनट।

**श्री सभापति** : नहीं, पाँच मिनट तो बहुत अधिक है राठौड़ साहब, बहुत अधिक है। नहीं, फिर आपके एक माननीय सदस्य बोल पाएंगे। एक सदस्य बोल पाएंगे। आप तय कर लें। बोलिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, आपने जितना समय लिया उतने समय हमें बोलने दिया होता तो हम बोल देते सारा। डीएलसी की रेट्स के बारे में भी जिस तरीके से यहां घोषणा की गयी कि हम डीएलसी को 25 प्रतिशत जयपुर में बढ़ा देंगे दस प्रतिशत ऑल ओवर राजस्थान में बढ़ा देंगे। मैं इसमें यह कहना चाहती हूं कि डीएलसी की रेट्स के बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो बनी है वो तय करती है देट इज डीएलसी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तय नहीं करें हम स्टेट लेवल के ऊपर कर रहे हैं तो इस कमेटी को ही चेंज कर दीजिये, आप डीएलसी को समाप्त कर दीजिये खतम कर दीजिये। डीएलसी की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

स्थान हैं जहां पर बाजार दर कम है और डीएलसी की रेट्स ज्यादा है क्या इसका सर्वे आप लोगों ने किया लेकिन उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हम दस प्रतिशत बढ़ा देंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि मंदी की मार चल रही है और मंदी के अन्दर जमीनों के दाम कम होते जा रहे हैं दूसरी तरफ डीएलसी रेट्स बढ़ा रहे हैं तो ये कैसा कंट्रोवर्सियल है मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें भी जब भी हमारे वित्त मंत्रीजी अपना भाषण दें, जवाब दें उसमें जरूर से इस बात का उल्लेख करवाइयेगा कि क्या हुआ।

तीसरी बात बहुत जल्दी-जल्दी कह रही हूं कि आपने यह कहा कि स्टेम्प ड्यूटी पांच प्रतिशत कर दी और पांच प्रतिशत से चार प्रतिशत महिलाओं के लिए कर दी। जब हमारी आठ प्रतिशत थी सामान्य दर और महिलाओं के लिए पांच प्रतिशत स्टेंप ड्यूटी थी तो अबाउट 37.5 प्रतिशत कम थी। अब इन्होंने जो पाँच प्रतिशत महिलाओं की थी उससे चार प्रतिशत करके आपने महिलाओं के लिए स्टेंप ड्यूटी का रिलेक्सेशन हो रहा था उसमें उसको 37.5 प्रतिशत से कम करके बीस प्रतिशत कर दिया । अब बीस प्रतिशत कर दिया तो महिलाओं को जो लाभ, बीनाजी, आप बैठे हैं पास में आप कुछ महिलाओं के लिए जो स्टेंप ड्यूटी का रिलेक्सेशन था वो रिलेक्सेशन आपकी गवर्नमेंट ने और कम कर दिया कहां तो 37.5 प्रतिशत था। हम खुश होते थे हमारे घर में हमारे नाम से जमीन ली जाएगी महिलाएं खुश होती थीं पूरे राजस्थान की उनको एक तरह का सम्मान मिलता था लेकिन अब उनके नाम पर कोई स्टेंप ड्यूटी का रिलेक्सेशन नहीं होने से जमीन-जायदाद नहीं खरीदी जाएगी तो इसमें जरा सुधार करें तो अच्छा लगेगा कि महिलाओं के हित में आप करें।

वैट को भी वर्तमान सामान्य दर से 12.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अब चौदह प्रतिशत कर दिया और आप कहते हैं कि कोई टैक्स ही नहीं लागू किया हमने।

**श्री सभापति** : अब आप समाप्त कर दीजिये। माननीय सदस्या।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): ...हमने किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया। टैक्स बढ़ाया इन्होंने।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या, अब समाप्त कर दीजिये। डॉ. राजकुमार शर्मा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): धन्यवाद, साहब।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी श्री अशोक गहलोतजी द्वारा जो राज्य का वर्ष 2009-10 का परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया गया उसके लिए मुझे विचार प्रकट करने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जो पांच वर्ष का जो कार्यकाल था उसमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, भाई-भाई को लड़ाया, लोकतांत्रिक ...(व्यवधान) मैं आ रहा हूं उसी बात पर आ रहा हूं। बजट पर आऊंगा। बजट पर आऊंगा। बहुत तरीके से आऊंगा। चिन्ता मत कीजिये आप। (व्यवधान) देखिये आपके बजट पर ही आऊंगा और पूरे आंकड़ों सहित आने वाला हूं। पूरे आंकड़ों सहित आने वाला हूं लेकिन देखिये प्रजातंत्र के अन्दर राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं सत्ता से चले जाते हैं इसलिए सचाई का सामने करना सीखिये आप। हम लोग पहली बार आये हैं लेकिन पहली बार ही आये हैं और पहली बार ही बोलने का मौका मिला है क्योंकि पिछली बार जो सत्र चला था पिछली बार जो सत्र ...(व्यवधान) आप बैठिये। पिछली बार जब सत्र चला था तो मेरे बड़े भाई श्री प्रतापसिंहजी खाचरियावास सौभाग्यशाली रहे थे कि उनको बोलने का अवसर मिल गया था लेकिन जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल का पद इस लोकतंत्र के अन्दर संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा होता है महत्वपूर्ण होता है उनके अभिभाषण पर माननीय विपक्ष के सदस्यों ने जिस प्रकार से सदन से बहिर्गमन किया, हमने तो सोचा था कि लोकतंत्र की परम्पराओं को आप लोग जीवित रखेंगे लेकिन हम नये सदस्य चुन कर आये थे उस समय दो ही दिन हुए थे और सब के सब हल्ला मचाते हुए बाहर चले गये। उस समय भी हम हमारी बात रखना चाहते थे और बात भी इस रूप में रखना चाहते थे कि उस समय अभिभाषण के अन्दर 78 पैरा थे उसमें और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं 76 होना तो यह चाहिए था कि उस अभिभाषण के 78 पैराज को एक-एक आप गोद ले लेते और उन पर नजर रखते एक साल तक, उस पर निगरानी करते कि अभिभाषण के अन्दर 78 पैराज लिखे गये हैं उनकी क्रियान्विति सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जिम्मेदारी ले लेते तो राजस्थान का भला हो जाता लेकिन आप जिम्मेदारी लें या नहीं लें मैं दावे के साथ कह सकता हूं और सभी को खुशी होगी इस बात की कि माननीय अशोक

(डा. राजकुमार शर्मा)

गहलोतजी की सरकार है आप अगर ध्यान नहीं भी रखेंगे तो जनता का तो हित होगा ही होगा। राजस्थान का तो विकास होगा ही होगा। बजट के अन्दर अभी जो विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बात रखीं आदरणीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने जो बात रखी, आदरणीय किरण माहेश्वरीजी ने जो बात रखी, मैं, मैं ही नहीं पूरा सदन नहीं पूरे राजस्थान की जनता हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को साधुवाद दे रही है धन्यवाद दे रही है और धन्यवाद इस बात का दे रही है कि गरीब आदमी के लिए बजट किया। आम आदमी के लिए बजट किया। ग्रामीण क्षेत्र के गांवों के लिए बजट किया। आज तक जितने भी बजट यहां पर होते होंगे लेकिन हम जब इस सदन में आये उसके बाद में हमें पहला बजट आंखों से देखने का अवसर, कानों से सुनने का अवसर मिला। चुनावों से पहले ...(व्यवधान) झालावाड़ भी गया था मैं। चुनावों से पहले जिस प्रकार से आदरणीय अशोक जी गहलोत ने पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन के लिए कहा था मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो बजट है यह बजट मैं ही नहीं क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से हमारे देश और प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। इसके बाद भी माननीय अशोकजी गहलोत ने हिम्मत करके इतना सराहनीय काम किया है और प्रदेशवासियों और जनता को यह विश्वास दिलाया है कि इस आर्थिक मंदी की मार जनता को नहीं झेलनी पड़ेगी। इस साहसिक कदम के लिए मैं माननीय अशोक गहलोतजी को इन चार लाइनों से शुभकामनाएं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप हंस इसलिए रहे हैं कि पिछली बार आपकी इसमें सारी की सारी चली थी और इस बार बजट में सारी की सारी नहीं चल पायी इसलिए वो कमी मैं पूरी कर देता हूं, 'बादलों का काफिला आता हुआ अच्छा लगा, प्यासी धरती पर हर सावन अच्छा लगा, जिन बातों का सच होना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं था, अशोक गहलोतजी के राज में ऐसी-ऐसी बातें सोचना हरदम अच्छा लगा।' क्योंकि आप शायद मेरा इतिहास नहीं जानते हैं।

सभापति महोदय, दो-तीन दिन पहले विपक्ष के माननीय नेताओं का स्टेटमेंट आया कि न भागने देंगे न भागेंगे। बहुत खुशी हुई मैंने सोचा कि पिछले सत्र में भी इनको सद्‌बुद्धि आ जाती तो अच्छा होता ताकि सदन का समय भी खराब नहीं होता और अच्छी जो लोक जनकल्याणकारी बातें थीं उन जन समस्याओं पर विचार होता और राज्य की जनता को उससे लाभ मिलता।

(डा. राजकुमार शर्मा)

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि मेरे विपक्ष के सदस्यों ने जोश ही जोश में कह दिया कि न भागेंगे न भागने देंगे क्योंकि उस समय तक इनको पता नहीं था कि बजट में क्या आने वाला है और बजट देखने के बाद निश्चित रूप से इनको लगा होगा कि भागना चाहिए लेकिन हम नहीं भागने देंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ बैठकर बहस करें और आज ऐसा बजट है जो राजस्थान के इतिहास में कभी पेश नहीं हुआ । मैं बताऊंगा किस रूप में पेश नहीं हुआ क्योंकि आज के इस वर्तमान हालात के अन्दर जिस प्रकार से मेरा विपक्ष के सदस्य जो बजट के ऊपर बार-बार कह रहे हैं कि आज तक का सबसे खराब बजट है लेकिन आपके ही भाजपा सरकार में वित आयोग के अध्यक्ष और वित मंत्री रहे माननीय मानिक चंदजी सुराना ने कहा है कि गांधीगीरी का बजट है । उन्होंने साफ लिखा है, जो मेरी बहनजी अभी नरेगा के लिये बोल रही थी कि मुख्य मंत्री जी ने नरेगा के माध्यम से कुए, बावडी व तालाबों के जीर्णोद्धार की प्राथमिकता की घोषणा स्वागत योग्य है । यह मैं नहीं कह रहा यह बीजेपी के ही वित्त मंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं पिछली सरकार में उन्होंने कहा है । राजस्थान के 12 रेगिस्तानी जिलों में नरेगा के तहत प्रत्येक बारानी खेत, जलकुंड व सिंचित क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण को प्राथमिकता दी जा सकती है । नरेगा की मद में 144 प्रतिशत, 39 हजार सौ करोड़ रुपये के प्रावधानों से जलापूर्ति की स्थिति में सुधार की सम्भावना है। विद्युत, सडकें, पानी, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में ढांचागत सुधारों के लिये 2008-09 के मुकाबले अधिक प्रावधान किया है जो राजस्थान को बीमारू श्रेणी से अलग करने वाला सिद्ध हो गया है । मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण को गांधीजी के उद्धरण से समाप्त किया है । उम्मीद की जानी चाहिये कि गांधीजी से प्रेरणा लेकर मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी राजस्थान के समग्र विकास के लिये नीतिगत कदम उठाते रहेंगे । मैं कह रहा हूं जब केन्द्र में रेल मंत्री माननीय ममता बनर्जी ने रेल बजट पेश किया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय नवजोत सिंह सिद्धूजी ने हिम्मत दिखाई, तारीफ की सब के सामने कि ममता बनर्जी ने जो रेल बजट पेश किया है वह गरीब जनता के लिये किया । मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय मानिक चंदजी सुराना ने कहा है आपको भी ताकत दिखानी चाहिये। सिर्फ विरोध करने के लिये आपको विरोध नहीं करना चाहिये, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है ।

(डा. राजकुमार शर्मा)

बजट के लिये जो वार्षिक योजना थी, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार केन्द्र सरकार ने जो बजट दिया उसमें वाह वाही तो आपने लूट ली लेकिन किसी को धन्यवाद नहीं दिया । राज्य की वार्षिक योजना 2003-04 में 4558 करोड़ थी । 2004-05 में 6590 करोड़, 2006-07 में 8969 करोड़, 2007-08 में 13680 करोड़ थी । गत वर्ष 2008 09 की 14 हजार करोड़ रुपये की योजना के आकार की तुलना में योजना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 की 18 हजार 322 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गई थी । इस बजट में योजना का आकार बढ़ा कर 18 हजार 634 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जो एक ऐतिहासिक कदम है । अब यह मानना पड़ेगा, गत वर्ष की अनुमोदित योजना से चालू वर्ष की योजना 33 प्रतिशत अधिक है । अगर हम पांचों वर्षों से तुलना करें तो वर्ष 2009-10 की योजना पांचों वर्षों की सम्पूर्ण राशि का 40 प्रतिशत है । राज्य के इतिहास की अब तक की सबसे बडी वार्षिक योजना के लिए यह पूरा सदन आज माननीय अशोक जी गहलोत का साधुवाद करता है जिनके प्रयासों से राज्य की इतनी बड़ी योजना मंजूर हुई।

केन्द्रीय सहायता के लिये मैं कहना चाहूंगा केन्द्रीय सरकार की मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान के 33 जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लागू करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र से पैसा, सडकों की मरम्मत, अपग्रेडेशन के लिये केन्द्र से पैसा, नेशनल हाई वे के लिए केन्द्र से पैसा, स्टेट रोड के लिए केन्द्र से पैसा, सीआरएफ की सड़कों के लिए केन्द्र से पैसा, पेयजल के लिए केन्द्र से पैसा, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना में केन्द्र से पैसा, नगरों के विकास के लिए केन्द्र से पैसा, पर्यटन विकास के लिए केन्द्र से पैसा, अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण के लिए केन्द्र से पैसा, यानी हर मद व योजना के लिए केन्द्र से पैसा मिला है लेकिन इनके मुंह से पिछले पाँच सालों में केन्द्र के लिए वाहवाही का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला । एक बार भी नहीं कहा कि केन्द्र सरकार ने यह किया । मैं कहना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों का वेतन केन्द्र से मिला, स्कूलों के अन्दर नए भवन केन्द्र से बन रहे हैं । चिकित्सा में नए भवन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बन रहे हैं । एनडीए की सरकार ने 1999-2000 से 2003-05 तक राजस्थान को 19176करोड़ रुपया दिया जब कि यूपीए की सरकार ने 2004-05 से 2007-08 तक 34266 करोड़ रुपया दिया । जब

(डा. राजकुमार शर्मा)

एनडीए की सरकार थी उस समय मात्र 19 हजार करोड़ ही मिले और जब यूपीए की सरकार आई उस समय 34200 करोड़ रुपये दिये गये । इसमें 2008-09 का भी जोड़ दें तो यह राशि लगभग 50 हजार करोड़ रुपये पहुंचती है । पैसा केन्द्र का और थोथी वाहवाही आप लोगों ने ले ली । मैं कहता हूं कि किसी सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल में कोई बच्चा मैरिट में आता है तो सबसे पहले अपने गुरुजनों और परिवार वालों को धन्यवाद देता है । आपको भी धन्यवाद केन्द्र सरकार को देना चाहिये था कि इतनी बडी राशि आप लोगों को यूपीए सरकार होते हुए भी राजस्थान की जनता को दिया । यह आंकडे मैं राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं । 2004-05 में 888.86 करोड़, 2005-06 में 1200.52 करोड़, 2006-07 में 1724.16 करोड़, 2007-08 में 2493.14 करोड़ रुपये दिये गये हैं । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अशोकजी गहलोत को कि इस वैश्विक मंदी के दौरान और जो घाटा पिछली सरकार 85-86 करोड़ का छोड कर चली गई थी 2003 के अंत में राज्य पर 23 हजार करोड़ का कर्जभार था । आप थोथी वाहवाही बहुत करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस कर्जभार को कम करने के बजाय आपने 81 हजार करोड़ कर दिया । 31 मार्च, 2009 तक हमारे राज्य पर 8430 करोड़ का ऋण भार हो गया है । जिसके कारण हमें 6200 करोड़ का ब्याज व 2500 करोड़ मूल यानी कुल 8700 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष चुकाने होते हैं । मैंने आज अख़बार में पढा कि देश में जिन राज्यों पर सबसे अधिक कर्जा है उसमें राजस्थान का छठा नंबर है । आपने पिछले पांच सालों में राजस्थान को कर्ज से कर्जदार बनाने का काम किया है इसके अलावा कुछ नहीं किया । एनडीए की सरकार रही लेकिन एनडीए की सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि राज्य सरकार जो ब्याज भरती है ... ...(व्यवधान)... सुनने का हौसला रखिए क्योंकि असली पाइंट तो अभी बाकी पडे हैं अभी तो सिर्फ झांकी है पूरी फिल्म अभी बाकी है । 2003-04 तक राज्यों को कर्ज पर 14.15 परसेंट तक ब्याज देना पडता था । साढे चार साल आपकी एनडीए की सरकार रही, लेकिन आपकी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । हमारे प्रधान मंत्री और अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह ही ने राज्यों की इस कठिनाई को समझा और डैट स्वेप योजना लागू की और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज कर्ज पर ब्याज की रेट 7-8 परसेंट से नीचे आ गई है । कितना बड़ा फर्क हुआ । राज्य को कितना फायदा हुआ । राज्य को 2005-06 से 2009-10 तक ऋण

(डा. राजकुमार शर्मा)

भुगतान में 755.11 करोड़ और ब्याज भुगतान में 831.35 करोड़ की बचत हुई। यह सब केन्द्र की वर्तमान सरकार और माननीय मनमोहन सिंहजी की सोच का परिणाम है ।

वर्तमान में सदन में विपक्ष के उप नेता माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी हैं उनका स्टेटमेंट मैंने आज पढ़ा। उन्होने कहा कि यह जो बजट है वह युवा और छात्र विरोधी है। मैं बडे दुःख के साथ कहना चाहूंगा आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती । राजस्थान विश्वविद्यालय में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे राजपाल शर्मा वहां पर अध्यक्ष थे उसके पहले भी चुनाव बंद किये 1979-80 की बातें हैं। माननीय रघु शर्माजी 10 साल तक वहां अध्यक्ष रहे । उस समय सरकार कांग्रेस की थी कभी छात्र संघ कार्यालय पर ताला नहीं लगने दिया, लोकतंत्र की हत्या नहीं की । लेकिन माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी आपकी सरकार में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तो चुनाव तो बंद किये ही किये रात को पांच बजे चोरो की तरह पुलिस को ले जाकर ताला लगवा दिया जो शर्मनाक बात है । मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का कार्यालय अगर खुला रहता, छात्रों की बात रखने वाला कोई छात्र प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहता तो क्या फर्क पड़ने वाला था आपको । वहां पर कोई सैलेरी नहीं मिलती, वहां कोई गुंडे बदमाश नहीं रहते । अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान में जो वाइस चांसलर दादागीरी कर रहे हैं अगर छात्र संघ का वहां पर अध्यक्ष होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं छात्र हितों की वहां रक्षा होती । लेकिन आप कहते हैं युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़े विरोधी आप हैं, आपकी सरकार थी जो भाजपा की सरकार थी । सबसे बडे विरोधी वह थे । मैं कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) मैं आपको आंकड़े भी पेश कर रहा हूं और मेरी बात भी कह रहा हूं, दोनों बातें कहूंगा मैं तो। केन्द्रीय सहायता 1998-99 में 1352 करोड़ मिली जब कि 2006-07 में 8250 करोड़ हो गई। 2007-08 में लगभग दस हजार करोड़ रूपये केन्द्रीय करों में हिस्सा राजस्थान को मिला। आप तुलना तो करिये एनडीए सरकार और यूपीए सरकार की। यूपीए सरकार ने दिल खोलकर राजस्थान को बिना भेदभाव के हमेशा से सपोर्ट किया है जिसको इतिहास जानता है। माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा के ऊपर कहना चाहता हूं। आप घंटी बजाओगे तो, पहली बार बोल रहे हैं।

**श्री सभापति** : सत्ता पक्ष के इतने माननीय सदस्यों को बोलना है, समाप्त कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): देखिये पहली बार बोल रहे हैं।

**श्री सभापति** : समाप्त कीजिए। मैं इसीलिए प्रोत्साहित कर रहा हूं आपको कि आप बोले। आपका समय पूरा हो चुका है। मैंने आपको निवेदन किया है जल्दी समाप्त कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): सभापतिजी, मैं पांच-सात मिनिट और लूंगा।

**श्री सभापति** : 5-7 मिनिट बहुत होते हैं।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): मैं विद्युत उत्पादन के बारे में.....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, 5-7 मिनिट बहुत अधिक होते हैं।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): 5-7 मिनिट और।

**श्री सभापति** : आप 2-3 मिनिट में समाप्त कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): दो योजनाएं आपने बनाई हैं वह सराहनीय एवं किसान एवं आम जनता के हित में है। विद्युत उत्पादन निगम की 660 मेगावाट प्रति इकाई की 6 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 4210 मेगावाट होगी। मैं कहना चाहता हूं आज वर्तमान के अन्दर बिजली की वजह से जनता के जो हालात बने हैं उनका दोषी कौन है, उसकी दोषी भाजपा सरकार है। आपने जिस प्रकार से शराब की नीति बनाई, जिस प्रकार से 90 (बी) की नीति बनाई उस प्रकार से अगर आप लोग ऊर्जा की नीति बनाते तो आज जिस प्रकार से राजस्थान की जनता आप लोगों को बददुआएं दे रही है कम से कम उन बददुआओं से आप लोग बच सकते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत तंत्र में सुधार की दृष्टि से दो हजार करोड़ रुपये की ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय अशोकजी गहलोत का जिन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता के लिए ग्रामीण विकास के लिए सब कुछ किया। जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से हमारा भारत देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, हमारे सैनिक देश की सीमाओं के ऊपर लड़ रहे हैं वेसे ही हमारे राजस्थान के अन्दर भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक युद्ध चला रखा है और वह युद्ध है शुद्ध के खिलाफ युद्ध। शुद्ध के खिलाफ युद्ध, इस युद्ध का...(व्यवधान) शुद्ध के लिए युद्ध।

**एक माननीय सदस्य**: बोलने दो सब के स्वास्थ्य का मामला है।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): भई जब आप डोकरी, टोकरी सब आ सकते हो एक बात तो बच्चों की भी निकल जाती है, उसको माफ कर दो। लेकिन जिस प्रकार से जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान प्रारम्भ किया है वह बहुत ही सराहनीय कदम है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समय बहुत आगे बढ़ चुका है । (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त। (व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): एक मिनिट और। 88099 आपने जो पाँच साल में रोजगार नहीं दिये माननीय अशोक गहलोतजी ने एक वर्ष के अन्दर 88099, एक वर्ष के अन्दर जो वादा किया मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह बात सफल होगी। आपके इन्टरेस्ट के विषय पर आ रहा। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, माननीय राजेन्द्र राठौड़जी, माननीय कालीचरणजी भाईसाहब बैठे हैं, आपके जो इन्टरेस्ट का विषय है क्योंकि किस प्रकार से कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि कार्यों में भू उपयोग के मामले में आपने, सदन में आम जनता को विश्वास दिलाया, आदरणीय अशोक गहलोतजी ने कि फरवरी 2009 में नई गाइड लाइन तैयार की गई है उसमें पारदर्शिता, समयबद्धता तथा अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण और 90 (बी) के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन जो बेहद जरूरी है क्योंकि पिछली सरकार ने जिस प्रकार से क्योंकि राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश में 2004 से 2007 तक प्रोपर्टी का बूम रहा।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): मैं एक सैकण्ड में समाप्त कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : एक सैकण्ड कहा, लगभग डेढ मिनिट से ऊपर हो गया आपको माननीय सदस्य।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): जो 90 (बी) किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई थी उसका फायदा कुछ भ्रष्ट तत्व के भू माफिया अपने फायदे के लिए उठाने लग गये। स्पोर्टस सिटी, नालेज कोरिडोर, आईटी कोरिडोर आदि की जमीन अवाप्ति में क्या खेल हुआ, यह जांच का विषय है। मेगा योजना प्रोजेक्ट घोषित तो कर दिये जाते हैं, जमीन खरीद ली जाती है लेकिन उसके बाद वह योजना कहां चली जाती हमें नहीं पता चला। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 2004 के बाद में राज्य में कौन-कौन से बड़े जमीनों के लेन देन हुए, किस-किस जमीन की 90

(डा. राजकुमार शर्मा)

(बी) की, कहां कहां जमीन अवाप्त की, किन-किन संस्थाओं के व्यक्तियों को नियमित आबंटन दिये गये एक कमेटी, आयोग बिठाकर जांच करानी चाहिये।

**श्री सभापति** : डॉ. साहब।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): जेडीए 56000...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय डॉ. साहब।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): गत सरकार ने 12 महीनों में....(व्यवधान)

**श्री सभापति** : श्री ज्ञानचंद पारखजी।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): उनकी पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के माननीय....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, डा. साहब आपका समय समाप्त हुआ। (व्यवधान) बार-बार आपसे अनुरोध किया, अभी कई माननीय सदस्य बोलने हैं।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): मैं अंतिम बात कह रहा हूं।

**श्री सभापति** : आपका जो समय निर्धारित है उससे डेढा समय, आप नये सदस्य हैं, आपकी भावनाओं को देखते हुए...(व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): माननीय सभापतिजी, इनके इन्टरेस्ट का सबजैक्ट पहली बार आया है।

**श्री सभापति** : किसी भी माननीय सदस्य ने टोका टोकी नहीं की आपको।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): लास्ट एक मिनिट दे दीजिए।

**श्री सभापति** : आपका उदबोधन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सदन ने सुना है, और किसी माननीय सदस्य का नहीं सुना इसलिए आप मेहरबानी करके समाप्त कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): मैं लास्ट में....

**श्री सभापति** : मुझे सदन चलाना है, आप मेहरबानी करके समाप्त कर दीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): चलिए ठीक है।

**श्री सभापति** : प्लीज, ज्ञानचंदजी पारख।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): उनका जो फर्ज है वह अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वह अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम सिर्फ मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस विधान सभा में राजस्थान का पहला बजट पेश किया और जितना उनका बस चलता उतना उन्होंने जोधपुर को देने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। पर प्रदेश में और भी जिले हैं, प्रदेश की और भी आवश्यकताएं हैं शायद मुख्य मंत्रीजी की नजर में वह सारी आवश्यकताएं वह सारे जिले आए ही नहीं। अब चाहे सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वह उनके बजट भाषण पर मेजें पीट दें, एक बार नहीं अनेक बार मेजें थपथपा दें लेकिन राजस्थान की जनता जो टीवी पर उनका बजट सुन रही थी मुख्य मंत्रीजी के भेदभाव को लेकर वह अपनी छाती पीट रही थी। पाली बिल्कुल इनके पास का इलाका, पास का जिला, वहां की जनता पेयजल के संकट से इतनी ज्यादा त्रस्त है यह सारी जानकारी भी मुख्य मंत्रीजी को कई वर्षों से है। जोधपुर वाले ज्यादा पानी की वजह से परेशान ओर पडौसी जिला पाली जो पानी के भीषण संकट से जूझ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन बजट में नहीं दिया कि हम जोधपुर से भी पाली के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे मुख्य मंत्री जी ने छोड़ दिये हैं। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उस पर भी अगर थोड़ा बहुत अमल करते तो शायद जनता कुछ राहत महसूस करती। इस बार तो हालात भी आपके अनुकूल, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार। पिछली सरकार के दौरान जब कोई बात करते थे काम की, कोई योजना की मंजूरी की तो एक बहाना था कि केन्द्र हमारा सहयोग नहीं करता। केन्द्र हमें भरपूर राशि नहीं देता, आवश्यक राशि नहीं देता इसलिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारा खजाना खाली है, जब कि उस समय भी केन्द्र ने जब पाली में भीषण अकाल पडा था और राजस्थान भी अकाल से त्रस्त था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गेहूं और राशि देने में कोई कमी नहीं रखी। जिन शहरों में, जिन कस्बों में पानी का संकट था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने निःशुल्क ट्रेने दी थीं ताकि पीने का पानी हर व्यक्ति को मिल जाए। अब तो आपकी खुद की सरकार केन्द्र में भी, देने वाले आपके खुद के अपने लोग ओर उसके बाद राजस्थान की जो आवश्यकता है वह भी बहुत कम पूरी हो यह पूरे राजस्थान के लिए बहुत दुखदायी है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसको सरकारी सहायता की आवश्यकता है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने तो समाज का ऐसा कोई तबका, ऐसा कोई वर्ग, उसको अछूता नहीं छोड़ा जिसको सरकारी सहायता की आवश्यकता हो। उनके लिये ढेरों योजनाएं भी बनाई, लागू कीं, उनको सहायता पहुंचाई। पर वर्तमान सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। अभी राजेन्द्रजी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया यहां पर। लेकिन जो योजना, जिसका आपके घोषणा पत्र में जिक्र है, वह भी आपने पूरी नहीं की। विधवा को उम्मीद थी कि घोषणा पत्र की माफिक उसकी पेंशन में वृद्धि होगी। अभी 400 रुपये मिलती है, उसको साढ़े छह सौ रुपये मिलेगी। लेकिन आपने 400 में कोई वृद्धि नहीं की। विकलांग पेन्शन एक सरकारी मजाक है। अकेला कोई विकलांग हो, उसको कोई पेन्शन नहीं। अगर पति विकलांग है, पत्नी कमा कर देगी, भाई विकलांग है, भाई कमा कर देगा। पत्नी विकलांग है, पति कमाकर देगा, बेटा विकलांग है, पिता कमाकर देगा। चाहे कितने भी चक्कर लगा दे उसको पेंशन की राशि नहीं मिलती। आपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, विकलांग को बिना शर्त हम पेंशन देंगे। आपने बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया। विकलांग को 5 हजार की सहायता राशि, आपके घोषणा पत्र में आपने उससे वादा किया कि उसको रोजगार के लिये देंगे। यह बहुत छोटे काम हैं। यह बिलकुल सही है कि एक घोषणा पत्र 5 साल में पूरा करना होता है। पर शुरूआत तो होनी चाहिए। एक भी जन-कल्याणकारी योजना की शुरूआत इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नहीं की।

बेरोजगार भी है तो वह भी इस बजट को लेकर निराश है। चाहे आपने उसको नौकरी के आंकड़े दिखा दिये हैं कि हम पहले वर्ष में इतनी नौकरियां देंगे। लेकिन वह पहले चोट खाया हुआ है। आपके पहले 5 साल का शासन वह देखा हुआ है। उस समय भी आपने बहुत वायदे किये थे और जब 5 साल बीते तो उस समय तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ था। यहां तक कि जो बजट घोषणाएं हुई थीं, वह भी सारी अधूरी... (व्यवधान) वह रिजल्ट ने बता दिया था उस समय कि 154 से 56 तक आ गये थे, रिजल्ट आया था उस समय। यह जो बजट है इससे राजस्थान या राजस्थान की जनता का कोई भला हो जाए, राजस्थान का विकास हो जाए, यह मात्र भ्रम है। अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि राजस्थान का भला हो, राजस्थान का विकास हो, हर वर्ग का कल्याण हो तो अभी भी समय है, जब वह बजट पर अपना रिप्लाई दें तो एक बार अपने उस घोषणा पत्र को जो उनकी पार्टी का बना हुआ है, उसको

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

वापस पढ़कर, जो-जो मुद्दे उसमें छूट गये, उसको जोड़कर जनता के कुछ आंसू पोंछने का प्रयास करें।

मान्यवर, बिना औद्योगिक प्रगति के प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती है। और हमारे यहां के उद्योगों के क्या हालात हैं। सरकारी सहायता मिलना दूर, सरकार के इतने अंकुश उसके ऊपर कि कोई दु:साहस भी कर दे उद्योग लगाने का तो भी शायद उसका उद्योग लगाना पार नहीं पड़े। पाली की बात बताता हूं सीधा। हमारे पाली में टैक्सटाइल यूनिट्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। हजारों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। टैक्सटाइल यूनिट्स हैं तो थोड़ा बहुत प्रदूषण भी हुआ। और प्रदूषण के निवारण के लिये हमारे उद्योगपतियों ने समय-समय पर अपनी ओर से जो प्रयास करने थे, या सरकार ने जो भी उनको निर्देश दिये, वह प्रयास भी किये, वह निर्देश भी पूरे किये। उसके बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित फैक्ट्रियां, जिनके ऊपर करोड़ का इन्वेस्ट हो चुका है, उनको प्रदूषण बोर्ड ने ताले लगवा दिये कि पानी की मात्रा ज्यादा है और बाद में जब सरकार को जानकारी लगी कि पानी अब लिमिट में आ गया, ट्रीटमेंट प्लाण्ट की जितनी क्षमता है, इण्डस्ट्री उतना ही पानी डिस्चार्ज कर रही है तो सरकार की ओर से कोई सुनने वाला तक नहीं है कि उनकी वाजिब बात तो सुन लो। अगर अब समस्या नहीं है, पोल्यूशन खतम हो गया या जितना पोल्यूटेड पानी है, वह ट्रीट हो रहा है तो जिन फैक्ट्रियों के ताले लगवा दिये उनके ताले तो वापस खुलवा दो। मात्र फैक्ट्री वाले नहीं भुगत रहे हैं, उसकी वजह से हजारों श्रमिक भी बेरोजगार हो गये। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार को समझाओ कि वाकई में अगर उद्योग पनपाने हैं तो अंकुश लगाने की बजाय उन्हें कोई न कोई सुविधा दें। उन्हें और भूमि उपलब्ध करायें। अगर प्रदूषण है तो ट्रीटमेंट प्लाण्ट बनाने के लिये सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि दें। अगर ऐसी बातों का प्रावधान किया गया तब तो मिलेगी राहत, वरना आज बजट आपने पेश कर लिया, जनता के ऊपर उसका कोई असर नहीं। जनता में कोई खुशी नहीं, और इतना ही नहीं, जितनी आपकी घोषणाएं हैं, आपने यह भी घोषणा की थी घोषणा-पत्र में कि मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 125 रुपये करेंगे। इस बजट में वह आप लेना भूल गये। आपने यह भी घोषणा की थी कि 8 वर्ष की आयु के सभी विकलांगों को बिना शर्त 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी। यह कोई बड़ा काम नहीं है कि जिसको करने में 5 साल लगें। कोई बड़ा काम हो, बड़ी योजना हो तो उसमें 5 साल लगें, कोई

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय लेना हो उसमें 5 साल चाहिए, कुछ समय चाहिए। यह मामूली-मामूली बातें हैं जो पहले बजट में आसानी से ली जा सकती थीं। पर सरकार ने अनदेखी की। विधवा, वृद्धों, निशक्तजनों और निराश्रितों के पेंशन के नियमों में सरलीकरण करने का भी आपने वादा किया अपने घोषणा पत्र में जनता से। उसमें भी कुछ नहीं किया। 6-6, 7-7 महीने तक आवेदन देने के बाद भी विधवा, वृद्धावस्था पेंशन मंजूर नहीं होती, वह विधवा, वह वृद्ध 6-7 महीने तक पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.एम. कार्यालय में अपनी पेंशन की स्वीकृति के लिये चक्कर लगाते रहते हैं। पाली का इतिहास है, पाली में आप रिकार्ड मंगवाकर देखिये, सभापति महोदय, एक नहीं, पाली में ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, 7-7 महीने हो गये, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, जो पेन्शन के हकदार हैं, उनके आवेदनों का निस्तारण भी 7-7, 8-8 महीनों तक नहीं होना, यह इस सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है।

माननीय सभापति महोदय, लघु और कुटीर उद्योग लगाने के लिये महिलाओं को रियायत दर पर ऋण उपलब्ध कराने की जो घोषणा कांग्रेस पार्टी की थी, इस बजट में आप ऐसा कोई ठोस कदम लेकर आये नहीं कि हम यह चलाने वाले हैं, यह सेण्टर खोलेंगे, जिससे हमको रोजगार मिलेगा।

**(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)**

आपने उनके वोट तो कहकर हासिल कर लिये, आपने झांसा तो दे दिया, धोखा दे दिया और उन्होंने आपके धोखे और झांसे में आकर आपको वोट तो दे दिये लेकिन उसके बाद आपने उनके लिये कुछ भी नहीं करने का जो आपका पुराना तरीका है, जब वोट चाहिए तो दुनिया भर के जितने झांसे हैं, वह दे दो, जितने वायदे करने हैं, वह कर दो।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): 5 मिनट, 5 मिनट।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, 5 मिनट बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक हैं।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मात्र 5 मिनट और हैं।

**श्री सभापति** : आप पहले ही समय काफी ले चुके हैं।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मेरा समय ज्यादा नहीं हुआ है।

**श्री सभापति** : जो समय दिया गया है, उससे ज्यादा समय हो चुका है, माननीय सदस्य।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): और बजट पर ही बोल रहा हूं कि बजट में जो है...

**श्री सभापति** : इसलिये मेरा अनुरोध है कि 2 मिनट में समाप्त कर दें प्लीज। मेरा अनुरोध है आपसे कि दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): घोषणा पत्र में सरकार ने यह भी जनता से वादा किया था कि रोज़गारोन्मुखी और व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत करेंगे। कई आपने बजट में आई.टी.आई., पालीटेक्निक कालेज, नये कॉलेज खोलने की या हर तहसील स्तर पर ऐसी शिक्षा जो सीधी रोजगार से जुड़े, उसकी शुरूआत आपने की? तकनीकी शिक्षा और शोध शिक्षा संस्थानों की स्थापना का भी आपने अपने घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था परन्तु बजट में वह आप भूल गये।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट है इससे आम जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं। आज किसी भी क्षेत्र का या प्रदेश का कोई विकास होने वाला नहीं। कृषि उपज मंडी की इतनी सारी सड़कें जो वर्षो से क्षतिग्रस्त पड़ी हैं उनके सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए भी इस बार भी कोई प्रावधान नहीं रखा है जब कि वह सड़कें 25 साल पहले की बनी हुई हैं। उनकी एक बार भी मरम्मत नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, इस बार जनता ने, चाहे विधान सभा चुनाव में आपको भरपूर समर्थन नहीं दिया हो पर लोक सभा चुनावों में जिस प्रकार का समर्थन आपकी पार्टी को दिया है, सभापति महोदय, सरकार को भी चाहिए कि आज उनकी केन्द्र में सरकार है, चाहे यहां राशि कम हो तो यहां का प्लान बनाकर केन्द्र से कितनी मंजूरी लाकर राजस्थान का विकास कर सके, इतना ही मेरा तो कहना है। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री अलाउद्दीन आजाद ।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय अशोकजी गहलोत ने परिवर्तित बजट 2009-2010 प्रस्तुत किया, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

यह बजट ऐसे समय में प्रस्तुत किया है जब पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है। संसार के सारे विकासशील देशों की विकास योजनाएं ठप पड़

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

गयी हैं। रोजगार के साधन समाप्त हो गये हैं। उनके बैंकों की स्थिति बिलकुल खराब हो गयी है। उसके बाद में भी भारत में इन सब का असर नहीं होना, यह केन्द्रीय सरकार की योजनाएं और उनकी नीतियों को साफ जाहिर करती हैं।

राजस्थान में जैसी स्थिति है वह भी किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान में बजट पेश करते हुए सबसे पहले कांग्रेस का जो घोषणा-पत्र दिया था, उस घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया गया था। पहले भी ऐसा ही किया और अभी भी दुबारा ऐसा ही किया। अभी यहां कई माननीय सदस्यों ने घोषणा-पत्र पर विभिन्न प्रकार के अपने संशय और कई बातें उठायी हैं कि वह खाली एक दिखावा है, छलावा है। मगर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह कांग्रेस का घोषणा-पत्र है। जिसमें पहले भी हमने जो कुछ भी कहा था वह करके दिखाया और आज भी घोषणा-पत्र में जो कहा वह सारा घोषणा-पत्र में वह सब इस बजट में ज्यों का त्यों दिखायी दे रहा है।

बजट में कहा कि यह बजट आम आदमी का बजट, यह बजट गांवों का बजट, यह बजट गरीब का बजट है। यह हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। आदरणीय गहलोत साहब ने इन तीनों बातों को हर क्षेत्र में, इनको राहत पहुंचाने की कोशिश की है। जो इस घोषणा-पत्र पर अंगुलियां उठा रहे हैं उनका घोषणा-पत्र भी 'अंधेरे से उजाले की ओर' मेरे पास है। इस घोषणा-पत्र में इन्होंने भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की थी। ऐसा भय मिटाया है उन्होंने पूरे प्रदेश को गोलियों से, अत्याचार, बलात्कार, लूट, सब इसमें झोंक दिया और उसके बाद में यह भूख के मामले में जो-जो भी योजनाएं बनायीं वह पूरा राजस्थान और पूरा देश देखता है। भ्रष्टाचार किस तरह का मचाया, मनाया, वह भी यह देखता है कि पूरे राजस्थान में 90 'बी' का मामला हो या और सैकड़ों तरह की बातें हो, एक दूसरे के प्रति आलोचना करना, एक दूसरे के ऊपर यह करोड़ की बेइमानी और भ्रष्टाचार कराने का मामला हो, यह घोषण-पत्र यह दिखाता है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस घोषणा-पत्र को दिखाकर यह इतने वादे किये थे वह ज्यों के त्यों इस घोषणा पत्र में ले गये। न इनको घोषणा-पत्र से मतलब था, न इनको काम करने से मतलब था, न इनको जनता का भला करने से मतलब था और न ही इनको राजस्थान की जनता और राष्ट्रीय भावना से मतलब था इनको किन बातों को बताकर केवल वोट लेने और सत्ता हासिल करने की इनके भीतर बात थी, यह आज हमारी इस बात से साबित हो गयी है।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

दो घंटे तक अशोक गहलोत साहब अपने भाषण में पूरे राजस्थान के हर वर्ग, गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और हर क्षेत्र के उन लोगों के लिए, जिनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, हरेक के लिए उन्होंने सुविधा देने की बातचीत की। जब वे बजट पढ़ रहे थे, गांधीवादी विचार का जो बजट रखा गया इस प्रदेश में पहली बार इस तरह की भावनाएं लाकर रखी गयीं, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कहीं भी छींटाकशी करें, भाषण देने में कई माननीय सदस्यों ने नाम इंगित करके कुछ बातें करने की, छींटाकशी करने की कोशिश की। मैं ऐसा देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे-

'कबीरा खड़ा बाजार में सब की मांगे खैर,
न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।'

हर क्षेत्र को छुआ उन्होंने, हर जगह विकास की बातचीत की। मैं अभी यहां पर जो बिजली के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि तबाही हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पिछले पाँच साल में क्या किया? एक भी यूनिट बिजली आपने पैदा नहीं की और नहीं करने के बाद में,...(व्यवधान) उस वक्त अशोक गहलोत ने 1752 मेगवाट बिजली पैदा करके पूरे हिन्दुस्तान में एक रिकार्ड कायम किया कि उत्तर भारत में बिजली में इतने बढ़िया स्थिति किसी की नहीं थी।

सड़कों का जाल बिछाया। अकाल के मामले में घर-घर और गरीब-गरीब को पूछने की बातचीत की। वाकई में वह एक आम आदमी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जिसने ऐसा किया। वह गांव की बात करने वाली बात थी। वह गरीब की बात करने की बात थी जो इस तरह बात वहां रखी गयी। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि नरेगा का जो कार्यक्रम दिया गया और भी नरेगा में अभी आदमी लगाने की बातचीत की गयी है। कांग्रेस की यह नरेगा की योजना पूरे विश्व में अपनी तरह एक की योजना है। दुनिया में सबसे पहले नम्बर की योजना है। सब लोग कहते थे कि भारतीय संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं वह अधिकार कितने भी महत्व रखते हों मगर जब तक रोजगार का अधिकार आदमी को नहीं दिया जाएगा वह सारे अधिकार अधूरे होंगे। हमारी सरकार ने नरेगा योजना लागू करके घर-घर, गांव-गांव में उस योजना को पहुंचाया। चले जाइये आपके क्षेत्र में किसी भी ओर वहां पर महिलाएं और व्यक्ति काम करते हुए मिलेंगे। जिस आदमी के घर में रोजगार नहीं था, दो

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

पैसे नहीं थे, आज उन महिलाओं के घर में अपने खुद के पैसे पैदा करने के लिए, इतनी स्वावलम्बी हो गई हैं कि सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आज उस पर भ्रष्टाचार की बात लगायी गयी। कहा गया कि उसमें कुछ कमियां हैं। हमने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए इतने लोगों को लगाया जाएगा, रोजगार करके और उनको लगाकर उस व्यवस्था को सुधारा जाएगा।

मैं, कई बातें यहां हुई हैं और कई बातों के साथ में एक बात अछूती रह गयी है और वह थी कि माइनोरिटी के बारे में अभी किसी ने एक शब्द इस पूरे बजट के बारे में नहीं कहा। इस बजट में माइनोरिटी के लिए भी एक नया क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसंख्यक मामलों का विभाग कायम किया गया है। यह विभाग इसलिए कायम किया गया कि पहले यहां पर जो अल्पसंख्यक आयोग था, मदरसा बोर्ड था, उर्दू एकेडमी थी, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम था, मदरसा बोर्ड था, यह जितने भी थे इन सबके समन्वय अलग-अलग डिपार्टमैंट्स से, केन्द्र सरकार ने यह तय किया कि सारे डिपार्टमैंट्स को एक विभाग के अन्दर लाया जाए और उन लोगों को भी फायदा पहुंचाया जाए जिन लोगों की कोई सुनने वाला और कहने वाला, बात करने वाला नहीं है। याद रखिये जिस देश में हर तरह के लोग रहते हैं। हर तरह के पुष्प खिलते हैं, उनको हरेक को सींचना पड़ता है। उसी तरह से माइनोरिटी के बारे में भी महात्मा गांधी ने, नेहरू ने मौलाना अब्दूल कलाम आजाद ने और हमारे बड़े-बड़े लोगों ने यह कहा कि इस राष्ट्र की यह दो आंखें हैं जो इस राष्ट्र की दृष्टि को प्रदर्शित करती है। मैं एक फारसी का शेर कहना चाहता हूं आपको-

यगान: बूढो यकता शूदन जे चश्म आमोज  
के हर दो चश्म जुदा ओ जुदा नमी गिरद

आंखें दो होती हैं। आंखें दो अलग-अलग रहती हैं मगर याद रखिये मुसीबत आने के टाइम पर वह आंसू एक साथ बहाती हैं। याद रखिये कि जब देश को तरक्की करना होता है तो यह ध्यान रखना होता है कि सब लोगों का विकास किया जाए। इस तरह से विकास करने की बातचीत चली। मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछली बार भी अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था, पिछली सरकार ने, एक भी उसकी सिफारिश को, आप मुझे बता दें, उस सरकार ने नहीं मानी। जितनी सिफारिशें उन्होंने कीं, आप नहीं बता सकते जो उन्होंने सिफारिशें की हैं, तीन पेम्पलेट उन्होंने निकाले, उनमें से आप यह कह

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

दें कि हमने यह करने की कोशिश की है। वहां से लोगों को उजाड़ दिया, उनको बसा दिया हो। दंगों के टाइम पर हुआ, आपने कुछ दे दिया हो, लोगों के मकानों पर किसी ने कब्जे कर लिये हों, उनको आपने हटा दिया हो, जितनी सिफारिशें लगी हैं पिछली बार उनमें आप कुछ नहीं कर पाये।

अशोक गहलोत ने पहली बार अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया था। आपने उस कानूनी दर्जे का फायदा नहीं उठाया। मदरसा बोर्ड राजस्थान में पहली बार अशोक गहलोत ने बनाया और यह कहा कि इन मदरसों में पढ़ने वाले जो लड़के हैं, छात्र हैं, उन छात्रों को सरकारी स्कूल जैसी सुविधाएं दी जायें। उनको वैसा ही मानकर सब कुछ दिया जाये, आधुनिकीकरण कराया जाये, इनको भी मुख्य धारा में माना जाये। आपने मदरसा बोर्ड में क्या किया? एक चेयरमैन बना दिया, एक सेक्रेट्री रख दिया। मदरसा बोर्ड आपने बनाया नहीं और न उसके लिये कुछ किया। सारे मदरसे बर्बाद होकर रह गये। टीचर्स को आपने किसी तरह की सुविधाएं दी नहीं। जिस तरह से उनको बदला, मदरसे खतम कर दिये।

हज हाउस की बात थी। आज कई माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं। हज हाउस एक धर्मशाला होती है, एक जगह होती है, जहां पर लोग आकर ठहरते हैं और तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं, हज करने चले जाते हैं, आकर वहां ठहरते हैं। उनको सुविधाएं मिलतीं, क्या हुआ आपकी सरकार थी, सरकार के मंत्री थे, मगर आपको दो हजार पुलिस वाले आसपास इसलिये लगाने पड़े कि वहां पर उद्‌घाटन करने के लिये जब मुख्य मंत्रीजी जायें तो वहां पर टायर जले मिले हों, आपके ही मिनिस्टर हों, आपके ही भाषण देने वाले हों और क्या कहने वाले हों? मुख्य मंत्री से पूछा गया क्या हज हाउस बनेगा? उन्होंने कहा कि बनेगा। उन्हीं के साथ रहने वाले हमारे एक माननीय सदस्य यहां बिराजमान हैं, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, मुख्य मंत्री के बहुत नजदीक रहे हैं, उन्होंने कहा अगर मुख्य मंत्रीजी कहती हैं तो बनेगा ही और एक उसी क्षेत्र के रहने वाले माननीय विधायकजी यहां पर बिराजमान हैं, उन्होंने कहा कि जब वहां पर चरागाह है तो कैसे बनेगा? और एक माननीय सदस्य यहां पर अभी मौजूद नहीं हैं, उनसे पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो 100 साल तक यहां हज हाउस नहीं बन सकता। यह इन लोगों के साथ जो शोषित हैं, पीड़ित हैं,

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

जिनके साथ न्याय किया जाना चाहिये। इस देश में धर्म, जाति, रंग, भेद कोई नहीं करता, उनके लिये कुछ नहीं किया गया।

एक बात और मैं बता देना चाहता हूं। मैं अब भी यह मांग करता हूं कि इसमें नहीं लिखा गया है हज हाउस के बारे में। मगर हम सरकार से मांग करते हैं कि हज हाउस को बनाया जाये, क्योंकि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने अपने टाइम पर पहले हज हाउस का उद्‌घाटन किया था। आपसी विवाद के कारण वह जगह बदल दी गयी और उसके कारण से कुछ नहीं हो पाया।

आपने माइनोरिटी के नाम पर क्या किया? आपने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने डंके की चोट सारी जमीनों को लुटाने का पूरा काम किया और उसके जिम्मे क्या काम दिया कि ब्यावर में जहां पर चीतामारी रहते हैं, वहां पर फंक्शन कराया, एक बहुत बड़े नेता को बुलाया और 500 मुस्लिम परिवारों को हिन्दू धर्म में दीक्षित करने का नाटक किया गया। यह कार्यक्रम कराया गया। मदरसा बोर्ड में आपने क्या किया? उन्हीं को वहां मुस्लिम मुसाफिरखाने के लिये बुलाया गया और अपमानित करने के लिये वहां पर भी आपने दो हजार पुलिसकर्मी लगाये और इस तरह से मदरसा के चेयरमैन से, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से अपनी पार्टी का काम कराया। जिनको न्याय मिलना चाहिये था, उन लोगों को न्याय दिलवाने की कोशिश नहीं की।

आप आंकड़ों में असत्य बोलते रहे, मगर याद रखिये आज भी पूर्व सरकार के रखे गये बजट में जो कुछ असत्य बातें कही हैं, वह असत्यता चल नहीं सकती। आप खाली बातचीत करने के लिये, आंकड़े देने के लिये, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य नहीं कर सकते।

'उबालो दूध में बारूद काजल हो नहीं सकता,
धुंआ हो स्वर्ग का, लेकिन सजल बादल नहीं होता,
लहू आखिर लहू है, जो हो दानव या कि मानव का,
हुआ गर खून जो पानी, तो गंगाजल नहीं होता।

याद रखिये हकीकत-हकीकत है। यह जो बजट आज बनाया गया, जिस तरह की योजनाएं बनाई गईं, हर क्षेत्र के लोगों के लिये, अशोक गहलोत ने हमेशा गरीब के लिये काम किया है, गरीबों की बहबूदी के लिये काम किया है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करिये। आजाद साहब समाप्त करिये।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): और एक बात मैं आपको बताऊं। अशोक गहलोतजी जब सत्ता में आये, सत्ता में आते ही उन्होंने महिलाओं के लिये सबसे पहले पट्टे में नाम दर्ज करने के लिये कह दिया।

**श्री सभापति** : आजाद साहब समाप्त करिये। माननीय सदस्य, समाप्त करिये। कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): ठीक है साहब।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): एक संशोधन कराइये। माननीय सदस्य ने अभी बार-बार उल्लेख किया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी का नाम उन्होंने बार-बार अशोक गहलोत, अशोक गहलोत करके किया है। इस सदन में यह परम्परा नहीं है। या तो सदन के नेता बोलें या माननीय मुख्य मंत्रीजी या माननीय अशोकजी बोलें। यह अशोक गहलोत जितनी बार भी उच्चारित हुआ है, या तो उसे काटिये या उसके पहले माननीय लगवाइये। अब अन्य माननीय सदस्य जो बोलें तो आप एक निर्देश दें इस सदन में न कोई भाई साहब है, न काकाजी हैं, न कोई ताईजी हैं। सीधे सीधे माननीय सदस्य बोलें या अपने विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, उस विधान सभा क्षेत्र का नाम बोलें। लेकिन इस प्रकार से जो हमारी परम्परा है, उस परम्परा का उल्लंघन नहीं करें।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): निश्चित रूप से मैं अगली बार परम्पराओं को निभाऊंगा। मैं परम्परा सीख रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : श्री रविन्द्र सिंहजी।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): दो घण्टे तो बढ़ाओ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): एक घण्टे के बाद फिर बढ़ा लेंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): बहुत लोग बोलने वाले हैं, दो घण्टे बढ़ा दें। इतने लोग बोलने वाले हैं, कम से कम दो घण्टे तो बढ़ा दीजिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(स्वीकृत)

**श्री सभापति** : सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाता है। श्री रविन्द्र सिंह।

## आय व्ययक वर्ष 2009-10 पर अग्रेत्तर विचार

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार चुनकर आया हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल जो बजट प्रस्ताव पेश किये, उनके अन्दर काफी ढूंढने के बाद कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिन्होंने मेरे मन को बहुत दु:खी किया है। अब तक सुना था अगड़े होते हैं, पिछड़े होते हैं, एस.सी. होते हैं, एस.टी. होते हैं, लेकिन मुझे लगा एक जाति और रह गयी भूले-बिसरे होते हैं। जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले का नाम धौलपुर है और उस धौलपुर जिले को इस सारे बजट भाषण में किसी योजना में, किसी लाभ में कोई स्थान नहीं मिला। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि कांग्रेस का जब चुनाव घोषणा पत्र छपा था उसमें चम्बल की लिफ्ट योजना का नाम था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल संसाधान के ऊपर कल के बजट भाषण में कहा है कि हम यह करेंगे। माननीय सभापतिजी, मेरे जिले का यह दुर्भाग्य है कि वहां से बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता, मंत्री हुए और एक इतिहास वह कायम कर गये कि जनता को पिछड़ा रखो, जनता डरी रहेगी और जनता वोट देती रहेगी। आज मैं इस सीट पर हूं उसका यही कारण है कि अन्ततोगत्वा जनता ने उनकी सोच को समझ लिया। मेरा भी बहुत लम्बा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में ही कटा है और मेरी लड़ाई कांग्रेस से नहीं थी। मेरे अपने भाई से लड़ाई थी, जो जनता से वोट तो लेते रहे, लेकिन वोट के बदले में उन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया। नाम लेना अपराध है इसलिये नाम नहीं ले रहा।

राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, दस साल मैं वहां का प्रधान रहा हूं। सभापति महोदय, जल स्तर की यह स्थिति थी कि एक पंचायत के अन्दर तो पानी आर्टीजन बैल्स से, बिना किसी एप्लीकेशन पावर के निरन्तर उनसे पानी गिरता था और एक गांव के अन्दर एक पंचायत के अन्दर एक आदमी और एक बैल मिलकर पानी खींचते थे। आज उस राजाखेड़ा की स्थिति यह हो गयी है कि पिछले साल, इस साल को छोड़कर अकाल था, तीन चौथाई इलाके के अन्दर कोई फसल नहीं बोयी गयी और पीने के पानी का

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

अकाल, सिंचाई का तो कहना ही क्या, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मुख्य मंत्रीजी सारे राजस्थान का ध्यान रखेंगे और मैं समझता हूं कि उनकी सोच में यह बात होगी भी नहीं। लेकिन जहां प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं वहां कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है इसलिए धौलपुर को इस स्थिति में लाया गया। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि धौलपुर भी इसी राजस्थान का अंग है और वे हमारे मुख्य मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ इस जिले के अन्दर एक दूसरी बड़ी समस्या है चम्बल रेता की। भारत सरकार ने पर्यावरण के नाम पर घड़ियाल संरक्षण के लिए एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के तहत चम्बल की धार के बीच से एक किलोमीटर इधर और एक किलोमीटर इधर घड़ियालों के संरक्षण और प्रजनन के लिए चम्बल की बजरी का उठान बन्द कर दिया। नेता सोते रहे, जनता पिटती रही। हमारे यहां बिल्डिंग एक्टिविटी का रॉ मैटेरियल केवल चम्बल का रेता ही है। अब आप बताइये कि इन्सान के लिए पर्यावरण चाहिए था, पर्यावरण के लिए घड़ियाल चाहिए थे। जब इन्सान अपनी छत ही नहीं बना सकेगा तो इन्सान ही नहीं रहेगा तो कौनसा पर्यावरण और कौन से घड़ियाल की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है विशेष तौर पर राजाखेड़ा का एक बहुत बड़ा भू-भाग चम्बल से जुड़ा हुआ है और कई गांव ऐसे हैं जहां पर केवल दो-दो फुट पानी रह गया है। आठ-आठ, दस-दस साल के बच्चे इस पास से उस पार पैदल निकल रहे हैं। उनके आधे पैर भी गीले नहीं होते। ट्रैक्टर निकल रहे हैं, जीप निकल रही हैं और आवागमन हो रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर क्या कभी घड़ियाल वहां रह सकते हैं। मैं समझता था कि राजस्थान की संवेदनशील सरकार सभी जिलों के साथ न्याय करते हुए चम्बल की गिरदावरी करायेगी ताकि कुछ स्थान जहां पर पानी कम है वह डि-नोटिफाई हो सके और मैं आज आपको बताना चाहता हूं बड़े दर्द के साथ, हजारों ट्रैक्टर वहां से निकलते हैं रेता लेकर। कभी पुलिस पकड़ती है, कभी माइन्स पकड़ती है और कभी वन विभाग पकड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी निकल रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग तो बनेगी और आज भी सरकारी, गैर सरकारी और निजी सम्पत्तियां उसी चम्बल के रेता से निर्मित हो रही है। इस आगस्ट हाउस से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी इस पीड़ा को समझें और माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर विशेष तौर पर करौली धौलपुर और सवाईमाधोपुर इलाके के अन्दर हमको इस व्यथा से निजात दिलाने की चेष्टा करें।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

यह तो मैंने अपने घर की बात कही। अब मैं आपसे कुछ ऐसे बिन्दु आपकी निगाह में लाना चाहता हूं जो सारे राजस्थान को प्रभावित करते हैं। इस विधान सभा में दो सौ विधायक बैठते हैं और सभी को मालूम है कि आज राजस्व अदालतों के अन्दर अनिर्णीत मुकदमों की संख्या भरमार हो गयी है। वैसे कलक्टर एस डी एम बेसीकली रेवेन्यू आफिसर्स हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, योजनाएं बढ़ती गयीं, कार्यक्षेत्र और काम बढ़ता गया। कलक्टर और एस डी एम सबसे आखिरी में कभी वक्त मिलता है तब रेवेन्यू अदालतों में बैठते हैं। मैं आज अपनी ओर से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि जब तक राजस्थान के अन्दर राजस्थान रेवेन्यू सर्विसेज शुरू नहीं की जाएंगी, जिनका काम केवल मुकदमों का निबटारा करना है, राजस्व सम्बन्धी मामलों का निबटारा करना है तब तक लाखों-लाखों केस निबट नहीं सकेंगे। एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यह सभी की कोमन है। न तो बी जे पी की है और न कांग्रेस की है और न किसी अन्य दल की है। यह राजस्थान की सारी जनता की तकलीफ है और आपके द्वारा मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

एक और समस्या जो राजस्थान में बड़ा भीषण रूप लेने वाली है। आये दिन आप देख रहे होंगे शहरी क्षेत्र में नेशनल हाइवेज पर निरन्तर सड़क के किनारे कभी सीवरेज लाइन डाली जाती है, कभी पाइप लाइन डाली जाती है पीने के पानी की और कभी बिजली की डाली जाने लगी और कभी टेलीफोन की डाली जाने लगी। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के नक्शे पास करवाये जा रहे होंगे और बिजली की हाइटेंशन लाइन जो ऊपर थीं वह नीचे जा रही हैं। किसी भी दिन जब विस्फोट होना शुरू होंगे तो बहुत ही दयनीय और सोचनीय स्थिति बनने वाली है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई भी केबिल या सड़क के नीचे कोई भी कार्यवाही हो, विधिवत नक्शा पास हो और उसकी परमीशन हो और उसकी जानकारी स्थानीय कोमन नोडल एजेंसी के पास रहनी चाहिए।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सर, मैंने तो शुरू किया ही है। नया आदमी हूं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपको दस मिनट की जगह तेरह मिनट हो चुके हैं।

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): मुझे इतने बड़े-बड़े नेताओं के बीच में पहली बार बोलने का मौका मिला है।

**श्री सभापति** : कई माननीय सदस्यों को पहली बार ही बोलना है। समय सीमा में आप चलेंगे तब ही काम चलेगा। तभी सदन चल पायेगा। समय भी बढ़ गया है।

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): पांच मिनट लूंगा सर।

**श्री सभापति** : चार माननीय सदस्य इधर से बोल लिये और चार माननीय सदस्य इधर से बोल लिये।

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): दो घंटे बढ़ गये हैं सर। बड़ी मेहरबानी है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्यों से अनुरोध भी है कि वस्तु विषय पर बोलना शुरू करेंगे, समय सीमा के अन्दर जो बात आप कहना चाहते हैं सदन को, वह पूरी हो सकेगी। अगर हम उन परिस्थतियों को जीवित करने लग जाएंगे तो उसमें समय ज्यादा व्यतीत हो जायेगा और अपनी बात को कहेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा।

**श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा): मैं सारे बिन्दु बन्द कर रहा हूं। केवल दो बिन्दु हैं जो कहना चाहता हूं।

धौलपुर पावर स्टेशन पर बिजली बन रही है। गैस आधारित है और भारत सरकार के उपक्रम गेल से उनका अनुबन्ध है। गेल भारत सरकार का उपक्रम है। फार्चुनेटली राजस्थान और हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह कोशिश करे कि गेल से उन्हें पूरी गैस मिले। पिछले साल कम गैस मिलने की वजह से करीब पौने उन्नीस लाख यूनिट का प्रोडक्शन लोस इस यूनिट में हुआ और अभी तक एक अप्रैल से तीस जून तक आठ लाख यूनिट का लोस हो चुका है।

यह राजस्थान का लोस है। बिजली की महामारी है, हम लोग सभी परेशान हैं और हमारा संयत्र अच्छी तरह से काम करने के बावजूद भी पूरा प्रोडक्शन इसलिए नहीं दे पा रहा है कि गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भारत सरकार से इस ओर वार्ता करे और यह कोशिश करे कि गैस हमको पूरी मिल सके।

विद्युतीकरण के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण में बिजली के जो टारगेट दिये गये हैं उसके हिसाब से

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

2012-13 में करीब 10417 मेगावाट का प्रोडक्शन पॉसिबल हो जायेगा। इसके अन्दर यह नहीं दिया गया, यह इतना होने के बाद भी डिमाण्ड और सप्लाई रेश्यों में कितना अन्तर रहेगा? यह भी आज जरूरी है कि जैसे-जैसे बिजली बढ़ेगी डिमाण्ड भी बढ़ेगी, तो हमको आज यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वो गैप कम से कम हो।

मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, फिर कभी समय लेकर अपनी बात कह दूंगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री ओम जोशी।

**श्री ओम जोशी** (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने जो राजस्थान सरकार का परिवर्तित बजट 2009-10 इन 70 पन्नों में 298 बिंदुओं को लेकर इस राजस्थान की जनता की भलाई को इंगित करते हुए प्रस्तुत किया है, इस बजट में प्रत्येक शब्द गरीब के लिए, गांव के लिए, आम जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित है। मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है, जो सोच उनके जीवन में सदैव रही है सादगी का, गांधी वाद का, इसी सोच को ध्यान में रख कर जो यह बजट प्रस्तुत किया है, मैं उनको हार्दिक साधुवाद अर्पित करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री आचार और विचार से एक सन्त से कम नहीं हैं। मैं मेरे शब्दों में उनको सफेद वस्त्रों में सन्त की उपाधि दूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान का, सभी क्षेत्रों का बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्र के भेदभाव के, बिना जाति के भेदभाव के, बिना लिंग के भेदभाव के सभी विषयों पर बखूबी पूर्ण अध्ययन करते हुए राजस्थान का यह बजट प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था और आज भी हमारे प्रतिपक्ष में बिराजे माननीय सदस्यों के, जब भी जोधपुर का नाम आता तो उनके भोहें सिकुड़ जाते थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जोधपुर भी राजस्थान का ही भाग है और पिछले पांच वर्षों में जब आपका राज था, जितना जोधपुर और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की उपेक्षा की गयी है, जितना सौतेला व्यवहार किया गया है उसकी पूर्ति का समय तो अब ही आया है। वो पूर्ति होती है तो आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए।

(श्री ओम जोशी)

सभापति महोदय, कई पंडित हमारे सामने बिराजे हैं, मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि कोई अच्छा काम होता है, कोई भलाई का काम होता है, आम जन की बहबूदी का काम होता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हर बात को लेकर आलोचना, हर बात को लेकर व्यंग, यह ईर्ष्या व्यक्ति को स्वयं जला देती है, यह लाभकारी नहीं है।

सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में पांच वर्षों से जो हमारी पिछली सरकार थी उस सरकार में कई सिंचाई की, पेयजल की योजनाएं लागू करने की कोशिश की थी जो लम्बित रहीं, पिछले पांच वर्ष तक तत्कालीन सरकार ने इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के कदम नहीं उठाये और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। चाहे फलौदी लिफ्ट कैनाल हो, चाहे पोकरण लिफ्ट कैनाल हो, चाहे हमारे रेगिस्तान की हम जो गंगा आने की बात करते हैं, जो हमारे रेगिस्तान की जीवन रेखा है उसके सन्दर्भ में जब सोचते हैं। यह सब जो योजनाएं हमारी थीं वो ठप्प हो गयीं, एक पैसा भी, एक रुपया भी इन योजनाओं पर नहीं लगा। जो निर्माण हुआ था लिफ्ट कैनालों का उनमें रेत भर गयी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः पोकरण एवं फलौदी लिफ्ट जो हमारी पश्चिमी राजस्थान की मूलभूत आवश्यकता थी उसका ख्याल रखते हुए, उसकी सुध लेते हुए इन योजनाओं को लागू करते हुए ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना सिंचाई के लिए देने का वादा किया है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही इन योजनाओं के लागू करने से हमारे क्षेत्र की जो पेयजल की समस्या है उसके समाधान में भी काफी हद तक राहत मिलेगी। बाड़मेर लिफ्ट, तिवरी मथानिया, औसियां, माणकलाव, खांगटा जैसी जो महती परियोजनाएं हैं इनके लिए आगे बढ़ाये जाने की जो मंशा जाहिर की है, जो घोषणा की है वह वास्तव में हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो वादे किये गये हैं उसमें सभी क्षेत्रों को खास तौर से उसमें लिया गया है चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो उप-निरीक्षक की भर्ती हो, चाहे वो ए.एन.एम. की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो। सभी क्षेत्रों के लोगों को, जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं, जो साधारण ज्ञान रखते हैं सब को नियुक्ति देने का एक प्रावधान है। 77,000 नौकरियों में यह प्रावधान रखने की कोशिश की गयी है।

(श्री ओम जोशी)

सभापति महोदय, पिछली सरकार में शालाएं खोल दीं, वाहवाही लूटने की कोशिश की गयी लेकिन हम सभी महसूस करते हैं, हमारे मानीय सदस्य बिराजें हैं, यह स्वयं अपने क्षेत्र में भुगत रहे हैं, स्कूलें खोल दीं लेकिन अध्यापक का पता नहीं है केवल नाम बदल कर योजनाएं जो अच्छी-अच्छी की गयी थीं, चाहे वो राजीव गांधी पाठशाला हो, कई ऐसी योजनाएं थीं जिनको नाम बदल कर, उसका लेबल लगा कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया लेकिन ऐसी वाहवाही नहीं मिलती है। जो शिक्षकों की भर्ती है उसका जो अब वर्तमान में प्रावधान रखा गया है उससे परिणामजनक स्थिति पैदा होगी।

सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि अल्पसंख्यक आयोग के साथ वक्फ विकास परिषद के गठन का जो प्रावधान रखा है और उर्दू अध्यापकों की जो कमी थी, उर्दू विषय ऐसा है कि जिसको अन्य कोई अध्यापक नहीं पढ़ा सकता, उसकी कमी से छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उन्होंने उर्दू अध्यापकों की भर्ती के लिए इसमें घोषणा की है वह स्तुत्य है।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा की उपयोगिता हम सभी देख चुके हैं। अभी इस सरकार के आने के बाद मुझे मेरे क्षेत्र का फलौदी का यह अनुभव है, वहां पर दो एम्बुलेंस सेवा 108 की और दो सेवा राजकीय अस्पताल में एम्बुलेंस की मिली। पश्चिमी राजस्थान के हमारे क्षेत्र में 160 किलोमीटर के इलाके में, क्षेत्र में बड़ा अस्पताल नहीं है, यह एम्बुलेंस सेवा आने से हमें कई ऐसी सुविधाएं मिली हैं, हमारे क्षेत्र में जो बीमारी होती है, रोगियों को, खास तौर से महिलाओं को प्रसूति के समय समस्याएं होती हैं उसमें राहत मिली है। इस एम्बुलेंस सेवा की वृद्धि करते हुए 150 की संख्या में और खरीद कर के राजस्थान के कोने-कोने में भिजवाने की योजना है वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

सभापति महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य आई.टी.आई. का जिक्र कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने शायद बजट पढ़ा होगा, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के लिये जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम का प्रावधान इस बजट में रखा गया है वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो ड्राइवर के प्रशिक्षण की बात हो। कुशल श्रमिक तैयार करने की जो योजना है वो इस बजट की एक प्रमुख धारणा है, इस अवधारणा से हमारे तकनीकी ज्ञान जो कम समय में हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरीके से वाहन चालकों की आवश्यकता, जिस तरीके

(श्री ओम जोशी)

से कारीगरी की आवश्यकता, यह जो आई.टी.आई. से भी छोटे बिंदु हैं उनको मद्देनजर रखते हुए प्रशिक्षण के केन्द्र खोलने की बात कही गयी है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत स्तर तक जी.एस.एस. स्थापित करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

आज ऐसा इलाका जो शहरी क्षेत्र से सटा हुआ है जिससे कि हमारे कई माननीय सदस्य जो इस तरफ विराजे हुए हैं उनका ध्यान ज्यादा जाता है उन क्षेत्रों में, उसके बजाय रेगिस्तान को जब देखते हैं तो हमारे उस क्षेत्र में मीलों तक बिजली और पानी की समस्या रहती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 33 के वी सब स्टेशन से 11 के वी सब स्टेशन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर देने की योजना की घोषणा की है उससे बहुत बड़ी इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।

मैं इस बात के लिए भी मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान गुजरात के पश्चात् नमक उत्पादन में बहुत बड़ा केन्द्र भारतवर्ष में है। तूती कोरन और गुजरात के पश्चात राजस्थान का नम्बर आता है और राजस्थान में फलौदी और नावां दो ऐसे प्रमुख नमक के स्रोत हैं जिनके विकास की बहुत आवश्यकता थी, सड़कें वहां नहीं थीं और कई तरीके की मूलभूत आवश्यकताएं वहां नहीं थीं। सड़कों के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता थी। मुख्य मंत्रीजी ने इस ओर, खास तौर से धरातल के स्तर पर जाकर नमक श्रमिकों के लिए विशेष कल्याण योजना की घोषणा की है वह प्रशंसनीय है। उसके साथ ही फलौदी और नावां में सड़कों के निर्माण के लिए जो प्रावधान रखा है उससे हमारे उस क्षेत्र में जो नमक उद्योग हैं उसके विकास में हमें गति मिलेगी।

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है और उसमें भी किले और बड़े-बड़े शहरों का तो सब लोग ख्याल कर रहे हैं, वह अलग बात है लेकिन इस बार मुख्य मंत्रीजी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन स्थल के विकास की संभावनाएं हैं और खेजड़ली जो एक महत्वपूर्ण स्थान है, खेजडली वह स्थान है जहां पर पर्यावरण के बचाव के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खेजड़ी से लिपटकर अपनी जान गंवाई थी। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया है। जोधपुर जिले में और खींचन जो फलौदी तहसील में आता है उसको भी पर्यटन स्थल घोषित करने की मुख्य मंत्रीजी ने कृपा की है उससे हमारे क्षेत्र

(श्री ओम जोशी)

में विकास की नई गंगा बहेगी, जो पिछड़ा इलाका है उसमें पर्यटन के माध्यम से कई क्षेत्रों में विकास होगा और आय की वृद्धि होगी।

मैं इस बात के लिए भी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं चाहे हमारे प्रतिपक्ष में विराजे हुए सदस्यगण व्यंग्य की दृष्टि रखते हुए उन्होंने जो हमें सूत्र दिया है, मैं नारे नहीं कहूंगा, मैं सूत्र कहूंगा। पिछली बार जब वह पांच वर्ष मुख्य मंत्री की हैसियत से विराजे तो उन्होंने जो तीन सूत्र दिये थे, पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ, यह हमारी मूलभूत आवश्यकता थी और इस बार जो तीन सूत्र दिये हैं ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): किसी को पानी मत दो, किसी को बिजली मत दो।

**श्री ओम जोशी** (फलौदी): आप सुनने की क्षमता रखो अमरारामजी, आप तो पुराने आदमी हो, यह पण्डित तो नया आया है, पहली बार आया है, कुछ तो सुनने की कृपा करें।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): ये पंडित ही डुबोया हैं म्हानें तो आज तांई ।

**श्री ओम जोशी** (फलौदी): इस बार जो उन्होंने तीन बातें आपके सामने रखी हैं, भले ही हमारा जो विपक्ष है वह उन शब्दों को लेकर उसमें व्यंग्य का पुट रखे लेकिन यह व्यंग्य नहीं है यह एक हकीकत है। संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन देने की जो बात कही है वह अपने आप में महत्व रखती है। यह उनके दिल की भावना है। मुख्य मंत्रीजी सदैव कोई भी अगर बड़ा फैसला लेते हैं तो उस सोच को ध्यान में रखकर लेते हैं कि उनके द्वारा जो लिया जाने वाला फैसला है उससे गरीब का कितना भला होगा, उससे जो आम ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको किस तरीके से लाभ होगा। हर व्यक्ति कैसे रोटी खा सके, उसका कैसे ध्यान रखा जाए इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि नरेगा योजना के तहत जिस तरीके की विस्तृत योजनाएं इस बजट के माध्यम से रखी गई हैं, वह हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की कई बातें नई पैदा करेगा जिससे कि जो साठ वर्षों में कई स्थितियों से हम गुजरें है उससे हमें निपटने का मौका मिलेगा। मेरी बहन सदस्य अभी सदन में नहीं हैं, बता रही थीं कि सड़कों का जाल तो बिछा हुआ है, 250 से लगाकर 500 की आबादी के गांवों में सड़कें बिछी हुई हैं । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान का फलौदी क्षेत्र है जहां पर दस-दस किलोमीटर तक आने

(श्री ओम जोशी)

जाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई रोड नहीं है। इस योजना के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से ग्रेवल सड़क, बाबूसिंहजी जानते हैं नूरे की बुर्ज से रोडा भडला जाना हो बासू से जहां टेपू आपका ससुराल है, उससे आपको रोला भडला जाना हो तो सड़क की क्या व्यवस्था है, आप जानते हैं अच्छी तरह से।

**श्री सभापति** : माननीय जोशी साहब, समाप्त करें कृपया। समय आपका पूरा हो चुका है।

**श्री ओम जोशी** (फलौदी): जो व्यवस्था सड़कों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से दी है वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच कथनी और करनी में नहीं है। जो वह कहते हैं, वो करते हैं और जो करते हैं वह धरातल पर जाकर भी सोचते हैं और धरातल पर जाकर सोचकर कहते हैं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री कन्हैयालाल झंवर।

**श्री कन्हैयालाल झंवर** (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार चुनकर आया हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और पहली बार ही बोल रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी जो वर्ष 2009-10 का परिवर्तित बजट रखा है, इसमें प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर 33 के वी सब स्टेशन का प्रावधान रखा गया है। इस बजट से पहले वित्त विभाग के अधिकारी घूमा करते थे कि आप कहां बनाना चाहते हो, इतने पैसे दोगे तो हम आपके पंचायत हैड क्वार्टर पर विद्युत सब स्टेशन बना देंगे। यह बजट आते ही उनके मंसूबे खतम हो गये और प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर बनने का जब उन्होंने सुना तो अधिकारियों के मंसूबे खतम हो गये।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको यह कैसे मालूम पड़ा कि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया, मैं आभारी हूं मुख्य मंत्री महोदय का, राजस्थान की जनता आभारी है। प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर दसवीं की स्कूल खोलने की घोषणा कर दी नहीं तो आम जनता को हम विधायकों के मुंह की तरफ देखना पड़ता, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ देखना पड़ता कि हमारे पंचायत हैड क्वार्टर पर दसवीं स्कूल हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कदम उठाया जिससे किसी को भी किसी के मुंह की तरफ देखने की जरुरत नहीं है।

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

राज्य सरकार के इस कदम की मैं सराहना करता हूं । (व्यवधान) दसवीं तो मिले पहले, बारहवीं अगले साल मिल जाएगी।

90 बी के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बोल रहे थे, विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा था कि व्यंग्यात्मक भाषा में बोला जा रहा है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं, 90 बी के तहत कस्बों के पास जिन किसानों के खेत थे वह अपने अच्छे पैसे उठाने के लिए टुकड़ों में जमीनें बेच रहे थे। इन्होंने राजस्व विभाग से एक परिपत्र जारी करवाया कि टुकड़ों में बेची हुई जमीन की 90 बी की कार्यवाही नहीं होगी। इससे यह होने लग गया कि किसान का खेत एक साथ, एक मुश्त कम भाव में बिकने लग गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 90 बी की कार्यवाही पर जो ध्यान दिया है उसमें यह भी एक पाइंट सम्मिलित करें कि इस परिपत्र को विथड्रा करें ताकि लाखों लोग जिन्होंने मकान बनाकर रहना शुरु कर दिया है उनका नियमन हो सके और सरकारी आमदनी भी बढ़ेगी।

नरेगा के कारण मैं सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो लोक सभा में इतना जबरदस्त बहुमत मिला है उसका कारण नरेगा है। नरेगा एक अच्छा कदम है। इस बार जब भी बाजार में पूछते थे कपड़ा उधार बिकता है या व्यापार उधार का चलता है कि नहीं, अब तो किसान लोग, मजदूर लोग हजार हजार के पांच पांचसौ के नोट लेकर आ रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस नरेगा की कार्यवाही में जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, सरकार अपनी तरफ से खूब रोक लगाने की कोशिश कर रही है। निवेदन यह है माननीय सभापति महोदय, मेरे यह सब कहने का मतलब यह है कि नरेगा से आम आदमी के पास पैसे की बहुतायत हुई है, खरीद की शक्ति बढ़ी, क्रय शक्ति बढ़ी है ।

540 स्वास्थ्य केन्द्र दिये हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में, मैं समझता हूं दो स्वास्थ्य केन्द्र प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आ जाएंगे। पिछले पांच सालों से मैं देख रहा हूं स्वास्थ्य केन्द्र मुश्किल से कोई 100-50 खुले होंगे, पिछले साल तो खुले ही नहीं थे। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह व्यवस्था की है और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले। नोखा के लिये मान लो। दो पाती तो आ जायेगा। दो-ढाई तो पाती आयेगा। मांगने की जरूरत कहां है? सारे, सभी के लिये है तो

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभी का ध्यान रखा है खाली नोखा का ही क्या करना है।

108 एम्बुलेंस के लिये हम प्रतीक्षा करते थे कि हमारा नम्बर कब आयेगा। पिछली सरकार ने हमारा नम्बर नहीं लिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 150 एम्बुलेंस 108 देने की जो घोषणा की है उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं।

इसके अलावा मैं प्रशंसा करता हूं उस घोषणा की भी कि एक विधायक या सांसद को 15 लाख रुपये देकर और वह अपने क्षेत्र विशेष में कहीं सेवा खुलवाना चाहता है तो भी व्यवस्था कर दी इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर माननीय सभापति महोदय का और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट में प्रावधान रखे उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान जनता की ओर से और आम जनता खुश है।

**श्री सभापति** : श्रीमती अनीता सिंह।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट पेश किया उसके विषय पर मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश के 28 राज्यों में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो इस देश के भू-भाग का दसवां हिस्सा है जब कि अगर पानी के हिसाब से हम बात करें तो 10 परसेण्ट ही पानी हमारी जमीन में होना चाहिये लेकिन केवल 1.6 परसेण्ट हमारी जमीन के अन्दर पानी है। बिना जल के जीवन कितना कठिन होता है यह हमारे राजस्थान के गांवों में अगर जाकर देखेंगे तो महसूस होगा। इस प्रदेश की जनता जहां पर पानी की कमी है, ऐसा प्रदेश जो कर्मवीरों की धरती है, जो शौर्यवीरों की धरती है, मेहनतकश मजदूरों की धरती है, जहां मेहनतकश किसान रहता है इस राजस्थान के मजदूर का, राजस्थान के किसान का, राजस्थान के सैनिक का, राजस्थान के व्यापारी का और बंधु हमारे हैं यहां, उनकी पहचान पूरी दुनिया में सबसे अलग है, मिसाल देने योग्य है, ऐसे राजस्थान के विकास के लिये यहां पर अधिक सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता रहती है लेकिन संसाधनों के अभाव में हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। जो प्रतिभाएं जन्म लेने के पहले ही लुप्त हो जाती हैं उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिये तराशने की

(श्रीमती अनीता सिंह)

आवश्यकता है और आम आदमी अपने बच्चों को समुचित सुविधाएं तब ही दे सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, आर्थिक रूप से सम्बल हो और आज आवश्यकता भी है कि हमारे राजस्थान के हर परिवार, हर गांव में रहने वाले आम व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए तब ही राजस्थान की अलग पहचान बन सकती है।

मैं कहना चाहूंगी कि इस बजट में जो पहला सार्वजनिक निर्माण विभाग से है कि इसमें जो पी एम जी एस वाई के विषय में बजट में, स्वयं सरकार ने इस बात को लिखा है, माना है कि हमारे राजस्थान के अन्दर 80 परसेण्ट गांव पी एम जी एस वाई से जुड़ चुके हैं। तो यह अपने मुंह से ही इन्होंने इस बात को कहा है कि पिछली सरकार रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी उसने पी एम जी एस वाई में बहुत अच्छा काम किया और यह योजना भी भारतीय जनता पार्टी की योजना रही है।

मैं एक विषय विद्युत के विषय में भी उठाना चाहूंगी कि विद्युत के विषय में बजट में कहा है कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शंस है वह 2007 तक के 2009 और 2010 में लगभग सारे पूरे कर दिये जायेंगे। जब मैंने रात को जाकर पूरे बजट भाषण को पढ़ा तो मैंने अपने यहां के अधिकारियों को फोन किया, एक्स ईएन और उनसे मैंने पूछा हमारे यहां कितने बाकी हैं 2007 के तो उसने छोटा सा जवाब दिया 350 के तो डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये हैं, 200 बाकी हैं वह भी अब जल्दी ही हो जायेंगे। तो जो योजना एग्रीकल्चर कनेक्शंस की है जो ऑन दी फ्लोर है, जो चल रही है, जो होने ही वाली है उसको आपने अपने बजट में लिख दिया कि हम इसको इस साल पूरी कर देंगे, 2009 के जो होंगे उसको अगले वर्ष में करेंगे।

मैं कहना चाहूंगी यहां पर कि जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तो गांवों में बिजली की उपलब्धता थी वह बहुत अच्छी थी। आज भी गांवों के लोग इस बात को याद करते हैं कि बिजली उस शासन में तो कैसी मिलती थी और इस शासन में जब हम बात करते हैं तो बिजली में क्या-क्या परेशानी आ रही है। बिजली की बात करें तो कामर्शियल रेट पर बिजली खरीदकर डोमेस्टिक रेट पर जनता को दी गयी थी। मैं कहना चाहती हूं कि बिजली की परेशानी प्रदेश में है उसको मिटाने के लिये और आम जनता तक बिजली पहुंचे और अगर आज आपके पास बिजली नहीं आ रही है तो गांवों में पानी भी नहीं आ रहा है क्योंकि मोटर से ही पानी आता है वो पानी भी बंद

(श्रीमती अनीता सिंह)

हो जाता है। दो दिन, तीन दिन अभी आंधी, तूफान आये तो उसमें बिजली की व्यवस्था खराब हुई, खम्भे टूट गये तो गांवों के अन्दर कम से कम 15-15, 20-20 दिन तक पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हुआ। हमने कई बार अधिकारियों से प्रयास किया कि कैसे भी करके इन गांवों में पीने के पानी की उपलब्धता तो हो।

एक फण्ड हुआ करता था कंटींजेंसी का जिसमें आपात स्थिति हो तो उसमें पानी उपलब्ध करा देते थे कि यहां पर इन्होंने हैण्ड पम्प लगा दिया, यहां ट्यूबवैल्स के द्वारा पानी कर दिया और जहां इनकी व्यवस्था नहीं होती, मैं सभापति महोदय, आपसे यह कहना चाहती हूं कि हमारे भरतपुर जिले में 80 परसेण्ट पानी खारा है। वहां पीने के पानी की विशेष कमी है तो इस योजना के अन्दर जो पिछले वर्ष जब भाजपा का शासन था तो 150-150 हैण्ड पम्प लगे, 8-9 ट्यूबवैल्स लगे और पानी के टैंकर जहां पानी उपलब्ध नहीं था वहां पानी टैंकरों से पहुंचाया गया लेकिन इस इतनी गर्मी के मौसम में कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं करी। मात्र मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन हैण्ड पम्प इस पूरे कंटींजेंसी के अन्दर लगाये गये। पानी के लिये पूरी गर्मी के समय में त्राहि-त्राहि करते रहे।

पेयजल की नयी नीति, नयी जल नीति के बारे में चर्चा हुई बजट के अन्दर लेकिन मेरा इसमें आपसे निवेदन है कि जब इस बजट में दुबारा से आप संशोधन करें तो भरतपुर के लिये जो चम्बल पेयजल योजना बन रही है। दस वर्षो से लगातार चलती आ रही है। पांच साल आपके भी आये उसमें। दस वर्षो से चली आ रही है किसी न किसी कारण से और आज तक जो पानी है वह भरतपुर तक पहुंच नहीं पाया। पीने का पानी पहुंच नहीं पाया है तो मेरा उसमें निवेदन है हालांकि आपने अपने बजट के अन्दर इस प्रावधान को डाला है कि इसके अन्दर आप व्यवस्था करेंगे। कितना करेंगे, नहीं करेंगे लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो आया है वह यह बात आयी है कि 150 करोड़ डिपार्टमेंट को चाहिये इस चम्बल योजना को पूरा करने के लिये लेकिन आपके यहां से बिलकुल आधी रकम दी जा रही है।

मेरा आपसे निवेदन है कि भरतपुर जिला आपके राजस्थान जिले के अन्दर आता है। पिछली सरकार ने इस भरतपुर जिले को थोड़ा सा उठाकर इसमें विकास काम शुरू कराये हैं तो यहां के लोगों को भी लगने लगा है कि भरतपुर राजस्थान का हिस्सा है, नहीं तो आज तक हमेशा यह महसूस होता

(श्रीमती अनीता सिंह)

था कि भरतपुर को भूल गये हैं, उत्तर प्रदेश में भूल गये हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि चम्बल योजना में जो बजट का प्रावधान है वह पूरा प्रावधान किया जाए ताकि चम्बल का पानी हमारे भरतपुर तक आ सके और वहां की जनता को पीने का पानी भी मिल सके।

मैं यह कहना चाहती हूं इसके अन्दर कि पानी की अभी कई बार बात चल रही थी कि शुद्ध के लिये युद्ध चल रहा है। व्यापारियों को शुद्ध देना चाहिये लेकिन मेरा सभापति महोदय के द्वारा एक निवेदन मंत्री महोदय को यह भी है कि जो शुद्ध जल सरकार देती है जनता को वह भी जल शुद्ध ही जनता तक पहुंचना चाहिये क्योंकि उसके लिये भी युद्ध की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारी बातें आपने अभी अखबारों में पढ़ी हैं जगह-जगह। बहुत सारी बातें तो अख़बार में छप गयीं लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेज हैं जो अख़बार तक नहीं आते और बच्चे, बूढ़े हमारे जो हैं जल की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि व्यापारियों से भी शुद्ध लें लेकिन सरकार भी जल को शुद्ध भेजे। मैं निवेदन करना चाहती हूं इसके लिये भी क्योंकि शुद्ध के लिये आपकी जो टंकियां बनी हुई हैं उनकी सफाई की भी बहुत आवश्यकता है, बहुत सारी आवश्यकता है। क्योंकि जो सफाई है उसको करेंगे आप तब जाकर यह शुद्ध पानी जायेगा तो इसके लिये भी प्रावधान आपके इसमें होना चाहिये जिससे पीने का पानी आपके यहां से शुद्ध आए।

मैं एक बात और इसमें उठाना चाहूंगी हास्पिटल्स के लिये एक योजना बजट के अन्दर दी है। मेवात और डांग का जिक्र किया गया है हास्पिटल्स में। तिजारा में कुछ शैय्याएं बढ़ायी गयी हैं। सभापति महोदय, जिस जगह से मैं चुनकर आती हूं नगर और उसके पास का जो क्षेत्र है कामां, यह भी मेवात का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहां भी अस्पताल की विशेष आवश्यकताएं हैं। आप लोगों को सिर्फ वहां तिजारा ही नहीं करके कामां और नगर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यहां पर भी मेवात के हिसाब से इसमें संशोधित बजट स्वीकार करके शैय्याएं बढ़ानी चाहिए।

सभापति महोदय, सिंचाई के लिए आपने जो परियोजनाओं का जिक्र किया है, 30-40 बड़ी परियोजनाएं बतायी हैं, इसमें मेरा सुझाव है कि भरतपुर में एक रियासतकालीन सीकरी बांध है, बहुत पुराने समय का और इस सिस्टम से भरतपुर का जो आधे से ज्यादा क्षेत्र है नगर, कामां, डीग, कुम्हेर और भरतपुर यहां की जो जमीन है उसकी सिंचाई होती थी। उसके रिनोवेशन का

(श्रीमती अनीता सिंह)

काम, पुनरोद्धार का काम बहुत बड़ा काम है। इर्रिगेशन की योजना में जो सीकरी डैम है इसको भी लिया जाये क्योंकि आज हम बात तो कर रहे हैं कि जमीन में भू-जल स्तर को बढ़ाना है। आप भू-जल स्तर को तब बढ़ायेंगे जब पानी को आप जमीन पर कहीं रोकेंगे, हमारे यहां जो पानी आ रहा है वह आकर के सीधा कहीं का कहीं चला जाता है वह हमारे यहां रूकता नहीं है। पूरे सीकरी सिस्टम के जितने भी गेट हैं वहां पर एक भी गेट नहीं है। आप जब इस बजट में करें तो हमारे यहां जो सीकरी बांध है उसके ऊपर भी ध्यान दें ताकि इसको पुनर्जीवित करके सिंचाई का काम हो सके।

सभापति महोदय, मैं वन के ऊपर भी कहना चाहती हूं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि यहां पर हरित राजस्थान योजना हम बनायेंगे और यह सही भी है कि राजस्थान में अब बारिश भी कम हो रही है। अब ईश्वर की कृपा भी ऐसी होती है कि जब-जब आपकी बारी आती है तो इंद्रदेव भी अपना हाथ कुछ पीछे खींच लेते हैं ...(व्यवधान) अकाल की स्थिति हमारे राजस्थान में पैदा हो जाती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हरित राजस्थान योजना आपने जो बनायी वह बहुत अच्छी बनायी। आपने कहा कि हम इतनी हैक्टेयर जमीन पर इतने पौधे लगायेंगे, इतने वृक्ष लगायेंगे तो मेरा उसमें आपसे एक छोटा सा निवेदन यह भी है कि आप वृक्ष लगाने की बात तो कर रहे हैं, आप आपूर्ति भी बता दें कि बाई बैक गारंटी से आप इसकी आपूर्ति ले लेंगे। पौधे उगा लेंगे, लेकिन पौधों से वृक्ष बनने की अपनी एक प्रक्रिया है, अपना एक समय है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पौधों को समय भी लगता है और उसमें पानी की भी बहुत आवश्यकता रहती है। उनकी सार-संभाल की भी पौधों में बहुत आवश्यकता रहती है, इस ओर भी सरकार ध्यान दे। यह नहीं कि पौधे लगा दिये और फिर उसको भूल गये वह वहीं सूख गया और खतम हो गया। उनके सार-संभाल की आवश्यकता है, उनको पानी की भी आवश्यकता है। समय-समय पर अगर सम्भाला तो वह पौधा भी वृक्ष बन जायेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वैट साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत बढ़ा दिया। उससे आम आदमी पर छोटी-मोटी घरेलू चीजें खरीदने पर भार बढ़ा दिया है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि वैट बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ जहां पैट्रोल और डीजल की बात करते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, अब समअप करिये।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): मैं दो-तीन मिनट में समाप्त करती हूं।

**श्री सभापति** : आपका समय जो निर्धारित है उससे चार मिनट अधिक हो चुके हैं।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): दो-तीन मिनट में कर दूंगी।

**श्री सभापति** : हां, समअप करें, प्लीज।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): दिन भर के भाषण में सबसे अच्छा भाषण है ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): मैं निवेदन करना चाहती हूं कि साढ़े 12 प्रतिशत से ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : सब का अच्छा भाषण है ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): आपने वैट को बढ़ाकर के 14 प्रतिशत कर दिया और जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो पैट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स को घटाना चाहिए ताकि अगर यहां कुछ बढ़ा है तो वहां कुछ घट जाये तो आम आदमी को राहत मिल जायेगी। आज के हर युग में हर आम आदमी भी स्कूटर, मोटर साइकिल चलाता है, उसमें भी पैट्रोल की आवश्यकता रहती है। उसमें अगर आप वैट को कम करेंगे तो आम आदमी राहत पायेगा। हमारे आसपास के जो राज्य हैं उनमें वैट कम है, अब हमारे यहां तस्करी से माल आ रहा है वह तस्करी भी बंद हो जायेगी अगर उनके बराबर वैट हो जायेगा। हमारे यहां वैट से आय भी अधिक प्राप्त होगी।

सभापति महोदय, यह पंजीयन शुल्क घटाया गया है जिसको आठ प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर दिया, महिलाओं का कम कर दिया, यह तो आपने कम कर दिया लेकिन वहां पर डीएलसी रेट को 10, 15 और 20 प्रतिशत बढ़ाकर उसको वहीं का वहीं बराबर कर दिया। इसमें आम आदमी को कोई राहत नहीं दी है।

**श्री सभापति** : श्री रमेश खंडेलवाल।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): सभापति महोदय, दो मिनट।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, एक सीमा का तो ध्यान रखना पड़ेगा।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): आपने उन सब को भी समय दिया है, एक बात और रह गयी।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य और भी मौके आयेंगे जब आप सदन में बोलियेगा ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): कोई बात नहीं, एक महिला होने के नाते दो-तीन मिनट और दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : अभी आपका समय पूरा हो चुका है। सदन का समय पहले से ही दो घंटे बढ़ाया जा चुका है।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): हमारे राज्य में जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : और भी माननीय सदस्य हैं, मैं महिलाओं का पूरा सम्मान करते हुए भी जो निर्धारित आपका समय है उससे मैंने पांच मिनट ज्यादा समय दिया है ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): सभापति महोदय, दो-तीन मिनट का समय चाहूंगी।

**श्री सभापति** : आपने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): कोई ज्यादा नहीं चाहूंगी ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्लीज समअप करिये, पहले सम करिये ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): दो-तीन मिनट का समय चाह रही हूं, ज्यादा नहीं चाह रही हूं ...(व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, आप इतने कठोर कब से हो गये ...(व्यवधान)

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): आप सारे सदस्यों को, आप तो बोलें ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट के अन्दर हमारे जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, हमारे राजस्थान की बेजोड़ कला है, इस बजट में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए इनके लिए भी प्रावधान करना चाहिए। साड़ियों पर सजावटी कार्य के लिए तो आपने कर मुक्त किया है लेकिन इन कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार ने महिला

(श्रीमती अनीता सिंह)

सशक्तिकरण के लिए एक योजना चलायी थी भामाशाह योजना, हर महिला के लिए 1500 रुपये और 30 हजार रुपये का स्मार्ट कार्ड हैल्थ के लिए जारी किया था लेकिन हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, मुख्य मंत्री हैं इन्होंने राजस्थान की महिलाओं के साथ अन्याय किया है। जो महिलाओं की यह योजना है इस योजना को आप ध्यान से देखिये ताकि महिलाओं के सुदृढ़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए काम किया जा सके। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि ...(व्यवधान) बस एक मिनट, एक पाइंट है।

**श्री सभापति** : अब तो आप समअप कर दीजिये।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): एक पाइंट है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : अब कर दीजिये, अब आप समअप कर दीजिये ...(व्यवधान)...

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): मैं निवेदन करना चाहती हूं ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति** : अनीताजी, अब सम अप कर दीजिये, प्लीज ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): एक पाइंट, लास्ट ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : बस यह लास्ट।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): हां, जी लास्ट बिलकुल ...(व्यवधान) महिला महिलाओं के विरोध में बोलती अच्छी नहीं लगती हैं, सेल्फ एड ग्रुप्स के विषय में मैं कहना चाहती हूं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिये, जो स्वयं सहायता समूह है इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि जो महिलाएं इसमें काम करती हैं, रंगाई का, छपाई का और क्रोशिए का, इस काम के अंदर जो कच्चा माल है वह विशेष रूप से बहुत बढ़ गया है तो सरकार को इसकी जो बैंक क्रेडिट है उसको कम से कम तीन गुना बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे महिलाओं को लाभ मिलेगा ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : श्री रमेश खंडेलवाल, अब अनीताजी समअप...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): बस एक मिनट।

**श्री सभापति** : अब बस लास्ट हो चुका है ...(व्यवधान) अब हो चुका है ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): एक लास्ट और है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : बिलकुल हो चुका है, बिलकुल हो चुका है ...(व्यवधान) समय खतम हो चुका है, कृपया अब ना लें ...(व्यवधान) मैं बहुत ज्यादा समय बढ़ा चुका हूं, 10 मिनट की जगह आप 18 मिनट ...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो आम आदमी और गरीब को समर्पित बजट दिया है इसमें एक आम आदमी कहीं खो गया है और गरीब आदमी ठगा सा इस बजट को देख रहा है, धन्यवाद।

**श्री सभापति** : ठीक है, अब बहुत हो गया ...(व्यवधान) रमेश खंडेलवाल।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): सभापति महोदय, हम पहली बार जीतकर आये हैं और आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। जब कल मुख्य मंत्रीजी बजट पढ़ रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा बजट आम आदमी, गरीब व्यक्ति और गांव को समर्पित है। रूरल डवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से उन्होंने आधार बनाया, जो बजट गांव को समर्पित किया। उससे हमें यह लग रहा था, मैं देहात से, नीमकाथाना रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, उधर से जीतकर आया हूं। इसलिए हमें यह लग रहा था कि जिस तरीके से जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी हो रही है उसके साथ-साथ रूरल डवलपमेंट उसी समानता के आधार पर, बराबर अधिकार देते हुए उनको आगे बढ़ा रहे हैं।

नरेगा जैसी योजना, यह योजना पिछले तीन-चार साल से लागू है। सही मायने में अगर नरेगा योजना के बेसिक पर अगर हम सोचते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि इस रिसेशन के पीरियड में जिसे विश्व की आर्थिक मंदी कहा जाए, अगर हिन्दुस्तान उसकी ग्रिप में नहीं आ पाया जब कि बहुत से डवलप कण्ट्रीज इसमें आए तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की यह जो राष्ट्रीय योजना है नरेगा, इसका बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। लोगों की पर्चेजिंग पावर जिस तरीके से इस देश में बढ़ाई, जितनी भी डवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने इस मंदी से बचने के लिए अपनी बैंकों को, जो पैसा दिया वह सही मायने में उन बैंकों या पूंजीपतियों तक या उन बैंकों को बचाने में लग गया लेकिन हमारे यहां इस नरेगा योजना के जरिये गांव-गांव और ढ़ाणी ढ़ाणी तक न केवल रोजगार दिया बल्कि उनकी पर्चेजिंग पावर जिस

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

तरीके से विकसित हुई या उन लोगों की जो पर्चेजिंग पावर डवलप हो पाई वह हमारे सामने मंदी से लड़ने में सार्थक उपाय निकला।

3 साल पहले 2006 में यह जो सरकार बात कर रही है, अभी बजट में विरोध कर रहे थे, 2006 में यह जो सामने बैठे हुए हमारे सभी महानुभाव, माननीय सदस्यगण जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, सीकर जिले की मैं बात बता रहा हूं, वह पिछला कार्यकाल जो 2006 में था, हमारी जिला प्रमुख महोदया इस राष्ट्रीय योजना जो इतनी बड़ी योजना है इसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई थी और दो-ढ़ाई साल तक वह बराबर चलती रही और हम लोग विपक्ष की हैसियत से उनकी शिकायतें करते रहे लेकिन इस सरकार ने इस नरेगा जैसी राष्ट्रीय योजना जो गरीबों के प्रति समर्पित है, उस पर जिस तरीके से पर्दा डाला और वह पर्दा डालकर उस जिला प्रमुख को बचाया। यह मस्टररोल की बात कर रहे थे, दस-दस मस्टररोल जिला परिषद में माननीय सदस्य जो हमारे दांतारामगढ़ से जीत कर आए हैं, हमारी पिछली मीटिंग में थे, जिस तरीके से दस-दस मस्टररोल उन लोगों ने नकली बनाये और नकली बनाकर उस जिला प्रमुख ने इनके कार्यकाल में अपने वेरीफिकेशन से जबकि सरपंच वेरीफाई करता है किसी भी मस्टररोल को या ग्राम सेवक वेरीफाई करता है लेकिन अपने दस्तखत से वेरीफाई कर दिया और वह हमारी पकड़ में आया। माननीय सदस्य दांतारामगढ़ से आने वाले, अमरारामजी और हम लोगों ने इस बात को ताकत के साथ उठाया लेकिन यह महसूस किया गया कि पिछली सरकार नरेगा जैसी योजना को भी ध्वस्त करने में लगी हुई थी। मुख्य मंत्रीजी ने कल के बजट भाषण में हम लोगों ने जो महसूस किया...

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सभापति महोदय, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगाना गलत है। आप इसको एक्सपंज करवाइए। जिला प्रमुख का नाम लिया है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिए।

डा. **रघु शर्मा** (केकड़ी): नाम नहीं लिया है।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हम अपनी किसी राष्ट्रीय योजना के बारे में बता रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापतिजी, आप कोई व्यवस्था नहीं दें, आप आसन पर बैठे हैं, आपको मैंने चार बार कहा, क्या बात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है? इन्होंने प्रश्न उठाया, सदन का नियम है कि सदन में जो यहां का मैम्बर नहीं है, उसके बारे में इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हमने उनका नाम नहीं लिया है। जिला प्रमुख के बारे में बताया है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : तिवाड़ी साहब, विराजिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप व्यवस्था दीजिए, आप दीजिए व्यवस्था। (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, जिला प्रमुख सीकर ...(व्यवधान) सीकर के जिला प्रमुख कर रहे हैं, आप सुन लो। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): पहली बार आए हैं या दुबारा आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। (व्यवधान) यहां पर सब के अधिकार बराबर हैं।

**श्री सभापति** : तिवाड़ी साहब, विराजिए। (व्यवधान) राधेश्यामजी, आप भी विराजिए।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हमने जिला प्रमुख कहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, आपको नियमों के तहत व्यवस्था देनी होगी। (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हमने जिला प्रमुख कहा है, उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप व्यवस्था दें सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : आप विराजें।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हमने उस जिला परिषद की मीटिंग में इस पूरे प्रकरण को उठाकर मस्टररोल का निरीक्षण किया।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बजट पर वाद-विवाद हो रहा है, बजट के वाद-विवाद पर ही आप अपना ध्यान केन्द्रित करें तो ज्यादा ठीक होगा। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप कार्यवाही नहीं चला सकते, आप व्यवस्था दीजिए।

**श्री सभापति** : हां, मैं व्यवस्था दे दूंगा। (व्यवधान) तिवाड़ी साहब, आप विराजिए।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): आप अपने भ्रष्टाचार के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को यह देखना चाहिए, नए सदस्य हैं। आप भी तो कभी नए सदस्य चुनकर आए थे। (व्यवधान) वह सदस्य आपको क्या मानेंगे?

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): इस नरेगा जैसी राष्ट्रीय योजना में मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट अलाटमेंट किया है उसके लिए ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिए राठौड़ साहब, विराजिए। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): पहले उनको बैठाइए। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं ऐसा नहीं चलेगा।

**श्री सभापति** : राधेश्यामजी, विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आई एम आन ए पाइण्ट आफ ऑर्डर। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या विराजें? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप विराजेंगे नहीं तो मैं व्यवस्था क्या दूंगा? आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): सभापति महोदय, नरेगा जैसी राष्ट्रीय योजना में शहरी गरीबों को राहत मिल सके इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने 11315 पद जो नए सृजित किए हैं व मोनिटरिंग के रूप में ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं, आप रोकिये इनको।

**श्री सभापति** : आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

जो सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम आया है उसको एक्सपंज करने की व्यवस्था देता हूं। जो सदस्य इस विधान सभा का सदस्य नहीं है, उनका अगर नाम आया है, जिक्र आया है, माननीय सदस्य महोदय, तो इसको एक्सपंज किया जाता है। (व्यवधान) मैंने अगर कहा है। आप विराजिए तिवाड़ी साहब। खण्डेलवाल साहब, जारी रखिए।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): सभापति महोदय, इस राष्ट्रीय योजना को साकार करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने 11315 नये पद सृजित किये हैं मोनीटरिंग के लिए ताकि सही मायने में गरीबों का हक गरीबों को मिले और बीच में ये भ्रष्टाचारी लोग उसको हड़प न जाएं इसके लिए नये पद लगाये हैं।

इन्होंने रूरल डवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए जो 9184 नये पद लगाये हैं कम्प्यूटर के ऑपरेटर के साथ, सही मायने में अगर देखा जाए तो पंचायत राज और हमारी पंचायतें सशक्त होंगी और सही मायने में पंचायतों को उनका हक और काम करने का पूरा-पूरा अवसर मिलेगा।

मुख्य मंत्री महोदय का जो विजन आम देहात और आम गरीब के लिए था, हमारे घोषणा-पत्र के अनुसार जिस तरीके से मजबूती के साथ जो गरीब आदमी, समाज का वह आखिरी इंसान जो संघर्ष कर रहा है अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपनी उन्नति के लिए। मुख्य मंत्री महोदय ने उनके लिए विशेष रूप से रुचि दिखाते हुए जिस तरीके से यह अभी बता रहे थे माननीय सदस्यगण कि दो करोड़ रुपये की एक शिक्षण संस्था खोल दी गई जोधपुर में, लेकिन यह भूल गये हैं आदिवासियों को मुख्य मंत्री महोदय ने उनका अधिकार देने के लिए पूर्ण रूप से उनका टाइटल और जहां वे निवास कर रहे हैं जिस वन भूमि पर उनको पूर्ण रूप से अधिकार पत्र देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर अपना काम स्टार्ट करने का आश्वासन दिया है।

इसके साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय जो सही मायने में मुख्यधारा के साथ अगर चलेगा, ये लोग जिस तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाकर जिस लड़ाई को चलाने के आदी रहे हैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने अल्पसंख्यक समुदाय के डवलपमेंट के लिए, उनकी उन्नति के लिए दो परसेंट का रिबेट उनके व्यवसाय में देकर एक जबरदस्त पहल की है जिससे वे हमारे साथ मिलकर चलें और कंधे से कंधा मिलाकर चलें।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारी जो एससी, एसटी की छात्राएं हैं 13 जिलों के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय ने पहल दिखाते हुए उन छात्राओं के लिए एक-एक करोड़ लगाकर होस्टल की व्यवस्था की है। हम यह मानते हैं कि उस दलित के उत्थान में सभी का भला है जो गरीब और दलित के उत्थान की बात करता है, मुख्य मंत्री महोदय का यह विजन जो छात्राओं के लिए, एससी और एसटी की छात्राओं के लिए हास्टल बनाने की योजना है यह अपने आप में एक पहल है। मुख्य मंत्री महोदय की यह पहल कि आम आदमी जो सड़क की योजना उन्होंने दी है और जिस तरीके से नरेगा की योजना उन्होंने दी है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट होगा। सोशल सिक्योरिटी के नाते जो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय और एससी, एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए जो वन भूमि पर आज तक काबिज रहे हैं, लेकिन उनको किसी ने टाइटल देने की पहल नहीं की, उस टाइटल देने की पहल में मुख्य मंत्री महोदय आगे बढ़कर दो कदम बढ़ाकर जो योगदान दिया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं और मैं पूरे सदन से यह कहना चाहूंगा कि हम हमारे मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने गरीबों का, दलितों का और आम जन का और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए जो बजट दिया है हम उनके आभारी हैं और हम चाहेंगे मुख्य मंत्री महोदय इस पर काम करते हुए कांग्रेस पार्टी का जो विजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से समाज के आखिरी इंसान के उत्थान की सोचती है वह कारगर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री रामहेत यादव।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने परिवर्तित बजट 2009-2010 पेश किया। सारा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है इसमें अलवर जिले को राजस्थान का हिस्सा नहीं मानकर शायद छोड़ दिया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को इस बजट में जहां 30 बड़ी पानी की योजनाओं की चर्चा की है और 1518 करोड़ रुपये उसमें खर्च करने की बात रखी है इसमें बाड़मेर लिफ्ट, जयपुर-बीसलपुर, अजमेर-बीसलपुर, पोकरण और चम्बल भरतपुर की बात कही है अलवर जिला फ्लोराइडयुक्त जिला है, पूरा डार्क जोन में है, पीने का पानी नहीं है। राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है, सरकार के माध्यम से आयी है हर स्कूल में जो हैण्ड पम्प थे वे सूख गये हैं, पीने का पानी नहीं है। इस बजट में निश्चित रूप से अलवर

(श्री रामहेत सिंह)

जिले में पेयजल के लिए विशेष योजना शामिल करनी चाहिए थी जो इस बजट में नहीं की गई है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जहां मुख्य मंत्री महोदय ने फसल बीमा की बात कही है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जिन 7 जिलों को फसल बीमा में शामिल किया गया है उसमें अलवर जिले का नाम नहीं है। अलवर वह जिला है जो राजस्थान में कुल सरसों की पैदावार होती है 29 लाख क्विंटल, उसमें 7 लाख क्विंटल सरसों अलवर में होती है और सरसों पर सबसे ज्यादा पाले का प्रभाव होता है, ओलावृष्टि का प्रभाव होता है। इसमें अलवर जिले को शामिल नहीं किया गया। इस बजट में निश्चित रूप से अलवर जिले को इस फसल बीमा में शामिल करना चाहिए था। इस बजट में शायद अलवर के साथ यह नाइंसाफी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय व मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले को इसमें निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए था ताकि अलवर के जो किसान हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित की बात कही है, लेकिन अलवर का किसान जो राजस्थान में सबसे ज्यादा एक चौथाई सरसों का उत्पादक है उसके साथ इस बजट में अन्याय हुआ है। इस बजट में उसको सम्मिलित करना चाहिए था।

एक तरफ मुख्य मंत्रीजी नये उद्योग लगाने की बात करते हैं, मंदी का दौर चल रहा है उसमें कृषि आधारित अलवर जिले में अगर तिलहन से संबंधित उद्योगों को जैसे पहले 7 साल की छूट रही है अगर इसमें भी दी जाती वहां की जो यूनिट हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स की छूट दी जाती, नये उद्योग वहां कृषि आधारित आते, तिलहन से संबंधित उद्योग लाने की योजना इस बजट में नहीं की गई है जो करनी चाहिए थी।

एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी तक रखना चाहता हूं कि जहां उच्च शिक्षा की बात हुई पूर्ववर्ती माननीय वसुंधरा राजेजी की सरकार ने अलवर जिले में महाराजा भर्तृहरि विश्वविद्यालय की घोषणा की थी और उसमें एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। पूरे बजट में राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय खोले थे विशेषकर अलवर जिले से संबंधित महाराजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की बात करना चाहता हूं उसमें इस बजट में व्यवस्था करनी चाहिए थी कि उसमें 200 करोड़ के आसपास उस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी जो बजट में नहीं

(श्री रामहेत सिंह)

हुई। यह जो विश्वविद्यालय की बात है वह आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं यह हमारी आज की नहीं है यह अलवर जिले की एक जान है, बहुत पुरानी मांग है, मैं इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं कि 15 फरवरी, 1946 को महाराजा सवाई देवसिंह ने एक मीटिंग बुलायी थी वहां पर और मीटिंग में तय किया गया था कि एक भर्तृहरि नगरम् के नाम से एक नगर स्थापित किया जाए और उसमें महाराजा भर्तृहरि के नाम से विश्वविद्यालय खुले और उसकी कार्ययोजना बनी और एक करोड़ रुपये का प्रावधान उस समय 1945 में हिजहाईनेस द्वारा किया गया और 31 अक्टूबर, 1946 को उसमें विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर डा. एन पी अस्थाना बने, लेकिन वह योजना उस समय पूरी नहीं हो पायी और उसके लिए 1946 में 5, 6, 7 नवम्बर को उसके उद्‌घाटन की तिथि तय थी, लेकिन वह किन्हीं कारणों से आगे बढ़ गयी। यानी आजादी के पहले से हमारी जो मांग है, हमारी भावना है, अलवर में महाराजा भर्तृहरि विश्वविद्यालय है इस बजट में उसका प्रावधान नहीं किया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से हमारी भावना है, जिले की भावना को ध्यान में रखकर महाराजा भर्तृहरि विश्वविद्यालय हेतु इसमें बजट का प्रावधान करें।

एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बार-बार हर मंच से हरित योजना राजस्थान की बात कही है, हरित राजस्थान में अलवर जिला भी आता है और अलवर जिले में जहां हरित राजस्थान में लाखों पेड़ लगाने की योजना राजस्थान सरकार ने रखी है। 2 लाख 50 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण की बात की गई है लेकिन इसके साथ अच्छा होता कि इस बजट में जो पहले से पेड़ लगे हुए हैं, वन विभाग की भूमि है, वन विभाग के पहाड़ हैं, उनकी रक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अलवर जिला एक ऐसा जिला है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अलवर जिले से गुजरता है लेकिन उसकी दुर्दशा है। आज हालात यह है कि पिछले दिनों जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में अलवर जिले के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों की बैठक हुई। माननीय अलवर का जिलाधीश महोदय, अलवर का डीएफओ हाथ खड़ा कर देता है। इल्लिगल माइनिंग के नाम से एक हजार ट्रक पिछले 4

(श्री रामहेत सिंह)

महीने में हरियाणा से जब से सुप्रीम कोर्ट का डंडा मजबूत हुआ है, यहां का पत्थर निकाल कर अरावली पर्वत श्रृंखला से आपके पेड़ जो वहां हैं उनको उखाड़ कर ले जा रहे हैं। सरकार को, माइंस विभाग को रायल्टी नहीं दे रहे हैं, पुलिस को गांठ नहीं रहे, वन विभाग के काबू में नहीं हैं और खुद माननीय तिजारा से दूरु मियांजी जो यहां स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं, खुद विराजे हैं, इनको स्वयं को पता है और ऐसी हालत है कि कोई विभाग उस पर कार्यवाही नहीं करना चाहता, पूरा जिला उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ छोटे पेड़ लगा कर आप हरित राजस्थान की बात करते हो, एक तरफ पूरे जिले को उजाड़ने का अभियान चल रहा है। इस पर अगर इसको बचाने के लिए इसमें वन भी बचेगा, इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला भी बचेगी, इसमें इल्लिगल माइनिंग भी बंद होगी। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, दिल्ली से हर सप्ताह, बहुत बड़ा जैन मंदिर है हमारे वहां अलवर जिले में यात्री आते हैं। जो अवैध खनन करने वाला जो वाहन जाता है उसकी स्पीड 160-170 की होती है, आए दिन तीर्थ यात्री मर जाते हैं। ऐसी हालत में अगर इस बजट में निश्चित रूप से स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था के लिए बजट रखना चाहिए ताकि पूर्व के जो वन विभाग के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ हैं उनकी रक्षा हो सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं विशेष रूप से वहां बाबा मोहनराम का मंदिर है, जहां पर 50 लाख यात्री हर साल आते हैं और 50 लाख यात्री ही नहीं आते, हर पूर्णमासी को हजारों लोग दण्डवत करते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं। आज उसकी क्या हालत है? एक तरफ जीर्णोद्धार करने के लिए देवस्थान विभाग के मंदिरों की, माननीय मुख्य मंत्री ने व्यवस्था की है और कोटा के एक मंदिर को 50 लाख रुपये देने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इस बजट में कम से कम 5 करोड़ रुपये बाबा मोहनराम मंदिर की रक्षा के लिए, उसका जो पहाड़ है, वह बहुत धार्मिक महत्व का है। उस पहाड़ पर एक धार्मिक शिला है उस पर घोड़े की चाप है उसमें ऐसा ही स्थान है जहां लाखों लाखों लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके परकोटे की जो परिक्रमा करते हैं, वहां इल्लिगल माइनिंग होती है उस पर अगर सड़क बन जाए तो दण्डवत करने वाले यात्री हैं उनको उसका फायदा मिलेगा। जो बाबा मोहनराम का मंदिर है उसकी रक्षा होगी इसलिए आपके माध्यम से मैं यह आग्रह करता हूं कि उसमें निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, इस बजट में उसका प्रावधान होना चाहिए।

(श्री रामहेत सिंह)

एक बात और कहना चाहता हूं। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भिवाड़ी को ग्रेटर भिवाड़ी की स्थापना की बात कही है और बहरोड़ और नीमराना को डवलप करने की बात कही है। किसके लिए ग्रेटर भिवाड़ी बनाना चाहते हो? किसके लिए नीमराना के डवलपमेंट की बात करना चाहते हो? उद्योगपति आ जाए, वहां उद्योग लगाए, वहां मुनाफा कमाए और वहां से चला जाए। क्या यही एक पहलू है जिसमें बजट के लिए ग्रेटर भिवाड़ी की कल्पना है। अगर यही है तो, सभापति महोदय, यह कल्पना अधूरी है। यह एक पक्षीय है, इसमें दूसरे पक्ष का भी विचार करना चाहिए और बजट में व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, वैसे क्या है अलवर जिले में सबसे ज्यादा कस्टोडियन लैंड है जिसमें 1956 के बाद से जब से लैंड रेवेन्यु एक्ट लगा था, चालू हुआ था तब से अब तक लाखों लोग गैर-खातेदार हैं, गैर-खातेदार हैं, सरकार उनको खातेदारी राइट नहीं देती, उनके बिजली का कनेक्शन नहीं हो सकता, उनको मुआवजा नहीं मिलता। एक जगह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किया है कि अगर इसमें डीएलसी रेट बढ़ती हैं तो किसानों को मुआवजे का फायदा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं कि वहां के किसानों को क्या मुआवजा देते हैं? क्या नोएडा एनसीआर में आता है, गुड़गांव एनसीआर में आता है, फरीदाबाद एनसीआर में आता है, बल्लभगढ़ एनसीआर में आता है तो वहां डेढ़ करोड़, दो करोड़ की रेट है और यहां के किसान को 12 लाख, 15 लाख रुपये देकर जिसको भी रेफरेंस कर देते हैं क्योंकि उसके पास खातेदारी नहीं है, गैर खातेदार है। सरकार उसको खातेदार नहीं मानती। अच्छा होता कि मुख्य मंत्री महोदय इस बजट के माध्यम से एक लाइन का प्रस्ताव इसमें रख देते कि जो भी गैर खातेदार हैं, पुराने, उन सब किसानों के हित में सब को खातेदारी राइट दिये जाते हैं, उनको फायदा मिलता। आज बिजली विभाग उनको कनेक्शन नहीं देता। आज सरकार उनकी अगर जमीन ले लेती है तो मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि वह खातेदार नहीं हैं, गैर खातेदार हैं। उसके रेफरेंस में घूमते रहते हैं इसलिए दूसरे पक्ष को भी सोचना पड़ेगा।

तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं इसी में। एक तरफ हरियाणा से लगती हुई सीमा है। अभी माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ सही फरमा रहे थे कि हरियाणा में जो डीजल पर टैक्स है वह 8 परसेंट है, दिल्ली में 12 परसेंट है और हमारे यहां पर 20 परसेंट है। ऐसा ही पेट्रोल में हरियाणा में 20 परसेंट है, हमारे यहां पर 28 परसेंट है। क्या उस ग्रेटर भिवाड़ी का

(श्री रामहेत सिंह)

आदमी जो हरियाणा की बॉर्डर पर लगा है, क्या राजस्थान से डीजल और पैट्रोल नहीं खरीद सकता, उसको हर किसी काम के लिए जो बगल में हरियाणा रहता है, तीन रुपये, चार रुपये का अंतर है। वह कहां खरीदने जाएगा? पूरे जिले में आप देखो मंत्री महोदय खुद बिराजे हैं, एक भी सब डिवीजन तिजारा, सब डिवीजन कोटकासिम, सब डिवीजन मुण्डावर, सब डिवीजन बहरोड़। यह हालत है कि एक भी पैट्रोल पम्प जो शहीदों के नाम से अलाट किये गये थे उन सब पर ताले लग गये उसका कारण है कि एक पक्ष का सोचा जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हरियाणा में जो टैक्स है उतना टैक्स यदि राजस्थान में कर दिया जाए, समान हो तो यहां पर सरकार की आमद बढ़ेगी, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जो सैकड़ों की संख्या में हैं जो ताला लगा कर अपने घर बैठे हैं पैट्रोल पम्प के नाम से, जनता को रिलीफ मिलेगी। हम सब एनसीआर में आते हैं, सारा जिला, एनसीआर के कारण हम सोच रहे थे माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान में, दिल्ली में यूपीए की सरकार है, वहां से कोई ऐसी योजना लाएंगे एनसीआर में जिसका फायदा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कोई फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, सिर्फ दिया है तो किसानों को, एक तरफ आप उद्योग डवलप करने की बात करते हो, दूसरी तरफ पर्यावरण का मामला है, इल्लिगल माइंस का मामला है, बिजली के कनेक्शन नहीं होते हैं, गैर खातेदार को खातेदारी राइट नहीं हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जिस तरह से अलवर जिले की उपेक्षा की गई है, बजट में, इसमें पुनर्विचार करके और इस बजट में अलवर जिले को विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि इल्लिगल माइनिंग बंद हो जाए और महाराज भतृहरि के नाम से जो विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती सरकार ने, वसुंधराजी ने घोषणा की थी उसको भी हमारे अलवर जिले की जान है, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो योजनाओं का लाभ हमको नहीं देने का कारण मुझे लगता है माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्य मंत्री नहीं हैं, यहां पर सदन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता नहीं हैं, हम सब के हैं। ऐसा लगता है कि जैसे विधान सभा का चुनाव हुआ, 11 विधान सभा की सीटें हैं, 3 कांग्रेस के आए हैं, 8 खिलाफ चली गई, इस बजट के माध्यम से सब की, जनता का बल काटना चाहते हैं। अगर हमको कोई सुविधा है, विधायक हम चुने हैं तो जनता ने चुने हैं,

(श्री रामहेत सिंह)

जनता की भावना सदन में आई है और अगर ऐसा भेदभावपूर्ण तरीके से आपने इस बजट को पढ़ा, ऐसा कोई पैरा नहीं है जिसमें जोधपुर की चर्चा, जोधपुर में कुछ न कुछ नहीं दिया हो। एक अलवर जिला ही ऐसा है जिसके साथ भेदभाव अपनाया गया है। मैं पुन: आपके माध्यम से इस बजट में विशेष प्रावधान करके विशेष पैकेज अलवर को मिले, यही कहना चाहता हूं। यह बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और इसकी मैं निंदा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति** : श्री करण सिंह राठौड़।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार सदन में आपके आदेश के अनुसार मुझे बोलने का मौका मिला है उसके लिए मैं आपका और सदन का आभार व्यक्त करता हूं और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को आजादी के बाद सबसे बड़ा बजट 2009-10 का जो पेश किया है। उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आजादी के बाद ऐतिहासिक बजट है, गरीबों का बजट है, गांव के लोगों का बजट है, किसानों का बजट है। भारत गांवों में बसता है और आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उपेक्षित वर्ग के बारे में नहीं सोचा और इसी कारण से विपक्ष में बैठे नेता इस बजट को देखकर के तिलमिला रहे हैं। इस बजट को पढ़िये। मैं कहता हूं कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इसका आप विरोध कर सकें। आपको किसी भी पंक्ति में बोलने का अधिकार नहीं है, आपको कहीं भी इसमें निंदा करने का अधिकार नहीं है। एक-एक पाइंट को आप उठाकर के देख लीजिये, चाहे कृषि की नीति को आप ले लीजिये। अभी अलवर के भाई बोल रहे थे कि किसानों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं छबड़ा क्षेत्र से चुनकर के आया हूं और बिजली मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं और पूर्व मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, किस तरह से किसानों का शोषण हुआ यहां पिछली सरकार के टाइम पर? किस तरह से किसानों की जमीन को हथिया लिया गया चाहे सेज के नाम पर, चाहे विद्युत के बिजली घर लगाने के नाम पर। मैं पीड़ित रहा हूं छबड़ा क्षेत्र में। मेरे भाई सही बोल रहे थे कि आपकी भावना अगर उस समय होती तो किसानों का भला होगा और सदन के प्रतिपक्ष के उप नेता घनश्यामजी तिवाड़ी की बात भी अगर मान ली जाती तो किसानों का शोषण नहीं होता।

(श्री करणसिंह)

आज सदन में चर्चा हो रही है, लोग लम्बे-लम्बे भाषण दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं। मैं पहली बार सदन में आया हूं और सदन में आने के बाद काफी चर्चा मैंने सुनी और सुनने के बाद एक-एक पाइंट पर सदन में जो नेता बोले हैं उसका मैं जवाब दे सकता हूं। आप देखिये कि एक भी पाइंट इस बजट में ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाए। पूरे गांव के गरीबों के लिए यह है, पूरी गरीब जनता को उठाने की बात कही गई है, ग्रामीण विकास की बात कही गई है चाहे नरेगा हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे इर्रिगेशन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपके समाज कल्याण की योजना हो। एक-एक पाइंट को आप उठाकर देखें तो मेरे ख्याल से आपको कोई बोलने का हक नहीं है क्योंकि जिस तरह से आपने पाँच साल तक सरकार चलाकर के जनता का शोषण किया है, कहां पारदर्शिता थी? पूरा भ्रष्टाचार था। जहां 90बी की बात आती है तो मेरे क्षेत्र से जीते हुए मंत्री थे भाई प्रताप सिंह सिंघवी, आज सदन में नहीं आये, घोटाला ही घोटाला था तो आज वो सदन में नहीं है। इसलिए पूरी जनता को लूट खाया है इस 90बी के नाम पर। इस 90बी के नाम पर आपने बाड़मेर और राजस्थान के बोर्डर को बेच खाया। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): ....... आपको नये आदमी से चिढ़ है क्या? पहली बार बोलने वाले से चिढ़ है क्या? बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : महेन्द्रजी, विराजिये।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): भारतीय जनता पार्टी के राठौड़ सदन में बोल रहे हैं तो कांग्रेस के राठौड़ को भी बोलने दीजिये। छोटा भाई हूं आपका, आपका आशीर्वाद चाहता हूं और सदन में दो नेता बैठे हुए हैं गुलाबचन्दजी कटारिया और घनश्यामजी तिवाड़ी, उनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। सदन की गरिमा को मैंने देखा है, पिछली बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मैं सोचता था कि पता नहीं गलत बोल जाऊं। सभापति महोदय, मुझे सदन का डर था, मुझे मौका नहीं मिला पर मैं सीखना चाहता हूं सदन से और राठौड़ साहब आपसे भी कुछ सीखूंगा। यह बजट पेश करने के लिए है, इस बजट में हमने क्या गलत किया इस पर हम चर्चा करेंगे और क्या गलत किया है और

(श्री करणसिंह)

क्या बुरा किया है उसको हम ठीक करेंगे। आप सुझाव दीजिये मुख्य मंत्री महोदय को, सरकार चलाने के लिए विपक्ष का सुझाव चाहिये। हमारी बहन बोल रही थीं कि पीने का पानी भी शुद्ध कर दीजिये। शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है। (व्यवधान) पानी आपको देंगे, बिलकुल शुद्ध पानी पिलायेंगे, मिनरल वाटर पिलायेंगे पांच साल तक घबराइये मत। अभी हमारी योजना आने वाली है, मिनरल वाटर देंगे आपको, घबराइये मत। आप हमारी बात को सुनिये। अभी सरकार की योजना बन रही है, अभी यह बजट बना है अभी देखिये आप। इस बजट से आप तिलमिलाइये मत। हम मिनरल वाटर देंगे आपको, आप घबराइये मत, हमारी बात को सुनिये आप। सदन में सुनने का हक रखिये आप। मैं सुनता हूं, मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं। सभापति महोदय, पहली बार सदन में बोल रहा हूं। आपने एक बात कही है महिला सशक्तीकरण की। मैं आपकी बात को ले रहा हूं। महिला सशक्तीकरण के लिए आपने कहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिला परिषद का मैम्बर भी रहा हूं और कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा हूं। महिला सशक्तीकरण के नाम पर योजना यह थी कि एक दिन मैं छबड़ा क्षेत्र में गया तो वहां डेढ़ हजार महिलाएं इकट्ठी थीं। मैंने पूछा कि आज क्या हो रहा हैं तो कहा कि साड़ियां बंट रही हैं। मैंने कहा कि साड़ियां काहे की बंट रही है तो कहा कि आज तो 1500 रुपये का लड्डू मिलने वाला है, 1500 रुपये का लड्डू देंगे। गांव-गांव की महिलाएं इकट्ठी कर लीं और उनसे कहा गया था कि तुम भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनो। यह महिला सशक्तीकरण योजना थी। मैं कहना चाहता हूं आपको इन चीजों के लिए कि यह केवल ढकोसला था। एक-एक पाइंट पर आ जाइये आप। किसानों की बात करते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि थर्मल की जमीन, 8 दिसम्बर, 2005 को थर्मल की भूमि पूजन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दो साल जश्न मनाया और लाखों रुपया किसानों के नाम पर थर्मल का पैसा खा गये और किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में छीन ली, किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव में ले ली। किसान बर्बाद हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि किसानों की जमीन के ऊपर इण्डस्ट्री लगे या उद्योग-धंधे लगे पर उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनको बसाने की बात करनी चाहिए। फिर 1320 मेगावाट की बात की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने मुख्य मंत्रीजी को कह दिया कि 1320 मेगावाट आप बना तो

(श्री करणसिंह)

रहे हैं पर किसानों का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। आप और हम किसानों की बात कर रहे हैं, कटारिया साहब और तिवाड़ी साहब आपने सेज का विरोध नहीं किया होता तो आपके किसान बर्बाद हो जाते इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसान की बात की मगर उनके जो 4-5 साथी थे उन्होंने ऐसी लूट मचाई कि न किसानों की सुध की, न आम जनता की सुध ली। जनता लुटती रही और लोग मजे लेते रहे। 90बी में जमीन बिकती रही चाहे बॉर्डर बिके चाहे वो बिके और दुर्भाग्य इस देश का, मैं सदन में बोलना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की बुराई करना चाहते हैं, ऐसे गांधीवादी नेता, ऐसे किसान के बेटे जिन्होंने हमेशा आदर्श से, अपने संयम से जीवन जीया है और एक नेता जो अपने चरित्र को हनन कर देते हैं, उन्होंने पूर्व मुख्य मंत्रीजी को घर में दुर्गा मानते हुए पूजा करना चालू कर दिया....... (व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, यह कोई बजट पर भाषण नहीं है, यह बजट पर भाषण नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : सूर्यकांताजी, आप विराजें।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आप इनको रोकिये।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): पहली बार छोटा भाई बोल रहा है, आप बैठ जाइये।

**श्री सभापति** : आप विराज जाएं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विराज जाएं। (व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): यह बजट पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं? क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान) आप लोग बोलते नहीं हो।

**श्री सभापति** : आप विराजें।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): विराजें कैसे, मर्जी आये वैसे बोल दे क्या? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप हमारी बुजुर्ग और सम्माननीय सदस्या हैं, आप विराजें। (व्यवधान) आप बैठें तो सही।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): व्यवधान नहीं करें। (व्यवधान) मैं पहली बार बोल रहा हूं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हम यह नहीं सुनेंगे। ये बजट के ऊपर बोलें, मगर यह क्या बात हो गई। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : मैंने सभी माननीय सदस्यों को निवेदन किया है कि विषय से हटकर के बोलेंगे तो समय जाया ज्यादा होगा और जो चीज बोलनी चाहिए उसका समय समाप्त हो जाएगा लेकिन कोई माननीय सदस्य इस चीज को मानते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह क्या हुआ? आसन को सहयोग करना चाहिए। (व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, सदन किसलिए है? बजट के ऊपर बोलें। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये कुछ भी बोल देंगे क्या?

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, विराजें। (व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): राठौड़ साहब, आपका छोटा भाई बोल रहा है। (व्यवधान) मेहरबानी करके विराज जाएं।

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह ऐसे नहीं चलेगा। सभापति महोदय, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हाउस को आर्डर में रखिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान) आप बैठिये।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): अभी आप देखिये, नरेगा का है, इन्होंने कहा है कि हमने 250 की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ दिया, आप गांवों में जाकर के तो देखो, कितनी सड़क गांवों से जुडी है, जूते टूट जाते हैं गांव जा-जाकर के पर सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है और आपके डीलरों ने, पुराने डीलर हैं उन्होंने क्या चोरबाजारी और मिलावट का काम किया है उसके लिए हम शुद्ध के लिए युद्ध चला रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था इसकी, आप सुनने का माद्दा रखिये। आपके खराब कामों को हम ठीक कर रहे हैं।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने पांच सालों में कितनी सड़कें जोड़ी हैं और हमने पाँच साल में कितनी जोड़ी हैं?

**श्री सभापति** : आप बिराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान) रघुजी, बिराजिये।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): हमने कितने लाख किलोमीटर सड़क बनाई? (व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): मैं यह कहना चाहता हूं... (व्यवधान) मैं पहली बार बोलना चाह रहा हूं और मैं राठौड़ साहब, एक्चुअल में बोल इसलिए रहा हूं कि राठौड़ साहब खूब बोलते हैं और मैंने कहा कि मैं आपका छोटा भाई हूं और वह भी बोलना सीखेगा तो मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूं इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपकी टक्कर के राठौड़ हमारे पास भी हैं।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): मैं विपक्ष से आशीर्वाद लेकर बोल रहा हूं। पांच साल तक इन योजनाओं पर कोई काम नहीं किया इन्होंने। न अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा, न एस.सी. के बारे में सोचा, न गरीब के बारे में सोचा, न बी.पी.एल. के बारे में सोचा। इन्होंने सब के नाम काट दिये बी.पी.एल. के और बी.पी.एल. का गेहूं खा गये और हमने उन बी.पी.एल. को गेहूं देने की बात की है। उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात की है। क्या खराब कर दिया बजट में, बजट में क्या खराब कर रखा है, बताओ। आपको पता है, कुछ खराब काम किये हैं। जब पाप नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है... (व्यवधान) पाप किया ही नहीं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम मुख्य मंत्रीजी की भावनाओं के साथ मिलकर राहुल गांधीजी का सपना है, भारत गांव में बसता है। गांव भारत में बसता है और भारत गांव में बसता है। किसी भी चीज को मिला लीजिये आप और पहली बार गांव को हमने इतना पैसा दे दिया कि विपक्ष तिलमिला गया। गरीब को पैसा दे दिया तो विपक्ष तिलमिला गया। चिकित्सा सुविधा को हमने सुदृढ़ किया इसके अन्दर। आप देखिये, चिकित्सा व्यवस्था में हमने गरीब को राहत देने की व्यवस्था की है। हमने जयपुर में बड़े-बड़े नेताओं का हार्ट का आपरेशन करने की व्यवस्था की है। सारी व्यवस्था की है। आपके लोग, सब के लोग, कांग्रेस के और बीजेपी, दोनों के लिए। आप बीमार हो जायेंगे, तुरन्त आपरेशन हम करेंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है तो माननीय इस सदन में इस बजट को आप और हम मिलकर पास करें और इस पर हम समर्थन दें ताकि राजस्थान की जनता वाहवाही कर रही है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री करण सिंह)
ऐसा बजट पेश किया आजादी के बाद और ऐसा नेता पैदा हुआ कि सारे नेताओं को लोग भूल गये। क्या कर रहे हैं हमारे नेता, वह बैठे हैं गुलाबचन्द जी कटारिया और घनश्याम तिवाड़ी साहब। मैं साधुवाद देता हूं इन दोनों नेताओं को, उस समय में इनका दिल दुखता था, इनकी आत्मा दुःख पाती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे और चलती नहीं थी। हमारे नेता ऐसे नहीं हैं कि हम उनकी मूर्ति घर में लगा दें और हम भौंपू बन जाये अगरबत्ती लगाकर कि वह मंत्री बना दे, ऐसे हमारे मुख्य मंत्री नहीं है इसलिए चरित्र की जरूरत बहुत है... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये बजट पर बोल रहे हैं? ये बजट पर बोल रहे हैं? (व्यवधान) कुछ तो शर्म कराओ इनको, क्या बोल रहे हैं ये? बोल क्या रहे हैं? (व्यवधान) कुछ तो सदन की गरिमा रखो।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि आप बजट पर बोलेंगे सदन में। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये गाली-गलौच की भाषा बोल रहे हैं। ये गाली-गलौच की भाषा नहीं है? ये गाली-गलौच की भाषा बोल रहे हैं। और क्या बचा है, ये भौंपूं बोल रहे हैं, ये क्या-क्या बोल रहे हैं? ये असंसदीय भाषा बोलने लग गये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : रघुजी, विराजिये। रघुजी, विराजिये। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप यह सोच रहे हैं... (व्यवधान) आप अकेले-अकेले यहां चला रहे हैं आपकी मर्जी आये। अब यह राठौड़ साहब तैयार हैं। आपके मुकाबले के लिए राठौड़ तैयार है।

**श्री सभापति** : आप विराजिये। आप विराजिये। आप इनको बोलने दें।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): मैं कहना चाहता हूं, मैं उस परिवार का आदमी हूं जो गाली नहीं बकता है और आप ऐसा समझते हैं तो मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में इन्होंने कहा है कि हम किसानों को बिजली दे देंगे। इन्होंने झूठे वायदे किये। चुनाव के बाद किसानों को कनेक्शन नहीं दिये और इन्होंने झूठ-मूठ डिमांड नोट निकाल दिये, उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिला। उनको कनेक्शन हम देंगे इस बजट के अन्दर। सारा काम हम करेंगे। आप बताइये, किसानों का भला करने की बात है। न बिजली मिल रही है किसानों को, न पानी मिल रहा है किसानों को। आपके यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो सारी व्यवस्था हमने इसमें की है। आप सब मिलकर तिवाड़ी साहब, आप बड़े सज्जन आदमी हो और हमारे

(श्री करण सिंह)

कटारिया साहब, आप दोनों इसको पढ़ लो। इसमें कोई अच्छी बात नहीं हो तो हम सुधारेंगे इसमें।

**श्री सभापति** : करण सिंहजी, समय की सीमा है। सम-अप करिये आप।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): दो मिनट, दो मिनट में कर रहा हूं। मैं पहली बार बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा व्यवस्था में जननी सुरक्षा योजना चलती थी, 1,450 रुपये एक गरीब महिला को देते थे अस्पताल में अगर जच्चा-बच्चा हो तो कि वह दूध-दलिया खा ले। उसका पैसा ये खा गये उस समय के अन्दर दूध-दलिया का, ऐसी योजना को हम वापस ठीक कर रहे हैं। इसमें हमने पाँच करोड़ रुपये बढ़ा दिये हैं इस बजट के अन्दर...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, सदन की गरिमा को क्यों तार-तार कर रहे हो? क्यों तार-तार कर रहे हो? (व्यवधान) क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप बिराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप अलाऊ कर रहे हैं क्या? (व्यवधान) आप इसको एक्सपंज करवाइये।

**श्री सभापति** : सूर्यकांताजी, विराजिये। आप विराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये क्या कर रहे हैं?

**श्री सभापति** : राठौड़ साहब, आप विराजिये। आप विराजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इसको एक्सपंज करवाइये आप। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप बिराजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? हम भी बोल सकते हैं।

**श्री सभापति** : आप विराजिये, बिराजिये।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मैं पहली बार बोल रहा हूं सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : दो सदस्य इधर से बोलना बाकी हैं, दो सदस्य उधर से बोलना बाकी हैं। आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजें तो सही। राठौड़ साहब, आप बिराजें तो सही।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) यह नहीं चलेगा। यह सदन में गरिमा बनाये रखने के लिए...

**श्री सभापति** : आप विराजिये, आप विराजिये।

**डा. दिगम्बर सिंह** (कुम्हेर): अगर हमने तोता बोलना शुरू कर दिया तो क्या सदन में ठीक रहेगा? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : पाँच माननीय सदस्य और बोलना बाकी हैं। आप विराजिये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, सदन में ऐसी शब्दावली का प्रयोग, गाली-गलौच का प्रयोग करना और आप आसन से बैठे-बैठे यह कहो कि आप बोलो, आप बोलो, यह शब्दावली सदन में नहीं चलेगी।

**श्री सभापति** : गाली-गलौच नहीं हुई है, गाली-गलौच नहीं हुई है। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, यह नहीं चलेगा। हम नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): मैं गाली नहीं देता हूं किसी को, कभी देता ही नहीं हूं, मैं गाली-गलौच नहीं देता हूं, मुझे गाली देना आता नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): हम नहीं सुनेंगे।

**श्री सभापति** : गाली-गलौच कहां हुई? गाली-गलौच कहां हुई? (व्यवधान) गाली-गलौच नहीं हुई। गाली-गलौच कहां हुई? (व्यवधान)

## सदन के कूप में

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में आये)**

**श्री सभापति** : आप मेहरबानी करके बैठ जायें। आप मेहरबानी करके बैठ जायें। (व्यवधान) आप कुर्सियों पर पधारें। राठौड़ साहब, आप कुर्सियों पर पधारें।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): मैंने गाली-गलौच नहीं बोली है। मैंने सदन में कोई गाली नहीं दी है। मैं गाली देना जानता नहीं हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : अगर ऐसा कोई शब्द पाया गया जो असंसदीय होगा, राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, जो कोई बात बोली है, ऐसा कोई बोला है शब्द, ऐसा कोई बोला है शब्द...

(श्री सभापति)

नरपत सिंहजी राजवी साहब, सुनिये। दिगम्बर सिंहजी, सुनिये। आप विराजिये।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): मैं यहां पर बजट का स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता के अनुरूप यह बजट दिया है और इस बजट को हम सब मिलकर पास कराना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे पहली बार मौका मिला है। (व्यवधान) मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है।

**श्री सभापति** : अगर ऐसा कोई शब्द बोला है, अगर ऐसा कोई शब्द बोला है तो उसको एक्सपंज किया जायेगा, उसको एक्सपंज किया जायेगा। मुझे देखने दीजिये। (व्यवधान) आप मुझ पर विश्वास कीजिये। राजवी साहब, विराजिये आप।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, सदन की गरिमा बनाइये। ये मुझसे डर क्यों रहे हैं। ये बड़े भाई साहब हैं, मेरे से डर क्यों रहे हैं? (व्यवधान) मेरी भावना है, मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा, ये माफी मांगें।

**श्री सभापति** : हर सदस्य बोल रहा है, हर सदस्य बोल रहा है। हर सदस्य विषय से हटकर बोल रहा है। (व्यवधान) हर सदस्य विषय से हटकर बोल रहा है। विषय से हटकर बोल रहा है हर सदस्य। मैंने कई बार कहा है कि आप विषय पर बोलें। मैंने कई बार कहा है, समझाया है कि आप विषय पर बोलें। (व्यवधान)

**(समय : 18.29 बजे)**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, यह नहीं चलेगा।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा काम किया है इसमें, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा काम किया है, पूरी जनता के अनुरूप बजट दिया है, उसका हम सब को स्वागत करना चाहिए और गरीब का पूरा ध्यान रखा गया है, महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है और एस.सी. एस.टी. का ध्यान, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा गया है और इसमें सारे लोगों का ध्यान रखा गया है और मुख्य मंत्रीजी का समस्त क्षेत्र है... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। कृपया सीट पर चले जाइये। मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं व्यवस्था दूंगा। मैं व्यवस्था दूंगा पर मुझे पता नहीं है कि हुआ क्या है। (व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है और मैं पहली बार जीतकर आया हूं। आप देखिये...

**श्री अध्यक्ष:** कृपया आप अपनी सीट पर पधारें, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं व्यवस्था दूंगा, मैं व्यवस्था दूंगा। (व्यवधान) मैं आपकी बात सुनूंगा भी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, पहले ये माफी मांगें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य। छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया आप बैठिये, आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये। मैं कह रहा हूं, आप बैठिये। मैं कह रहा हूं बैठिये आप। बैठिये। जो माननीय सदस्य अपनी सीटों पर नहीं बैठें हैं, दूसरी जगह पर बैठे हैं, कृपया पहले अपनी सीटों पर जायें। (व्यवधान) वही व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया आप लोग भी अपनी सीटों पर मेहरबानी करके चले जायें, मैं आपकी बात सुनूंगा। आपकी बात सुनूंगा मैं। आप अपनी चेयर पर जाकर के, मैंने उनको भी कहा है, आप कृपया चेयर पर चले जायें, अपनी सीट पर चले जायें पहले। मेहरबानी करके अपनी सीट पर चले जायें, अपनी सीट पर चले जायें पहले, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप अपनी सीट पर से, यहां से नहीं, सीट पर से। आप अपनी बात सीट पर से। (व्यवधान) चलिये । उसी का तो प्रयास कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य से निवेदन करूंगा, मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ, कृपया आप दो मिनट में कहें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी, सभी माननीय जो नये सदस्य आये हैं उनको बोलने का पूरा अधिकार है, हम उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जिन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, भोंपू, चोर, धोखेबाज और इस प्रकार का भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिए, भूतपूर्व मंत्री के लिए, जो सदन के मेम्बर इस समय उपस्थित नहीं हैं, उनको हराकर यह जीत कर आये होंगे लेकिन अब विधान सभा में हार भी गये उस क्षेत्र से यह, ऐसा नहीं है, हार... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, बैठ जाइये। (व्यवधान) प्लीज, बैठ जाइये। प्लीज, बैठ जाइये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हार-जीत होती रहती है, लेकिन किसी को आप हराकर आओ, उसको आप अपमानित करो और कोई पहले मुख्य मंत्री है, उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करो, अगर कोई सदन में हमारी तरफ से माननीय सदस्य किसी भूतपूर्व हमारे नेता हैं उनके लिए या सदन के नेता के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो न हमको अच्छा लगेगा, न आपको अच्छा लगेगा। उन शब्दों का प्रयोग तो कर सकते हैं जो संसदीय हैं। हम कहेंगे कि यह बात असत्य है, तथ्य गलत है, इसमें यह काम हुआ है लेकिन जो अनपार्लियामेंट्री शब्द है उनका बार-बार हमने आग्रह किया है सभापति महोदय से..(व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं सदन से...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठ जाइये, बैठ जाइये आप कृपया। कृपया आप बैठ जाइये। मैंने आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, बैठ जाइये आप।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय से हमने बार-बार यह बात कही, वह जब भी बात कहते, बैठ जाइये, हम फिर बैठ जाते और वह भाषण चालू है, इसलिए हमने उनको कहा है कि आप सभापति के आसन पर हैं तो आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी। अब व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसको भी नहीं माना और सभापति के आसन पर नहीं हैं, वहां चले जायें तो हमको व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह यही है कि माननीय सदस्य बोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी आलोचना करें, हमारी सरकार की आलोचना करें..(व्यवधान) इसलिए मेरा आपसे आग्रह है.. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मेरा आपसे आग्रह है, मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है कि जिन शब्दों का प्रयोग करने से भूतपूर्व मुख्य मंत्री का और उनका सीधा अपमान हुआ है उनके लिए क्षमायाचना करें और आप शब्दों को जो पार्लियामेंट्री नहीं है और बिना नोटिस दिये जो आरोप लगाये हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकालें, यह मेरा आपसे आग्रह है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज। प्लीज।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है, सुन लें, इसी कंटीन्युटी में। अभी जननी सुरक्षा के संबंध में बात कर रहे थे, जननी सुरक्षा के संबंध में बात कह रहे थे, जननी सुरक्षा का 1400 रुपये दे रहे हैं और इतने देते हैं, जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए देते हैं लेकिन यह सारी सरकार, सारा खा गई। (व्यवधान) झूंठ, असत्य तथ्य सदन में बताने के हिसाब से, झूंठ और असत्य तथ्य सदन में गुमराह करने के लिए नहीं बताये जा सकते, यह माफीपरक है, माफी इनको मांगनी चाहिए।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष**: आप कृपया बैठ जाइये।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष**: मुझे व्यवस्था बनाने दीजिये, प्लीज।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): एक मिनट के लिए।

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज। माननीय भारतीय जनता पार्टी के उप नेता ने जो बात कही है, मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने निवेदन किया था कि किस बात को लेकर के अव्यवस्था हुई। सारी प्रोसीडिंग्स मैं देखूंगा और निश्चित रूप से आप भरोसा करें, जो आपत्तिजनक शब्द होंगे या असंसदीय शब्द होंगे उनको एक्सपंज किया जायेगा और अगर वास्तव में कोई ऐसा शब्द कहा गया है जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए..(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): कहा ही है।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): माननीय अध्यक्षजी, इन्होंने भी पहले डोकरी कहा था उसके लिए यह भी माफी मांगें। इन्होंने भी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था।

**एक माननीय सदस्य**: इसलिए वह भी माफी मांगें।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): वह भी माफी मांगें पहले। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मेरी बात पूरी होने दीजिये, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, यह फैसला आपको नहीं करना है, मुझे करना है किसने क्या कहा है, उसके बारे में क्या करना है, आप मुझे कृपया सहयोग करें। मैंने निवेदन किया, अगर कोई आपत्तिजनक शब्द है, असंसदीय

(श्री अध्यक्ष)

शब्द है, बुरा लगने वाला शब्द आपको लगा है, मैं व्यक्तिगत रूप से यह आग्रह कर रहा हूं कि मैं उसको देख लूंगा, आपत्तिजनक होगा उसको निश्चित रूप से एक्सपंज कर दूंगा और उसके अलावा भी यदि कोई ऐसा शब्द मुझे महसूस हुआ कि जो नहीं कहा जाना चाहिए था, उसको भी मैं देखूंगा। कृपया सदन की कार्यवाही आगे चलायें। श्रीमती संजना।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठ जाइये, चर्चा समाप्त है, आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। श्रीमती संजनाजी आगरी।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): आगरी।

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज। उसमें थोड़ा-सा राइटिंग हाथ से लिखी हुई है।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदयजी, 2009 एवं 2010 के बजट भाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूं। सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला, धन्यवाद। राजस्थान सरकार के उक्त 2009 और 10 के बजट में आम जनता, गरीबों, किसान भाइयों, बेरोजगारों व महिला सशक्तिकरण को अनदेखा कर उनके उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये, सिर्फ बातें बनाई गई हैं। यह बजट आम जनता व निम्न स्तर पर जीवन यापन करने वाली जनता की सुख-सुविधाओं को अनदेखा करते हुए इनके साथ अन्याय किया है। अतः यह बजट राजस्थान की आम जनता के लिए अहितकारी व अन्यायपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, बेरोजगारी को लेकर देखा जाय तो बेरोजगार युवा भाइयों व बहनों के लिए रोजगार के कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं और न ही कोई योजना की घोषणा की है। हां, तो हां, मित्र योजना में अस्थायी तौर पर लगाये गये बेरोजगार भाई-बहनों को अपने पदों से हटाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, अगर विद्यार्थी मित्र योजना को आप समाप्त कर रहे हैं तो नये बजट में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए नई स्कीम की घोषणा करनी थी। आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक स्कूल में अध्यापकों की कमी है, इस कमी के रहते हुए आपने उचित पदों को भरवाने की बजाय और रिक्त कर दिये। इसका असर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की शिक्षा व गरीब तबके के मित्र योजना में लगे परिवारों के साथ भयंकर कुठाराघात किया है। यह गरीब जनता के साथ अन्याय है। सरकार को बेरोजगारों के इस बिंदु को भी अमल में लेना चाहिए।

(श्रीमती संजना आगरी)

वैट को लेकर देखा जाये तो साढ़े बारह प्रतिशत से बढ़ा कर चौदह प्रतिशत दर बढ़ा कर गरीब किसान व आम जन के साथ खिलवाड़ किया है। आम जनता को राहत देने के बजाय वैट की दर को बढ़ाया गया है जिससे निम्न तबके के लोगों, उपेक्षित वर्ग व जनजातीय लोगों को अपना जीवन यापन करना महंगा पड़ जायेगा क्योंकि वर्षा नहीं होने से किसान वर्ग तो वैसे ही परेशान है और उत्पादन नहीं होगा तो इस वर्ग पर वैट का भयंकर प्रभाव पड़ेगा जो अप्रत्यक्ष रूप से इसका भार आम जनता पर पड़ेगा। खाद्यान्न, रोजमर्रा के उपभोग में आने वाली खाद्य सामग्री की चीजों पर सरकार ने अमल नहीं किया, जिसका परिणाम? आम जन व गरीब लोगों को जीवन यापन करना दुर्लभ हो जायेगा। जनजातीय क्षेत्र व वनों में निवास करने वाले लोगों के आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्रों को राहत दी लेकिन इन छात्रों के परिवार आज भी नुकीली चट्टानों और पहाड़ी ढलानों पर झोंपड़िया बना कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र में मगरा क्षेत्र जनजाति लोग बसे हुए हैं। माननीय अध्यक्षजी, इस मगरा क्षेत्र को मगरा विकास कल्याण बोर्ड में लेकर जनजातीय लोगों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाय ताकि आजादी का सुख वे लोग भी भोगें।

पेयजल व बिजली की समस्या ने आज भयंकर विकराल रूप धारण कर रखा है। पाली जिले के सोजत विधान सभा क्षेत्र और पूरे पाली जिले में पेयजल की भयंकर समस्या है। आम जनता व मूक पशुओं में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। बिजली की कटौती छह-छह घण्टे की जा रही है। लेकिन नए बजट में बिजली व पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदन नहीं उठाए हैं। यह आम जनता के लिए अन्यायपूर्ण है। सरकार इन बातों पर अमल कर आम जनता को राहत दिलाने की कृपा करे। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, नई माननीय सदस्या होने के नाते मैं आपको निवेदन करती हूं कि मेरी इन बातों पर सरकार अमल करे और हर गरीब आम जनता को मुक्ति दिलावे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्षः** श्री प्रदीप कुमार सिंह।

**श्री प्रदीप कुमार सिंह** (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भयंकर मंदी के दौर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो रीच बजट पेश किया है उसके लिए वे हार्दिक बधाई के पात्र हैं। गत वर्ष 14 हजार करोड़ की तुलना में 18,634 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है जो अपने आप में एक उपलब्धि है

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

तथा जो राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। पाँच हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण भी गांवों के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शेष बची सड़कों के नवीनीकरण के लिए भी प्रावधान किया जावे। इसी प्रकार पी.डब्लू.डी. द्वारा निर्मित सड़कों का जो प्रावधान हुआ है लेकिन जो सड़कें कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई हैं, उनके लिए न कृषि मण्डी रिपेयरिंग करती है, न पी.डब्लू.डी. रिपेयरिंग करती है। इसलिए इनके रिपेयरिंग का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। जयपुर, भीलवाड़ा तथा भीलवाड़ा बूंदी राज्य मार्ग के नवीनीकरण की जो घोषणा की है उसके लिए मैं विशेष रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। क्योंकि इससे मेरा जिला तथा मेरा विधान सभा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। पर्यटन व धार्मिक स्थलों का जोड़ने का निर्णय भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। राज्य में प्रथम बार स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल के गठन करने का निर्णय अपने आप में महत्वपूर्ण निर्णय है। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने हेतु मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट में प्रावधान किए हैं, वह राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। ग्रामीण पंचायत स्तर पर जी.एस.एस. लगाने की जो बात बजट में की गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो परिस्थिति गांवों के अन्दर बिजली की स्थिति खराब हो रही है, उसमें जी.एस.एस. का लम्बी-लम्बी दूरी तक न होना भी एक कारण है। तीस-तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर तक 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन नहीं होने से गांवों के अन्दर इन्टरप्शन आते हैं और बिजली की सुचारु व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और ऊर्जा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायत स्तर पर ग्रिड लगाने का विचार और प्रावधान इस बजट में किया है। पेयजल हेतु बजट में राज्य के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। साथ ही भीलवाड़ा तथा जिले की पेयजल समस्या के निदान हेतु एक हजार बीस करोड़ रुपए की योजना का जो प्रावधान किया है उसमें पूरा जिला धन्य हो गया है। आज भीलवाड़ा भयंकर समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि पिछली सरकार ने समस्या के निराकरण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए थे। शेष रहे जिले के क्षेत्र को भी बीसलपुर व अन्य पेयजल योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

चिकित्सा क्षेत्र में पुरानी सूची में बी.पी.एल. लोगों को स्टेट बी.पी.एल. मिलाकर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय मुख्य मंत्रीजी

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

की बुद्धिमता का परिचायक है। ग्रामीण क्षेत्र में 537 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा से ग्रामीण लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। चिकित्सा क्षेत्र में भी बजट में अनूठी पहल की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राओं तथा छात्रों की छात्रवृति में वृद्धि, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदितों हेतु मैस भत्ता हजार रुपए करके मुख्य मंत्रीजी ने गरीब तथा असहाय का दिल जीतने का प्रयास किया है। घुमन्तू विमुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 90 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इन वर्गों के प्रति सरकार की जो मंशा है उसको मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रकट किया है। एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक, महिला वर्ग इससे लाभान्वित होंगे और इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने दिल खोलकर बजट में प्रावधान किए हैं, मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में हरित राजस्थान से प्रदेश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषदों का पुनर्गठन भी एक प्रशंसनीय कदम है। क्योंकि पिछला पुनर्गठन सन 93-94 में किया गया था। जो सन 71 की जनसंख्या के आधार पर था। आज 2001 की आबादी में जो भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसको देखते हुए पंचायतों और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 53 पंचायतें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगले बजट में नई पंचायत समितियों का गठन करने का भी प्रावधान किया जाए और बिजौलिया को नई पंचायत समिति घोषित किया जाए।

बजट में मुख्य मंत्रीजी ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज लगाने की जो घोषणा की है उससे निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में जो संतरे और आंवले के बग़ीचे हैं, उनको कोई कीमत नहीं मिल रही थी और औने-पौने भावों में बेचना पड़ रहा था। यह यूनिट भीलवाड़ा जिले में स्थापना की जो घोषणा की है उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और किसानों के प्रति उनके मन में जो प्रेम है वह इस घोषणा से झलकता है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने बजट के माध्यम से 52 उप खण्ड कार्यालय दिए हैं। उनमें से चार भीलवाड़ा जिले में और दो मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिले हैं। इससे आपके प्रशासन को कुशल बनाने व जन समस्याओं के निराकरण की भावना प्रकाशित होती है। पूर्व में नायब तहसीलों के ऊपर भी नहीं खोलने का

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

विचार किया गया था। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी की पूर्व में सरकार थी, अशोक गहलोतजी की सरकार थी, मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी कुछ नए प्रावधान किए जाएं। इन विषम आर्थिक परिस्थितियों में मुख्य मंत्रीजी ने नए कर नहीं लगाकर राजस्थान की जनता को आर्थिक राहत प्रदान की है। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक, ओ.बी.सी., जेल में बैठे हुए कैदी, किसान, मूक बधिर, नेत्रहीन, मजदूर, गाड़िया लुहार, मंदबुद्धि, महिला, अवैध शराब के धंधे में लगे लोगों तक के पुनर्वास के बारे में सोचा, आज इससे बढ़िया बजट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री अशोक डोगर ...(व्यवधान) यहां लिखा हुआ है। डोगरा यहां नहीं लिखा हुआ नहीं था। आ, की मात्रा लिखी हुई नहीं है, डोगर ही कर रखा है।

**श्री मुरारीलाल मीणा** (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सब को ही डोगरा-डोगरी याद आ रहे हैं पता नहीं।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** क्या सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

श्री अशोकजी।

## परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री अशोक डोगरा** (बूंदी): माननीय अध्यक्षजी, कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया वह कहने को तो आम आदमी गरीब और गांव को समर्पित था लेकिन इस बजट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसमें आम आदमी गरीब और गांव को कुछ भी नहीं दिया गया है। खाली शब्दों के जाल में उसको उलझाया गया है। अध्यक्षजी, मैं बूंदी विधान सभा क्षेत्र से हूं और बूंदी जिले की इसमें घोर

(श्री अशोक डोगरा)

उपेक्षा की गई है। बूंदी जिले में बहुत समय से मांग थी कि इसके हॉस्पिटल को ए ग्रेड का किया जाए। कागजों में 200 बैड का हॉस्पिटल है, वैसे बैड वहां 150 ही हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं किया और वहां 18-20 डॉक्टर के पद भी रिक्त है। एनएससी से अगर कोई डॉक्टर नहीं आए छोटे से ऑपरेशन के लिए तो कोटा रैफर कर देते हैं। लेकिन इस बजट में वहां के हॉस्पिटल के संबंध में कुछ भी नहीं किया। नेशनल हाइवे में होने के बाद भी ट्रोमा वार्ड नहीं है और खटकड़ और डाबी दोनों विधान सभा क्षेत्र में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने चाहिए थे उसके लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटन की दृष्टि से बूंदी आज ऐसी स्थिति है में कि पुष्कर से भी अच्छे क्षेत्र में आ सकता है दो-चार सौ पर्यटक, विदेशी पर्यटक हमेशा वहां मिलते हैं लेकिन उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उसको हेरीटेज सिटी की घोषणा होती, पैलेस ऑन व्हील्स बूंदी में होकर निकलती है उसको रोकने के लिए यदि कोई प्रयास हो तो बूंदी पर्यटन की दृष्टि से वर्ल्ड के नक्शे में आ जाएगी। पर्यटन के हिसाब से ट्यूरिस्ट तो आते हैं लेकिन वहां गंदगी और टूटी हुई सड़कें देख करके वो खुद तो दुबारा नहीं आते औरों को भी मना कर देते होंगे कि ऐसी गंदी सिटी में दुबारा मत जाना । उसके लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया है और एक जो मेन चीज बूंदी के साथ पक्षपात किया है वो यह है कि पेयजल समस्या, आज ये स्थिति है कि बूंदी के गांवों में, बूंदी प्रोपर शहर में तीन-तीन दिन बाद पानी आता है और वो भी मुश्किल से इतना कि आदमी दो या तीन मटके भर ले इससे ज्यादा पानी नहीं मिलता और बहुत सारी बस्तियों में तो पानी एक महीने से आ ही नहीं रहा। इस सरकार ने क्या किया है कि चम्बल से बूंदी को पानी की डिमाण्ड बर्षो से थी लेकिन इस सरकार ने चम्बल का पानी भीलवाड़ा के लिए 1020 करोड़ की योजना की घोषणा की है। मैं अध्यक्षजी, यह कहना चाहता हूं कि जब चम्बल का बाँध बना था तो उसमें पेयजल की कितनी व्यवस्था थी पहले तो सरकार यह बताये क्योंकि वो सिंचाई के हिसाब से बांध बना था। पहले ही उसमें आधा पानी तो मध्य प्रदेश को जाता है क्योंकि स्टोरेज गांधी सागर बांध में होता है वो मध्य प्रदेश में आता है। आधा पानी राजस्थान में सिर्फ हाड़ोती के तीन जिले हैं कोटा, बूंदी और बारां यदि उनका पानी पेयजल के लिए चम्बल से ले जाएंगे अगर भीलवाड़ा ले जाएंगे तो हाड़ोती का किसान भूखा मर जाएगा। वो चावल उत्पादक क्षेत्र है वहां का किसान किसी भी हालत में पानी को भीलवाड़ा नहीं

(श्री अशोक डोगरा)

जाने देगा उसके लिए कैसा भी आंदोलन होगा, किसान को कैसा भी बलिदान देना पड़ेगा तो देंगे लेकिन चम्बल का पानी भीलवाड़ा नहीं जाएगा। यदि भीलवाड़ा को पानी देना है तो बीसलपुर बांध बना हुआ है बीसलपुर बांध का जो केचमेंट एरिया है वो पूरा भीलवाड़ा जिले में आता है, मैं तो और भी जो माननीय सदस्य हैं चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं जो कोटा, बूंदी, बारां से बिलोंग करते हैं, मैं आशा करता हूं कि वो भी इसमें सहयोग करेंगे अपने किसानों का बचाव करने के लिए ताकि किसान भूखे नहीं मरे। इस योजना का विरोध होगा और इसके लिए सड़कों पर भी किसान आ जाएंगे इसके लिए आज सुबह से लोगों के जितने फोन आये लोगों में भारी नाराजगी है। दूसरा बूंदी जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में टंकियों के जो प्रस्ताव प्रस्तावित थे वो सब इस सरकार ने आते ही निरस्त कर दिये ताकि गांवों को पानी नहीं मिले। वहां कई पंचायतें ऐसी हैं जहां टोटली फ्लोराइड वाटर है लोगों के हाथ-पैर टेढ़े हो गये बहुत बुरी स्थिति में है तो मैं तो अध्यक्षजी आपसे यही कहना चाहूंगा कि बूंदी को पीने के लिए जो समस्या है वहां एक गरडदा बांध बन रहा है, गरड़दा बांध में 175 एमसीएफटी पानी पेयजल के लिए रिजर्व है तो मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि गरड़दा बांध से बूंदी की पेयजल समस्या को हल करने के लिए वहां से पानी उपलब्ध करा दिया जाए और चम्बल का पानी भीलवाड़ा नहीं ले जाकर के बीसलपुर से भीलवाड़ा को पानी दिया जाए।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी बूंदी की ऐसी स्थिति है कि बूंदी के लोगों ने कांगेस के लोगों को वोट तो जी भर कर दिये लेकिन जिस दिन वोट दिये उसी दिन शाम को पांच बजे से ऐसी बिजली कटी कि वो आज तक नहीं आयी। ऐसी स्थिति है साहब कि पाँच-पांच, छह-छह दिन तक लाइट नहीं आती है, अफसर फोन नहीं उठाते उनसे बात कोई वहां जाकर करते हैं तो कहते हैं कि लोड शंटिंग कह देते हैं लोड शंटिंग हमारे हाथ में नहीं जयपुर से कटती है। यह हालत हो गयी कि लोगों के फोन ही चार्ज नहीं होते हैं आधे घंटे बिजली आ जाए तो लोग फोन तो चार्ज कर लें किसी से बात तो कर लें। जब बिजली ही नहीं होगी तो पीने का पानी नहीं होगा क्योंकि मोटरें नहीं चलेंगी। आदमी खुद के पीने के लिए तो कहीं हैण्डपम्प से भी पानी भर लाएगा दूर से भी एक किलोमीटर-दो किलोमीटर से लेकिन जानवरों के लिए क्या करेगा। तो मेरा तो यह निवेदन है कि बिजली की तुरन्त व्यवस्था करायें और फिर एक बार कह

(श्री अशोक डोगरा)

रहा हूं कि बूंदी पेयजल, पर्यटन की दृष्टि से हेरीटेज सिटी घोषित करायें और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करें और एक कल इन्होंने राजस्व के संबंध में उपखण्ड कार्यालय तो खोलने की बात कही है लेकिन एक तालेड़ा उप तहसील है वहां जो पूर्ण तहसील बनने के लिए सब नोर्म्स को पूरा करती है, तालेड़ा को भी पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाएं और डाबी को उप तहसील बनायें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती नसीम अख्तर।

**श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ** (पुष्कर): माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में जो वर्ष 2009-10 का वार्षिक बजट पेश किया गया, यह बजट आम आदमी, गरीब, गांव को समर्पित है। आम आदमी, गरीब, किसान की जरूरत की वस्तुओं पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। नशामुक्ति की तरफ कदम बढ़ाते हुए तम्बाकू के उत्पादों पर कर बढ़ाया गया है। स्टाम्प ड्यूटी 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई। इमारती पत्थर और गिट्टी पर बारह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन आठ हजार रुपये कर दी गई। उप निरीक्षकों के चार हजार आठ सौ रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी और कांस्टेबलों के पाँच हजार रिक्त पद भरे जाएंगे। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हेतु चालू वर्ष में श्रीनाथजी, नाथद्वारा, अजमेर दरगाह शरीफ पर दो करोड़ पचास लाख रुपये खर्च अनुमानित है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाने की घोषणा की है इसका हम बहुत स्वागत करते हैं और वक्फ विकास परिषद बनाया गया है। मैं अजमेर के पुष्कर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं जो तीर्थराज के नाम से जाना जाता है ब्रह्माजी की नगरी भी है। अजमेर यूआईटी का क्षेत्र बढ़ाकर पुष्कर को उसमें शामिल किया गया है इससे पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होगा और विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में लेप्रोस्पोकी थियेटर, प्लास्टिक और बर्न यूनिट और गैस सिस्टम की स्थापना के लिए एक करोड़ पचास लाख रुपये खर्च किये हैं। नरेगा के अन्तर्गत होने वाली राशि का उपयोग कच्चे कार्यों के स्थान पर स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। यह बजट

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा गांव, गरीब, महिला, अल्पसंख्यकों, कर्मचारी वर्ग के लिए कल्याणकारी बजट है।

पेयजल की समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं मिली थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीसलपुर सैकिण्ड फैज की परियोजना का अपने बजट में स्थान दिया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि पेयजल की समस्या का समाधान होगा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का जो गम्भीर संकट है उससे निजात मिलेगी और उच्च प्राथमिक स्तर को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर, अजमेर और पुष्कर में सिटी बसें जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन के तहत चलायी जाएंगी इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी और लक्जरी टैक्स खतम किया इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि लक्जरी टैक्स खतम होने से पुष्कर में पर्यटकों की आवक बढ़ेगी। प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति 19 हजार से बढ़ा कर 66 हजार कर दी गयी है। मदरसों हेतु 2500 सामान्य शिक्षक सहयोगियों की संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। यह भी एक सराहनीय कदम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों का मानदेय में दो सौ से सौ रुपये वृद्धि की गई है। पंच, प्रधान और जिला प्रमुखों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, इसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। यह बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला, अल्पसंख्यकों व कर्मचारी वर्ग के लिए कल्याणकारी बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थगुरु पुष्करराज को बजट में बहुत कुछ दिया इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और पुष्करराज की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। यह बजट लोक कल्याणकारी है। इसके लिए राज्य की जनता मुख्य मंत्री की बहुत-बहुत आभारी है। माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 18.59 बजे शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## आयुर्वेदिक चिकित्सकों के नवीन पदों का सृजन

**04. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 374 पद समाप्त कर उनके स्थान पर 374 यूनानी चिकित्सकों के पद सृजित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक वैद्यों के नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वित्तीय प्रावधान होने पर विचार किया जायेगा।

## केकड़ी की मरम्मत/नवीनीकरण योग्य सड़कें

**05. डा. रघु शर्मा** (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सड़कों की मरम्मत तथा नवीन सड़कों के निर्माण हेतु कौन-कौन से कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं? क्या सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में परिशिष्ट "अ" में वर्णित दो कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किये हुए हैं।

जी हां। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के 6 सड़कों के कार्य राशि रु. 198.75 लाख एवं लम्बाई 26.50 कि.मी. के इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट- "अ"

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के सुधार व नवीनीकरण के प्रस्तावों की सूची

| क्र. सं. | योजना का नाम | कार्य का नाम | लम्बाई (कि.मी.) | राशि (लाखों में) | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय सड़क निधि | केकडी बघेरा सड़क के सुधार व नवीनीकरण का कार्य किमी. 46/0 से 64/0 व 65/0 से 67/750 | 20.75 | 448.66 | प्रस्ताव दिनांक 8.6.2009 को (MORTH) मोर्थ, भारत सरकार को भिजवाया गया है। |
| 2. | पी.पी.पी. | जयपुर से भीलवाड़ा सड़क वाया फागी, मालपुरा, केकड़ी व शाहपुरा का दो लेन सड़क में विकास (जिसमें विधान सभा केकड़ी में आने वाला सड़क का भाग भी सम्मिलित है) | 212.00 | 22000.00 | प्रस्ताव पी.पी.सी. योजना में वी.जी.एफ. स्वीकृति हेतु इकोनोमिक ऐंफेयर विभाग भारत सरकार को दिनांक 6.4.2009 को भिजवाया गया है। |

परिशिष्ट- "ब"

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सड़क मरम्मत व नवीनीकरण के स्वीकृत कार्यों का विवरण

| क्र. सं. | सड़क का नाम | स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.) | स्वीकृत राशि (लाखों में) | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जालिया सांपला श्यामपुरा कि.मी. 7/500 से 12/0 | 4.50 | 33.75 | निविदा दिनांक 6.7.2009 को प्राप्त कर ली गई हैं तथा यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 2. | मोलकिया से सलारी रोड कि.मी. 0/0 से 1/0 व 5/0 से 11/0 | 7.00 | 52.50 | |
| 3. | सावर घटियाली चौसला रोड कि.मी. 8/0 से 14/0 | 6.00 | 45.00 | |
| 4. | बाजटा टांकावास रोड कि.मी. 0/0 से 5/0 | 5.00 | 37.50 | |
| 5. | फतेहगढ़ सरसूंदा स्यार रोड (वी.आर.) कि.मी. 3/0 से 6/0 | 3.00 | 22.50 | |
| 6. | सरवाड से भगवानपुरा जालिया किमी. 2/0 से 2/500 व कि.मी. 6/500 से 7/0 | 1.00 | 7.50 | |
| | **योग** | **26.50** | **198.75** | |

## भीम में नरेगा योजनान्तर्गत स्थाई निर्माण कार्य

**06. श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में नरेगा के अन्तर्गत वर्तमान में कितने मजदूर कार्यरत हैं?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नरेगा के अन्तर्गत चल रहे सभी कार्य नियोजित रूप से चल रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नरेगा के अन्तर्गत चलने वाले कच्चे कार्यों के साथ ही पक्के व स्थाई निर्माण कराने का भी विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नरेगा के कार्यों का भुगतान मजदूरों को समय पर किया जा रहा है? यदि हां, तो उन्हें कब तक का भुगतान किया जा चुका है एवं कब तक का भुगतान शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मजदूरों को समय पर भुगतान करने हेतु पंचायत मुख्यालयों पर मिनी बैंक या ग्रामीण बैंक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में जून द्वितीय पखवाडे में कुल 32635 मजदूर कार्यरत हैं।

(2) जी हां। कार्य नियोजित रूप से चल रहे हैं।

(3) जी हां। वर्तमान में कच्चे कार्यों के साथ पक्के कार्य भी प्रगतिरत हैं।

(4) जी हां। जून, 2009 के प्रथम पखवाड़े का समस्त श्रमिकों का भुगतान सम्बन्धित बैंक/पोस्ट आफिस/सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा चुका है।

(5) जी हां। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मिनी बैंक खोलने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

## खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोक हेतु निगरानी समिति

**07. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर व जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2009 तक खाद्य पदार्थों के कितने नमूने लिये गये और उनमें से कितने नमूने मिलावटी पाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) उक्त नमूनों में जो नमूने मिलावटी पाये गये उनमें कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में खाद्य पदार्थों, घी, तेल आदि में मिलावट के मामले बढ़ते जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार मिलावट को रोकने के लिए कोई अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार मिलावट रोकने के लिए उच्च स्तर पर कोई मोनीटरिंग कमेटी गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2009 तक जयपुर शहर व जिले में कुल 1206 नमूने लिये गये जिनमें से 208 मिलावटी पाये गये। वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) मिलावटी पाये गये 298 प्रकरणों में से 147 प्रकरणों में सम्बन्धित के विरुद्ध माननीय न्यायालय में इस्तगासा दायर किया जा चुका है। जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

शेष 151 का अनुसंधान जारी है। जिनका विवरण परिशिष्ट "स" पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। खाद्य पदार्थों में हो रहे मिलावट को रोकने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण का विशेष अभियान चलाया जाता है। वर्तमान में दिनांक 22.6.2009 से एक माह के लिए शुद्ध के लिये युद्ध का अभियान चल रहा है।

(4) राज्य सरकार के स्तर पर एक मोनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "द" पर प्रस्तुत है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मेडिकल कालेज, कोटा से सम्बद्ध चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

**08. श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मेडिकल कालेज, कोटा स्थित चिकित्सालय को 1000 बैड का अस्पताल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री ओम बिरला)

(2) मेडिकल कालेज स्थित चिकित्सालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमोस्ट्रेटर एवं अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं, एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या उक्त मेडिकल कालेज स्थित चिकित्सालय में सभी चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) मेडिकल कालेज, कोटा के अधीन निम्नांकित शैक्षणिक चिकित्सालय संचालित है जिनमें स्वीकृत शैयाओं की संख्या उनके समक्ष अंकित है :-

एमबीएस अस्पताल- 474 शैयाएं

जेके लोन अस्पताल- 157 शैयाएं

मेडिकल कालेज, कोटा में 450 शैयाओं का नया चिकित्सालय भवन बनकर तैयार है। चिकित्सालय की आवश्यकता तथा वितीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन शैयाओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु यथासमय विचार किया जा सकेगा।

(2) मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिये प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमोस्ट्रेटर के पद सृजित नहीं होते हैं। इन शैक्षणिक पदों का सृजन मेडिकल कालेज के लिये ही किया जाता है। मेडिकल कालेज, कोटा स्थित नवनिर्मित चिकित्सालय के लिये पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं है। मेडिकल कालेज, कोटा, एमबीएस अस्पताल तथा जेके लोन अस्पताल के स्टाफ में से कुछ चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की सेवायें इस नवनिर्मित चिकित्सालय में ली जा रही हैं।

(3) मेडिकल कालेज, कोटा स्थित नवनिर्मित चिकित्सालय के लिये वर्तमान में कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(4) मेडिकल कालेज, कोटा स्थित नवीन चिकित्सालय में वर्तमान में मेडिसिन तथा सर्जरी विषय की इकाइयां कार्यरत हैं। इनके अलावा स्त्री एवं प्रसूति रोग तथा शिशु औषध की चिकित्सकीय सेवायें भी संचालित की जा रही हैं। शेष विषयों की इकाइयां प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो जाने पर यथासमय विचार किया जा सकेगा।

## भीम में निर्माणाधीन राजकीय भवन

**09. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक कितने राजकीय भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई?

(2) उक्त स्वीकृति कब-कब जारी की गई तथा उक्त कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा क्या निर्धारित की गई? क्या सभी कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण कर दिये गये? यदि नहीं, तो वर्तमान में कितने कार्य कहां-कहां लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार लम्बित कार्यों को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में 1.4.2005 से 31.3.2009 तक 11 राजकीय भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। संलग्न प्रपत्र "अ"

(2) उक्त स्वीकृति जारी की जाने एवं पूर्ण करने की समय सीमा संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है। क्रम संख्या 2, 8 एवं 9 का कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ था जिनका समयावधि प्रकरण स्वीकृत किया जा चुका है। एक कार्य स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं करवाया जा सका है, शेष 6 कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण कर दिये गये। क्रम सं. 5 का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जो कि कार्य पूर्ण करने की नियत सीमा दिनांक 21.8.2009 के अन्दर है।

(3) कोई कार्य लम्बित नहीं है। कार्य समयावधि अनुरूप ही प्रगति पर है।

प्रपत्र-अ

| क्र. सं. | कार्य का नाम | प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में) | दिनांक | कार्य पूर्ण करने की अवधि | कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि | कार्य की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोद में दो मेडिकल अधिकारी क्वार्टर का निर्माण कार्य | 17.90 | 31.10.06 | 6 माह | 21.7.07 | 21.7.07 | कार्य पूर्ण |
| 2. | उप स्वास्थ्य केन्द्र बसई भोपाल सिंह में निर्माण कार्य | 4.60 | 31.8.06 | 3 माह | 27.8.07 | 25.3.08 | कार्य पूर्ण |
| 3. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तसींग में आयुष भवन का निर्माण कार्य | 3.00 | 5.5.08 | 3 माह | 15.12.08 | 15.12.08 | कार्य पूर्ण |
| 4. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटेडा में भवन का निर्माण निर्माण | 28.00 | 23.6.08 | 6 माह | 11.3.09 | 11.3.09 | कार्य पूर्ण |
| 5. | बहरोड न्यायालय में बार रूम का निर्माण कार्य | 25.50 | 11.9.08 | 6 माह | 21.8.09 | | फिनिशिंग कार्य प्रगति पर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | न्यायिक कोर्ट बहरोड में टोयलेट, लिटिजैंट शैड का निर्माण कार्य | 2.71 | 23.12.06 | 2 माह | 4.5.07 | 4.5.07 | कार्य पूर्ण |
| 7. | न्यायिक कोर्ट बहरोड में टोयलेट, लिटिजैंट शैड का निर्माण कार्य | 3.34 | 8.7.08 | — | — | — | न्यायालय परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण नहीं करवाया गया। |
| 8. | सी.एच.सी. भवन मांडण में मरम्मत एवं निर्माण कार्य | 32.00 | 24.1.08 | 4 माह | 19.8.08 | 5.12.08 | कार्य पूर्ण |
| 9. | पी.एच.सी. भवन जैतपुर में मरम्मत एवं निर्माण कार्य | 12.00 | 24.1.08 | 3 माह | 25.6.08 | 15.2.09 | कार्य पूर्ण |
| 10. | 2 नम्बर लोअर सबोर्डिनेट क्वार्टर उपकारागृह बहरोड | 7.70 | 23.8.07 | 3 माह | 2.6.08 | 2.6.08 | कार्य पूर्ण |
| 11. | सब हैल्थ सेंटर मांडन में मरम्मत कार्य | 1.00 | 1.3.07 | 1 माह | 3.5.07 | 3.5.07 | कार्य पूर्ण |

## अजमेर जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को मुआवजा/सहायता

**10. श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा अजमेर जिले में दिनांक 18 जून, 2009 व 16 जून, 2009 को हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश से प्रभावित ग्राम खानपुरा, परबतपुरा, दोराई, बडगांव, गढ़ी मालियान व गुलाबबाड़ी तथा पाल बीचला के काश्तकारों की सब्जियों की फसलें नष्ट होने का सर्वे करवाकर नुकसान का आंकलन करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों के काश्तकारों का कितना नुकसान हुआ?

(2) क्या सरकार उक्त ओलावृष्टि व तेज बारिश से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि?

### उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15.6.2009 व 16.6.2009 को प्रश्नान्तर्गत ग्रामों में ओलावृष्टि एवं तेज बारिश से काश्तकारों की सब्जियों की फसलें नष्ट होने का सर्वे करवाया गया था। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों एवं अन्य फसलों का अनुमानित नुकसान 51.83 लाख रुपये का हुआ है, जो 50 प्रतिशत से कम आंका गया है।

(2) सी.आर.एफ. नार्म्स के अनुसार 50 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर ही कृषि आदान अनुदान देय है। उक्त किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ है। अत: नियमानुसार कृषि आदान अनुदान देय नहीं है।

## विकास खण्डों का पुनर्गठन

**11. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विकास खण्डों का पुनर्गठन एवं छोटे विकास खण्डों हेतु नए विकास खण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

वर्तमान में ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के नवगठन/सीमाओं में परिवर्तन किये जाने के लिये नीति निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है। जिस पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

## चिकित्सकीय महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि

**12. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. राजकुमार शर्मा)

(1) राज्य के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित अस्पतालों में वर्तमान में कितनी रोगी शैयाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बढ़ती जनसंख्या व रोगियों की संख्या को देखते हुए इन शैयाओं की संख्या अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकार के सभी अस्पतालों में रोगी शैयाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अस्पतालों के विभिन्न विभागों में मेडिकल यूनिटों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस अस्पताल के किस-किस विभाग में कितनी अतिरिक्त मेडिकल यूनिटें स्थापित की जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) राज्य के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित अस्पतालों में वर्तमान में 10519 शैयाएं स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर शैयाओं की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।

(3) मेडिकल यूनिटें अस्पताल में स्वीकृत शैयाओं की संख्या तथा शिक्षक चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानदण्ड के आधार पर बनाई जाती है। शैयाओं की संख्या में वृद्धि होने पर तथा शिक्षक चिकित्सकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत होने पर ही अतिरिक्त यूनिटें बनाई जा सकेगी।

(4) जी हां। कुछ सुपर स्पेशलिटी सेवायें सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में लगभग सभी सुपर स्पेशलिटी की सेवायें उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-1

राज्य के मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्वीकृत शैयाओं की संख्या

| क्र. सं. | नाम चिकित्सालय | स्वीकृत शैयाएं |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| **1. जयपुर** | | |
| 1. | सवाई मानसिंह चिकित्सालय | 1719 |
| 2. | जनाना अस्पताल | 476 |
| 3. | महिला चिकित्सालय | 246 |
| 4. | क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय | 306 |
| 5. | सरपद्‌मपत मा. एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान | 494 |
| 6. | मनोरोग चिकित्सा केन्द्र | 280 |
| 7. | पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र | 194 |
| 8. | संक्रामक रोग चिकित्सालय | 56 |
| | कुल | **3771** |
| **2. जोधपुर** | | |
| 1. | महात्मा गांधी चिकित्सालय | 624 |
| 2. | कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय | 168 |
| 3. | उम्मेद चिकित्सालय | 653 |
| 4. | मथुरादास माथुर चिकित्सालय | 493 |
| 5. | मानसिक रोग चिकित्सालय | 115 |
| | कुल | **2053** |
| **3. उदयपुर** | | |
| 1. | महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय | 1016 |
| 2. | पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय | 250 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **3. उदयपुर** | | |
| 3. | एस.आर.बी. भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन | 230 |
| | **कुल** | **1496** |
| **4. बीकानेर** | | |
| 1. | पी.बी.एम. जनरल चिकित्सालय | 890 |
| 2. | पी.बी.एम. जनाना चिकित्सालय | 250 |
| 3. | जी.जी.जे. क्षय रोग चिकित्सालय | 166 |
| 4. | मानसिक रोग चिकित्सालय | 46 |
| 5. | नेत्र चिकित्सालय | 73 |
| 6. | शिशु चिकित्सालय | 120 |
| 7. | आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च केन्द्र | 185 |
| | **कुल** | **1730** |
| **5. अजमेर** | | |
| 1. | ज.ला.ने. चिकित्सालय | 638 |
| 2. | राजकीय महिला चिकित्सालय | 200 |
| | **कुल** | **838** |
| **6. कोटा** | | |
| 1. | एम.बी.एस. चिकित्सालय | 474 |
| 2. | जे.के. लॉन चिकित्सालय | 157 |
| 3. | न्यू मेडिकल कालेज टीचिंग चिकित्सालय | एमबीएस चिकि. में शामिल |
| | **कुल** | **631** |
| | **महायोग** | **10519** |

## अपूर्ण अलवर-बांदीकुई मार्ग पर टोल वसूली

**13. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर-बांदीकुई टोल मार्ग के निर्माण की स्वीकृति कब जारी हुई एवं इसका अब तक कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है व कौन-कौनसा कार्य अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस टोल मार्ग में आने वाले महुआ रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज एवं राजगढ़ बाईपास का निर्माण आज तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या यह भी सही है कि अपूर्ण टोल मार्ग के बावजूद वाहनों से टोल राशि गत एक वर्ष से वसूल की जा रही है? यदि हां, तो किस आदेश से एवं क्यों? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब तक अवैध रूप से वसूल की गई टोल राशि के पेटे टोल राशि वसूल करने के कुल समय को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना समय, कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) दिनांक 7.8.2005 को राज्य सरकार, रिडकोर व आई.एल. एण्ड एफ.एस. के मध्य हुये अनुबन्ध के अनुसार अलवर-बांदीकुई-सिकन्दरा मार्ग का निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) स्कीम के अन्तर्गत विकास हेतु निर्णय किया गया। कुल 81 कि.मी. लम्बाई में से 76 कि.मी. लम्बाई में सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें 2 बाईपास एवं 2 आर.ओ.बी. भी शामिल है। वर्तमान में राजगढ़ बाईपास व महुआ रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य अपूर्ण है।

(2) जी हां। यह सही है कि राजगढ़ बाईपास एवं महुआ रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं प्रगति पर है।

राजगढ़ बाईपास का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिये वन विभाग भारत सरकार की स्वीकृति एवं रेल विभाग से आर.ओ.बी. निर्माण की स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं। महुआ रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. के निर्माण में रेलवे विभाग का समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है। अत: राज्य स्तर पर विलम्ब के लिये कोई जिम्मेवार नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है कि इस सड़क मार्ग पर राजगढ़ बाईपास के अतिरिक्त 70 कि.मी. लम्बाई के लिये माह अगस्त, 2008 से रिडकोर द्वारा टोल राशि वसूल की जा

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

रही है। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के अनुसार इस परियोजना की 70 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5.8.2008 को प्रदान आदेश के अनुरूप रिडकोर द्वारा टोल संग्रहण किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। रिडकोर द्वारा टोल संग्रहण का कार्य नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**राजस्थान सरकार**

**सार्वजनिक निर्माण विभाग**

क्रमांक : प.8(1)सा.नि./ए.एस./2007/115 दिनांक 4/5 अगस्त, 2008

**मुख्य कार्यकारी**

**रिडकोर, जयपुर**

**विषय :-** राजस्थान मेगा हाईवे परियोजना-अलवर से सिकन्दरा सड़क मार्ग पर उपभोक्ता फीस संग्रहण प्रारम्भ करने हेतु जारी की जाने वाली प्रस्तावित प्रेस विज्ञप्ति की स्वीकृति बाबत।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक रिडकोर/तक/ए.एस./टोल/3854-2008 दिनांक 29.7.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा चाहे अनुसार प्रस्तावित प्रेस विज्ञप्ति का अनुमोदन माननीय सा.नि. मंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है तथा उपभोक्ता फीस का संग्रहण दिनांक 18 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ किया जाना है। अत: प्रस्तावित प्रेस विज्ञप्ति की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) अनुमोदन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

**संलग्न :-** उपरोक्तानुसार

ह./-

**शासन सचिव**

**रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी आफ राजस्थान लिमिटेड**

**विज्ञप्ति**

**अगस्त 8, 2008**

राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना दिनांक सितम्बर 3, 2005 के तहत राज्य सरकार ने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी आफ राजस्थान (आर.आई.डी.सी.ओ.आर.) को अलवर से सिकन्दरा सड़क के उपयोक्ताओं से मोटरयुक्त/यांत्रिक यानों पर नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस उदगृहीत और संग्रहित करने के लिये प्राधिकृत किया है। आर.आई.डी.सी.ओ.आर. द्वारा उक्त अनुसूची के आधार पर अगस्त 18, 2008 से उपयोक्ता फीस संगृहीत की जायेगी।

**<u>अनुसूची</u>**

फीस निम्नलिखित उपयोक्ता फीस टोल प्लाजाओं पर संगृहीत की जायेगी।
अगस्त 18, 2008 से यथा प्रवर्तनीय टोल फीस की दरें निम्नानुसार हैं :-

| क्र. सं. | यानों के प्रवर्ग | सिकन्दरा से बसवा लम्बाई 20 कि.मी. प्रति फेरा प्रति यान फीस की दरें (रु. में) (टोल प्लाजा किमी 4) | सिकन्दरा से अलवर लम्बाई 70 कि.मी. (राजगढ़ बाईपास के अतिरिक्त) प्रति फेरा प्रति यान फीस की दरें (रु. में) (टोल प्लाजा किमी 4) |
|---|---|---|---|
| 1. | (क) गैर-कृषि उपज का वहन करने वाले ट्रोली सहित ट्रेक्टर (कृषि उपज वहन करने वाली और ऐसे प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रेक्टर ट्राली द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा) | 5.00 | 10.00 |
| | (ख) टेम्पो, कार, टैक्सी, प्राइवेट कार, जीप | 15.00 | 35.00 |
| 2. | मोटर लारी, बस, मिनी बस और अन्य भारी मशीनरी | 40.00 | 90.00 |
| 3. | (क) 5 (पांच) टन रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक | 50.00 | 115.00 |
| | (ख) 5 (पांच) टन से अधिक रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक | 80.00 | 175.00 |
| 4. | बहुधुरीय ट्रक/ट्रेलर | 130.00 | 290.00 |

| क्र. सं. | यानों के प्रवर्ग | अलवर से बसवा लम्बाई 50 कि.मी. (राजगढ़ बाइपास के अतिरिक्त) प्रति फेरा प्रति यान फीस की दरें (रु. में) (टोल प्लाजा किमी 64) | अलवर से सिकन्दरा लम्बाई 70 कि.मी. (राजगढ़ बाइपास के अतिरिक्त) प्रति फेरा प्रति यान फीस की दरें (रु. में) (टोल प्लाजा किमी 64) |
|---|---|---|---|
| 1. | (क) गैर-कृषि उपज का वहन करने वाले ट्रोली सहित ट्रैक्टर (कृषि उपज वहन करने वाली और ऐसे प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रैक्टर ट्राली द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा) | 10.00 | 10.00 |
| | (ख) टेम्पो, कार, टैक्सी, प्राइवेट कार, जीप | 25.00 | 35.00 |
| 2. | मोटर लारी, बस, मिनी बस और अन्य भारी मशीनरी | 70.00 | 90.00 |
| 3. | (क) 5 (पांच) टन रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक | 90.00 | 115.00 |
| | (ख) 5 (पांच) टन से अधिक रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक | 135.00 | 175.00 |
| 4. | बहुधुरीय ट्रक/ट्रेलर | 225.00 | 290.00 |

टिप्पणी :-

1. लदान सहित और लदान रहित यानों से फीस प्रभारित की जायेगी।
2. उक्त दरें प्रत्येक दो वर्ष में 5 रु. के निकटतम गुणज तक पूर्णाकित करके 10% बढ़ाई जायेगी। परन्तु प्रथम पुनरीक्षण केवल 10% बढ़ोतरी के साथ 01/04/2009 से लागू होगी।

3. निम्नलिखित यानों के सम्बन्ध में कोई फीस संदेय नहीं होगी या संगृहीत नहीं की जायेगी :-

- रक्षा विभाग के यान
- पुलिस विभाग के यान
- अग्नि शमन यान
- एम्बुलेंस
- अन्त्येष्टि यान
- केन्द्रीय और राज्य सरकार के यान
- माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के यान
- संसद और विधान सभाओं के आसीन सदस्यों के यान
- संघ लोक सेवा आयोग के यान
- राज्य लोक सेवा आयोग के यान
- लोकायुक्त, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यान
- प्रमाणिक/प्राधिकृत पत्रकारों के हल्के वाहन

4. यदि वाहन को टोल प्लाजा पर एक दिन में एक बार से ज्यादा आवागमन करना है तो उसके लिये आने-जाने को एक यूनिट माना जायेगा एवं एक यूनिट हेतु उपभोक्ता को प्रति फेरे की फीस का डेढ़ गुना की दर से देने का विकल्प है। यह विकल्प वाहन को उसी दिन आवागमन करने पर ही मान्य होगा।

5. वाहनों को मासिक पास तीस गुना प्रति फेरे की फीस एक ही बार में जमा करने पर जारी किया जायेगा।

**प्रबन्ध निदेशक**
**रिडकोर**

## ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF RAJASTHAN LTD.

### Notification

**August 8, 2008**

As per Gazette Notification dated September 3, 2005 of Public Works Department, Government of Rajasthan, Road Infrastructure Development Company of Rajasthan Ltd (RIDCOR) is authorized to collect user fee on motorized/mechanical vehicles from the users of the Alwar to Sikandra Road in the State of Rajasthan at the toll fee specified in the Schedule below. RIDCOR is authorized to collect the user fee based on the following schedule from August 18, 2008

### SCHEDULE

The fees shall be collected at user fee plazas located on the roads as mentioned below.

Rates of the toll fee enforceable from August 18, 2008 are as below :

| S. No. | Categories of Vehicle | Fee rates per vehicle per trip for 20 Km from Sikandra to Baswa (in Rs.) (Toll Plaza at Km 4) | Fee rates per vehicle per trip for 70 Km (except Rajgarh Btypass) from sikandra to Alwar (in Rs.) (Toll Plaza at Km 4) |
|---|---|---|---|
| 1. | (a) Tractors with trolleys carrying non agricultural produce (No Tax is payable by tractor trolleys carrying agricultural produce and registered for such purpose) | 5.00 | 10.00 |
| | (b) Tempo, Cars, Taxis, Private Cars, Jeeps | 15.00 | 35.00 |
| 2. | Motor lorries, Buses, Minibuses and other heavy machinery | 40.00 | 90.00 |
| 3. | (a) Trucks with registered laden weight upto 5 (Five) tones | 50.00 | 115.00 |
| | (b) Trucks with registered laden weight more than 5 (Five) tones | 80.00 | 175.00 |
| 4. | Multi. Axle trucks/trailors | 130.00 | 290.00 |

| S. No. | Categories of Vehicle | Fee rates per vehicle per Trip for | Fee rates per vehicle per trip for 70 Km (except Rajgarh Bypass) from Alwar to Sikandra (in Rs.) (Toll Plaza at Km 64) |
|---|---|---|---|
| 1. | (a) Tractors with trolleys carrying non agricultural produce (No Tax is payable by tractor trolleys carrying agricultural produce and registered for such purpose) | 10.00 | 10.00 |
| | (b) Tempo, Cars, Taxis, Private Cars, Jeeps | 25.00 | 35.00 |
| 2. | Motor lorries, Buses, Minibuses and other heavy machinery | 70.00 | 90.00 |
| 3. | (a) Trucks with registered laden weight upto 5 (Five) tones | 90.00 | 115.00 |
| | (b) Trucks with registered laden weight more than 5 (Five) tones | 135.00 | 175.00 |
| 4. | Multi. Axle trucks/trailors | 225.00 | 290.00 |

Note :-

1. Fees shall be charged for laden and un. laden vehicles.
2. The above rates shall be increased by 10% every 2 years. Rounded off to the nearest multiple of Rs. 5, provided that the 1st revision would be made effective from 01/04/2009. with 10% increase only.
3. No Fee shall be payable or collected in respeat of the following vehicle namely :-
   - Vehicles of Defense Department
   - Vehicles of Public Department
   - Fire Fighting Vehicles
   - Ambulances

- Funeral Vehicles
- Central and State Government Vehicles
- Vehicles of Hon'ble Supreme Court and High Courts
- Vehicles of sitting Members of Parliament and State Legislatures
- Vehicles of Union Public Service Commission
- Vehicles of State Public Service Commission
- Vehicles of Lok Ayukta, Panchayat Samities and Local Bodies
- Light Moter Vehicles of Accredited Journalists used by themselves

4. In case of vehicle has to cross the facility/construction more than once i.e. to and fro, will be treated as one unit for charge of fee, for which the user shall have the option to pay one and half times the fee. This option shall be confined to journeys undertaken on the same day.

5. For the vehicle, monthly pass may be obtained by paying 30 times of the one time fee, mentioned in the schedule for using the facility/ construction.

**Managing Director**
**RIDCOR**

## तहसील देवली (टोंक) के ओलावृष्टि प्रभावित कृषकों को मुआवजा/सहायता

**14. श्री प्रभुलाल सैनी** (हिण्डौली) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उनियारा की तहसील देवली में माह अक्टूबर, 2008 में भयंकर ओलावृष्टि के कारण किसानों के मकान व फसलों को काफी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितने-कितने किसान इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को आपदा राहत से सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है? यदि हां, तो कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई व नहीं, तो अब कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आकस्मिक आपदा कोष (सी.आर.एफ.) नार्म्स में किसानों को सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान किये जाने के उपरान्त भी कृषकों को आठ माह व्यतीत हो जाने पर भी सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उनियारा की तहसील देवली में माह अक्टूबर, 2008 में ओलावृष्टि के कारण किसानों के मकान व फसलों का नुकसान एवं पशुओं की क्षति हुई थी। ग्रामवार हुए नुकसान का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। पशुधन हानि से प्रभावित 24 व्यक्तियों में से 18 व्यक्तियों को भुगतान किया जा चुका है। मकान क्षति से प्रभावित 110 व्यक्तियों में से 68 व्यक्तियों को नियमानुसार राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रभावितों को भुगतान किया जा रहा है जो यथाशीघ्र करा दिया जायेगा। फसलों में नुकसान 50 प्रतिशत से कम हुआ था। अत: सी.आर.एफ. नार्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान देय नहीं है। पशु हानि एवं मकान क्षति से प्रभावित जिन व्यक्तियों को भुगतान किया जा चुका है उनका विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2)

(3) जिला कलक्टर टोंक द्वारा चाहे जाने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.3.2009 को राशि आबंटित कर दी गयी थी परन्तु वांछित मद में उक्त राशि के आबंटन नहीं होने से प्रभावितों को समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

(सहायता एवं अकाल राहत मंत्री)

चूंकि यह विलम्ब जानबूझकर व दुर्भावनावश नहीं किया गया तथा पुन:वांछित मद में राशि आबंटित होने के पश्चात् तहसीलदार देवली को राशि हस्तान्तरित भी की जा चुकी है एवं अधिकांश प्रभावितों को भुगतान भी किया जा चुका है जिसकी सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। अत: सहवन से हुई त्रुटि के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का औचित्य उचित प्रतीत नहीं होता है। सम्बन्धित अधिकारीगण व कर्मचारीगण को भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दे दी गयी है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## धौलपुर "नरेगा" योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

**15. श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में किस किस प्रकार के कार्य करवाये जा रहे हैं? कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में नरेगा के तहत कुल कितनी राशि के कार्य अब तक कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में नरेगा योजना में कार्य कर रहे मजदूरों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि का भुगतान अब तक किया गया?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में नरेगा योजना में चल रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इसमें लिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में वर्णित अनुमत कार्यों की सूची में से करवाये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में नरेगा योजना के तहत अब तक स्वीकृत कार्यों की राशि रु. 7669.02 लाख के विरुद्ध रु. 1660.14 लाख के कार्य करवाये गये हैं।

(3) जी हां। दिनांक 1.04.2008 से 15.6.2009 तक विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के अन्तर्गत आने वाली 30 ग्राम पंचायतों में मजदूरी भाग पर रु. 1423.068 लाख व्यय

(ग्रामीण विकास मंत्री)

किये गये हैं एवं भुगतान श्रमिकों के पोस्ट आफिस खातों में जमा कराकर पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

(4) जी हां। यह सही है कि नरेगा योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में प्राप्त 76 शिकायतों में से 70 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है एवं 5 जांचे लम्बित हैं तथा 1 शिकायत जिसके तहत ग्राम पंचायत कासिमपुर के 4 मेटों के विरूद्ध मस्टररोल में फर्जी हाजिरी दर्ज के कारण सदर थाना धौलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 304/20.11.2008 पर दर्ज कराई गई। यह प्रकरण सदर थाना धौलपुर में लम्बित है एवं पंचायत समिति में संविदा पर कार्यरत श्री गीतम सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के खिलाफ जांच होने के कारण उसको समस्त ग्राम पंचायतों से जांच निर्णित होने तक मुख्यालय पंचायत समिति धौलपुर किया गया है।

## लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

**16. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं एवं उनमें प्रत्येक में कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के अन्तर्गत 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 61 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उनमें स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्स श्रेणी प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं एस.एम.पी.डब्ल्यू. के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

लैब टैक्निशियन एवं वार्डबाय के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट "अ"

लक्ष्मणगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

| चिकित्सा संस्थान का नाम | पदनाम | स्वीकृत पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या | रिक्ति अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़ | कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी) | 2 | — | 11/08 (मेडिसन) कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद विरूद्ध चिकित्सा अधिकारी कार्यरत |
| | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ब्लाक सीएमएचओ) | 1 | — | — |
| | चिकित्सा अधिकारी | 2 | — | — |
| | नर्स श्रेणी प्रथम | 1 | 1 | 07/08 |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 4 | — | — |
| | कनिष्ठ लेखाकार | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 2 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 2 | — | — |
| | सहायक रेडियोग्राफर | 1 | — | — |
| | वरिष्ठ लिपिक | 1 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़ | कनिष्ठ लिपिक | 1 | — | — |
| | वाहन चालक | 1 | — | — |
| | वार्डबाय | 3 | 1 | 04/08 |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनेड़ी | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - | - |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | 1 | 12/07 |
| | वार्डबाय | 1 | — | — |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेछवा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | — | — |
| | वार्डबाय | 2 | — | — |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाड़ोदा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाड़ोदा | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | — | — |
| | वार्डबाय | 1 | — | — |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलूणा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | - | - |
| | वार्डबाय | 1 | — | — |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटोदा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - | - |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | 1 | 12/07 |
| | वार्डबाय | 2 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जावास | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जावास | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | — | — |
| | वार्डबाय | 1 | — | — |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनलावा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | 1 | 04/08 |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | — | — |
| | वार्डबाय | 1 | — | — |
| | सफाई कर्मचारी | | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिसनाठ | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | — | — |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोरूबड़ी | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | 1 | 08/08 |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | — | — |
| | वार्डबाय | 2 | — | — |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरासर | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | — |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | — |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | 1 | 07/08 |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुतोद | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, जुलियासर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, तिड़ोकी बड़ी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, काछवा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, मिलूण्डा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुमासजागीर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, तूणवा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, झांझड़ | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेवदड़ा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, किरडोली बड़ी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, जेवली | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, रूल्याणी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, मीरण | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, घाना | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, विजयपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र रूल्याणामाली | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, घिरनीया बड़ा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, शोला | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, भूमाबड़ा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, पुननी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, धाननी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, दतुजला | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, जाजोद | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बगड़ी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, हापास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बठोठ | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, डालमास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, भोजासर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, हमीरपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, खातीपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, अलखपुरा बोगान | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिडोली छोटी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बीदासर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, रहनावा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेड़ी राडान | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुमास जाटान | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिंगोदड़ा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, फदनपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, शिवरानों का बास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, खींवासर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, पालड़ी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूडवा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, यालसर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, लालासी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बठ | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, खूडीछोटी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, खीरवा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, नरोदड़ा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीपली | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, राजास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, राजपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, रिणु | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, भैरूपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बलारा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सांखू | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, चूडीमिया | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बटडानाउ | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, कंदलाठ | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, बीदसर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र, सूठोट | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| सर्वलेन्स स्टाफ | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | — | — |
| | एस.एम.पी.डब्ल्यू. | 2 | 2 | 12/7, 08/08 |
| | एम.पी.डब्ल्यू. | 4 | — | — |

**इसके अतिरिक्त एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत व्यक्तिगत अनुबन्ध पर निम्नलिखित स्टाफ कार्यरत है :-**

| पदनाम | कार्यरत पदों की संख्या |
|---|---|
| लेखाकार | 4 |
| लैब टैक्नीशियन | 1 |
| पी.एच.एन. | 1 |
| आयुष चिकित्सक | 2 |
| आयुष कम्पाउन्डर | 1 |
| जी.एन.एम. | 18 |

## कन्या महाविद्यालय, बून्दी हेतु निर्मित भवन

**17. श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सह सही है कि सरकार द्वारा बून्दी शहर में वर्ष 1995-96 में करीब 50 लाख रुपये की लागत से कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो निर्माण से अब तक कालेज भवन किसके कब्जे में है तथा उसका क्या उपयोग हो रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त भवन का उपयोग उन विभागों के संचालन हेतु लेने का विचार रखती है, जो भवन विहीन हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बूंदी शहर में वर्ष 1995-96 में 50.94 लाख रु. की लागत से कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। उक्त कालेज भवन निर्माण पूरा किये जाने की तिथि दिनांक 16.9.1998 से 15.5.2008 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में था तथा दिनांक 16.5.2008 को प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी को संभला दिया गया था, तब से आज तक भवन प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के कब्जे में है तथा अब इस भवन का उपयोग उनके द्वारा ही किया जाना है।

(2) इस विभाग द्वारा भवन को दिनांक 16.5.2008 को प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी को संभला दिया गया था तथा अब इस भवन का उपयोग उनके द्वारा ही किया जाना है।

## चौमूं के फ्लेट रेट विद्युत कनेक्शन

**18. श्री भगवानसहाय सैनी** (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फ्लेट रेट प्रणाली में जारी कृषि विद्युत् कनेक्शनों को मीटर प्रणाली में बदलने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब फ्लेट रेट को यथावत रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में फ्लेट रेट प्रणाली में कृषि विद्युत कनेक्शनों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा फ्लेट रेट प्रणाली में जारी कृषि विद्युत कनेक्शनों को मीटर प्रणाली में बदलने के आदेश क्रमांक जेपीआर 5-301 दिनांक 29.10.2005 एवं जेपीआर 5-346 दिनांक 4.8.2006 के द्वारा किये गये हैं। ये आदेश माननीय राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.9.2005 की बिन्दु संख्या 57 की अनुपालना में जारी किये गये हैं। प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा फ्लेट रेट को यथावत रखने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है, क्योंकि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा संख्या 55 के प्रावधानानुसार फ्लेट रेट सभी उपभोक्ताओं के यहां विद्युत अधिनियम लागू होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि अथवा माननीय आयोग द्वारा बढ़ाई गयी अवधि में मीटर लगाना अनिवार्य है। माननीय नियामक आयोग ने सभी फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने के लिये 9 जून, 2009 तक की तिथि निश्चित की थी। यद्यपि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को मीटर लगाने का स्वैच्छिक विकल्प है।

अभी भी फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाना शेष है अत: इसके लिये माननीय नियामक आयोग को इस अवधि को 30.9.2009 तक बढ़ाने के लिये आग्रह किया गया है। उन फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के यहां जिन्होंने मीटर लगाने का विकल्प नहीं दिया है। उनके लिये निगम द्वारा एफ.आर.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रांसफोरमर पर वैलडेड (Welded) मीटर बाक्स लगाया जाता है। हालांकि इस मीटर की रीडिंग सांख्यकीय गणना हेतु ली जाती है जब कि उपभोक्ता के बिलिंग फ्लेट दर पर ही की जाती है।

(3) चौमूं विधान सभा क्षेत्र में फ्लेट रेट प्रणाली में कृषि कनेक्शनों की संख्या 8334 है जिनका उपखण्डवार विवरण निम्न है :-

| उपखण्ड | फ्लेट रेट कृषि कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|
| ए-प्रथम | 2561 |
| ए-द्वितीय | 1550 |
| गोविन्दगढ़ | 3904 |
| जैतपुरा | 319 |

परिशिष्ट 'अ'

**JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**

**(COMMERCIAL WING)**

No. JPD/Dy. CE(CP & RE)/SE/F.Rit-SR/F43V(B) Dt. 29-10-2005

## ORDER

The Regulatory Commission of the State while determining the Annual Revenue Requirement of Vidyut Vitran Nigam Ltd had issued an order dt. 17.9.05 with regard to determination of Annual Revenue Requirement for the year 2005-06. The Regulatory Commission has desired that in order to determine the actual losses in agricultural category and for the purpose of identification of the high loss area, the installation of energy meters on various agricultural connections is a must.

It has also been desired by the Regulatory Commission that on the existing flat rate consumers the meters be installed either at consumer's premises or alternatively on the service lines or at the distribution transformer so that the consumption caused by the consumer is recorded in the energy meter.

The Commission has further directed that the existing flat rate consumers may be given the facility of exercising an option to be billed under the metered category of tariff. The option once exercised by the consumer would be valid up to the financial year. The firsy such option can be exercised by the consumers in the month of Octomber/November' 05.

After receipt of the billing option such agriculture consumers can be switched over from flat rate to metered category. The mode of billing would be applicable up to the billing month of April'06 in the first instance. The consumer, however will not be allowed to change his option except when tariff is filed by Nigam in the same financial year. The Nigam is also responsible for maintenance of such meters.

In order to comply with the requirement of direction of the Regulatory Commission, the option form in which an agricultural consumer under flat rate category has to exercise his option in the option form enclosed with this order. After the meter has been installed and the flat rate consumer has opted to be billed under metered category, the billing can be switched over from flat rate to metered category after completion of formalities regarding installation of meter by the field officers and exercising of the option by the consumer for billing under metered category.

It is, therefore, advised to give wide publicity in this regard. Consumers under flat rate category can exercise first such option in the month of Nov'05 so that their billing can be started under metered category w.e.f. 1.1.06.

**Encl :** As avobe.

**Sd/-**

**(B.L. Agrawal)**

**Dy. Chief Engineer (CP & RE)**

परिशिष्ट 'ब'

**JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**

**(COMMERCIAL WING)**

No. JPD/CE(CP & RE)SE(C)/C.I./F.4(261)Pt. VI/D. 1406 Dt. 4.8.2006

**ORDER**

**Sub : Installation of meters for flat rate consumer.**

Time and again guidelines have been prescribed under the Feeder Renovation Programme being taken up in the field on various 11 KV feeders interalia for providing distribution transformer with distribution boxes, provision for installation of meters, MCBs and capacitors. Such transformers are being installed on feeders wherein "Feeder Renovation Programme" have been launched and completed. In addition to 11 KV feeders under Feeder Renovation Programme such distribution transformers are also being installed for the purpose of replacement of existing distribution transformers in other areas likewise.

It has been reported that in some cases either the distribution transformers with distribution boxes having provision for installation of meters are not being installed or in some cases even after installation of such transformers. Meters for flat rate consumers are not being installed. It is understood that whenever such a distribution transformer is installed under Feeder Renovation Programme. Meters for flat rate consumers are also to be installed on the distribution transformers. After installation of meters reading of such meters is also required to be taken up by the meter readers at the time of visit of the area for taking meters reading. For the purpose of taking meter reading of flat rate agriculture connections. MRR (A-10) be prepared and kept in respective binders. In route order. Meter reading of such consumers will be taken by the Meter Readers as per Meter reading Programme and will be forwarded by the sub division to the computer agencies with each billing cycle. It should clearly understood by all concerned that billing of such consumers would continue to be as usual and meter reading have introduced for records purposes only.

In case the consumer opts for billing under meters category. Such connections be converted to metered category by exercising option for the same. Billing of such consumer is required to be done as per the tariff applicable for metered supply consumers.

It is also pertinent to mention that with the complection of the FRP,

the work of installation of meters for all flat rate consumers in distribution transformers provided with distribution boxes would be completed. In order to achieve this, all out efforts should be made by field officers to ensure to install meter for flat rate consumers, take meter reading of such consumers as per programme and forward the same to the billing agency for the purpose of keeping record billing month-wise.

Above instructions should be strictly followed by field officers. Further instructions in this regard would be issued by the Chief Accounts Officers.

By Order,

**Sd/-**

**(B.L. Agrawal)**

**Chief Engineer (CP & RE)**

परिशिष्ट 'स'

# Rajasthan Electricity Regulatory Commission Jaipur

In the matter of determination of
Aggregate Revenue Requirement
for the year 2005-06

Filed by
Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

Mr. Shanti Prasad, Chairman
Mr. S.M. Dharendra, Member
Mr. K.L. Vyas, Member

Present : On behalf of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Mr. R.P. Goyal, Managing Director
Objector :
Mr. D.S. Agarwal on behalf of Mr. K.L. Jain, Hon. Secretary,
Rajasthan Chamber of Commerce & Industries, Jaipur

Date of hearing : 24.8.2005
Date of Order : 17.9.2005

## ORDER

The Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. (JVVNL or Nigam or Discom for short) submitted on 31.1.2005 the write-up forms and other documents in respect of the revised Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the year 2004-05 and ARR for year 2005-06 as required under regulation 3(3) of RERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulation, 2004. The said ARR filing contained data on the basis of audited accounts for the year 2003-04 and projections for the year 2004-05 and 2005-06.

The said ARR filings were admitted by the Commission in its 85th meeting held on 16th February 2005.

The Commission's observations/shortcomings were intimated to JVVNL on 1.4.05, which were replied by them on 9.5.05. The Commission vide its letter dated 27.5.05 asked the JVVNL to publish salient features of ARR filing in the news papers for inviting objections/comments from general public.

56. These measures have also been listed in ARRs and Tariff petitions of earlier year also but have not been much effective in the reduction of distribution losses, as there has been no/insignificant reduction in distribution losses. This may be mainly due to the reason that action plan has mainly stressed on technical means to effect loss reduction while,

in fact, non-technical losses (or commercial losses) are very high. As such stress has to be on vigilance checking and effecting the investment more gainfully. In earlier hearing, shri Sanyam Lodha and S.S. Shukla have criticized the feeder renovation programme (FRP) and other measures taken up by Jodhpur VVNL for strengthening the distribution network and reducing losses, as it in their view will be leading to innuetuous expenditure with no visible improvement. In the light of no substantial reduction in losses, their objection has some relevance and is applicable to other Nigams also. The Commission shall, therefore, be monitoring the proposed and actual benefits of feeder renovation program of some feeders on monthly basis. The Commission directs that Nigam within 30 days of this order shall furnish list of feeders for which feeder renovation program has been/will be undertaken during FY 05-06 along with their cost, other technical details, schedule of commencement & completion, category of consumers catered and loss reduction envisaged. The Commission shall convey the names of feeders for which it will monitor the progress and performance of feeder renovation program.

**Metering of agricultural connection**

57. This directive of conversion of flat rate agricultural connection to metered supply agricultural connection was issued with a view that metering of all agricultural connection will enable determination of actual distribution losses, conservation of energy due to user charges and metering installation will enable distinguishing between genuine and non genuine consumers. Out of 153200 flat rate consumers as on 1.4.01 in JVVNL, only 49646 were converted to metered supply by 31.3.05 (i.e. in 4 years) and still sizable number of 103554 are yet to be converted. The slow progress has been reported to be due to consumers' resistance/agitations against metering. Section 55 of the Electricity Act 2003 provides for metering of all consumers within 2 years of commencement of the Act or longer period notified by the Commission. In view of consumers' resistance, only feasible option to achieve 100% metering so that main objective of determining actual losses and identifying the loss area is achieved, is that meters are installed, irrespective of metered or flat rate supply tariff. The Commission, therefore, directs that installation of metering on the existing flat rate consumers be effected at their premises (or alternatively at pole on their service line or transformer) with consumers given an option to be billed at either metered supply tariff or flat rate supply tariff on the condition that such option will be exercised annually in April (and first such option exercised in October 05 shall be valid up to April 06). Option once exercised will not be allowed to be changed during the year except when tariff revision takes place. Nigam shall maintain such meters.

**Energy Audit**

58. JVVNL has installed metering system on all 11 KV feeders & provided feeder codes to all consumers for the purpose of energy audit. However, it is observed that generation of reports is taking long time (normally more than 3 months) and report is not generated for some feeders due to consumer's codes not being correct or meters becoming defective. The delay in preparation of reports of energy audit defeats the very purpose of energy audit. JVVNL needs take sleeps to shorten the preparation of report and take expeditious follow up action. As per last report of Dec 04, it is observed that no report is generated for about 10% feeders due to defective meters and that for about 20% feeders it is not correct (being negative) due to wrong consumer code etc. About 55% feeders have losses exceeding 40% Circle wise distribution losses, as reported, are as under for FY 04-05:

| | |
|---|---|
| (i) Alwar Circle | 32.13% |
| (ii) Bharatpur Circle | 52.18% |
| (iii) Dausa Circle | 53.09% |
| (iv) Jhalawar Circle | 54.98% |
| (v) Jaipur district Circle | 49.68% |
| (vi) Kota Circle | 36.03% |
| (vii) Sawai Madhopur Circle | 40.73% |
| (viii) Jaipur City Circle | 17.80% |

59. These result indicate that losses are less in the circles having H.T. industrial load (including Railways). Apparently. LT losses in all circles appear to be of the same order.

**Capacitor installation**

60. LT capacitors at consumer end provides effective reactive compensation. It improves the power factor of load current and consequently line losses and lesser voltage drop which leads to better voltage profile. The Commission in its order dated 24.3.01 have made it mandatory for all agricultural consumers and the it consumer above 25h.p. to install capacitors. In compliance to this directive, notices were served to consumers for installation of 106.8 MVAr of capacitors. However, only 15.1 MVAr have been installed. The Commission directs that Nigam may vigorously pursue the

## मेडिकल कालेजों में अनुबन्ध पर नियुक्ति में आरक्षण नियमों की पालना

**19. डा. विश्वनाथ मेघवाल** (खाजूवाला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माह जनवरी व फरवरी, 2009 में प्रदेश के किन-किन मेडिकल कालेजों में अनुबंध के आधार पर सहायक आचार्य व अन्य पदों पर कितनी-कितनी भर्ती की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया था? यदि हां, तो कितना कितना व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) सहायक आचार्य एवं अन्य पदों पर माह जनवरी व फरवरी, 2009 में ली गई अनुबन्ध सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

| मेडिकल कालेज | सहायक आचार्य | अन्य पद | कुल |
|---|---|---|---|
| जयपुर | 0 | 0 | 0 |
| कोटा | 0 | 0 | 0 |
| बीकानेर | 0 | 0 | 14 |
| अजमेर | 3 | 13 | 16 |
| उदयपुर | 3 | 18 | 21 |
| जोधपुर | 18 | 9 | 27 |

(2) यद्यपि अनुबंध पर सेवायें लिया जाना नियुक्ति की श्रेणी में नहीं आता है तथापि विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सभी आरक्षित वर्गों हेतु निर्धारित आरक्षण के अनुसार चयन का प्रयास किया गया।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## वक्फ बोर्ड को वैधानिक शक्तियां

**01. श्री अब्दुल सगीर** (धौलपुर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के कितने वाद न्यायालयों में विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वक्फ बोर्ड की सम्पति से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वक्फ बोर्ड को वैधानिक शक्तियां (स्टेच्युरी पावर) देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में कुल संख्या 2319 वाद विचाराधीन है, जिनका न्यायालय वार विवरण निम्न प्रकार है :-

(2) जी नहीं। वक्फ अधिनियम की धारा 54 व 55 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदत्त हैं।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | माननीय सर्वोच्च न्यायाल | 5 |
| 2 | माननीय उच्च न्यायाल | 276 |
| 3 | माननीय राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर | 828 |
| 4 | न्यायालय, सम्पदा अधिकारी, वक्फ, जयपुर | 975 |
| 5 | विभिन्न जिलों में सिविल न्यायालय (जिलेवार सूची संलग्न परिशिष्ट ''अ'' | 235 |

राजस्थान सार्वजनिक परिसर (अतिक्रमियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के तहत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिये न्यायालय सम्पदा अधिकारी, वक्फ बोर्ड की भी व्यवस्था है।

वक्फ अधिनियम की धारा 83 के अनुसार वक्फ अथवा वक्फ की सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मुद्दे के अवधारणा के लिये (For determination of any dispute, question or other matter relating to wakf or wakf property) वक्फ अधिकरण (tribunal) का प्रावधान है और राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वक्फ अधिकरण की स्थापना कर दी गई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का पदस्थापन होता है।

(3) राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स का गठन वक्फ अधिनियम 1995 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 43 वर्ष 1995) के तहत किया जाता है जो कि एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है। वक्फ अधिनियम में दिये गये अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से वक्फ बोर्ड द्वारा उपभोग/निर्वहन किया जाता है।

परिशिष्ट अ

## राज्य में विभिन्न जिलों की माननीय सिविल एवं अन्य अदालतों में लम्बित मुकदमा की सूची

| क्र. सं. | जिले का नाम | सं. |
|---|---|---|
| 1. | जयपुर | 30 |
| 2. | जोधपुर | 44 |
| 3. | कोटा | 29 |
| 4. | टोंक | 04 |
| 5. | अजमेर | 25 |
| 6. | धौलपुर | 06 |
| 7. | चित्तौड़गढ़ | 02 |
| 8. | नागौर | 04 |
| 9. | सवाईमाधोपुर | 02 |
| 10. | चूरू | 01 |
| 11. | दौसा | 03 |
| 12. | भीलवाड़ा | 01 |
| 13. | गंगानगर | 03 |
| 14. | भरतपुर | 27 |
| 15. | सीकर | 09 |
| 16. | झुंझुनूं | 02 |
| 17. | उदयपुर | 08 |
| 18. | डूंगरपुर | 1 |
| 19. | बारां | 03 |
| 20. | झालावाड़ | 02 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | बूंदी (रेवेन्यू बोर्ड अजमेर) | 01 |
| 22. | पाली | 04 |
| 23. | जालौर | 03 |
| 24. | सिरोही | 01 |
| 25. | अलवर | 20 |
| | कुल योग | 235 |

## ग्राम पंचायत जाडला (कठूंमर) के राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री की कालाबाजारी

**02. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जाडला (कठूंमर) अलवर के राशन डीलर को अनियमितता के कारण निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो कब-कब एवं कब-कब बहाल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राशन डीलर (ग्राम पंचायत जाडला) कठूंमर के द्वारा विभागीय अधिकारियों की मदद से कैरोसिन एवं गेहूं अन्यत्र बाजार में बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत जाडला, तहसील कठूंमर के उचित मूल्य दुकान डीलर श्री करणसिंह द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितता बरतने के कारण उनके विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं. 91/2005 में डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 27.9.2005 को निलम्बित किया गया तथा उक्त डीलर का दिनांक 31.10.2005 को प्राधिकार पत्र उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए बहाल किया गया।

(2) जी नहीं। उक्त डीलर की प्राप्त शिकायत की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई तथा अनियमितता पाये जाने पर डीलर के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई। जांच रिपोर्ट में कोई विभागीय अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

## संगरिया में रसोई गैस एजेन्सी

**03. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह** (संगरिया) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रसोई गैस एजेन्सी आबंटित करने के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कितनी गैस एजेन्सियां हैं व उनमें कितने कितने उपभोक्ता हैं?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र संगरिया व टिब्बी में नई गैस एजेन्सी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह )

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया में एक ही गैस एजेन्सी संचालित है जिसके कारण उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो रही है?

(5) उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

## उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गैस एजेन्सी आबंटित नहीं की जाती है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में आई.ओ.सी. की एक गैस एजेन्सी स्थापित है तथा उनमें 11963 घरेलू और 119 वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एच.पी.सी.एल. द्वारा टिब्बी में एक गैस एजेन्सी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए दिनांक 3.11.2007 को विज्ञप्ति जारी की जाकर 70 आवेदकों के साक्षात्कार लिये गये थे, परन्तु कुछ अनियमितता के कारण आशय पत्र (LOI) जारी नहीं किया गया। अत: पुन: एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी किया जाना अपेक्षित है।

(4) जी नहीं। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया में एक ही गैस एजेन्सी संचालित है। लेकिन उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है।

(5) उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। संगरिया में स्वत: गैस बुकिंग की प्रणाली अपनाई गई है। इससे उपभोक्ताओं को नियमित गैस आपूर्ति हो रही है। जिला कलक्टर (रसद) द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छतरगढ़ (बीकानेर) हेतु अतिरिक्त चिकित्सक

**04. डा. विश्वनाथ मेघवाल** (खाजूवाला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक का एक और पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक के एक ही पद का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक यूनानी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री )

चिकित्सक भी कार्यरत है। इसलिए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक का एक और पद सृजित कराया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

## बेसहारा एवं नि:शक्तजनों को निजी चिकित्सालय में चिकित्सीय जांच/इलाज में रियायत

**05. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में किन-किन वर्गों/ व्यक्तियों को नि:शुल्क जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अनाथ बच्चों, विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं नि:शक्तजनों को भी नि:शुल्क जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सभी वर्गों के लिए राज्य के निजी अस्पतालों में भी रियायती दर पर जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई नियम कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में निम्न वर्गों व्यक्तियों को नि:शुल्क जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगी (बी.पी.एल. कार्ड धारक)
2. स्वतन्त्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक एवं मेडिकोलीगल कैसेज
3. लावारिस, कैदी, असहाय गरीब दुर्घटना ग्रस्त रोगी, अनाथ बच्चे एवं नि:शक्तजनों को
4. आयकर न देने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के रोगी एवं विधवा
5. विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली साधारण जांचें।

(2) जी हां। अनाथ बच्चों, विधवाओं एवं नि:शक्तजनों को वर्तमान में नि:शुल्क जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) अभी इस प्रकार का कोई कानून विचाराधीन नहीं है।

## सामान्य मौत से मृतक के पोस्टमार्टम की आवश्यकता

**06. श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति की राजकीय चिकित्सालयों में मृत्यु होने पर उसका पोस्टमार्टम अनिवार्य है एवं अभिभावक के न चाहने पर भी पोस्टमार्टम किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

### उत्तर

सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति की राजकीय चिकित्सालयों में मृत्यु होने पर उसका पोस्टमार्टम अनिवार्य नहीं है एवं अभिभावक के न चाहने पर भी सामान्य परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है।

## श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों के ग्रामों में संचालित अनुज्ञारहित दवा विक्रय केन्द्र

**07. श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयां बैची जा रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नशीली दवाइयों को पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाया गया? यदि हां, तो कब व किसके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में कई गांवों में बिना चिकित्सक के मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं? यदि हां, तो जिला श्रीगंगानगर में ऐसे कितने मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मेडिकल स्टोर के लाइसेन्स, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत बनी नियमावली, 1945 के प्रावधानों की पूर्ति के पश्चात् जारी किये जाते हैं। बिना चिकित्सक के मेडिकल स्टोर खोले जाने के सम्बन्ध में नियमों में कोई उल्लेख नहीं है।

## एड्स रोग पर नियन्त्रण हेतु विशेष कार्य-योजना

**08. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

(1) राज्य में अब तक कुल कितने एड्स रोगी चिह्नित किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त एड्स रोगियों की सूची में राजकीय कर्मचारी भी सम्मिलित हैं? यदि हां, तो विभागवार रोगियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा एड्स पीडितों की समुचित चिकित्सा हेतु पृथक से बजट प्रावधान किया हुआ है? यदि हां, तो कितनी राशि का एवं नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार एड्स रोग के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) राज्य में एड्स के 5503 रोगी एआरटी सेन्टर पर उपचार ले रहे है। इनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) भारत सरकार (नाको) के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एड्स के उपचार हेतु रोगियों के विवरण में रोगी राजकीय कर्मचारी है या नहीं, का उल्लेख संधारित नहीं किया जाता है।

(3) जी हां। एड्स पीड़ितों को एआरटी सेन्टर पर नि:शुल्क जांच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में केयर एण्ड सपोर्ट डिविजन में राशि रुपये 165.43 लाख का प्रावधान भारत सरकार (नाको) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त एड्स पीडितों के नि:शुल्क उपचार की दवा भारत सरकार (नाको) द्वारा सीधे ही एआरटी सेन्टर्स पर उपलब्ध कराई जाती है।

(4) जी हां। एड्स रोग के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु निम्नांकित गतिविधियां संचालित की जाती हैं :-

**प्रभावी आईईसी :**-विभिन्न स्तरों पर प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जैसे दूरदर्शन,एआईआर, प्राईवेट एफएम व टीवी चैनल के माध्यम से एचआईवी/एड्स रोकने हेतु जानकारी, एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप गतिविधियों, प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण आदि राज्य में निरन्तर किया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री )

**टीआई (लक्षित हस्तक्षेप योजनायें) :-** एड्स रोग का संक्रमण फैलने को संकुचित करने हेतु राज्य में 55 टीआई एनजीओ के माध्यम से उच्च जोखिम समूह (महिला यौनकर्मी/पुरूष का पुरूष के साथ सम्बन्ध/सूई के जरिये साझा नशा करने वाले) के साथ 30 जिलों में एचआईवी संक्रमण के रोकथाम एवं संकुचन के कार्य का संचालन कर रहे हैं। टीआई गतिविधियों में एचआईवी/एड्स की जानकारी, इससे बचाव की जानकारी, यौन रोग उपचार, रेफरल, परामर्श सेवायें एवं नि:शुल्क कंडोम वितरण का कार्य संपादित किया जाता है।

**आईसीटीसी (बेसिक सर्विसेज) :-** राज्य में 182 एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र संचालित हैं।

1. जिनमें जन सामान्य व अधिक जोखिम वर्ग को नि:शुल्क एचआईवी जानकारी, परामर्श, जांच, रेफरल की सुविधा उपलब्ध है।
2. एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं से बच्चे में संक्रमण की रोकथाम हेतु नि:शुल्क जांच, परामर्श एवं दवा उपलब्ध कराई जाती है।
3. टी.बी. कैसज की एचआईवी जांच कर संक्रमण की तीव्रता, प्रसार व प्रभाव को कम करने हेतु रेफर किया जाता है।

**केयर एण्ड सपोर्ट :-**एड्स का संक्रमण संकुचित करने हेतु एआरटी सेन्टर पर कार्यरत परामर्शदाता द्वारा एड्स के रोगी को कंडोम के उपयोग, संयम से जीवन यापन करने, नियमित दवा लेने, अच्छा आहार लेने का परामर्श नि:शुल्क रूप से दिया जाता है।

**सुरक्षित रक्त :-**

1. राज्य में कार्यरत सभी ब्लड बैंकों द्वारा संग्रहित रक्त की 5 जांचें आवश्यक रूप से की जाती हैं, जिसमें एचआईवी की जांच भी सम्मिलित है।
2. सभी रक्तदाताओं को रक्त देने से पहले एवं पश्चात् एड्स के संक्रमण की रोकथाम हेतु पूरी जानकारी दी जाती है।

परिशिष्ट "अ"

**राज्य में अब तक एआरटी सेन्टर पर उपचार ले रहे एड्स रोगियों की जिलेवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है**

| क्र. सं. | जिले का नाम | एआरटी ले रहे रोगियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजमेर | 272 |
| 2. | अलवर | 176 |
| 3. | भीलवाड़ा | 238 |
| 4. | भरतपुर | 99 |
| 5. | बाड़मेर | 258 |
| 6. | बारां | 6 |
| 7. | बांसवाड़ा | 92 |
| 8. | बीकानेर | 137 |
| 9. | बूंदी | 26 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 122 |
| 11. | चूरू | 118 |
| 12. | धौलपुर | 23 |
| 13. | डूंगरपुर | 189 |
| 14. | हनुमानगढ़ | 62 |
| 15. | झुंझुनूं | 228 |
| 16. | जयपुर | 500 |
| 17. | जोधपुर | 416 |
| 18. | जैसलमेर | 22 |
| 19. | झालावाड़ | 25 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | जालौर | 273 |
| 21. | कोटा | 45 |
| 22. | करौली | 41 |
| 23. | नागौर | 408 |
| 24. | पाली | 444 |
| 25. | प्रतापगढ़ | 23 |
| 26. | राजसमंद | 142 |
| 27. | सिरोही | 152 |
| 28. | सीकर | 289 |
| 29. | सवाईमाधोपुर | 31 |
| 30. | श्रीगंगानगर | 60 |
| 31. | टोंक | 86 |
| 32. | दौसा | 48 |
| 33. | उदयपुर | 353 |
| 34. | राजस्थान के अतिरिक्त | 99 |
| | **योग** | **5503** |

## कस्बा शाहपुरा में वर्षा के पानी की निकासी हेतु योजना

**09. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कस्बा शाहपुरा (जयपुर) में राष्ट्रीय राजमार्ग के तल को ऊंचा उठाने से बरसात के पानी की निकासी अवरूद्ध हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवरूद्ध मार्ग पर आवश्यक निर्माण करवाकर उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राज मार्ग के चार लेन निर्माण के बाद कस्बा शाहपुरा के कुछ क्षेत्र में बरसात के पानी की निकासी अवरूद्ध हो गई है। चूंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है इसलिए पुन: इस समस्या के निराकरण हेतु विभाग द्वारा अनुरोध किया है एवं उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के छह लेनीकरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। विषयान्तर्गत किलोमीटर में निर्माण के दौरान पानी निकासी की समस्या का उचित निदान कर दिया जावेगा।

## धौलपुर की पूर्व स्वीकृत सड़कें

**10. श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में गौरव पथ रोड बनाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त कार्य किन कारणों से पूरा नहीं कराया जा सका?

(2) क्या अब सरकार गौरव पथ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त रोड के साथ गंगाबाई की बगीची से मौहल्ला पटपटा होते हुए महात्मानन्द की कुया तक सीमेन्ट रोड बनाने का भी प्रस्ताव था इसे भी गिट्टी डालकर अधूरा छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे भी पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में गौरव पथ बनाने की कोई योजना नहीं है। यह राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वितीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

(3) जी नहीं। गंगाबाई की बगीची से पटपटा होते हुए महात्मा नन्द की कुइया तक सीमेन्ट रोड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस सड़क के भाग बड़ापीर से महात्मा नन्द की कुइया तक के लिए डामर कार्य की स्वीकृति नगरपालिका धौलपुर से प्राप्त हुई थी जिससे सड़क के इस भाग पर डामरीकरण करा दिया गया है।

## श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व ग्रामों का पंचायत मुख्यालय से डामरीकरण

**11. श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने राजस्व ग्राम स्वयं के पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से जुड़ने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे गांवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 21 राजस्व गांव स्वयं के पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पंचायत मुख्यालयों को उनके अधीनस्थ आने वाले राजस्व ग्रामों को सड़क से सीधा जोड़ने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यह राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व ग्राम की सूची जो स्वयं के पंचायत मुख्यालय से जुडे हुए नहीं हैं

| क्र. सं. | पंचायत मुख्यालय का नाम | राजस्व ग्राम जो स्वयं के पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़ा हुआ है | जनसंख्या 2001 की गणना के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 1. | बाना | 1) जैसलसर | 1467 |
| 2. | बिंझासर | 2) लोडेरा | 1756 |
| | | 3) राजपुरा | 406 |
| 3. | धिरदेसर चोटियान | 4) कूंतासर | 1969 |
| | | 5) रेवाडा | 269 |
| 4. | दूसारना पंडरीक जी | 6) पूंदलसर | 2247 |
| | | 7) कोटासर | 896 |
| | | 8) हेमासर | 799 |
| 5. | इंदपालसर सांखलान | 9) रामसरा बिग्गा बास | 3477 |
| | | 10) इंदपालसर गुंसाईसर | 1325 |
| 6. | जोघासर | 11) समन्दसर | 2330 |
| 7. | लिखमादेसर | 12) सतासर | 1411 |
| 8. | सूरजनसर | 13) लाखनसर | 1188 |
| | | 14) उदासर चारनान | 248 |
| 9. | उदरासर | 15) धोलिया | 794 |
| 10. | कूचोर आथूनी | 16) बनिया | 1819 |
| | | 17) जयसिंह देसर कलिया | 465 |
| 11. | लालमदेसर बड़ा | 18) लालमदेसर छोटा | 1845 |
| 12. | मोरखाना | 19) भोमकिरतासर | 7 |
| | | 20) मानकसर | 228 |
| 13. | सिनियाला | 21) लालासर | 1434 |

## सूरसागर के क्षतिग्रस्त राजकीय भवन एवं सड़कें

**12. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कौन-कौन से राजकीय भवन, सड़कें आदि आते हैं, जिनकी देखरेख का दायित्व अथवा स्वामित्व ही सार्वजनिक निर्माण विभाग का है?

(2) उक्त में से किस-किस सड़क पर वर्तमान में क्या-क्या कार्य प्रगति पर है तथा क्या-क्या विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं? क्या सरकार समस्त योजनाओं में सड़कों के दोनों ओर एवं मध्य में डिवाइडर पर वृक्षारोपण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में किस स्तर पर लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से विभाग के अधीन सूचीबद्ध राजकीय भवनों में क्या-क्या कार्य प्रगति पर हैं एवं क्या-क्या विकास, जीर्णोद्धार योजनाएं प्रस्तावित हैं? उक्त योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख वाले 20 राजकीय भवनों एवं 22 सड़कों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों में से नागौरी गेट से विद्याशाला रोड के सुधारीकरण हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डिपोजिट योजना में राशि 190.91 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की थी। जिसके तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई राशि 36.23 लाख रुपये के तहत इस सड़क पर रॉक कटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा सड़क की चौड़ाईकरण, डामरीकरण एवं दीवार मरम्मत एवं अन्य कार्य डिपोजिट राशि के अभाव में रूका हुआ है। परिशिष्ट- "ब" में क्रम संख्या 2, 4, 8, 10, 11 एवं 12 पर वर्णित सड़कों के सुधार/नवीनीकरण के कार्य विभागीय प्रस्तावों के अन्तर्गत विचाराधीन है एवं शेष सड़कों के विकास की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। सड़कों के दोनों ओर एवं मध्य में डिवाइडर पर वृक्षारोपण करने की राज्य सरकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अत: किसी स्तर पर स्वीकृति लम्बित नहीं है।

(3) उक्त राजकीय भवनों में से पुलिस थाना प्रतापनगर में पुलिस आधुनिकीकरण योजना में रसोईघर एवं मैस निर्माण का कार्य राशि 4.50 लाख रुपये

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

का स्वीकृत है, जिसकी निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं दिनांक 8.7.2009 को प्राप्त की जायेगी। शेष राजकीय भवनों में विकास एवं जीर्णोद्धार का कोई कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। अत: किसी स्तर पर स्वीकृति लम्बित नहीं है।

**परिशिष्ट-अ**

**विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में आने वाले राजकीय भवनों की सूची**

| क्र. सं. | भवन का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | अंध विद्यालय व छात्रावास |
| 2. | पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड |
| 3. | पुलिस थाना बासनी |
| 4. | पुलिस थाना सूरसागर |
| 5. | पुलिस थाना शास्त्रीनगर |
| 6. | पुलिस थाना प्रताप नगर |
| 7. | अरबन हाट |
| 8. | यू.पी.एस. स्कूल, सूरसागर |
| 9. | चौपासनी स्कूल |
| 10. | विद्याशाला स्कूल |
| 11. | डाईट |
| 12. | अनु. जाति/जनजाति छात्रावास, नागौरी गेट |
| 13. | के.एन. चेस्ट अस्पताल |
| 14. | प्रतापनगर गेंगहट |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 15. | जगदम्बा अस्पताल |
| 16. | चौपासनी डिस्पेन्सरी |
| 17. | चांदपोल डिस्पेन्सरी |
| 18. | कायलाना रेस्ट हाउस |
| 19. | पी.एच.सी. फिदूसर |
| 20. | पटवार ट्रेनिंग सेन्टर |

**परिशिष्ट-ब**

**विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में आने वाले सड़कों की सूची**

| क्र. सं. | अरबन सड़क संख्या | सड़क का नाम | समतुल्य लम्बाई (किमी) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | यू.आर.-3 | नागौरी गेट से विद्याशाला रोड (किला रोड) | 5.00 |
| 2. | यू.आर.-36 | सम्पर्क सड़क मण्डोर से सूरसागर वाया बालसमन्द | 9.21 |
| 3. | यू.आर.-37 | सम्पर्क सड़क चांदपोल से सूरसागर वाया विद्याशाला | 2.84 |
| 4. | यू.आर.-39 | सम्पर्क सड़क कायलाना से चौपासनी | 6.00 |
| 5. | यू.आर.-42 | सम्पर्क सड़क गुरो का तालाब रोड | 2.30 |
| 6. | यू.आर.-43 | सम्पर्क सड़क कुत्तों का बाडिया | 0.30 |
| 7. | यू.आर.-44 | सम्पर्क सड़क देवीदान जी का आश्रम | 0.60 |
| 8. | यू.आर.-45 | पंचकुण्डिया से फिदुसर रोड | 2.51 |
| 9. | यू.आर.-46 | सिवांची गेट से प्रतापनगर वाया भीका प्याऊ | 4.80 |
| 10. | यू.आर.-47 | सम्पर्क सड़क चौपासनी मन्दिर रोड | 2.00 |
| 11. | यू.आर.-50 | सम्पर्क सड़क घोडा घाटी | 3.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | यू.आर.-52 | सम्पर्क सड़क जोधपुर-जैसलमेर किमी 5/0 हनुमानजी का बाडिया वाया कायलाना रोड | 8.60 |
| 13. | यू.आर.-53 | सूरसागर बाइपास रोड (एन.एच.-65 से सूरसागर वाया राजबाग सर्कल) | 4.00 |
| 14. | यू.आर.-61 | चौपासनी रोड आखलिया चौराहा से सुन्दर हील बालाजी वाया चौपासनी रोड़ | 17.10 |
| 15. | यू.आर.-71 | सम्पर्क सड़क मसूरिया हील रोड | 2.00 |
| 16. | यू.आर.-72 | जोधपुर बाड़मेर रोड से जोधपुर-चौपासनी रोड वाया के.एन. चेस्ट अस्पताल | 5.17 |
| 17. | यू.आर.-100 | पाल लिंक रोड से सैण्ट्रल एकेडमी | 2.50 |
| 18. | यू.आर.-103 | बासनी आवर ब्रिज से एन.एच.-112 जंवाई केनाल के साथ-साथ | 5.40 |
| 19. | एम.डी.यू.आर. -104 | जोधपुर तिंवरी बालेसर सड़क किमी 8/0 से 15/0 | 7.00 |
| 20. | एम.डी.यू.आर. -32 | रूपावता का बेरा से मणाई सड़क किमी 0/0 से 2/0 | 2.00 |
| 21. | ओ.डी.यू.आर. -28 | नंदेलाव की हवेली से लोहावट सड़क (बैरु सड़क) किमी 0/0 से 5/0 | 5.00 |
| 22. | ओ.डी.यू.आर. -06 | जोधपुर से तिंवरी सड़क किमी 0/0 से 1/500 | 1.500 |
| | | **योग** | **99.33** |

## टिब्बी एवं संगरिया के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत

**13. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह** (संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टिब्बी एवं संगरिया को जोड़ने वाला पुल गत आठ वर्षो से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो इसे कब तक दुरूस्त करवा दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल के पुनर्निर्माण नहीं होने से वर्षा ऋतु में आपसी सम्पर्क टूट जाता है?

(3) क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल निर्माण हेतु स्थानीय विधायक द्वारा समय-समय पर पत्राचार किया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? पत्राचार व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। इस क्षतिग्रस्त पुल को दुरुस्त करने के लिये इसका पुन: निर्माण कराना होगा, जिसकी वर्तमान में कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है एवं इस कार्य को कराने के लिये आवश्यक स्वीकृति राज्य सरकार के वितीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इस पुल का निर्माण 40 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग (वर्तमान में जल संसाधन विभाग) द्वारा कराया गया था।

(2) जी हां। यह सही है कि पुल के पुनर्निर्माण नहीं होने से जी.डी.सी. में अधिक पानी आवक की स्थिति में संगरिया एवं टिब्बी कस्बों के मध्य सीधा सम्पर्क अवरुद्ध हो जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त पुल के पुन: निर्माण हेतु प्रस्ताव पीएमजीएसवाई योजना में सम्मिलित कर भारत सरकार को प्रस्तुत किये थे, परन्तु प्रस्तावित पुल, स्पान के योजना के मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। अग्रिम कार्य योजना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(4) जी हां। पत्राचार एवं उसके सन्दर्भ में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

**14. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने व राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्तमान में राज्य में किस-किस विद्युत उत्पादन केन्द्र से कितनी-कितनी विद्युत उत्पादित की जा रही है और सरकार की भविष्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में सरकारी और निजी स्तर पर विद्युत उत्पादन केन्द्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी विद्युत क्षमता के उत्पादन केन्द्र लगाये जाने प्रस्तावित हैं और ये कब तक बन कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि आगामी पांच वर्षों में राज्य के विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भर होने की सम्भावना है?

## उत्तर

(1) जी हां। राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने व राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में निगम के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से 3152.35 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा रही है जिसका उत्पादन केन्द्रवार विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | विद्युत-ग्रह का नाम | अधिष्ठापित क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन | 1045 मेगावाट |
| 2 | सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन | 1150 मेगावाट |
| 3 | रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन | 113.5 मेगावाट |
| 4 | गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन | 250 मेगावाट |
| 5 | धौलपुर गैस थर्मल पावर स्टेशन | 330 मेगावाट |
| 6 | माही जल विद्युत-ग्रह | 140 मेगावाट |
| 7 | लघु जल विद्युत योजनाएं (10) | 23.85 मेगावाट |
| | | 3152.35 मेगावाट |

निगम द्वारा 695 मेगावाट क्षमता के तीन इकाइयों को ग्रिड से सिन्क्रोनाइज किया गया है जिनसे वर्ष 2009-10 में विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है जिसका विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

उपरोक्त विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निगम द्वारा 1950 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं से भविष्य में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

राज्य में प्रदर्शन संयंत्रों एवं निजी निवेशकर्ताओं के माध्यम से 734.695 मेगावाट क्षमता के पवन एवं 31.3 मेगावाट बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादित की जा रही है।

अगले पांच वर्ष में स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 15500 मेगावाट करने का लक्ष्य है।

(2) हां यह सही है कि राज्य में सरकारी स्तर पर विद्युत क्षमता के उत्पादन केन्द्र लगाये जाने प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार द्वारा निगम को 3050 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है

(ऊर्जा मंत्री)

जिनसे कि आगामी वर्षों में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है। इन विद्युत परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ग" में संलग्न है।

राज्य में निजी क्षेत्र एवं केन्द्रीय परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

**निजी क्षेत्र :-**

**अ-** मै. राजवेस्ट पावर लिमि. द्वारा जलीपा-कपूरड़ी जिला बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित 8x135 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र निर्माणाधीन है। इस संयंत्र की प्रथम इकाई से विद्युत उत्पादन माह जुलाई, 2009 से अपेक्षित है।

**ब-** निजी स्तर पर तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र बांसवाड़ा में 1320 मेगावाट क्षमता का, केन्द्र सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार केस-2 के अन्तर्गत लगाया जाना प्रस्तावित है। इस विद्युत केन्द्र से निजी उत्पादनकर्ताओं के चयन व विद्युत वितरण कम्पनियों से पावर परचेज एग्रीमेंट के उपरान्त 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

**स-** इसी क्रम में लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र 70 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन केन्द्र बीकानेर जिले के गुढा (पश्चिम) में लगाया जाना प्रस्तावित है। इस विद्युत केन्द्र से निजी उत्पादनकर्ता के चयन व विद्युत वितरण कम्पनियों से पावर परचेज एग्रीमेंट के उपरान्त 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

**केन्द्रीय क्षेत्र-**

**अ-** नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा बरसिंघसर (बीकानेर) में लिग्नाइट आधारित 2x125 मेगावाट क्षमता की परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन माह अगस्त, 2009 एवं जन., 2010 से अपेक्षित है।

**ब-** आर.ए.पी.पी., इकाई-पंचम एवं षष्ठम (2x220 मेगावाट) परियोजना निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन माह दिस., 2009 एवं मार्च, 2010 से अपेक्षित है।

राज्य में निजी स्तर पर पवन, बायोमास एवं सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाये जाने प्रस्तावित हैं। स्वीकृत संयंत्रों की सूची परिशिष्ट घ पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। आगामी पांच वर्षों में राज्य के विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्म निर्भर होने की सम्भावना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 17वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वर्ष 2013-14 में विद्युत की मांग की आपूर्ति के लिए लगभग 12731 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी जब कि राज्य में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं से राज्य की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता लगभग 15,500 मेगावाट से अधिक हो जायेगी जिससे राज्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्म निर्भर हो सकेगा।

परिशिष्ट-क

| क्र. सं. | विद्युत-ग्रह का नाम | क्षमता | सिन्क्रोनाइजेशन तिथि | प्रस्तावित कमिशनिंग तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन छठी इकाई | 250 मेगावाट | 31.3.2009 | 31.7.2009 |
| 2. | छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना प्रथम इकाई | 195 मेगावाट | 16.4.2009 | 31.8.2009 |
| 3. | कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन सप्तम इकाई | 250 मेगावाट | 30.5.2009 | 31.7.2009 |
| | **कुल** | **695 मेगावाट** | | |

परिशिष्ट-ख

| क्र. सं. | विद्युत-ग्रह का नाम | क्षमता | प्रस्तावित सिन्क्रोनाइजेशन तिथि | प्रस्तावित कमिशनिंग तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना द्वितीय इकाई क्षमता 250 मेगावाट | 250 मेगावाट | नवम्बर 2011 | 31.01.2010 |
| 2. | छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय एवं चतुर्थ इकाई क्षमता 2ग250 मेगावाट | 2ग250 मेगावाट | अगस्त, 2011 एवं अक्टूबर, 2011 | 31.10.2011/ 31.12.2011 |
| 3. | कालिसिंध तापीय विद्युत परियोजना क्षमता 2ग600 मेगावाट | 2 ग600 मेगावाट | अक्टूबर, 2011 एवं जनवरी, 2012 | 31.12.2011/ 31.3.2012 |
| | **कुल** | **695 मेगावाट** | | |

**परिशिष्ट-ग**

| क्र. सं. | विद्युत-ग्रह का नाम | क्षमता | प्रस्तावित सिन्क्रोनाइजेशन तिथि | प्रस्तावित कमिशनिंग तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण 160 मेगावाट (110 मेगावाट कग60 मेगावाट) | 160 मेगावाट | नवम्बर 2011 एवं मार्च, 2012 | |
| 2. | छबड़ा तापीय परियोजना द्वितीय चरण (पांचवीं एवं छठी ईकाई)-2ग660 मेगावाट | 2ग600 मेगावाट | जून, 2013 एवं दिसम्बर, 2013 | सितम्बर, 2013 एवं मार्च, 2014 |
| 3. | सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना (सातवीं एवं आठवीं इकाई)-2ग660 मेगावाट | 2ग600 मेगावाट | जून, 2013 एवं दिसम्बर, 2013 | सितम्बर, 2013 एवं मार्च, 2014 |
| 4. | गिरल लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण (तृतीय एवं चतुर्थ ईकाई)-2ग125 मेगावाट | 2ग125 मेगावाट | जनवरी 2013 एवं अप्रैल 2013 | मार्च 2013 एवं जून, 2013 |
| | **कुल** | **3050 मेगावाट** | | |

परिशिष्ट-घ

**1. बायोमास आधारित**

| क्र. सं. | उत्पादक फर्म का नाम | क्षमता (मेगावाट में) | स्थान | संयंत्र स्थापित होने की अनुमानित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मै. एस.एम. एनवायरमेन्टल टेक्नोलोजिज प्रा. लि. | 08 | पछार, बांरा | 2009-10 |
| 2. | मै. संजोग शूगर एण्ड इको पावर प्रा. लि. | 10 | सांगरिया, हनुमानगढ़ | 2011-12 |
| 3. | मै. संभव एनर्जी लि. | 20 | रामपुर, सिरोही | 2009-10 |
| 4. | इन्डीन बॉयो पावर लि. | 08 | चांदी-देवली, टोंक | 2011-12 |
| 5. | मै. ट्रांसटेक विण्ड पावर लि. | 12 | सांचौर, नागौर | 2011-12 |
| 6. | मै. सत्यम पावर लि. | 10 | मेडता, नागौर | 2011-12 |
| | **योग** | **68** | | |

**2. सौर ऊर्जा आधारित**

| क्र. सं. | उत्पादक फर्म का नाम | क्षमता (मेगावाट में) | स्थान | संयंत्र स्थापित होने की अनुमानित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | मै. पार सोलर | 05 | धूधिया, जोधपुर | 2009-10* |
| 2. | मै. रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि. | 05 | खींवसर, नागौर | 2009-10* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | मै. मोजरबीयर फोटोवोल्टेक लि. | 05 | तिबरी, जोधपुर | ** |
| 4. | मै. एसटेनफील्ड सोलर (राजस्थान) प्रा. लि. | 05 | बेटवासिया, जोधपुर | ** |
| 5. | मै. वीडियोकोन इण्डस्ट्रीज लि. | 05 | बेटवासिया, जोधपुर | ** |
| 6. | मै. रेफेक्स रेफ्रिग्रेन्ट्स लि. | 05 | बिटूजा, बाड़मेर | ** |
| 7. | मै. एईएस सोलर इनर्जी प्रा. लि. | 05 | तिबरी, जोधपुर | ** |
| 8. | मै. एन्टीग्रा लि. | 01 | नेवा, जोधपुर | *** |
| 9. | मै. स्विसपार्क वानिज्या लि. | 05 | तिबरी, जोधपुर | ** |
| 10. | मै. ओपीजी एनर्जी लि. | 05 | खींवसर, नागौर | ** |
| 11. | मै. एक्मे टेलीपावर लि. | 10 | भैरूखेड़ा, बीकानेर | मई, 2011 तक |
| 12. | मै. एन्टीग्रा लि. | 10 | नेवा, जोधपुर | मई, 2011 तक |
| | **योग** | **66** | | |

* नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त होने से छह माह की अवधि में।

** विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरें निर्धारण से 6-14 माह में।

*** विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरें निर्धारण से 13 माह में।

**3. पवन ऊर्जा आधारित**

| क्र. सं. | उत्पादक फर्म का नाम | क्षमता (मेगावाट में) | स्थान | संयंत्र स्थापित होने की अनुमानित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मै. ग्रुप आफ एनरकान कम्पनी लि. द्वारा | 4.00 | जैसलमेर, जोधपुर | सितम्बर, 09 |
| 2. | मै. ग्रुप आफ सुजलोन कम्पनी लि. द्वारा | 37.10 | जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर | सितम्बर, 09 |
| 3. | मै. ग्रुप आफ वेस्टास कम्पनी लि. द्वारा | 23.8 | जैसलमेर, बाड़मेर | मार्च, 2010 |
| | **योग** | **64.18** | | |

## राजसमन्द की सहकारी संस्थाओं के चुनाव

**15. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सहकारी समिति/सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक में चुनाव कराने हेतु मानदण्ड/नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में उक्त संस्थाओं में नियमानुसार कहां-कहां पर कब-कब चुनाव कराये जाने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी नहीं। सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों में चुनाव राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001, नियम 2003 व सम्बन्धित सहकारी समिति के पंजीकृत उपनियमों के अनुसार कराये जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 45(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को अभ्यर्थना प्राप्त हुई है, जिनके निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया जा रहा है :-

(सहकारिता मंत्री)

1. राजसमन्द जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., राजसमन्द
2. राजसमन्द जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि., राजसमन्द
3. कांकरोली क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., कांकरोली

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र भी आता है, जिसके निर्वाचन उक्त बैंक की सदस्य सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न होने के बाद करवाये जाने हैं।

## श्रीडूंगरगढ़ व नोखा पंचायत समिति के सामुदायिक भवन

**16. श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ व नोखा में विभिन्न योजनाओं तथा विधायक कोटे से दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से अब तक स्वीकृत कार्य/योजनाओं की ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों व योजनाओं में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में किन-किन कार्यों में क्या अनियमितता पाई गई व सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधायक व सांसद मद से उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने सामुदायिक भवन बने हैं जो बिना पट्टे या निजी भूमि पर बने हैं व उन्हें निजी उपयोग में लिया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सकार ऐसे भवनों को खाली करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जिला बीकानेर में पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ व नोखा में विभिन्न योजनाओं तथा विधायक कोटे से 1 अप्रैल, 2004 से अब तक स्वीकृत कार्य, योजनाओं की ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न अवलोकनीय है।

(2) बीकानेर जिले में उक्त योजनाओं पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना व सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत समस्त सामुदायिक भवन सार्वजनिक भूमि पर ही बने हैं, किसी निजी भूमि निर्मित नहीं हैं एवं ना ही किसी के निजी उपयोग में लिये जा रहे हैं।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जोधपुर जिले की पंचायतों का पुनर्गठन

**17. श्री बाबू सिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1993 से 1998 व 1998 से 2003 के मध्य नई ग्राम पंचायतों का गठन व पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में नई ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नई ग्राम पंचायतें बनाने व पंचायतों के पुनर्गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। विभागीय पत्र क्रमांक 1075 दिनांक 9.4.1999 एवं 1830 दिनांक 25.5.2002 के द्वारा समस्य जिला कलक्टरों से प्रस्ताव मांगे गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के नवर्गठन/सीमाओं में परिवर्तन किये जाने के लिये नीति निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है। जिस पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

## ग्राम तेलवाड़ा (सिवाना) के पशुपालक को मुआवजा

**18. श्री कानसिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम तेलवाड़ा ग्राम पंचायत भागवा में दिनांक 20 मार्च, 2009 को आकाशीय बिजली गिरने से बकरियों की मौत हुई एवं घायल हुई हैं? यदि हां, तो कितनी बकरियों की मौत हुई व कितनी घायल हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त का मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो किसे, कब व कितना तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त बकरियों के मालिक को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना तथा नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम तेलवाड़ा ग्राम पंचायत भागवा में दिनांक 20.3.2009 को आकाशीय बिजली गिरने से श्री बागाराम पुत्र श्री मोटाराम रबारी, निवासी तेलवाडा की 28 बकरियों के मरने व 10 बकरियों के घायल होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(2) सी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार मुआवजा देय नहीं होता है बल्कि सहायता दी जाती है। जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा 6.7.2009 को सम्बन्धित को 4000/- रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गयी है।

(3) सी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार मृत पशुओं का मुआवजा नहीं दिया जाता है। उनके रिपलेसमेन्ट हेतु दी जाती है। प्रार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज 1.7.2009 को प्रस्तुत कर दिये हैं तथा जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 6.7.2009 को नियमानुसार 4000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गयी है।

## परबतसर में संचालित गौशालाओं को देय अनुदान में वृद्धि

**19. श्री मानसिंह** (परबतसर) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कौन-कौनसी गौशालाएं किस-किस संस्था/व्यक्ति द्वारा संचालित हैं और उनमें कितनी-कितनी गायें हैं?

(2) गत 5 वर्षों में सरकार द्वारा उक्त गौशालाओं को कितनी सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गौशालाओं को वर्तमान में देय अनुदान/ सहायता अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुदान/सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब से तथा नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 21 गौशालाऐं हैं, जिनके पदाधिकारी का नाम एवं उनमें संधारित गायों की संख्या परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र परबतसर की गौशालाओं को दिए गए अनुदान/सहायता का विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में संचालित गौशालायें, पदाधिकारियों का नाम उनमें गायों की संख्या एवं वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक स्वीकृत अनुदान

(राशि रुपयों में)

| क्र. सं. | नाम गौशाला | अध्यक्ष (संचालनकर्ता) का नाम | गायों की संख्या | वर्षवार अनुदान राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2004-05** | **2005-06** | **2006-07** | **2007-08** | **2008-09** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | शीतलामाता गौशाला, भंकरी | श्री महेन्द्र सिंह | 129 | 58450 | 264002 | 144696 | 133332 | 131868 |
| 2. | कृष्ण गोपाल गौ एवं पशुशाला, जावला | श्री इन्द्र चन्द सोनी | 97 | 0 | 242163 | 116352 | 164652 | 141222 |
| 3. | श्री गुरूदेव परमार्थ गौशाला ट्रस्ट, पोह | श्री महन्त रामदास | 268 | 0 | 533150 | 405996 | 556950 | 570240 |
| 4. | श्री गोपाल गौशाला, परबतसर | श्री जगदीश नारायण बेग | 130 | 0 | 149812 | 63474 | 89496 | 162293 |
| 5. | श्री गोपाल गौ संरक्षण संस्थान, मंगलाना | श्री नन्दकिशोर अग्रवाल | 133 | 0 | 250425 | 147090 | 214521 | 256800 |
| 6. | श्री गोपाल गौ सेवा समिति, रिड | श्री सुदर्शन बालजी | 56 | 0 | 109368 | 0 | 71140 | 92942 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | श्री मीरा गिरधर गोपाल गौशाला, गौ सेवा समिति भादवा | श्री पुखराज तिवाड़ी | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118777 |
| 8. | श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति, बागोट | श्री महावीर प्रसाद भण्डारी | 131 | 0 | 0 | 175470 | 304536 | 0 |
| 9. | श्री राना बाई गौ सेवा समिति, हरनावापट्टी | श्री गोपाल लाल | 208 | 0 | 422389 | 259103 | 419061 | 366840 |
| 10. | श्री कृष्ण कामधेनु गौ सेवा समिति, पीलवा | श्री सूरजकरण जाट | 42 | 0 | 92988 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | श्री गौ सेवा समिति, बड़ू | श्री किस्तुर चन्द जैन | 151 | 0 | 511413 | 207858 | 220248 | 279637 |
| 12. | श्री हरी राम बाबा गौ सेवा समिति, रसाल | श्री आसु राम भगत | 98 | 74340 | 128129 | 165474 | 32640 | 143850 |
| 13. | श्री बजरंग गौ सेवा समिति, आनन्दपुरा | श्री प्रेम लाल खाती | 209 | 0 | 200880 | 208224 | 239148 | 265388 |
| 14. | श्री अल्लूजी महाराज गौशाला सेवा समिति, जसराना | श्री सोहन लाल स्वामी | 98 | 0 | 13950 | 107859 | 125952 | 166866 |
| 15. | श्री गोपाल गौ सेवा समिति, लिचाना | श्री रिछपाल सिंह | 175 | 0 | 0 | 0 | 226512 | 232872 |
| 16. | श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, पदमपुरा | श्री महावीर सोनी | 16 | 0 | 90690 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | श्री पदमपुरा गौशाला सेवा समिति, पदमपुरा | श्री भागीरथ राम चौधरी | 82 | 0 | 0 | 0 | 82373 | 86226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | श्री पागल नाथ गउ सेवा समिति, जंजीला | श्री रामगोपाल | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | श्री बालाजी गौ सेवा समिति, मांगलोदी ठठाणा | श्री प्रभुदयाल पोषक | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | संत श्री लादु नाथ महाराज गौ सेवा समिति, कुराडा | श्री लच्छाराम मुण्डेल | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | श्रीराम गौ सेवा समिति, राणासर | श्री रामदीन मुवाल | 170 | 0 | 0 | 0 | 155184 | 224246 |

## बहरोड में स्थानीय विकास कोष से अभिशंषित अपूर्ण विकास कार्य

**20. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वर्ष 2005 से 2008 के मध्य सांसद तथा विधायक कोष से ग्रामीण विकास के किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा कार्य किन एजेन्सियों द्वारा कराये गये? क्या सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं व क्यों?

### उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वर्ष 2005 से 2008 के मध्य सांसद तथा विधायक कोष से ग्रामीण विकास के कराये कार्यों के लिए आबंटित राशि एवं जिन एजेन्सियों से कार्य पूर्ण कराया गया उनकी सूची क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर अवलोकनीय है।

हां। उक्त समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राजकीय महाविद्यालय, सांभर के संचालन हेतु आबंटित राशि

**21. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय में कौन-कौन से संकाय/विषय स्वीकृत हैं तथा इन संकायों/विषयों में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? संकाय/विषयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से व कितने पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने गत तीन वर्षों में उक्त महाविद्यालय को किस-किस मद में कितना बजट आवंटित किया तथा महाविद्यालय द्वारा आबंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के भवन मरम्मत, रख-रखाव, फर्नीचर व पेयजल व्यवस्था के लिये अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत संकाय/विषय तथा अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या, संकाय/विषयवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालय में श्रेणीवार स्वीकृत पदों का एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(3) गत तीन वर्षों में उक्त महाविद्यालय को मदवार आबंटित राशि एवं वास्तविक व्यय का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक द्वारा महाविद्यालय के भवन मरम्मत व रख-रखाव, फर्नीचर व पेयजल व्यवस्था के लिए अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की गई है।

**परिशिष्ट-1**

**राजकीय महाविद्यालय, साम्भरलेक में स्वीकृत संकाय/विषय एवं शैक्षणिक सत्र 2008-09 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है—**

| संकाय | विषय | विद्यार्थियों की संख्या | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्रा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कला संकाय (स्नातक) | इतिहास | 503 | 140 | 643 |
| | भूगोल | | | |
| | राजनीतिशास्त्र | | | |
| | अर्थशास्त्र | | | |
| | हिन्दी साहित्य | | | |
| | अंग्रेजी साहित्य | | | |
| | संस्कृत | | | |
| कला संकाय (स्नातकोत्तर) | राजनीतिशास्त्र | 42 | 13 | 55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| वाणिज्य संकाय (स्नातक) | लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी | 246 | 38 | 284 |
| | व्यावसायिक प्रशासन | | | |
| | आर्थिक एवं वितीय प्रबन्ध | | | |
| वाणिज्य संकाय (स्नातकोत्तर) | लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी | 12 | 08 | 20 |
| | व्यावसायिक प्रशासन | 20 | 02 | 22 |
| | आर्थिक एवं वितीय प्रबन्ध | 16 | 08 | 24 |
| विज्ञान संकाय (स्नातक) | रसायन शास्त्र | 96 | 50 | 146 |
| | प्राणीशास्त्र | | | |
| | वनस्पतिशास्त्र | | | |
| | भौतिकशास्त्र | | | |
| | गणित | | | |

**संयुक्त-निदेशक**

परिशिष्ट-2

1. राजकीय महाविद्यालय, साम्भरलेक में श्रेणीवार स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है—

| श्रेणी | स्वीकृत पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या | पद कब से रिक्त हैं |
|---|---|---|---|
| प्राचार्य | 01 | — | |
| उपाचार्य | 01 | — | |
| पुस्तकालयाध्यक्ष | 01 | — | |
| शारीरिक शिक्षक | 01 | — | |
| व्याख्याता | 38 | 02 | सत्र 2007-08 से रिक्त है। |
| लेखाकार | 01 | 01 | 15.1.09 से रिक्त है। |
| कार्यालय अधीक्षक | 01 | — | |
| वरिष्ठ लिपिक | 01 | 01 | 1.7.08 से रिक्त है। |
| कनिष्ठ लिपिक | 02 | — | |
| प्रयोगशाला सहायक | 04 | — | |
| प्रयोगशाला वाहक | 04 | — | |
| बुक लिफ्टर | 01 | 01 | 3.8.07 से रिक्त है। |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 04 | 02 | 1 पद 30.4.08 से 1 पद 31.7.07 से रिक्त है। |
| फर्राश | 01 | — | |
| एनिमल केचर | 01 | — | |
| म्यूजियम कीपर | 01 | — | |

**परिशिष्ट-3**

**राजकीय महाविद्यालय, साम्भरलेक में वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक आबंटित बजट एवं अबंटित राशि में से वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है—**

| नाम शीर्ष | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटित बजट | वास्तविक व्यय | आबंटित बजट | वास्तविक व्यय | आबंटित बजट | वास्तविक व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| संवेतन | 157.00 | 137.88 | 157.00 | 155.56 | 198.47 | 198.47 |
| यात्रा व्यय | 000.24 | 000.24 | 000.10 | 000.10 | 000.17 | 000.17 |
| चिकित्सा व्यय | 001.28 | 001.28 | 000.67 | 000.67 | 000.87 | 000.86 |
| कार्यालय व्यय | 000.80 | 000.80 | 000.85 | 000.85 | 000.80 | 000.80 |
| फर्नीचर | 000.25 | 000.25 | 000.25 | 000.25 | 000.25 | 000.24 |
| पुस्तकालय | 000.40 | 000.40 | 000.40 | 000.40 | 000.40 | 000.40 |
| प्रयोगशाला | 000.50 | 000.50 | 000.50 | 000.50 | 000.50 | 000.49 |
| विभाग की विशिष्ट सेवायें | 000.03 | 000.03 | 000.03 | 000.03 | 000.26 | 000.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुस्तक बैंक योजना | 000.03 | 000.03 | — | — | 000.05 | 000.05 |
| वर्दी व्यय | — | — | 000.20 | 000.19 | 000.05 | 000.04 |
| अंग्रेजी भाषा दक्षता वृद्धि | 000.68 | 000.59 | — | — | — | — |
| कम्प्यूटर | 000.39 | 000.38 | — | — | — | — |
| फर्नीचर वोकेशनल कोर्स | 001.26 | 001.26 | — | — | — | — |
| अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान | — | — | 000.13 | 000.10 | 000.05 | 000.05 |
| सेन्टर फोर एक्सीलेंस योजना | — | — | — | — | 002.08 | 001.69 |

**संयुक्त निदेशक**

## सादुलपुर (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

**22. श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सादुलपुर (राजगढ़) जिला चूरू में छात्र एवं छात्रा महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

जी नहीं। राज्य के वित्तीय संसाधनों को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान में सादुलपुर में राजकीय क्षेत्र में नवीन छात्र/छात्रा महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

वर्तमान में सादुलपुर में एक अनुदानित सहशिक्षा का महाविद्यालय एवं एक गैर अनुदानित महिला महाविद्यालय संचालित है।

## केकड़ी में नरेगा श्रमिकों का लम्बित भुगतान

**23. डा. रघु शर्मा** (केकड़ी) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा नरेगा के कार्यों का भुगतान श्रमिकों को करने हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था की गई है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान व्यवस्था से मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार व्यवस्था में सुधार हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) नरेगा के कार्यों का श्रमिकों को भुगतान करने हेतु जिला स्तर से कार्यक्रम अधिकारी को श्रम की राशि आबंटित की जाती है एवं उनके द्वारा ग्राम पंचायतों से पक्ष समाप्ति के उपरान्त कार्यों का मूल्यांकन करवाकर, श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली सूची ग्राम पंचायत से प्राप्त कर श्रमिकों के खाते में राशि हस्तान्तरण हेतु बैंकों/ मिनी बैंक/पोस्ट आफिस को राशि मय श्रमिक को भुगतान की जाने वाली सूची एवं चैक/डी.डी. के साथ प्रेषित की जाती है श्रमिक अपने खाते से स्वयं की इच्छा से कभी भी राशि आहरित कर सकता है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में पंचायत समिति अराई, केकडी एवं भिनाय की 51 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन पंचायतों में 31.5.2009 तक का श्रमिकों का भुगतान किया जा चुका है। कुछ कार्य स्थलों पर तकनीकी स्टाफ की कमी, बैंक/पोस्ट

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

आफिस व मिनी बैंकों द्वारा चैक कलियरेन्स में लगने वाले समय एवं पोस्ट आफिस में भी स्टाफ की कमी के कारण श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में कुछ विलम्ब होता है। भुगतान प्रक्रिया में एकरूपता एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से विस्तृत निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 30.4.2009 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

# परिशिष्ट-1

## तारांकित प्रश्न संख्या 3 का विवरण

राशन डीलरों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन की सूची

बिन्दु संख्या 1

| क्र. सं. | विभागीय प्रकरण संख्या | डीलर का नाम जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई | डीलर का निर्धारित स्थान | तहसील/शहर का नाम | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 101/06 | रामचन्द्र | बाडेला | श्रीडूंगरगढ़ | डीलर से रेकार्ड प्राप्त कर पुन: जांच हेतु प्र.नि. को निर्देशित किया गया। |
| 2. | 27/07 | रामचन्द्र | हियादेसर | नोखा | लाईसेंस निलम्बित। प्र.नि. से रेकार्ड की जांच रिपोर्ट आनी शेष है। |
| 3. | 236/07 | राजेन्द्रसिंह चारण | रातडिया | नोखा | प्राधिकार पत्र निलम्बित। प्र.नि. से रेकार्ड की जांच रिपोर्ट आनी शेष है। |
| 4. | 15/08 | धनराज तंवर | वार्ड नं. 41 | बीकानेर शहर | प्र.नि. से रेकार्ड की जांच रिपोर्ट आनी शेष है। |
| 5. | 117/08 | मोहम्मद रफी | खाखूसर | कोलायत | डीलर से रेकार्ड प्राप्त कर पुन: जांच हेतु प्र.नि. को निर्देशित किया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 120/08 | फूलासर जीएसएस | फूलासर | कोलायत | डीलर से रेकार्ड प्राप्त कर पुन: जांच हेतु प्र.नि. को निर्देशित किया गया। |
| 7. | 10/09 | उदोदास | जग्गासर | कोलायत | प्राधिकार पत्र निलम्बित। डीलर से रेकार्ड प्राप्त कर पुन: जांच हेतु प्र.नि. को निर्देशित किया गया। |
| 8. | 15A/09 | जगदीश | उपनी | श्रीडूंगरगढ़ | प्राधिकार पत्र निलम्बित। डीलर द्वारा रेकार्ड प्रस्तुत। प्र.नि. से जांच पैंडिंग है। |
| 9. | 24/09 | नीरज तनेजा | वार्ड नम्बर 23 | बीकानेर शहर | प्राधिकार पत्र निलम्बित। डीलर से रेकार्ड प्राप्त कर पुन: जांच हेतु प्र.नि. को निर्देशित किया गया। |
| 10. | 26/09 | राजेश तिवाडी | वार्ड 41 | बीकानेर शहर | डीलर द्वारा रेकार्ड प्रस्तुत किया जाना है। |
| 11. | 36/09 | कालूशाह | दाउदसर | बीकानेर ग्रामीण | डीलर से रेकार्ड प्राप्त कर पुन: जांच हेतु प्र.नि. को निर्देशित किया गया। |
| 12. | 41/09 | रमेश तावणियां | नोखा वार्ड नं. 5 | नोखा कस्बा | प्राधिकार पत्र निलम्बित। प्र.नि. से रेकार्ड की जांच रिपोर्ट आनी शेष है। |
| 13. | 43/09 | गुड्डी देवी | मणकरासर | श्रीडूंगरगढ़ | प्राधिकार पत्र निलम्बित। दिनांक 1.1.2009 को रेकार्ड प्रस्तुत। प्र.नि. से जांच रिपोर्ट ली जानी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 44/09 | सत्यनारायण सोमानी | वार्ड नं. 5 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | प्राधिकार पत्र निलम्बित। डीलर द्वारा आगामी पेशी पर रेकार्ड व जवाब प्रस्तुत की जानी है। |
| 15. | 45/09 | महेन्द्र कुमार शर्मा | वार्ड नं. 24 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | प्राधिकार पत्र निलम्बित। जांच पूर्ण आगामी कार्यवाही शेष है। |
| 16. | 46/09 | मोडायत जीएसएस मोडायत | मोडायत | कोलायत | प्राधिकार पत्र निलम्बित। रेकार्ड के अभाव में जांच पैंडिंग। |
| 17. | 47/09 | गुमानसिंह | भलूरी | कोलायत | प्राधिकार पत्र निलम्बित। रेकार्ड प्राप्त प्र.नि. से जांच आनी शेष। |
| 18. | 49/09 | तौलाराम स्वामी | वार्ड नं. 10 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | प्राधिकार पत्र निलम्बित। पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |
| 19. | 50/09 | गणेश स्वामी | वार्ड नं. 6 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | प्राधिकार पत्र निलम्बित। पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |
| 20. | 51/09 | नारायणसिंह | सोनियासर | श्रीडूंगरगढ़ | प्राधिकार पत्र निलम्बित। पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |
| 21. | 52/09 | जसवन्तसिंह | सोनियासर | श्रीडूंगरगढ़ | प्राधिकार पत्र निलम्बित। पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 54/09 | सुभाषचन्द्र प्रजापत | वार्ड नं. 3 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |
| 23. | 55/09 | गजानन्द माली | वार्ड नं. | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |
| 24. | 56/09 | सोहनदास | बापेउ | श्रीडूंगरगढ़ | पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |
| 25. | 57/09 | रामकुमार सिद्ध | वार्ड नं. 6 | श्रीडूंगरगढ़ | पेशी दिनांक 8.7.09 को रेकार्ड व जवाब तलब। |
| 26. | 61/09 | दिनेश गहलोत | वार्ड नं. 39 | बीकानेर शहर | प्र. नि. से रेकार्ड जांच आनी शेष। |
| 27. | 65/09 | रासीसर जीएसएस रासीसर | रासीसर | नोखा | दिनांक 15.7.09 को डीलर से जवाब व रेकार्ड तलब। |
| 28. | 66/09 | अनारदीन | भादला | नोखा | प्राधिकार पत्र निलम्बित। दिनांक 15.7.09 को डीलर से जवाब व रेकार्ड तलब। |
| 29. | प्रा.जां. 23.6.09 | मदनसिंह | केउ | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 30. | प्रा.जां. 24.6.09 | गणेश दास स्वामी | टेउ | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 31. | प्रा.जां. 24.6.09 | लेखराम शर्मा | दुलचारसर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 32. | प्रा.जां. 23.6.09 | भींयानाथ सिद्ध | बरजांगसर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 33. | प्रा.जां. 24.6.09 | भंवरलाल शर्मा व्यवस्थापक बिग्गा जीएसएस | बिग्गा | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. | प्रा.जां. 24.6.09 | मनोहरसिंह | सत्तासर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 35. | प्रा.जां. 24.6.09 | ओमप्रकाश नाई | जैतासर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 36. | प्रा.जां. 24.6.09 | बजरंगलाल सोनी | मोमासर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 37. | प्रा.जां. 24.6.09 | मदनलाल शर्मा | बींझासर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 38. | प्रा.जां. 24.6.09 | आसूसिंह | जाखासर पुराना | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 39. | प्रा.जां. 24.6.09 | रामचन्द्र सुथार | रामसरा | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 40. | प्रा.जां. 23.6.09 | सुखराम शर्मा व्यवस्थापक लिखमादेसर जीएसएस | लिखमादेसर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 41. | प्रा.जां. 23.6.09 | ओमप्रकाश पुरोहित | वार्ड नं. 25 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 42. | प्रा.जां. 23.6.09 | सुभाषचन्द्र प्रजापत | वार्ड नं. 3 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 43. | प्रा.जां. 24.6.09 | सोहनदास स्वामी | बापेउ | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 44. | प्रा.जां. 23.6.09 | गजानन्द माली | वार्ड नं. 9 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 45. | प्रा.जां. 23.6.09 | किशन लाल नाई | वार्ड नं. 20 | श्रीडूंगरगढ़ कस्बा | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. | प्रा.जां. 23.6.09 | जगदीश प्रसाद | धनेरू | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 47. | प्रा.जां. 23.6.09 | नानू राम माली | वार्ड नं. 7 | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 48. | प्रा.जां. 24.6.09 | लेखराम जाट | सूढसर | श्रीडूंगरगढ़ | रेकार्ड तलबी की कार्यवाही जैरकार है। |
| 49. | प्रा.जां. 30.6.09 | बजरंगलाल जोशी | नापासर | बीकानेर | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 50. | प्रा.जां. 9.6.09 | समस्त उमूदु | नापासर | बीकानेर | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 51. | प्रा.जां. 9.2.09 | हरिराम नाई | मिठडियां | कोलायत | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 52. | प्रा.जां. 13.2.09 | खिन्दासर पंचायत के तीनों डीलर | खिन्दासर | कोलायत | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 53. | प्रा.जां. 2.3.09 | राधाकिशन | गज्जेवाला | कोलायत | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 54. | प्रा.जां. 15.6.09 | लादूराम | दासौडी | कोलायत | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 55. | प्रा.जां. 15.6.09 | दौलतराम | अगनेउ | कोलायत | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 56. | प्रा.जां. 21.1.09 | जगदीश नाई | अणखीसर चार्ज डिपो काकड़ा | नोखा | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. | प्रा.जां. 26.3.09 | गोकुलराम | कुम्भासरियां | नोखा | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 58. | प्रा.जां. 4.4.09 | हिम्मटसर के दोनों उचित मूल्य दुकानदार | हिम्मटसर | नोखा | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 59. | प्रा.जां. 8.4.09 | ओमप्रकाश मेघवाल | धीरदेसर पुरोहितान | डूंगरगढ़ | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 60. | प्रा.जां. 30.3.09 | इन्द्रपालसर जीएसएस | इन्द्रपालसर | डूंगरगढ़ | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 61. | प्रा.जां. 30.3.09 | रघुवीरसारण | कालूवाला | खाजूवाला | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 62. | प्रा.जां. 15.6.09 | खाजूवाला के समस्त डीलर | खाजूवाला | खाजूवाला | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |
| 63. | प्रा.जां. 30.1.09 | उचित मूल्य दुकानदार | ग्राम सतासर | छतरगढ़ | प्र. नि. स्तर से जांच विचाराधीन है। |

# परिशिष्ट-2

जिले में गत 5 वर्षों में गरीबी रेखा में चयनित (बीपीएल) परिवारों को मिलने वाले गेहूं, तेल इन परिवारों को नहीं देकर बाजार में बेचान करने वाले डीलरों की सूची, जिनके प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिये गये :-

बिन्दु संख्या 2

| क्र. सं. | डीलर का नाम मय स्थान | राशन सामग्री | प्रथम सूचना रिपोर्ट | विभागीय कार्यवाही | वि.वि. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | शंकरपुरी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर | 164 क्वि. बीपीएल एवं अन्त्योदय गेहूं | 127/22.6.04 पुलिस थाना लूणकरणसर | विभागीय प्रकरण संख्या 101/04 निर्णय दिनांक 12.1.2004 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। | पुलिस द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन माननीय सीजेएम कोर्ट बीकानेर द्वारा दिनांक 25.2.2005 को स्वीकृत किया गया। |
| 2. | लक्ष्मणराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ | केरोसीन वितरण में अनियमितता | 77/29.3.04 पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ | विभागीय प्रकरण संख्या 09/04 निर्णय दिनांक 30.12.2004 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। | दिनांक 31.8.2005 को चालान पेश मुकदमा पेश नं. 430 आगामी पेशी दिनांक 30.7.2009 नियत है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | जगदीश उ. मू. दु. ऊपनी तह. डूंगरगढ़ | बीपीएल गेहूं व केरोसीन तेल वितरण में अनियमितता | — | विभागीय प्रकरण संख्या 15ए/4.3.2009 दर्ज करके कार्यालय आदेश दिनांक 4.3.2009 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। | — |

नोट—शेष डीलर्स की सूचना परिशिष्ट-1 के अनुसार।